दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अक्तूबर, 2019

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

नोट :

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **11**

- स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट 9
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और संबंधित विवाद 9
- संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 9
- धार्मिक स्वतंत्रता 12
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 12
- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सुधार 13
- इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग संबंधी दिशा-निर्देश 14
- नागरिकता संशोधन विधेयक पर विवाद 15
- राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 17
- मानवाधिकार पर राष्ट्रीय कार्य योजना 18
- प्रोग्राम ध्रुव 19
- लोकसभा की संरचना 19
- विदेश यात्रा हेतु अनुमति 20
- विश्व खाद्य दिवस 21
- भारत नवाचार सूचकांक 2019 22
- मिशन इन्द्रधनुष 24
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 24
- भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग 26
- सूचना का अधिकार संबंधी नए नियम 27
- अटल अमृत अभियान 28
- राजकोषीय संघवाद 29

आर्थिक घटनाक्रम **31**

- उद्यम विकास केंद्र 31
- राज्य वित्त पर RBI रिपोर्ट 31
- रणनीतिक विनिवेश 33
- वॉटर फॉल अप्रोच तथा पूंजी बाज़ार 34
- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक- 2019 35
- आईआरसीटीसी आईपीओ 36
- लघु उद्योगों पर ILO की रिपोर्ट 37

नोट :

- 20 वीं पशुधन गणना 38
- वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक रिपोर्ट 2019 39
- 'वन नेशन वन फास्टैग' स्कीम 40
- मनरेगा में युवा श्रमिकों की भूमिका 40
- कर निर्धारण के लिये एकीकृत दृष्टिकोण 41
- SONIA 43
- ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट-क्रेडिट सुइस 44
- व्यापार सुगमता सूचकांक 45
- BSNL तथा MTNL का विलय 47
- शेयर स्वैप अनुपात 48
- अनुबंध कृषि 49
- ग्रीन चैनल स्कीम 49
- 'मेक इन इंडिया' में मज़बूती लाने के लिये संशोधित कार्यक्रम लॉन्च 50

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **52**

- भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मंच 52
- इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट 52
- नेबरहुड माइनस वन 53
- सीरिया पर तुर्की का हमला 54
- भारत-नीदरलैंड संबंध 55
- भारत-फिलीपींस 56
- भारत के राष्ट्रपति की जापान यात्रा 57
- WTO में विकासशील देश का दर्जा 58
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन 59
- प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा 61
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी असेंबली 62

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **64**

- ज्वारीय विघटन (Tidal Disruption) 64
- डिजिटल अब्यूज़ एवं साइबरस्टॉकिंग 64
- जियोटेल 65
- सोशल मीडिया पर अस्पष्ट सेंसरशिप 65
- इलास्टोकेलोरिक प्रभाव 66
- आइकॉन उपग्रह 66
- चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 67
- तांबे को क्षरण से बचाने की एक नई तकनीक 68
- एक्सोप्लेनेट और डार्क मैटर 69
- 11वाँ परमाणु ऊर्जा सम्मेलन 71
- ओरियानॉइड उल्का बौछार 71

नोट :

- मंगल ग्रह पर नमक की झीलें 72
- राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा तथा गुणवत्ता सर्वेक्षण 73
- पोलियोवायरस का उन्मूलन 74
- अर्द्ध-डाइरेक धातु 75
- कटसेक तकनीक 76
- इंडीजेन जीनोम परियोजना 77
- बेंडेबल प्रकाश किरण 77
- जैमिनी 78
- शनि के नए उपग्रह 78
- माइक्रोबियल ईंधन सेल 79
- स्किन-ऑन इंटरफेस 79
- स्मार्ट ड्रैगन 80
- ब्रह्मोस मिसाइल 80

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी **81**

- एशिया का सबसे पुराना बाँस 81
- सुंदरबन के निम्नीकृत भागों का जैव-पुनर्स्थापन 81
- जलवायु सुभेद्यता मानचित्र 82
- एलीफैंट एंडोथिलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस 84
- रातापानी टाइगर रिजर्व 85
- भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक 85
- ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया 86
- फोटोकैटलिस्ट 87
- गंगा डॉल्फिन 87
- ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह और प्लास्टिक प्रदूषण 89
- विश्व महापौर शिखर सम्मेलन-2019 90
- एंथ्रेक्स 91
- भारत में पहली बार हिम तेंदुए का सर्वेक्षण 92
- अंटार्कटिक महासागर अभयारण्य योजना 93
- जलवायु संतुलन में एयरोसोल की भूमिका 94
- सेंटीनल-3 वर्ल्ड फायर एटलस 94
- छिपकली की नई प्रजातियाँ 95
- सफेद बेलबर्ड 96

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **97**

- उत्तर प्रदेश में 'प्राचीन नदी' की खुदाई 97
- पृथ्वी को गर्म करने में ज्वालामुखी की भूमिका 98
- समुद्र का बढ़ता तापमान 99
- मानसून की वापसी में विलंब 100

नोट :

- कोस्टल डेम तकनीक और आपदा प्रबंधन 101
- प्रवाल 102
- सफर 103

सामाजिक मुद्दे **104**

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 104
- रुमेटिक बुखार 105
- मेघालय की अल्पसंख्यक जनजातियाँ 106
- सिलिकोसिस 107
- असम चाय उद्योग और श्रम कानून 108
- मिज़ोरम: सर्वाधिक HIV प्रभावित राज्य 109
- राज्यों की स्वास्थ्य प्रणाली पर रिपोर्ट 110
- वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 112
- वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट-2019 और भारत 114
- भारत में बढ़ते आपराधिक मामले 115
- जियो पारसी योजना 116
- टू चाइल्ड नॉर्म 117
- दवाओं की खुदरा बिक्री 118

कला एवं संस्कृति **119**

- सतनामी विद्रोह 119
- मणिपुर और त्रिपुरा का विलय 119
- कीलादी संगमकालीन नगरीय बस्ती 120

आंतरिक सुरक्षा **122**

- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल और पाकिस्तान 122
- आतंकवाद पर मीडिया का कवरेज़ 123
- नगा और कुकी समुदाय के बीच बढ़ता तनाव 124
- कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु 125
- रोहिंग्या शरणार्थी संकट 125
- टेकसागर 126
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल 127
- क्रूज़ मिसाइल (Cruise missile) 127
- नोमाडिक एलीफैंट Nomadic Elephant 127
- धर्म गार्जियन 2019 128
- एकुवेरिन सैन्य अभ्यास 128
- भारतीय नौसेना प्रशिक्षण बेड़ा 129
- एक्स ईस्टर्न ब्रिज- V 129
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सैन्य अभ्यास 2019 130

नोट :

- सैन्य अभ्यास शक्ति 130
- INS बाज़ 131
- युद्धाभ्यास 'हिम विजय' 131
- वज्र-प्रहार 132
- कामिनी रॉय 133
- प्रियंका दास 133

चर्चा में **133**

- एस.एस. मल्लिकार्जुन राव 134
- सौरव गांगुली 134
- आयुष्मान खुराना 134
- अरविंद सिंह 134
- अनूप कुमार सिंह 135

स्थान **136**

- डोनिमलाई खान 136
- तुलागी द्वीप 136
- माउंट पाएकटु/पाइकटु 137
- सखालिन ऑयल फील्ड 137

पुरस्कार **138**

- वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019 138
- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान 139
- PII-ICRC वार्षिक अवाड्र्स 139
- नोबेल पुरस्कार, 2019 (Nobel Prize, 2019) 140
- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार (Corporate Social Responsibility Award) 141
- बुकर पुरस्कार: 2019 142
- यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार 142
- अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 143
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 144
- सखारोव पुरस्कार 144

दिवस **145**

- अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 145
- राष्ट्रीय एकता दिवस 145
- अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 146
- विश्व पर्यावास दिवस (World Habitat Day) 146
- मृत्युदंड विरोधी दिवस 147
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 26वाँ स्थापना दिवस 147

नोट :

खेल **148**

- डच ओपन सुपर 100 148
- पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का लोगो (Logo) लॉन्च 148

विविध **149**

- उपभोक्ता एप 149
- पर्यटन पर्व 2019 149
- पोर्टामेंटो 150
- प्रकाश पोर्टल 150
- प्वाइज़न फायर कोरल 151
- राष्ट्रीय मानसून मिशन 151
- परफॉर्मेंस स्मार्ट-बोर्ड 151
- यूथ को:लैब (Youth Co:Lab) 152
- चकमा समुदाय 153
- ग्राम सचिवालय प्रणाली 153
- सरस आजीविका मेला 153
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 154
- 'एमहरियाली' एप 154
- हगीबिस चक्रवात 155
- राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 155
- ई-दंतसेवा और ब्रेल पुस्तिका 156
- होरी हब्बा 156
- ठोटलाकोंडा बौद्ध परिसर 157
- शिरुई लिली 157
- रंगदुम/रेंगदुम बौद्ध मठ 158
- सिरुमुगई शॉल 158
- खोन रामलीला 158
- भओना 159
- श्री मल्लिस्वरन मंदिर 160
- ऑपरेशन कायला म्यूलर 160
- नेलोप्टोड्स ग्रेटा 160
- निर्विक योजना 161
- चक्रवात क्यार 161
- विज्ञान ज्योति योजना 161
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 162
- उलुरु चट्टान 162
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग 163
- सहारन सिल्वर चींटी 163
- तस्मानियन टाइगर 164

नोट :

- प्रहरी 164
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 165
- रामगढ़ बांध 165
- एरुमेली पेट्टा थुलल 166
- हिमाचल सरकार खरीदेगी प्लास्टिक 166
- रेडियो और टेलीविज़न के क्षेत्र में भारत एवं विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को मंज़ूरी 166
- केरल बैंक के गठन को मंज़ूरी 167
- भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला 167
- समुद्री राज्य विकास परिषद 167
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'ऑन टैप' भुगतान प्रणालियों को अधिकृत किया 168
- गंगा आमंत्रण अभियान 168
- नासा ने रचा नया इतिहास 169
- भारतीय पर्यटकों को ब्राज़ील जाने के लिये वीज़ा ज़रूरी नहीं 169
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को मिले नए राज्यपाल 169

दृष्टि The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index) रैंकिंग जारी की। रैंकिंग के अनुसार, देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर पाया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- रैंकिंग के अनुसार, 20 बड़े राज्यों में केरल 76.6% के स्कोर के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन कर प्रथम स्थान पर रहा जबकि उत्तर प्रदेश 36.4% के स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा।
- हरियाणा, असम और उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है।
- स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक- सीखने की प्रक्रिया, पहुँच, समता, बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं, राज्य द्वारा किये गए सर्वेक्षण के आँकड़े और तीसरे पक्ष के सत्यापन के आधार पर तैयार रिपोर्ट में प्रयोग किये गए आँकड़ों के आधार पर राज्यों का आकलन करता है।

स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI):

- स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो नीति आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संकल्पित तथा डिज़ाइन किये गए शिक्षा गुणवत्ता के प्रमुख डोमेन के आधार पर राज्यों के वार्षिक सुधारों का आकलन करता है।
- सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के फोकस को निवेश (Input) से परिणाम (Output) की ओर स्थानांतरित करने के साथ ही निरंतर वार्षिक सुधारों के लिये मानक प्रदान करना, गुणवत्ता में सुधार, सर्वोत्तम साधनों को साझा करना तथा राज्य के नेतृत्व वाले नवाचारों को प्रोत्साहित करना है।
- भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के सटीक आकलन के लिये स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को दो श्रेणियों- परिणाम तथा शासन एवं प्रबंधन में विभाजित किया गया है।
- सूचकांक में 34 संकेतक और 1000 अंक हैं, जिसमें सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक (1000 में से 600 अंक) भारांक दिया गया है।
- तमिलनाडु पहुँच, समता और परिणाम (Outcome), जबकि कर्नाटक सीखने की प्रक्रिया तथा हरियाणा बुनियादी सुविधा संकेतक के आधार पर शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता रहे।
- छोटे राज्यों में मणिपुर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्त्ता के रूप में उभरा, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है।
- पश्चिम बंगाल ने मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया और उसे रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और संबंधित विवाद

चर्चा में क्यों ?

असम में 19 लाख लोगों को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) से बाहर रखने के विवाद की पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा देशभर में नागरिकों की जनसंख्या का लेखा-जोखा रखने के लिये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register- NPR) को तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसने देश में नागरिकता के मुद्दे पर बहस को तीव्र कर दिया है।

नोट :

क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR):

- NPR 'देश के सामान्य निवासियों' की एक सूची है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, 'देश का सामान्य निवासी' वह है जो कम-से-कम पिछले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले छह महीनों के लिये किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है।
- NPR के पूरा होने और प्रकाशित होने के बाद नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड (National Registration Identity Card- NRIC) तैयार करने के लिये इसका एक आधार बनने की आशा है।
- NRIC असम के NRC का अखिल भारतीय प्रारूप होगा।
- NPR का संचालन स्थानीय, उप-ज़िला, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर किया जा रहा है।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने पहले ही 5,218 गणना ब्लॉकों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करने के लिये 1,200 से अधिक गाँवों और 40 कस्बों और शहरों में एक पायलट परियोजना शुरू कर दी है।
- अंतिम गणना अप्रैल 2020 में शुरू होगी और सितंबर 2020 में समाप्त होगी।

NPR और NRC में अंतर

- NRC असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सूची है जिसे असम समझौते को लागू करने के लिये तैयार किया जा रहा है।
- इसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं।
- उसके बाद राज्य में पहुँचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा।
- NRC के विपरीत, NPR एक नागरिकता गणना अभियान नहीं है, क्योंकि इसमें छह महीने से अधिक समय तक भारत में रहने वाले किसी विदेशी को भी इस रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।
- NPR के तहत असम को छोड़कर देश के अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा।
- एक राष्ट्रव्यापी NRC के संचालन का विचार केवल आगामी NPR के आधार पर होगा।
- निवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद उस सूची से नागरिकों के सत्यापन के लिये एक राष्ट्रव्यापी NRC को शुरू किया जा सकता है।

NPR का वैधानिक आधार ?

- NPR नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र निर्गमन) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है।
- भारत के प्रत्येक "सामान्य निवासी" के लिये NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के कार्यालय द्वारा, जनगणना-2021 के पहले चरण के साथ इसका संचालन किया जाएगा।

क्या NPR एक नया विचार है ?

- NPR का विचार UPA शासन के समय का है जब वर्ष 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था।
- लेकिन उस समय नागरिकों को सरकारी लाभों के हस्तांतरण के लिये सबसे उपयुक्त आधार प्रोजेक्ट (UIDAI) का NPR से टकराव हो रहा था।
- गृह मंत्रालय ने तब आधार की बजाय NPR के विचार को आगे बढ़ाया क्योंकि यह NPR में पंजीकृत प्रत्येक निवासी को जनगणना के माध्यम से एक परिवार से जोड़ता था।
- NPR के लिये डेटा को पहली बार वर्ष 2010 में जनगणना-2011 के पहले चरण, जिसे हाउसलिस्टिंग चरण कहा जाता है, के साथ एकत्र किया गया था।
- वर्ष 2015 में इस डेटा को एक डोर-टू-डोर सर्वेक्षण आयोजित करके अपडेट किया गया था।
- हालाँकि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2016 में आधार को सरकारी लाभों के हस्तांतरण के लिये महत्त्वपूर्ण माना और NPR की बजाय आधार कार्ड की संकल्पना को आगे बढ़ाया।
- 3 अगस्त को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से RGI द्वारा NPR के विचार को पुनर्जीवित किया गया है।

नोट :

- अतिरिक्त डेटा के साथ NPR-2015 को अपडेट करने की कवायद शुरू कर दी गई है जो वर्ष 2020 में पूरी हो जाएगी। अद्यतन जानकारी का डिजिटलीकरण भी पूरा हो चुका है।

NPR किस तरह की जानकारी एकत्र करेगा ?

- NPR जनसांख्यिकीय (Demographic) और बायोमेट्रिक (Biometric) दोनों प्रकार के डेटा एकत्र करेगा।
- जनसांख्यिकीय डेटा की 15 अलग-अलग श्रेणियाँ हैं जिनमें नाम और जन्म स्थान से लेकर शिक्षा और व्यवसाय जैसी जानकारी शामिल है।
- बायोमेट्रिक डेटा के लिये यह आधार पर निर्भर करेगा, जिसके लिये यह निवासियों के आधार पहचान की भी जानकारी एकत्र करेगा।
- इसके अलावा RGI देश भर में परीक्षण के लिये मोबाइल नंबर, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड तथा पासपोर्ट संबंधी जानकारी भी इकट्ठा कर रहा है और जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली को अपडेट करने के लिये भी काम कर रहा है।
- वर्ष 2010 में RGI ने केवल जनसांख्यिकीय आँकड़े एकत्र किये थे।
- वर्ष 2015 में इसने मोबाइल, आधार और निवासियों के राशनकार्ड नंबरों के साथ आँकड़ों को अपडेट किया।
- वर्ष 2020 के अभ्यास के लिये इसने राशन कार्ड संख्या को इसमें से हटा दिया लेकिन अन्य श्रेणियों को जोड़ दिया।
- गृह मंत्रालय के अनुसार NPR के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है लेकिन पैन नंबर, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र जैसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करना स्वैच्छिक है।
- मंत्रालय ने निवासियों के विवरण को NPR में ऑनलाइन अपडेट करने का विकल्प भी प्रस्तुत किया है।

NPR और आधार नंबर (UID Number) के बीच संबंध

- NPR सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। इसमें एकत्र किये गए डेटा को आधार कार्ड जारी करने और इनके दूहराव को रोकने के लिये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को भेजा जाएगा।
- इस प्रकार NPR में जानकारी के तीन भाग होंगे- (i) जनसांख्यिकीय डेटा (ii) बायोमेट्रिक डेटा (iii) आधार नंबर (UID Number)।

NPR पर विवाद क्या है ?

- NPR का विचार ऐसे समय में चर्चा में आया है जब असम में लागू किये जा रहे NRC से 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है।
- आधार तथा निजता के मुद्दे पर बहस जारी है और NPR भारत के निवासियों की निजी जानकारी का एक बड़ा हिस्सा इकट्ठा करने पर आधारित है।
- NPR पहले से मौजूद आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट जैसे एक और पहचान पत्र की संख्या में वृद्धि करेगा।
- सरकार को नागरिकों के बारे में इतना डेटा क्यों चाहिये ?
- प्रत्येक देश में प्रासंगिक जनसांख्यिकीय विवरण के साथ अपने निवासियों का व्यापक पहचान डेटाबेस होना चाहिये। यह सरकार को बेहतर नीतियाँ बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मदद करेगा।
- इससे न केवल लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करने में मदद मिलेगी बल्कि कागज़ी कार्रवाई और लालफीताशाही में भी कमी होगी।
- इसके अलावा यह विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर निवासियों के डेटा को सुव्यवस्थित करेगा। जैसे- विभिन्न सरकारी दस्तावेज़ो में किसी व्यक्ति के जन्म की अलग-अलग तारीख होना आम समस्या है। NPR से इस समस्या का समाधान होने की संभावना है।
- NPR डेटा के कारण निवासियों को दिन-प्रतिदिन के कार्यों हेतु उम्र, पता और अन्य विवरण के लिये विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने होंगे।
- यह मतदाता सूचियों में दूहराव को भी समाप्त करेगा।

NPR और निजता का मुद्दा

- वर्तमान में निजता के मुद्दे पर भी वाद-विवाद बना हुआ है लेकिन पायलट प्रोजेक्ट से पता चला है कि अधिकाँश लोगों को ऐसी जानकारी को साझा करने में कोई समस्या नहीं है लेकिन दिल्ली जैसे कुछ शहरी क्षेत्रों में कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।
- हालाँकि सरकार का पक्ष है कि NPR की जानकारी निजी और गोपनीय है, अर्थात् इसे तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। लेकिन डेटा की इस विशाल मात्रा के संरक्षण के लिये किसी व्यवस्था पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है।

नोट :

धार्मिक स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों ?

कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने धार्मिक त्योहारों या समारोहों के लिये सड़कों और फुटपाथों पर अस्थायी संरचनाओं के निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 (article 25), सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्रदान करता है, लेकिन त्योहारों व उत्सव के लिये सार्वजनिक सड़क तथा फुटपाथ पर व्यक्ति को अतिक्रमण करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है।
- खंडपीठ ने कहा कि कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 288 (2) के तहत नगरपालिका प्राधिकरण धार्मिक त्योहारों को मनाने सहित किसी भी उद्देश्य के लिये अस्थायी रूप से सार्वजनिक सड़कों या फुटपाथों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता है।
- कर्नाटक बेंच का यह आदेश सभी धर्मों और समुदायों के धार्मिक त्योहारों तथा कार्यों पर लागू होगा।
- प्राधिकृत अधिकारियों को परिसर, सड़क और फुटपाथों का निरीक्षण करना चाहिये तथा यातायात विभाग से एक रिपोर्ट भी लेनी चाहिये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 288 (2) के तहत अस्थायी संरचनाओं की अनुमति देने से यातायात में रुकावट उत्पन्न न हो।

कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 288

- कर्नाटक नगर निगम अधिनियम की धारा 288 नगर निगम आयुक्त को अस्थायी सरंचनाओं के निर्माण हेतु अधिकार प्रदान करती है।
- धारा 288 (2) नगर निगम आयुक्त को सड़क पर अस्थायी संरचनाओं के निर्माण हेतु लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति देती है।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती

चर्चा में क्यों ?

2 अक्तूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर भारत सरकार ने स्वच्छ भारत दिवस- 2019 के साथ-साथ आइंस्टीन चुनौती और नईतालीम जैसी पहलों का शुभारंभ तथा स्वच्छ स्टेशन सर्वे जारी किया है।

स्वच्छ भारत दिवस-2019

- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार ने डाक टिकट और चाँदी का सिक्का जारी किया। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा गांधीजी पर डाक टिकट जारी किया गया था।
- भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।
- जन भागीदारी के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए जल जीवन मिशन और वर्ष 2022 तक प्लास्टिक (Single Use Plastic) के प्रयोग की समाप्ति जैसी महत्त्वपूर्ण सरकारी पहलों की सफलता के लिये सामूहिक प्रयास का आह्वान किया गया है।

जल जीवन मिशन

इस मिशन के तहत 'नल से जल' कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर को नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

आइंस्टीन चुनौती

- न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित "भारत और विश्व को क्यों है गांधी की जरुरत" शीर्षक वाले भारत सरकार के एक आलेख के अनुसार-
  - भावी पीढियाँ महात्मा गांधी के उद्देश्यों को कैसे याद रख सकें इसके लिये आइंस्टीन चुनौती की पेशकश की गई।
  - इस चुनौती का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के आदर्शों को अमर बनाना है।
  - इसके लिये विचारकों, उद्यमियों और तकनीकी विशेषज्ञों से अपील की गई कि वे आगे आएँ और नवाचार के माध्यम से गांधीजी के विचारों को प्रसारित करें।

नोट :

स्टेशन स्वच्छता सर्वे

- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 'स्टेशन स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट' (गैर-उप शहरी एवं उप शहरी स्टेशनों का स्वच्छता आकलन 2019) जारी की गई।
- जहाँ उत्तर पश्चिम रेलवे ज़ोन को सबसे स्वच्छ ज़ोन का दर्ज़ा मिला, वहीं मध्य रेलवे ज़ोन स्वच्छता रैंकिंग में सबसे नीचे है।

प्रमुख नगरों को दी जाने वाली रैंकिंग इस प्रकार है-

गैर-उपनगरीय स्टेशन	रैंक	उपनगरीय स्टेशन	रैंक
जयपुर	1	अँधेरी	1
जोधपुर	2	विरार	2
दुर्गापुर	3	नौगाँव	3
जम्मू-तवी	4	कांदिवली (Kandivli)	4
गांधीनगर	5	संतरागाछी (Santragachi)	5
सूरतगढ़	6	कारी रोड	6
विजयवाड़ा	7	डोम्बिवली (Dombivli)	7
उदयपुर सिटी	8	किंग्स सर्कल	8
अजमेर	9	बोरीवली	9
हरिद्वार	10	सांताक्रूज़ (Santacruz)	10

नई तालीम

- भारत को अकुशल समुदाय की दुनिया से सबसे कुशल राष्ट्रों में से एक के रूप में स्थापित करने के लिये नई तालीम नामक चार दिवसीय उत्सव का आयोजन किया।
- इस उत्सव का आयोजन एशियन हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया गया।
- उत्सव के दौरान प्रदर्शित प्रदर्शनी उन लोगों की 'परम्परा' का प्रदर्शन करेगी, जो दूसरों के लिये शिल्प बनाते हैं और कौशल भारत की विरासत का एक अभिन्न हिस्सा हैं।
- नई तालीम, शरीर, मन और आत्मा की संपूर्ण शिक्षा को कुशल श्रम के माध्यम से प्रसारित करने का सिद्धांत है।
- 75 वर्ष पहले गांधीजी ने (अक्तूबर 1937) में नई तालीम के नाम से एक जीवन दर्शन तथा शिक्षा पद्धति देश के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो अहिंसक, समतामूलक, न्यायपूर्ण समाज निर्माण का उद्देश्य रखती थी।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सुधार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions) ने डाक विभाग में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievances Redress and Monitoring System- CP-GRAMS) का एक नया संस्करण लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार के डाक विभाग में सर्वाधिक सार्वजनिक शिकायतें दर्ज होती हैं।
- CPGRAMS के नए संस्करण से शिकायत निपटान में लगने वाला समय कम हो जाएगा, साथ ही शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

नोट :

- वर्तमान में DARPG प्रत्येक वर्ष लगभग 16 लाख शिकायतों का निपटारा करता है, जिनमें से 95% को संतोषजनक तरीके से निपटाया जाता है।
- नए संस्करण के तहत बिना किसी कार्मिक हस्तक्षेप के 1.5 लाख डाकघरों की मैपिंग की जाएगी।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

- यह एक ऑनलाइन वेब-आधारित प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatic Centre- NIC) द्वारा लोक शिकायत निदेशालय (Directorate of Public Grievances-DPG) और प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances- DARPG) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसको विकसित करने का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों का निवारण और निगरानी करना है।
- इसकी शुरुआत कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions) के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances -DARPG) द्वारा की गई है।
- CPGRAMS किसी भी स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह प्रणाली DARPG और नागरिकों को विभागों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।
- इस प्रणाली को सुलभ, सरल, त्वरित, निष्पक्ष और उत्तरदायी बनाने के लिये प्रत्येक कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निदेशक अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा जिससे लोक शिकायतों एवं कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित कार्य के निपटान की समय सीमा तय की जा सके।

इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग संबंधी दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग संबंधी दिशा-निर्देशों एवं विनिर्देशों में संशोधनों को मंज़ूरी दे दी है। इन दिशा-निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिये देश भर में चार्जिंग अवसंरचना का एक समुचित नेटवर्क विभिन्न चरणों में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

प्रमुख बिंदु

- चार्जिंग अवसंरचना से जुड़े ये संशोधित दिशा-निर्देश 14 दिसंबर, 2018 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों एवं मानकों का स्थान लेंगे।
- संशोधित दिशा-निर्देश पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उपभोक्ता अनुकूल हैं क्योंकि इनमें विभिन्न हितधारकों से प्राप्त कई सुझावों को शामिल किया गया है।
- इन दिशा-निर्देशों को दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा।
- प्रथम चरण 1 से 3 वर्ष का होगा जिसमें 40 लाख से अधिक की आबादी वाली (जनगणना-2011 के अनुसार) सभी मेगा सिटी से जुड़े समस्त मौजूदा एक्सप्रेसवे और इनमें से प्रत्येक मेगा सिटी से जुड़े महत्त्वपूर्ण राजमार्गों को कवर कर लिया जाएगा।
- 3 से 5 वर्षों वाले दूसरे चरण में बड़े शहरों जैसे कि राज्यों की राजधानियों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यालयों को कवर किया जा सकता है।
- चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना में आसानी के लिये विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ वैधानिक निकाय **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency-BEE)** को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

नेशनल ई-मोबिलिटी प्रोग्राम (National E-Mobility Programme):

इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिये बड़े स्तर पर चार्जिंग अवसरंचना की आवश्यकता होगी।

इस कार्यक्रम को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (Energy Efficiency Service Ltd. EESL) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

नोट :

ई-मोबिलिटी के निम्नलिखित लाभ हैं-

- इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से लाभकारी हैं।
- सामान्य कारों के लिये प्रति किलोमीटर 6.5 रुपए की लागत की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों हेतु यह मात्र 85 पैसे ही है।
- ये ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने में सहायक हैं।
- इससे महँगे पेट्रोलियम आयातों पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी।

क्या है नए दिशा-निर्देश ?

- शहरों में 3 किलोमीटर लंबाई और 3 किलोमीटर चौड़ाई के ग्रिड में कम-से-कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराया जाएगा।
- राजमार्गों/सड़कों के दोनों ओर प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी पर पर एक चार्जिंग स्टेशन होगा।
- एक शहर से दूसरे शहर में भ्रमण करने वाले और भारी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये प्रत्येक 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की ज्यादातर चार्जिंग घरों अथवा कार्यालयों में ही होगी और वहाँ 'फॉस्ट या स्लो चार्जर' का उपयोग करने का निर्णय उपभोक्ताओं पर निर्भर करेगा।
- अत: इस बारे में दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि आवास या कार्यालयों में निजी चार्जिंग की अनुमति विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा दी जाएगी।
- घरेलू चार्जिंग दरअसल बिजली की घरेलू खपत जैसी ही होगी, अत: उसके लिये शुल्क दरें उसी के अनुसार होंगी।
- हालाँकि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (Public Charging Stations-PCS) के मामले में यह व्यवस्था की गई है कि PCS के लिये विद्युत आपूर्ति की शुल्क दर का निर्धारण उपयुक्त आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-3 के तहत जारी टैरिफ नीति के अनुसार किया जाएगा।
- सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिये किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये स्वतंत्र है।

नागरिकता संशोधन विधेयक पर विवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक को एक बार पुन: सदन में पेश करने की बात कही गई है। इससे नागरिकता के मुद्दे पर बहस फिर से तेज़ हो गई है।

पृष्ठभूमि

- जनवरी 2019 में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया गया था।
- लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया था। नई लोकसभा के गठन के बाद सरकार ने इसे पुन: सदन में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।
- इस विधेयक में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन प्रस्तावित है।

क्या है विधेयक के प्रावधान ?

- विधेयक में कहा गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बिना वैध दस्तावेज़ो के भारत में प्रवेश करने के बावजूद अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को अवैध नहीं माना जाएगा और इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी।
- इन अल्पसंख्यक समुदायों में छह गैर-मुस्लिम धर्मों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई पंथ के अनुयायियों को शामिल किया गया है।
- इन धर्मों के अवैध प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने से उन्हें विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत निर्वासन का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नोट :

- 1955 का अधिनियम कुछ शर्तों (Qualification) को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के लिये आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है।
- इसके लिये अन्य बातों के अलावा उन्हें आवेदन की तिथि से 12 महीने पहले तक भारत में निवास और 12 महीने से पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में बिताने की शर्त पूरी करनी पड़ती है।
- विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई प्रवासियों के लिये 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 6 वर्ष करने का प्रावधान करता है।
- विधेयक नागरिकता अधिनियम या किसी भी अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामले में सरकार को भारत के विदेशी नागरिकता (Overseas Citizenship of India-OCI) कार्डधारकों के पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान करता है।

विधेयक के पक्ष में तर्क

- सरकार का कहना है कि इन प्रवासियों ने 'भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न' का सामना किया है।
- प्रस्तावित संशोधन देश की पश्चिमी सीमाओं से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में आए उत्पीड़ित प्रवासियों को राहत प्रदान करेगा।
- इन छह अल्पसंख्यक समुदायों सहित भारतीय मूल के कई लोग नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता पाने में असफल तो रहते ही हैं और भारतीय मूल के समर्थन में साक्ष्य देने में भी असमर्थ रहते हैं।
- इसलिये उन्हें देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिये आवेदन करना पड़ता है।
- देशीयकरण की लंबी प्रक्रिया से इन तीन देशों के छह अल्पसंख्यक समुदायों को अवैध प्रवासी माना जाता है और भारतीय नागरिकों को मिलने वाले लाभों से इन्हें वंचित रहना पड़ता है।

विधेयक के विपक्ष में तर्क

- आलोचकों का कहना है कि विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।
- विधेयक नागरिकता देने के लिये अवैध प्रवासियों के बीच धार्मिक आधार पर विभेद करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार की संवैधानिक गारंटी के विरुद्ध है।
- अनुच्छेद-14 के तहत सुरक्षा नागरिकों और विदेशियों दोनों पर समान रूप से लागू होती है।
- प्रस्तावित विधेयक असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को बाधित करेगा, जो किसी भी धर्म के अवैध प्रवासी को एक पूर्व-निर्धारित समय-सीमा के आधार पर परिभाषित करता है।
- इस नागरिकता विधेयक को 1985 के असम समझौते से पीछे हटने के एक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।
- समझौते में 24 मार्च, 1971 के बाद बिना वैध दस्तावेज़ो के असम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विदशी नागरिक माना गया है। इस मामले में यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।
- अकेले असम में हाल ही में संपन्न NRC अभ्यास ने अंतिम सूची से 3.29 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया है।
- OCI कार्डधारक का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान केंद्र सरकार के विवेकाधिकार का दायरा विस्तृत करता है। क्योंकि कानून के उल्लंघन में हत्या जैसे गंभीर अपराध के साथ यातायात नियमों का मामूली उल्लंघन भी शामिल है।
- उच्चतम न्यायालय की क्या राय है?
- उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका में न्यायालय से पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन नियम, 2015, विदेशी (संशोधन) आदेश, 2015 और नागरिकता अधिनियम के तहत 26 दिसंबर, 2016 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के माध्यम से धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पलायन कर रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों के देशीयकरण की अनुमति देने वाले संशोधनों को अवैध और अमान्य घोषित करने का आग्रह किया गया था।
- क्योंकि इन अधीनस्थ कानूनों द्वारा प्रदत्त छूट से बांग्लादेश से असम में अवैध प्रवासियों की अनियंत्रित आमद में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी।
- याचिका में कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध आव्रजन के कारण वृहद् स्तर पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं।
- 5 मार्च, 2019 को उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

नोट :

राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की 550वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में मानवता की भावना प्रदर्शित करते हुए एक अभियुक्त (पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या का दोषी) की मौत की सज़ा को क्षमादान में परिवर्तित करने का फैसला किया है।

- पिछले नौ वर्षों में राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs) की सिफारिशों के आधार पर लगभग 20 अभियुक्तों की मौत कि सज़ा को आजीवन कारावास में रूपांतरित किया है।

माफ करने के लिये संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 72

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिये दोषी करार दिये गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात् दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित हैं जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है-
- संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले में।
- सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के मामले में।
- मृत्यदंड पाए हुए व्यक्ति के मामले में।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

- लघुकरण (Commutation)-सज़ा की प्रकृति को बदलना जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
- परिहार (Remission)- सज़ा की अवधिको बदलना जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
- विराम (Respite)- विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं कि गर्भावस्था के कारण।
- प्रविलंबन (Reprieve)- किसी दंड को कुछ समय के लिये टालने की प्रक्रिया जैसे फाँसी को कुछ समय के लिये टालना।
- क्षमा (Pardon)- पूर्णत: माफ़ कर देना (इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।

- राज्यपाल राज्य के विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है।
- राज्यपाल को मृत्यदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है।
- राज्यपाल मृत्यदंड को निलंबित, दंड अवधि को कम करना एवं दंड का स्वरूप बदल सकता है।

राष्ट्रपति की क्षमा करने की प्रक्रिया

- यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने से शुरू होती है।
- इसके बाद याचिका पर विचार करने के लिये यह गृह मंत्रालय को भेजी जाती है, जिसके बाद संबंधित राज्य सरकार से सलाह ली जाती है।
- गृह मंत्री की सिफारिश पर परामर्श के बाद याचिका राष्ट्रपति को वापस भेजी जाती है।
- क्षमादान का उद्देश्य
- क्षमादान किसी निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय की गलती के कारण दंडित होने से बचाने या संदेहास्पद सज़ा के मामलों में मददगार साबित हो सकती है।
- राष्ट्रपति को प्राप्त इस शक्ति के दो रूप हैं
  - विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिये।
  - यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कठोर समझता है तो उसका बचाव करने के लिये।

क्षमा करने की शक्तियों पर न्यायिक रुख

मारू राम बनाम भारत संघ मामले (1980) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिये, न कि राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से और राष्ट्रपति के लिये यह सलाह बाध्यकारी है।

नोट :

मानवाधिकार पर राष्ट्रीय कार्य योजना

चर्चा में क्यों ?

भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड को सुधारने के लिये सरकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 'सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा' (UPR) के तहत मानवाधिकार पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Human Rights-NAPHR) तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस (12 अक्तूबर) पर NAPHR की घोषणा की जा सकती है।

पृष्ठभूमि

- यह योजना 11 वर्षों से (2008 से) लंबित है, जबकि NHRC इसे तैयार करने के लिये सरकार से कई बार आग्रह कर चुका है।
- योजना तैयार करने के संबंध में अगस्त 2019 में बैठक हुई थी जिसमें टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया ।
- टास्क फोर्स में केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सहित सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और परवर्ती चरण में सिविल सोसाइटी के संगठनों से भी परामर्श किया जाएगा।
- टास्क फोर्स अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने से पहले अन्य देशों की योजनाओं की भी जाँच करेगी।

सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा: (UPR)

- UPR संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तत्त्वावधान में एक राज्य-संचालित प्रक्रिया है जिसमें सदस्य राज्यों को यह बताना पड़ता है कि उन्होंने मानवाधिकार संरक्षण तथा अपने दायित्वों को पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई की है।
- UNHRC के अनुसार, UPR की अभिकल्पना हर देश के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये की गई है।
- क्योंकि इस समीक्षा से सभी देशों में उनके क्रियान्वयन को सुधारने के प्रयासों और मानवाधिकारों के उल्लंघन का पता लगाया जा सकता है।
- एक समीक्षा चक्र साढ़े चार साल तक चलता है, जिसके दौरान सदस्य राज्यों के रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है। पहला चक्र 2008 से 2011 तक चला, जबकि तीसरा चक्र 2017 से चल रहा है।
- 2017 में संयुक्त राष्ट्र की तीसरी UPR में भारत ने मानवाधिकारों पर 250 सिफारिशों में से 152 को स्वीकार किया।
- हालाँकि भारत ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (AFSPA)और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) संबंधी कुछ सिफारिशों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
- UPR-1 और UPR-3 में संयुक्त राष्ट्र ने सिफारिश की है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं आवास का अधिकार, सभी के लिये न्याय, महिलाओं और बच्चों की तस्करी के विरुद्ध उपाय जैसे मुद्दों को कवर करने हेतु भारत के पास NAPHR होना चाहिये।

मानवाधिकार (Human Rights)

- संयुक्त राष्ट्र (UN) की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना सभी को प्राप्त हैं।
- मानवाधिकारों में मुख्यत: जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं।
- कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है।

NAPHR के लाभ

- न्याय के प्रशासन की सुदृढ़ता तथा मानवाधिकार संस्थानों को मज़बूत करने और विकास के साथ अधिकारों को संबद्ध करने के लिये NAPHR का निर्माण किया जा रहा है।
- एक बार NAPHR के कार्यान्वित होने के बाद यह मानवाधिकार रिकॉर्ड के संदर्भ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं को कम करने और सामाजिक न्याय व्यवस्था को मज़बूत करने में सहायता करेगा।

नोट :

प्रोग्राम ध्रुव

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम- ध्रुव (Pradhan Mantri Innovative Learning Programme- 'DHRUV) का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम- ध्रुव

- इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को चिह्नित कर उन्हें देश भर के उत्कृष्ट केंद्रों में प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और शिक्षा प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास करना है।
  - इससे छात्र अपनी पसंद के क्षेत्रों में उच्चतम स्तर तक पहुँच सकेंगे।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का एहसास कराना और उन्हे समाज के लिये योगदान देने हेतु प्रेरित करना है।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम का नाम 'ध्रुव' तारे के नाम पर 'ध्रुव' रखा गया है और प्रत्येक चयनित छात्र 'ध्रुव तारा' कहलाएगा।
- इस कार्यक्रम में दो क्षेत्र-विज्ञान और कला प्रदर्शन शामिल हैं। इसमें कुल 60 छात्र होंगे, जिसमें से प्रत्येक क्षेत्र में 30 छात्र होंगे।
- छात्रों का चयन सरकारी और निजी स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों में से किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम का पहला चरण है जिसका धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों जैसे- रचनात्मक लेखन आदि में विस्तार किया जाएगा।

लोकसभा की संरचना

चर्चा में क्यों ?

एक पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा यह मांग की गई कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिये। निम्न सदन की रचना लगभग चार दशकों से एक जैसी ही है।

लोकसभा की वर्तमान स्थिति:

- लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, लोकसभा के चुनावों में वोट देने का अधिकारी है (अनुच्छेद-326)।
- संविधान का अनुच्छेद-81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अधिक तथा संघशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिये 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
- इसके अलावा अनुच्छेद-331 के अनुसार, राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये अधिक-से-अधिक दो सदस्य मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है।
- अनुच्छेद 81 यह भी कहता है कि किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या ऐसी होगी कि उस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात, जहाँ तक संभव हो, सभी राज्यों के लिये समान हो। हालाँकि, यह तर्क उन छोटे राज्यों पर लागू नहीं होता है जिनकी आबादी 60 लाख से अधिक नहीं है। इसलिये कम-से-कम एक सीट हर राज्य को आवंटित की जाती है, भले ही उस राज्य का जनसंख्या-सीट-अनुपात उस सीट के लिये योग्य होने के लिये पर्याप्त नहीं हो।

स्थिति में परिवर्तन:

- संविधान के प्रारंभ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित थी। वर्ष 1952 में गठित पहले सदन में 497 लोकसभा सदस्य थे। चूँकि संविधान जनसंख्या के आधार पर सीटों के आवंटन का निर्धारण करता है, इसलिये निम्न सदन की संरचना (कुल सीटों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों को आवंटित सीटों का पुनर्मूल्यांकन) भी प्रत्येक जनगणना के साथ बदल गई है।

नोट :

- पहला बड़ा बदलाव वर्ष 1956 में राज्यों के समग्र पुनर्गठन के बाद हुआ, जिसने देश को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया।
- राज्य पुनर्गठन के बाद मौजूदा राज्यों की सीमाओं में हुए बड़े बदलावों के साथ-साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन में भी बदलाव हुआ। इसलिये पुनर्गठन के साथ सरकार ने संविधान में भी संशोधन किया जिसके द्वारा राज्यों को आवंटित सीटों की अधिकतम संख्या 500 हो गई, लेकिन छह केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिये अतिरिक्त 20 सीटें (अधिकतम सीमा) भी जोड़ी गईं। इसलिये वर्ष 1957 में चुनी गई दूसरी लोकसभा में 503 सदस्य थे।
- इसके बाद के वर्षों में, लोकसभा की संरचना में तब और बदलाव आया जब वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य को पंजाब से अलग किया गया तथा वर्ष 1961 में गोवा और दमन-दीव का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया।

लोकसभा सीटों की स्थिति में अंतिम परिवर्तन:

- लोकसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में होने के कारण ऐसे राज्यों का लोकसभा में अधिक प्रतिनिधित्व हो गया जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में रुचि नहीं दिखा रहे थे।
- दक्षिणी राज्य, जिन्होंने परिवार नियोजन का अच्छी तरह से अनुसरण किया था उन्हें यह चिंता होने लगी कि जनसंख्या के कम अनुपात के कारण कहीं उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कम न हो जाए।
- इन आशंकाओं को दूर करने के लिये, आपातकालीन शासन के दौरान संविधान में संशोधन किया गया, जिसने वर्ष 2001 तक परिसीमन को स्थगित कर दिया तथा यह प्रावधान किया गया कि जनसंख्या शब्द का अर्थ वर्ष 2000 तक 1971 की जनगणना से माना जायेगा।
- 84वें संविधान संशोधन, 2001 के द्वारा यह कालावधि वर्ष 2026 तक बढ़ा दी गई है।

निष्कर्ष:

वर्ष 1970 के बाद यह महसूस किया जाता रहा है कि उत्तर भारत के राज्यों, जिनकी आबादी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से बढ़ी है, का प्रतिनिधित्व संसद में संवैधानिक रूप से कम हो गया है।

विदेश यात्रा हेतु अनुमति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डेनमार्क में आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधन का कारण:

उल्लेखनीय है कि डेनमार्क में आयोजित C-40 क्लाइमेट समिट में भाग लेने हेतु विदेश मंत्रालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंज़ूरी नहीं दी थी, जिसके कारण उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करना पड़ा।

मुख्य बिंदु:

- ध्यातव्य है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को विदेश यात्रा हेतु विदेश मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता होती है।
- वर्ष 2016 से इस प्रकार की अनुमति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।
- यह अनुमति कई पक्षों जैसे- कार्यक्रम की प्रकृति और सहभागियों का स्तर आदि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है।
- सरकारी कर्मचारियों तथा उच्च पदों पर कार्यरत लोगों को राजनीतिक अनुमति के अतिरिक्त भिन्न परिस्थितियों में कुछ अन्य प्रकार की अनुमतियों की भी आवश्यकता होती है। जैसे-
  - मुख्यमंत्री, राज्य के अन्य मंत्री तथा राज्य अधिकारीगणों को आर्थिक मामलों के विभाग से भी अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।
  - देश के केंद्रीय मंत्रियों के लिये विदेश मंत्रालय से अनुमति के पश्चात् प्रधानमंत्री से भी अनुमति लेना आवश्यक होता है।
  - लोकसभा सदस्यों को इस संबंध में सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को इस संबंध में सभापति से अनुमति लेनी होती है।
  - विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अधिकारियों से लेकर जोइंट सेक्रेटरीज़ स्तर तक के अधिकारियों को अपने-अपने मंत्रालयों से भी अनुमति लेनी होती है।

नोट :

अन्य तथ्य:

- उल्लेखनीय है कि यात्रा का समय, किस देश की यात्रा की जानी है व साथ ही कितने शिष्ट मंडल सदस्य (Delegation) जाने हैं आदि तथ्यों के आधार पर नियमों में परिवर्तन संभव है।

विश्व खाद्य दिवस

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में 'सितंबर 2019' को '**राष्ट्रीय पोषण माह**' के रूप में मनाने का आह्वान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- विश्व खाद्य दिवस 16 अक्तूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। वर्ष 2019 के लिये इसकी थीम **"हमारा कार्य हमारा भविष्य, स्वस्थ आहार दुनिया को वर्ष 2030 तक भूख से मुक्त बनाने के लिये"** है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति और एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है।

भारत की स्थिति

- वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ स्टडी-2017 (Burden of Disease Study-2019) के अनुसार, भारत में मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में कुपोषण एक मुख्य कारण है।
- खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) के अनुसार भारत में लगभग 194.4 मिलियन लोग (कुल जनसंख्या का 14.5%) अल्पपोषित हैं।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2018 में भारत ने 103वीं रैंक हासिल की थी जबकि वर्ष 2019 में इसकी स्थिति में केवल एक स्थान का सुधार हुआ है तथा यह 102वें स्थान पर पहुँच गया है जो कि एक दयनीय स्थिति है।
  - इस इंडेक्स को जारी करने के 4 मानदंड हैं।
    1. चाइल्ड स्टन्टिंग (Child Stunting)- 5 वर्ष तक की आयु के अनुसार उनकी लंबाई का कम होना।
    2. चाइल्ड वेस्टिंग (Child Wasting) - 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में उनकी लंबाई के अनुसार वज़न का कम होना
    3. बाल मृत्यु दर
    4. अल्पपोषण (Under Nutrition)

राष्ट्रीय पोषण अभियान

- इस मिशन को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2017-2018 में शुरू किया था।
- मिशन का लक्ष्य कुपोषण और जन्म के समय बच्चों का वज़न कम होने संबंधी समस्याओं को प्रत्येक वर्ष 2 प्रतिशत तक कम करना है।
- इसके साथ ही कुपोषण के उन्मूलन से संबंधित सभी मौजूदा योजनाओं एवं कार्यक्रमों को एकजुट कर एक बेहतर और समन्वित मंच प्रदान करना है।

भारत में कुपोषण की समस्या क्यों ?

- स्वस्थ आहार भोजन और पोषण आपूर्ति हेतु एक आवश्यक तत्त्व है
- भारत में पिछले कुछ सालों में काफी हद तक खाद्य उपभोग के पैटर्न में बदलाव आया है जहाँ पहले खाद्य उपभोग में विविधता के लिये पारंपरिक अनाज (ज्वार, जौ, बाजरा आदि) उपयोग में लाया जाता था, वहीँ वर्तमान में इनका उपभोग कम हो गया है।
- पारंपरिक अनाज, फल और अन्य सब्जियों के उत्पादन में कमी के कारण इनकी खपत भी कम हुई जिससे खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रभावित हुई।

नोट :

- हालाँकि आज़ादी के बाद से खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कुपोषण का मुद्दा अभी भी चुनौती बना हुआ है।
- भारत में भुखमरी की समस्या वास्तव में खाद्य की उपलब्धता न होने के कारण ही नहीं बल्कि देश में मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल भी एक मुख्य कारण है।
- जनसंख्या के कुछ वर्गों की खरीद क्षमता में कमी भी एक प्रमुख समस्या है क्योंकि ये वर्ग पोषक खाद्य पदार्थों जैसे- दूध, फल, मांस, मछली, अंडा आदि खरीदने में समर्थ नहीं हैं।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO):

- संयुक्त राष्ट्र संघ तंत्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी।
- खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है।

आगे की राह

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) में खाद्य आपूर्ति और पोषण हेतु नए प्रकार के खाद्य आइटम शामिल किये जा सकते हैं।
- बड़े किसानों हेतु कृषि प्रणाली में खाद्यान्न विविधता को बढ़ावा देने के लिये सरकार को नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है।
- SDG-30 की प्राप्ति के लिये कृषि पर फोकस करने की आवश्यकता है।
- MSP के माध्यम से किसानों की क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे- कोल्ड स्टोरेज, मंडियों तक सड़क का निर्माण, कृषि बाज़ार तथा मंडियों के बीच आपसी संपर्क स्थापित करने की ज़रूरत है।
- सप्लाई चेन तथा कोल्ड स्टोरेज में निवेश के लिये निजी कंपनियों को आगे आना चाहिये।

एजेंडा 2030 क्या है ?

- वर्ष 2015 से शुरू संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में अगले 15 वर्षों के लिये सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals-SDG) निर्धारित किये गए थे।
- उल्लेखनीय है कि 2000-2015 तक की अवधि के लिये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals-MDG) की प्राप्ति की योजना बनाई गई थी जिनकी समयावधि वर्ष 2015 में पूरी हो चुकी है।
- तत्पश्चात्, आने वाले वर्षों के लिये औपचारिक तौर पर एक नया एजेंडा (SDG-2030) को सभी सदस्य राष्ट्रों ने अंगीकृत किया था।

भारत नवाचार सूचकांक 2019

चर्चा में क्यों ?

- नीति आयोग (Niti Aayog) द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2019 (India Innovation Index 2019) जारी किया गया।

भारत नवाचार सूचकांक:

- नीति आयोग ने यह सूचकांक प्रतिस्पर्द्धी क्षमता के लिये संस्थान (Institute for Competitiveness) के साथ मिलकर तैयार किया है।
- सूचकांक में राज्यों को तीन श्रेणियों- प्रमुख राज्य (Major States), उत्तर-पूर्व एवं पहाड़ी राज्य (North-East and Hill States) और केंद्रशासित प्रदेश/शहर राज्य/छोटे राज्य (Union Territories/City States/Small States) में विभाजित किया गया है।
- यह सूचकांक भारत में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नवाचार हेतु वातावरण के निरंतर मूल्यांकन के लिये एक व्यापक रूपरेखा तैयार करता है।

निष्कर्ष:

- भारत नवाचार सूचकांक 2019 में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा।

नोट :

- नवाचार सूचकांक में कर्नाटक के बाद शीर्ष 09 राज्य क्रमश: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश रहे।
- सूचकांक के अनुसार दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश कच्चे माल को उत्पादों (Inputs Into Output) में बदलने के मामले में सर्वाधिक दक्ष राज्य हैं।
- सिक्किम और दिल्ली क्रमश: पूर्वोत्तर एवं पहाडी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों/सिटी राज्यों/छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर हैं।
- भारत नवाचार सूचकांक 2019 के औसत स्कोर की गणना दो आयामों- 'सक्षम' (Enablers) और 'प्रदर्शन' (Performance) के आधार पर की गई।
- सक्षम वे कारक हैं जो अभिनव क्षमताओं को रेखांकित करते हैं। इनको पाँच स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है-
  1. मानव पूंजी
  2. निवेश
  3. ज्ञान कार्यकर्त्ता (Knowledge Workers)
  4. व्यावसायिक वातावरण
  5. सुरक्षा और कानूनी वातावरण।
- प्रदर्शन आयाम उन लाभों को अधिकृत करता है जिनको एक देश इनपुट से प्राप्त करता है। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है-
  1. ज्ञान उत्पादन (Knowledge Output)
  2. ज्ञान प्रसार (Knowledge Diffusion)
- प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक समग्र रैंकिंग में अग्रणी है। इसने अवसंरचना, ज्ञान कार्यकर्त्ता, ज्ञान उत्पादन और व्यावसायिक वातावरण के मानक पर भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- महाराष्ट्र ने सक्षम श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यह है कि यह नवाचार के लिये सबसे उपर्युक्त है। महाराष्ट्र समग्र नवाचार सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा।

कार्य (FUNCTION):

- इसके निम्नलिखित तीन कार्य हैं-
  1. सूचकांक स्कोर के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग करना।
  2. अवसरों और चुनौतियों की पहचान करना।
  3. नवाचार को बढ़ावा देने के लिये सरकारी नीतियों को मज़बूत करने में सहायता करना।

उद्देश्य:

- भारत नवाचार सूचकांक का उद्देश्य भारत में नवाचार हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना है।
- प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद और सुशासन की अवधारणा को क्रियान्वित करना।
- सूचकांक देश में नवाचार के वातावरण में सुधार करने हेतु इनपुट और आउटपुट दोनों घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- भारत नवाचार सूचकांक भारत में नवाचार हेतु वातावरण की जाँच करता है। इसका उद्देश्य एक समग्र उपकरण (Tool) बनाना है जिसका उपयोग देश भर में नीति निर्माताओं द्वारा किया जा सके।

आगे की राह:

- भारत को शिक्षा, अनुसंधान और विकास पर व्यय बढ़ाना चाहिये जिससे नीतियों के लिये बेहतर वातावरण एवं अवसंरचना का विकास किया जा सके।
- नवाचार क्षमता बढ़ाने हेतु उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों के बीच अधिक समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता है।
- नवाचार के सभी हितधारक जैसे-शोधकर्त्ताओं और निवेशकों को शामिल करते हुए एक समग्र मंच विकसित किया जाना चाहिये।
- राज्य स्तर पर भी नवाचार और उद्यमशीलता के वातावरण में सुधार से संबंधित नीतियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।

नोट :

मिशन इन्द्रधनुष

चर्चा में क्यों ?

दिसंबर 2014 में शुरू किये गए मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत भारत का टीकाकरण कवरेज लगभग 87% तक बढ़ गया है।

प्रमुख बिंदु

- हालाँकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (2015-16) के तहत भारत के टीकाकरण कवरेज पर आधिकारिक डेटा अभी भी 62% है।
- भारत में 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' की शुरुआत वर्ष 1985 में चरणबद्ध तरीके से की गई थी, जो कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक था, इसका उद्देश्य देश के सभी ज़िलों को 90% तक पूर्ण प्रतिरक्षण प्रदान करना था।
- हालाँकि कई वर्षों से परिचालन में होने के बावजूद यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम केवल 65% बच्चों को उनके जीवन के प्रथम वर्ष में होने वाले रोगों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित कर पाया था। अत: मिशन इंद्रधनुष को प्रारंभ किया गया।

मिशन इन्द्रधनुष

- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को 'मिशन इन्द्रधनुष' की शुरुआत की थी।
- मिशन इन्द्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 ज़िलों में शुरू हुआ था।
  - यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किये गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये रोग हैं-
- तपेदिक (Tuberculosis), पोलियोमाइलाइटिस (Poliomyelitis), हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B), डिप्थीरिया (Diphtheria), पर्टुसिस (Pertussis), टेटनस (Tetanus) और खसरा (Measles)
- इसके अलावा खसरा रूबेला (Measles Rubella), रोटावायरस (Rb otavirus), हिमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप-बी (Haemophilus Influenza Type-B) और पोलियो (Polio) के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या 12 हो गई है।
- कुछ चुने गए राज्यों और ज़िलों में, जापानी एन्सेफलाइटिस ((Japanese Encephalitis) और न्यूमोकोकस (Pneumococcus) के खिलाफ भी टीके दिये गए हैं।
- अप्रैल 2015 से जुलाई 2017 के बीच चले इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 25.5 मिलियन बच्चों और 6.9 मिलियन गर्भवती महिलाओं को कवर किया गया।
- इससे पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 6.7% की वृद्धि हुई।
- इस वृद्धि को गति देने के लिये भारत ने एक महत्त्वाकांक्षी योजना - तीव्र मिशन इन्द्रधनुष (Intensified Mission Indradhanush) की शुरुआत की है।

तीव्र मिशन इन्द्रधनुष

- इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य दो वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचना है, जिनका नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण नहीं हो पाया है।
- मिशन के अंतर्गत 2020 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम' (Pradhanmantri National Dialysis Programme) के अंतर्गत 'पेरिटोनिअल डायलिसिस' सेवाओं (Peritoneal Dialysis Services) की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देशों की एक सूची जारी की है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पेरिटोनिअल डायलिसिस सेवाओं को उनके प्रदाताओं के बीच बेहतर कार्य प्रणाली के साथ स्थापित करना तथा किडनी से संबंधित रोगों से ग्रस्त रोगियों को उच्च गुणवत्ता और कम लागत में डायलिसिस सेवाएँ प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य किडनी से संबंधित रोगियों को संसाधनों का उचित प्रयोग करके, नियमित अभ्यास तथा विस्तृत उत्पादों की सहायता से घर पर ही डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराना है।
- ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र तथा एक विशेषज्ञ समिति के समन्वित प्रयासों से जारी किये गए हैं।
- विशेषज्ञ समिति के अनुसार, पेरिटोनिअल डायलिसिस लगभग उन दो लाख भारतीयों के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकती है जो हर वर्ष किडनी फेल होने की अंतिम अवस्था से गुज़रते हैं। ऐसे रोगियों के पास अब पेरिटोनिअल डायलिसिस के रूप में एक और विकल्प होगा जिसके द्वारा वे संभावित लचीली जीवन शैली अपनाकर घर पर ही डायलिसिस करा सकते हैं।
- जन-समुदाय आधारित पेरिटोनिअल डायलिसिस सेवाओं से उपचार की लागत में काफी हद तक कमी आएगी।
- विशेषज्ञ समिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में हेमोडायलिसिस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने पर पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस सेवाएँ प्रदान करना कठिन कार्य है। प्रशिक्षित व्यक्तियों की उचित देखभाल में 'पेरिटोनिअल डायलिसिस' सेवाओं को ग्रामीण तथा पारिवारिक स्तर पर सुनिश्चित करने में लंबा समय लग सकता है।

हेमोडायलिसिस तथा पेरिटोनिअल डायलिसिस में अंतर:

हेमोडायलिसिस: (Hemodialysis)

- हेमोडायलिसिस के अंतर्गत रक्त को कृत्रिम किडनी की तरह कार्य करने वाली एक मशीन की सहायता से फिल्टर किया जाता है तथा उसे वापस पुन: शरीर में भेज दिया जाता है।
- हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया निर्दिष्ट डायलिसिस केंद्रों पर ही होती है, इस प्रक्रिया की सप्ताह में सामान्यत: तीन बार आवश्यकता होती है।
- इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 3-4 घंटे का समय लगता है।
- हेमोडायलिसिस को 'ब्लड डायलिसिस' (Blood Dialysis) भी कहते हैं।

पेरिटोनिअल डायलिसिस: (Peritoneal Dialysis)

- इसे 'वाटर डायलिसिस' (Water Dialysis) भी कहते हैं।
- डायलिसिस की इस प्रक्रिया के अंतर्गत रक्त को शरीर से निकाले बिना साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उदर के अंदर स्थित कोष या थैली प्राकृतिक फिल्टर का कार्य करती है।
- इस प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यत: नमक और चीनी से बने मिश्रण को उदर कोष के अंदर डाला जाता है जो फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है तथा रक्त में उपस्थित अशुद्धियाँ मिश्रण में स्थानांतरित हो जाती हैं।

पेरिटोनिअल डायलिसिस दो प्रकार का होता है:

कांटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनिअल डायलिसिस: (Continuous Ambulatory Peritonial Dialysis)

- पेरीटोनिअल डायलिसिस की इस प्रक्रिया को प्रतिदिन 3 से 5 बार करना आवश्यक होता है।
- इसमें मशीन की आवश्यकता नहीं होती है।

ऑटोमेटेड पेरिटोनिअल डायलिसिस: (Automated Peritoneal Dialysis)

- पेरिटोनिअल डायलिसिस की इस प्रक्रिया में एक स्वचालित साइक्लिक (Cyclic)
- मशीन द्वारा रात में रोगी के सोते समय 3 से 5 बार रोगी के रक्त को फिल्टर किया जाता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम:

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट में हुई थी।

नोट :

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किडनी संबंधित रोगों से ग्रस्त रोगियों को डायलिसिस की सरल तथा सहज सुविधाएँ प्रदान करके उनके शरीर को स्वस्थ बनाना है।
- इस कार्यक्रम के प्रथम चरण का उद्देश्य सभी ज़िलों में हेमोडायलिसिस केंद्रों की स्थापना करना है।
- अब इस कार्यक्रम में पेरिटोनिअल डायलिसिस को भी शामिल कर लिया गया है जिससे रोगियों को अपना उपचार कराने की स्वायत्तता मिलेगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में कमी आएगी और बुनियादी ढाँचे, रखरखाव तथा स्टाफ प्रबंधन की लागत में भी कमी आएगी।

निष्कर्ष:

भारत में हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया एक बार संपन्न होने में लगभग 2000 रुपए की लागत आती है। इस प्रकार किडनी से ग्रस्त रोगियों का वार्षिक खर्च 3-4 लाख रुपए वार्षिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की हेमोडायलिसिस केंद्रों से दूरी भी इस समस्या का प्रमुख कारण है। पेरिटोनिअल डायलिसिस को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम में शामिल किये जाने से गरीब परिवारों के रोगियों को कम लागत में डायलिसिस की सुविधा प्राप्त होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब घर में ही डायलिसिस की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में क्वैकेरेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds- QS) द्वारा QS भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग (QS Indian University Ranking)- 2020 जारी की गई है।

मुख्य बिंदु:

- उपरोक्त रैंकिंग भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये स्टैंडअलोन रैंकिंग का दूसरा संस्करण है।
- इस रैंकिंग में शीर्ष दस में से सात स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (Indian Institutes of Technology- IITs) को प्राप्त हुए हैं।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (Indian Institute of Science- IISc) इस वर्ष भी क्रमश: पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं।
- इस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक रैंक का सुधार करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास चौथे स्थान पर है।
- IITs के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान भी शीर्ष-10 में शामिल हैं।
- शीर्ष-10 में शामिल संस्थानों में हैदराबाद विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,मद्रास की रैंकिंग में पिछली वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

संकेतक

- इसमें आठ संकेतकों के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है जिनकी एक निश्चित भारिता (Weightage) तय होती है। ये आठ संकेतक निम्नलिखित हैं -
  - शैक्षणिक प्रतिष्ठा (Academic Reputation)- 30%
  - नियोक्ता की प्रतिष्ठा (Employer Reputation)- 20%
  - संकाय-छात्र अनुपात (Faculty-Student Ratio)- 20%
  - पीएचडी धारक कर्मचारियों का अनुपात (Proportion of Staff with a PhD) - 10%
  - स्कोपस डेटाबेस के तहत प्रति संकाय के शोध-पत्रों की संख्या (Papers per Faculty from Scopus Database)- 10%
  - स्कोपस डेटाबेस के तहत प्रति शोध-पत्र उद्धरणों की संख्या (Citations per Paper from Scopus Database)- 5%
  - अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अनुपात (Proportion of International Students)- 2.5%
  - अंतर्राष्ट्रीय संकाय (Proportion of International Faculty) का अनुपात- 2.5%

नोट :

स्कोपस डेटाबेस (Scopus Database)

- स्कोपस डेटाबेस एल्सेवियर (Elsevier- एक डच सूचना एवं विश्लेषण कंपनी) का एक डेटाबेस है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मेडिसिन, कला, मानविकी इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएँ, शोध-पत्र इत्यादि उपलब्ध करवाता है।
- इसे वैज्ञानिकों की जानकारी या सूचनाओं तक सुगम एवं सरल पहुँच को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
- स्कोपस डेटाबेस एल्सेवियर द्वारा विभिन्न पत्रिका (Journal) के प्रकाशकों के माध्यम से प्राप्त स्रोतों की सहायता से अनुसंधान प्रक्रिया को समर्थन प्रदान करता है।
- इसके माध्यम से यह पता किया जा सकता है कि कोई शोध-पत्र किसके द्वारा उद्धृत किया जा रहा है, तथा एक लेख या लेखक को कुल कितने उद्धरण मिले हैं।
- 'अकादमिक प्रतिष्ठा' सबसे अधिक भारिता वाला संकेतक है। यह QS द्वारा अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में शीर्ष-रैंकिंग वाले संस्थानों की पहचान करने हेतु शामिल किये गए शिक्षाविदों के प्रमुख वैश्विक सर्वेक्षणों पर आधारित होता है।
- 'कुल फैकल्टी में पीएचडी डिग्रीधारकों का अनुपात' उच्च गुणवत्तायुक्त फैकल्टी भर्ती करने के संदर्भ में संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इस रैंकिंग के अनुसार 'अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी की संख्या' और 'अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या' पर आधारित स्कोर संस्थान के वैश्विक आकर्षण और पहुँच को दर्शाता है।
- 'प्रति शोध-पत्र उद्धरणों की संख्या' पर आधारित स्कोर अनुसंधान उत्पादकता का एक संकेतक है, जो प्रति सदस्य प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या पर आधारित होता है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से तुलना:

- भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (QS World University Rankings) के अनुरूप होना अनिवार्य नहीं है। दरअसल, दोनों रैंकिंग में अलग-अलग मानदंडों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये 'शैक्षणिक प्रतिष्ठा' को भारत विश्वविद्यालय रैंकिंग में जहाँ 30% भारिता दी जाती है, वहीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसकी भारिता 40% होती है।
- ध्यातव्य है कि इस साल की शुरुआत में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी। इसके अनुसार भारतीय संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- बॉम्बे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- दिल्ली को क्रमश: पहला एवं दूसरा स्थान दिया गया था।

सूचना का अधिकार संबंधी नए नियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने सूचना के अधिकार (Right to Information- RTI) कानून के तहत नए नियमों को अधिसूचित किया है।

मुख्य बिंदु:

- सूचना के अधिकार के नए नियम अर्थात् सूचना का अधिकार (मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा अन्य नियम व सेवा शर्तें) नियम, 2019 को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- नए नियम के तहत सूचना आयुक्तों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि 2005 के नियमों के अनुसार यह पाँच वर्ष था।
- सरकार को सूचना आयुक्त की "सेवा की शर्तों" के संदर्भ में निर्णय लेने का विवेकाधिकार दिया गया है किंतु इसके लिये नए नियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।
- मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपए और सूचना आयुक्त का वेतन 2.25 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।
- नियम 22 के अनुसार, केंद्र सरकार किसी भी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में किसी भी नियम के प्रावधानों को शिथिल करने की शक्ति रखती है।

नोट :

नए नियमों के पक्ष में तर्क:

RTI संशोधन बिल 2019 के 'स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स' सेक्शन में इस संशोधन का कारण बताया गया है।

- भारतीय चुनाव आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों की कार्यप्रणालियाँ बिलकुल भिन्न हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित है। यह केंद्र में संसद के लिये और राज्य में विधानसभाओं के लिये चुनाव संपन्न कराता है, यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है जो कि संवैधानिक पद हैं, जबकि केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग एक कानूनी निकाय है जो कि आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा स्थापित है।
- भारतीय चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं, अत: उनके पद और सेवा शर्तों को तार्किक बनाए जाने की ज़रूरत है।

नए नियमों के विपक्ष में तर्क:

- यह संशोधन सूचना आयोग को सरकार के अधीन ला देगा। ऐसे में सरकार के लोगों द्वारा सुचना प्रदाताओं पर उनके द्वारा दी जाने वाले सूचनाओं के सम्बन्ध में चयनात्मक दबाव बनाया जा सकता है।
- सूचना अधिकार का पूरा क्रियान्वयन इसी बात पर टिका है कि सूचना आयोग इसे कैसे लागू करवाता है। RTI एक्ट की स्वतंत्र व्याख्या तभी संभव है जब यह सरकार के नियंत्रण से आज़ाद रहे।
- केंद्रीय सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त आदि की हैसियत/पदवी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, इसमें बदलाव किये जाने से सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों को निर्देश जारी करने का उनका अधिकार भी कम हो जाएगा।
- कार्यकाल एवं पदावधि संबंधी सरकार की नई शक्तियाँ सुचना आयुक्तों की स्वायत्तता को प्रभावित करेगी।
- नियम 22 में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी भी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में किसी भी नियम के प्रावधानों को शिथिल करने की शक्ति रखती है। सरकार में शामिल राजनितिक दलों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2019 में अंजलि भारद्वाज व अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय के भी खिलाफ प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में सूचना आयोग में खाली पदों के मामले में RTI अधिनियम के भाग 13(5) के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु केंद्रीय चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के समान नियम लागू किये जाने की बात कही थी।

अटल अमृत अभियान

चर्चा में क्यों:

हाल ही में **असम सरकार** ने अटल अमृत अभियान के दायरे का विस्तार करते हुए छह अतिरिक्त बीमारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं को इस अभियान के अंतर्गत शामिल किया है।

मुख्य बिंदु:

- असम सरकार ने अटल अमृत अभियान के अंतर्गत आईसीयू पैकेज, ट्रॉमा, बाल शल्य चिकित्सा और बच्चों से संबंधित रोगों की उचित देखभाल, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन (Bone Marrow Transplantation), जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis) तथा एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (Acute Encephalitis Syndrome) जैसी बीमारियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया है।
- असम सरकार के अनुसार, विस्तारित योजना शीघ्र ही सरकारी तथा निजी अस्पतालों में लागू की जाएगी।
- मानसून के दौरान असम में जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण अत्यधिक मौतें होती हैं। मच्छर के काटने के कारण होने वाली इस बीमारी से वर्ष 2019 में लगभग 154 लोगों की मौत हो गई।
- असम सरकार के अनुसार, पिछले 18 महीने में 1.61 करोड़ व्यक्ति अटल अमृत अभियान के अंतर्गत नामांकित हुए परंतु केवल 57,257 व्यक्तियों को कैशलेस इलाज किया गया क्योंकि अधिकतर BPL परिवार आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गए हैं।
- 1 नवंबर, 2019 को अधिसूचना जारी होने के बाद यह विस्तारित योजना असम में लागू हो जाएगी।
- अटल अमृत अभियान के दायरे के विस्तार से पहले 27,424 कैंसर रोगी, 20,263 किडनी से सबंधित रोगी तथा 6,470 हृदय संबंधी रोगी इससे लाभ उठा चुके हैं।

नोट :

अटल अमृत अभियान :

- अटल अमृत अभियान असम सरकार द्वारा असम के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये 2012 में प्रारंभ की गई एक योजना है।
- इस महत्त्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत असम के 5 लाख से कम वार्षिक आय वाले लोगों को 2 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।
- यह योजना सामान्य रूप से उच्च लागत वाले 6 रोग समूहों (कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर, किडनी से संबंधित रोग, न्यूरोलॉजिकल, नवजात शिशु संबंधी, जलने से संबंधित) के उपचार के लिये प्रारंभ की गई है।
- इस योजना में 6 रोग समूहों के अंतर्गत 438 प्रकार के रोगों का उच्च स्तरीय उपचार किया जाता है।

जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis):

- यह एक संक्रामक बीमारी है जो फ्लैवीवायरस (Flavivirus) के संक्रमण से होती है। तीव्र बुखार तथा मस्तिष्क में सूजन आना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं।
- यह बीमारी मनुष्यों में क्युलेक्स मच्छर के काटने के कारण होती है। ये मच्छर चावल के खेतों और जलीय वनस्पति वाले जलाशयों में उत्पन्न होते हैं।
- प्रवासी पक्षी और जंगली सूअर भी इस वायरस के संक्रमण के वाहक होते हैं।
- यह बीमारी विशेष रूप से बच्चों तथा युवा वयस्कों को अधिक प्रभावित करती है।

राजकोषीय संघवाद

संदर्भ

केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष कर एकत्र करने की शक्तियाँ प्रदान करने पर विचार-विमर्श चल रहा है।

- उल्लेखनीय है कि राज्यों के पास वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) के बाद भी वित्तीय संसाधनों का अभाव दिख रहा है।
- वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के पश्चात् प्रत्यक्ष रूप से एकीकृत राजकोषीय संघवाद का विकास हो रहा है लेकिन वास्तविकता यह भी है कि राजस्व का बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष करों के संग्रहण से आता है जहाँ पर राज्यों को केवल केंद्र की इच्छा पर ही निर्भर रहना होता है।
- विदित है कि वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से प्राप्त कर का केवल एक छोटा हिस्सा ही राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है शेष प्रत्यक्ष कर के हिस्सों को परंपरागत तरीके से राज्यों के मध्य विभाजित किया जाता है।
- वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुज़र रही है ऐसे में राज्यों के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक हो सकता है।

भारतीय संघवाद:

- भारत राज्यों का एक संघ है। प्रत्येक राज्य के नागरिक स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। निर्वाचित सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी उसके मतदाताओं के प्रति जवाबदेहिता है।
- संघात्मक व्यवस्था का तात्पर्य ऐसी शासन प्रणाली से है जहाँ पर संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के मध्य किया जाता है एवं दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं।
- संविधान की संघीय विशेषता के अंतर्गत- द्वैध शासन प्रणाली, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता जैसी सामान्य विशेषताएँ पाई जाती हैं।
- एक निर्वाचित सरकार को सामान्य तौर पर अपने नागरिकों के कराधान के माध्यम से राजस्व जुटाने में सक्षम होने और उनके लाभ के लिये उचित व्यय करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- के संथानम् द्वारा भी वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता जैसी स्थिति को भारतीय संघवाद का असंतुलनकारी पक्ष माना गया है।

नोट :

राजकोषीय संघवाद के विषय में:

- संवैधानिक प्रावधान:
  - भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद-राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है।
  - संसद की संघ सूची के पास 15 और राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची के 20 विषयों पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है।
  - कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है, इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, संवृद्धि कर और व्यय कर लगाएँ हैं।
  - सामान्य विनियमों के अतिरिक्त राज्य विधानमंडल की कर निर्धारण शक्तियों पर निम्नलिखित पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं-
    - व्यापार, व्यवसाय और रोज़गार पर प्रति व्यक्ति अधिकतम 2500 रुपए प्रति वर्ष।
    - खरीद-बिक्री पर कर लगा सकता है लेकिन ऐसी शक्तियों पर भी चार पाबंदियाँ हैं-
    - राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद-बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता है।
    - आयात-निर्यात के दौरान खरीद-बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता है।
    - अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान किसी वस्तु की खरीद-बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता है।
    - संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत महत्त्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय-विक्रय के आधार पर प्रतिबंध।
- ऐतिहासिक मुद्दे:
  - वर्ष 1982 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन सरकारी स्कूलों के बच्चों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाना चाहते थे ताकि छात्र नामांकन में सुधार हो सके।
  - इस कार्यक्रम के लिये 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी जो राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं था। इस अतिरिक्त व्यय हेतु तमिलनाडु में बेचे जाने वाले सामानों पर अतिरिक्त बिक्री कर लगाया गया। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप तमिलनाडु की साक्षरता दर में तेज़ी से वृद्धि दर्ज़ की गई और कुछ दशकों में तमिलनाडु को भारत के सर्वाधिक साक्षर राज्यों में गिना जाने लगा।
- वर्तमान मुद्दे:
  - वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन के पश्चात् राज्यों ने अप्रत्यक्ष करों को लगाने की अपनी शक्तियाँ खो दीं है। इसके अतिरिक्त भारत में राज्य सरकार के पास आयकर और बिक्री कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है।
  - वर्तमान में केंद्र सरकार कुल कर राजस्व पूल का 52% अपने रखता है और शेष 48% सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को वितरित करता है।
- सरकार के द्वारा राजकोषीय संघवाद के सुधार हेतु प्रयास:
  - नीति आयोग के निर्माण से वित्तीय केंद्रीकरण की पूर्व स्थिति में बदलाव आया है तथा भारत राजकोषीय संघवाद की ओर तेज़ी से स्थानांतरित हुआ है। इस बदलाव के साथ ही वर्तमान सरकार ने केंद्र-राज्य के मध्य विभिन्न माध्यमों से संघवाद को बढ़ावा दिया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं-
  - योजना आयोग की समाप्ति तथा इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन।
  - केंद्र-राज्य संबंधों को ध्यान में रखकर GST परिषद का गठन।
  - राजकोषीय विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से राज्यों के खर्च पर केंद्र का नियंत्रण कम करना।
  - 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करना।
  - ध्यातव्य है कि भारत में उपर्युक्त प्रयास ऐसे समय में किये जा रहे हैं जब भारत में मज़बूती से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है तथा विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति कमज़ोर हुई है।

वैश्विक परिदृश्य:

- भारत के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय सरकारों को भी आयकर लगाने का अधिकार है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त ब्राज़ील, जर्मनी जैसे देश भी राज्य और स्थानीय स्तर पर आयकर एकत्र करते हैं।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

उद्यम विकास केंद्र

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने सभी ज़िलों में उद्यम विकास केंद्रों (Enterprise Development Centres- EDC) की स्थापना करने की घोषणा की।

उद्यम विकास केंद्र

- उद्यम विकास केंद्र (EDC) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में स्वदेशी उद्यमियों का एक कैडर विकसित करेगा।
- यह स्टार्ट-अप के लिये इन्क्यूबेटर (Incubators) के समान होगा।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के अंत तक नियोजित 500 EDCs में से 20 EDCs को संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- EDC नवोदित उद्यमियों के लिये उद्यम विकास पाठ्यक्रम, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कौशल विकास की पेशकश करेंगे।
- उद्यम विकास केंद्र का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाईयों का भी निदान करना है ।
- सरकार द्वारा MSMEs को प्रदान की जाने वाली सहायता व ऋण EDCs के माध्यम से ही प्रदान किया जाएगा।
- यह केंद्र क्रेडिट सुविधा, निर्यात संवर्द्धन और आपूर्तिकर्त्ता समावेशन (Supplier Inclusion) की पेशकश करेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत MSME को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसकी निवेश सीमा निम्नलिखित है-

उद्यम	विनिर्माण क्षेत्र (निवेश सीमा)	सेवा क्षेत्र (निवेश सीमा)
सूक्ष्म उद्यम	25 लाख रुपए तक	10 लाख रुपए तक
लघु उद्यम	25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक	10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक
मध्यम उद्यम	5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक	2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक

राज्य वित्त पर RBI रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'राज्य वित्त: वर्ष 2019-20 के बजट का अध्ययन' (State Finances: A Study of Budgets of 2019-20) शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो राज्य सरकारों के वित्त की सूचना, विश्लेषण और आकलन उपलब्ध कराता है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दो वर्षों (2017-18 व 2018-19) में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (GFD) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management-FRBM) अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा GDP के 3% की सीमा में रहा।

नोट :

- हालाँकि यह राज्यों द्वारा पूंजीगत खर्च में तीव्र कमी के कारण संभव हुआ है।
- राज्यों का बकाया ऋण पिछले पाँच वर्षों में GDP के 25% तक बढ़ गया है, जो इसकी मध्यावधिक स्थिरता के लिये एक चुनौती है।
- FRBM समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुरूप इसे 20% तक लाना राज्यों की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए चुनौतीपूर्ण होगा।
- वर्ष 2019-20 के लिये राज्यों ने अत्यल्प राजस्व अधिशेष (Marginal Revenue Surplus) के साथ GDP के 2.6% के समेकित GFD का बजट बनाया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में अत्यधिक कमी से आर्थिक विकास की गति और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- क्योंकि राज्यों द्वारा किया गया सार्वजनिक व्यय केंद्र सरकार के खर्च की तुलना में अर्थव्यवस्था की भौतिक और सामाजिक पूंजी अवसंरचना की गुणवत्ता को अधिक प्रभावित करता है।

राज्यों के वित्त पर दबाव् के कारण

- पहला, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से पूंजीगत व्यय में तेज़ी ला रहे हैं। हालाँकि राज्य इन उद्यमों की उधारियों पर गारंटी देकर इनकी सहायता करते हैं। लेकिन बिज़ली और परिवहन जैसे क्षेत्रों में कमज़ोर लागत वसूली तंत्र के कारण राजकोषीय जोखिम बढ़ जाते हैं।
- दूसरा, उदय योजना (UDAY Scheme) के तहत राज्यों को विद्युत वितरण कंपनियों का वृद्धिशील घाटा उठाना पड़ता है। यह पहले से ही कमज़ोर राज्य वित्त पर और दबाव डालता है।
- तीसरा, कॉरपोरेट करों में उच्च कटौती और GST संग्रह भी कम होने से राज्यों को कर अंतरण (Tax Devolution) भी प्रभावित होगा।
- इसके अलावा आयुष्मान भारत की राजकोषीय लागत को लेकर भी चिंताएँ बनी हुई हैं।
- राज्यों को अपनी राजस्व क्षमताओं को साकार करने में कम टैक्स बॉइअन्सी (Tax Buoyancy), GST की व्यवस्था के तहत कम राजस्व स्वायत्तता और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) एवं अनुदानों के हस्तांतरण से जुड़ी अनिश्चितताओं जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा हैं।
- केंद्र अपने व्यय के वित्तपोषण के लिये उपकर और अधिभार (Cesses and Surcharges) की उगाही पर निर्भर रहा है। इन स्रोतों से अर्जित राजस्व विभाज्य कर पूल का हिस्सा नहीं बनता है और इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है।
- वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार को उपकर और अधिभार से 3.69 लाख करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है जो कि उसके सकल कर राजस्व के 15% तुल्य राशि है।
- इसका अर्थ है कि सकल कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी केवल 32.9% ही रह जाएगी।
- इसके अलावा केंद्र ने 15वें वित्त आयोग को रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिये भी धन आवंटन करने की संभावना पर विचार करने को कहा है। इसे राज्यों के हिस्से में आने वाली राशि में कटौती से पूरा किये जाने की संभावना है।

दबाव कम करने हेतु रणनीति

- राज्यों को केवल कर दरों में वृद्धि के बजाय अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिये राजस्व संग्रहण को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।
- जब तक राजस्व में वृद्धि नहीं होगी, राज्यों को बाध्य होकर पूंजीगत व्यय में कटौती करनी होगी जो आर्थिक मंदी को बढ़ावा देगा। इस तरह राजस्व में कमी का दुष्चक्र शुरू हो जाता है।
- इस परिदृश्य में राज्यों को संसाधन जुटाने पर ध्यान देना चाहिये।
- लेकिन कर राजस्व बढ़ाने की सीमाओं के मद्देनज़र उन्हें बिजली और सिंचाई से संबंधित अपनी टैरिफ नीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
- इन सेवाओं पर तार्किक उपयोगकर्त्ता शुल्क लगाकर गैर-कर राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिये।
- राज्यों को कर आधार का विस्तार करने के लिये धीरे-धीरे GST डेटाबेस का उपयोग करने पर भी ध्यान देना चाहिये।

नोट :

रणनीतिक विनिवेश

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण में तेज़ी लाने के लिये रणनीतिक विनिवेश (Strategic Disinvestmen) की नई प्रक्रिया को मंज़ूरी दी है।

नई प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों ?

- बड़ी विनिवेश योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रशासनिक मंत्रालयों की भूमिका को कम करने तथा विनिवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज़ करने के उद्देश्य से इस नई प्रक्रिया को मंज़ूरी दी गई है।
- सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन निगम कर में छूट के माध्यम से कॉर्पोरेट्स को 1.45 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन के बाद यह लक्ष्य प्राप्त करना और अधिक कठिन हो गया है।
- 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्तमान वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को GDP के 3.3% की सीमा में रखने के लिये भी विनिवेश से राशि जुटाना सरकार के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- 4-5 महीनों की समय-सीमा में बिक्री की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये इस प्रक्रिया को मंज़ूरी दी गई है।
- प्रक्रिया में परिवर्तन, सचिवों के एक समूह द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर), नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) सहित कुछ अन्य PSUs में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री के लिये सहमति व्यक्त करने के कुछ दिनों के बाद किया गया है।

क्या है नई प्रक्रिया ?

- वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management-DIPAM) को रणनीतिक विनिवेश के लिये नोडल विभाग बनाया गया है।
- वर्तमान में रणनीतिक बिक्री के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की पहचान नीति आयोग द्वारा की जाती है। लेकिन इस नई प्रक्रिया में अब DIPAM और नीति आयोग संयुक्त रूप से रणनीतिक विनिवेश के लिये सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करेंगे।
- इसके अलावा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव के साथ DIPAM सचिव भी विनिवेश पर अंतर-मंत्री समूह की सह-अध्यक्षता करेगा।
- रणनीतिक बिक्री में दो चरणों में नीलामी हो सकती है। पहले चरण में रुचि व्यक्त की जा सकेगी और दूसरे चरण में वित्तीय नीलामी शामिल है।
- बिक्री के हर पहलू पर स्पष्टता प्रदान करने के लिये नीलामी से पूर्व संभावित बोलीदाताओं के साथ मीटिंग्स और संभावित निवेशकों को आकर्षित करने हेतु रोड-शो विनिवेश प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।
- बिक्री के लिये चयनित PSUs की जानकारी बोलीदाताओं को उपलब्ध कराने हेतु डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा।

विनिवेश और रणनीतिक बिक्री

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है।
- इसके लिये सरकार अपने हिस्से के शेयर्स को किसी निजी इकाई को स्थानांतरित कर देती है किंतु उस उपक्रम पर अपना स्वामित्व अथवा मालिकाना हक बनाए रखती है। जबकि रणनीतिक बिक्री में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के शेयर्स के साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी किया जाता है अर्थात् स्वामित्व और नियंत्रण को किसी निजी क्षेत्र की इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक बिक्री एक प्रकार से निजीकरण है।

रणनीतिक बिक्री क्यों ?

- किसी रणनीतिक निवेशक को कंपनी की इक्विटी के हस्तांतरण से प्राप्त होने वाली आय को आवश्यक अवसंरचनाओं के निर्माण में अधिक लाभप्रद तरीके से परिनियोजित किया जा सकता है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से सक्षम बनाते समय सार्वजनिक ऋण में कमी करने में भी सहायता करेगा तथा ऋण-जीडीपी अनुपात को भी कम करेगा।

नोट :

वॉटर फॉल अप्रोच तथा पूंजी बाज़ार

चर्चा में क्यों ?

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड- सेबी (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने म्यूचुअल फंड हाउसों को मुद्रा बाज़ार और ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिये वॉटरफॉल अप्रोच (Waterfall Approach) अपनाने को कहा है, जिससे मूल्यांकन में एकरूपता और निरंतरता को बढ़ावा मिल सके।

प्रमुख बिंदु:

- सेबी ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि म्यूचुअल फंडस (Mutual Funds) ने प्रतिभूतियों पर अपने पूर्ण स्वामित्व को बनाये रखने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत कम मात्रा में व्यापार किया है, इससे बचने के लिये वॉटर फॉल अप्रोच को अपनाना होगा।
- वाटरफॉल एप्रोच के तहत सभी व्यापारिक प्रतिभूतियों का कारोबार निवेश में प्राप्त आय या लाभांश (Traded Yields) के आधार पर किया जाएगा।
- वॉल्यूम भारित औसत उपज (Volume Weighted Average Yield- VWAY) का उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों (ट्रेज़री बिल सहित) के कारोबार हेतु व्यापार के अंतिम एक घंटे में किया जाएगा।
- पूरे दिन के दौरान हुए अन्य सभी मुद्रा बाज़ार और ऋण प्रतिभूतियों (पिछले एक घंटे में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार नहीं किया जाता है) का मूल्यांकन VWAY कारोबार के आधार पर किया जाएगा।

म्यूचुअल फंड (Mutual Funds):

- म्यूचुअल फंड अल्पकालिक तरल निवेश हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रा बाज़ार के साधनों जैसे ट्रेज़री बिल्स (T-Bills), वाणिज्यिक पत्रों तथा जमाकर्त्ताओं के प्रमाण पत्र आदि में निवेश करते हैं।
- म्यूचुअल फंड के रूप में छोटे-छोटे निवेशकों से विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनकी बचत को एकत्र किया जाता है जिससे जोखिम को कम किया जा सके एवं उच्च प्रतिफल प्राप्त किया जा सके।
- यह पेशेवर रूप में प्रबंधित योजना है।
- यह एक निवेश वित्तीय मध्यस्थ है जो छोटे निवेशकों की बचत को गतिशीलता प्रदान करता है।

वॉल्यूम भारित औसत उपज (Volume Weighted Average Yield- VWAY):

- यह व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक ट्रेडिंग बेंचमार्क है जो वॉल्यूम और कीमत दोनों के आधार पर दिन भर में औसत मूल्य की प्रतिभूति प्रदान करता है।
- यह महत्त्वपूर्ण इसलिये है क्योंकि यह व्यापारियों को प्रतिभूतियों के रुझान और मूल्य दोनों की जानकारी प्रदान करता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India)

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।

इसके मुख्य कार्य हैं:

- प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
- प्रतिभूति बाज़ार (Securities Market) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

नोट :

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक- 2019

चर्चा में क्यों ?

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum-WEF) द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक-2019 (Global Competitiveness Index 2019) में भारत को 141 देशों की सूची में 68वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

वैश्विक संदर्भ:

- सिंगापुर ने संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व की सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- 28वें स्थान के साथ चीन को ब्रिक्स देशों के समूह में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है।
- अमेरिका को दूसरा, हॉन्गकॉन्ग को तीसरा, नीदरलैंड्स को चौथा और स्विट्ज़रलैंड को पाँचवाँ स्थान मिला है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कई प्रतिस्पर्द्धी देशों की उपस्थिति इस क्षेत्र को विश्व में सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाती है

भारत का प्रदर्शन:

- इस वर्ष भारत वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक-2019 में 10 स्थान नीचे खिसक गया है जबकि वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक-2018 में भारत 58वें स्थान पर था।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत व्यापक आर्थिक स्थिरता और बाज़ार के आकार के मामले में उच्च स्थान पर है।
- बाज़ार के आकार और अक्षय ऊर्जा विनियमन के लिये भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
- कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामलों में भारत 15वें स्थान पर है जबकि शेयरहोल्डर गवर्नेंस के मामलों में इसका स्थान दूसरा है।
- इसके अलावा नवाचार के मामले में भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है।
- योग्यता और प्रोत्साहन के मामले में भारत को 118वें स्थान तथा कौशल उपलब्धता के मामले में 107वें स्थान पर रखा गया है।

भारत के संदर्भ में चिंता के मुद्दे:

- सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी अनुकूलन, स्वास्थ्य की खराब स्थिति एवं निम्न जीवन प्रत्याशा जैसे प्रतिस्पर्द्धा के कुछ मानकों पर भारत की स्थिति कमज़ोर है।
- WEF के अनुसार, जीवन प्रत्याशा में भारत को कुल 141 देशों में से 109वें स्थान पर रखा गया है, जो अफ्रीका की तुलना में कम और दक्षिण एशियाई देशों के औसत से काफी नीचे है।
- व्यापार के नियमों की अस्पष्टता, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा में कमी, अपर्याप्त रूप से विकसित श्रम बाज़ार की नीतियाँ तथा महिलाओं की कम भागीदारी के कारण भारत की बाज़ार उत्पादन क्षमता कम है।
- महिला तथा पुरुष श्रमिकों के 0.26 के अनुपात के साथ भारत को 128वें स्थान पर रखा गया है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum)

- विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिये एक मंच के रूप में कार्य करना है।
- यह एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।
- इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर प्रदान की जाती है और ये स्तर संस्था के काम में उनकी सहभागिता पर निर्भर करते हैं।
- इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है।

  विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाने वाली कुछ महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट:
  - वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक (Global Competitiveness Index)
  - यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Travel and Tourism Competitiveness Report)
  - वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (Global Information Technology Report)

नोट :

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक के बारे में

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ष 2004 से यह रिपोर्ट जारी करता है।
- यह सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है, जो इस प्रकार हैं:
  - संस्थान (Institution)
  - उपयुक्त आधारभूत संरचना (Appropriate Infrastructure)
  - स्थिर समष्टिगत आर्थिक ढाँचा (Stable Macroeconomic Framework)
  - अच्छा स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा (Good Health and Primary Education)
  - उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण (Higher Education and Training)
  - कुशल माल बाज़ार (Efficient Goods Markets)
  - कुशल श्रम बाज़ार (Efficient Labor Markets)
  - वित्तीय बाज़ारों का विकास (Developed Financial Markets)
  - मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता (Ability to Harness Existing Technology)
  - बाज़ार आकार - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों (Market Size—Both Domestic and International)
  - सबसे परिष्कृत उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का उत्पादन (Production of New and Different Goods Using the Most Sophisticated Production Processes)
  - नवाचार (Innovation)

आगे की राह

- भारत को अपने कौशल आधार को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- सूचकांक के अनुसार कोरिया, जापान, फ्राँस जैसी मज़बूत नवाचार क्षमता वाली अर्थव्यवस्थाओं तथा भारत, ब्राज़ील जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को अपने श्रम बाज़ार की कार्यप्रणाली एवं मानव संसाधन आधार में सुधार लाना चाहिये।
- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, वर्तमान और भविष्य के कार्यबल के कौशल आधार को बढाने, नए बुनियादी ढाँचे का विकास करने तथा नई तकनीकों को एकीकृत करने हेतु देशों को राजकोषीय नीति एवं सार्वजनिक प्रोत्साहन जैसे उपायों पर ज़ोर देना चाहिये।

आईआरसीटीसी आईपीओ

चर्चा में क्यों ?

IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (Initial Public Offering-IPO) जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने 30 सितंबर, 2019 को 645 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य के साथ अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) जारी किया।
- इस आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (I.P.O) में सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) के शेयर जारी किये। ये भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है।
- विशेषज्ञों के अनुसार इन शेयरों के प्रति बाज़ार के रुख को देखते हुए कंपनी ग्रीन-शू विकल्प भी अपना सकती थी, जो जारीकर्त्ता को ओवरसब्सक्रिप्शन के मामले में प्रारंभिक लक्ष्य की तुलना में अधिक शेयर बेचने की अनुमति देता है।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC)

- IRCTC भारतीय रेलवे की ई-टिकटिंग, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और ई-कैटरिंग जैसी सेवाएँ प्रदान करने के लिये एकमात्र अधिकृत इकाई है।

नोट :

आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (Initial Public Offering-IPO)

- जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक रूप से लोगों या संस्थाओं के लिये जारी करती है तो उसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) कहते हैं।

ग्रीन-शू विकल्प

- ग्रीन-शू विकल्प को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने वर्ष 2003 में मुख्य रूप से शेयरों की बाज़ार की कीमतों को स्थिरता प्रदान करने के लिये पेश किया।
- इसे ओवर-अलॉटमेंट प्रावधान भी कहते हैं।
- इसका उपयोग आईपीओ के समय या किसी भी स्टॉक की लिस्टिंग के लिये किया जाता है, जिससे सफल शुरुआती मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
- अगर शेयर की कीमत जारी मूल्य से कम या अधिक होती है तो प्रस्तावक प्रस्तावित मूल्य पर 15% शेयर खरीद सकता है। उपरोक्त विकल्प, एक मूल्य स्थिरीकरण तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह विकल्प सुनिश्चित करता है कि सूचीबद्ध शेयर की कीमत जारी कीमत से कम न होने पाए।

लघु उद्योगों पर ILO की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों:

10 अक्तूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में लघु उद्योगों की प्रासंगिकता पर एक रिपोर्ट जारी की है।

मुख्य बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम रिपोर्ट में पाया गया कि अल्प-विकसित और विकासशील देशों में कुल रोज़गार का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा लघु आर्थिक इकाईयों द्वारा प्रदान किया जाता है।
- ILO द्वारा जारी इस रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि लघु उद्योग समर्थित दृष्टिकोण निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिये आवश्यक है, जहाँ बहुसंख्यक लोग लघु आर्थिक इकाइयों में कार्यरत हैं।
- स्वरोज़गार की स्थिति में दक्षिण एशिया (66 प्रतिशत) प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमश: उप-सहारा अफ्रीका (50 प्रतिशत), मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका (44 प्रतिशत) दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 85 प्रतिशत श्रमिक स्व-नियोजित हैं।
- निम्न आय वाले देशों की आय में स्वरोज़गार का योगदान उच्च आय वाले देशों से लगभग 5 गुना अधिक होता है।
- निम्न आय वाले देशों में कृषि क्षेत्र में रोज़गार के अधिकांश अवसर अनौपचारिक श्रेणी में आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में लगभग 95 प्रतिशत कृषि क्षेत्र का रोज़गार अनौपचारिक है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन:

- यह 'संयुक्त राष्ट्र' की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो श्रम संबंधी समस्याओं/मामलों, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, सामाजिक संरक्षा तथा सभी के लिये कार्य अवसर जैसे मामलों को देखती है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों से इतर एक त्रिपक्षीय एजेंसी है, अर्थात् इसके पास एक 'त्रिपक्षीय शासी संरचना' (Tripartite Governing Structure) है, जो सरकारों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों का (सामान्यत: 2:1:1 के अनुपात में) इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करती है।
- यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को पंजीकृत तो कर सकती है, किंतु सरकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती है।

नोट :

- इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् 'लीग ऑफ नेशन्स' (League of Nations) की एक एजेंसी के रूप में सन् 1919 में की गई थी। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है।
- इस संगठन का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है।
- वर्तमान में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं, जिनमें से 186 देश संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से हैं तथा एक अन्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित 'कुक्स द्वीप' (Cook's Island) है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1969 में इसे प्रतिष्ठित 'नोबेल शांति पुरस्कार' प्रदान किया गया था।

20 वीं पशुधन गणना

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying) ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट पिछली जनगणना के साथ-साथ विभिन्न प्रजातियों के समग्र योग को दर्शाती है।

प्रमुख बिंदु

- पशुधन गणना-2019 के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, जिसमें पशुधन गणना- 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई है।
- पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सबसे अधिक (23%) वृद्धि हुई, उसके बाद तेलंगाना (22%) का स्थान रहा।
- देश में कुल मवेशियों की संख्या में 0.8% की वृद्धि हुई है।
- यह वृद्धि मुख्य रूप से वर्ण शंकर मवेशियों और स्वदेशी मादा मवेशियों की आबादी में तेज़ी से वृद्धि का परिणाम है।
- उत्तर प्रदेश में मवेशियों की आबादी में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है, हालाँकि राज्य ने मवेशियों को बचाने के लिये कई कदम उठाए हैं।
  - पश्चिम बंगाल में मवेशियों की आबादी में सबसे अधिक 15% की वृद्धि देखी गई है।
- कुल विदेशी/क्रॉसब्रीड मवेशियों की आबादी में 27% की वृद्धि हुई है।
  - 2018-19 में भारत के कुल दूध उत्पादन में क्रॉस-ब्रीड मवेशियों का योगदान लगभग 28% था।
  - जर्सी या होलेस्टिन जैसे विदेशी और क्रॉसब्रीड मवेशियों की दुधारू क्षमता अधिक है, इसलिये कृषकों द्वारा इन मवेशियों को अधिक पसंद किया जा रहा है।
  - कुल देशी मवेशियों की आबादी में 6% की गिरावट देखी गई है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से देशी नस्लों के संरक्षण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के बावजूद, भारत के स्वदेशी मवेशियों की संख्या में गिरावट जारी है।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है, जिसका कारण बहुत हद तक गौहत्या कानून है।
- कुल दुधारू मवेशियों में 6% की वृद्धि देखी गई है।
  - आँकड़े बताते हैं कि देश में कुल मवेशियों का लगभग 75% मादा (गाय) हैं, यह दुग्ध उत्पादक पशुओं के लिये डेयरी किसानों की वरीयताओं का एक स्पष्ट संकेत है। गायों की संख्या में वृद्धि का कारण सरकार द्वारा किसानों को उच्च उपज वाले बैल के वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान करना है।
- बेकयार्ड मुर्गी पालन में लगभग 46% की वृद्धि हुई है।
  - बेकयार्ड मुर्गी पालन में वृद्धि ग्रामीण परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है जो गरीबी उन्मूलन के संकेत को दर्शाता है।
  - कुल गोजातीय जनसंख्या (मवेशी, भैंस, मिथुन और याक) में लगभग 1% की वृद्धि देखी गई है।
  - भेड़, बकरी और मिथुन की आबादी दोहरे अंकों में बढ़ी है जबकि घोड़ों, सूअर, ऊँट, गधे, खच्चर और याक की गिनती में गिरावट आई है।

नोट :

पशुधन की जनगणना

- वर्ष 1919-20 से देश में प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार यह गणना आयोजित की जाती है।
- इसमें सभी पालतू जानवरों की कुल गणना को शामिल किया जाता है।
- राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा अब तक ऐसी 19 गणनाएँ की जा चुकी हैं।
- 20वीं पशुधन जनगणना में पहली बार फील्ड से ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से घरेलू स्तर के डेटा का उपयोग किया गया है।
- जनगणना केवल नीति निर्माताओं के लिये ही नहीं बल्कि किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, डेयरी उद्योग और आम जनता के लिये भी फायदेमंद है।

वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक रिपोर्ट 2019

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक रिपोर्ट (World Economic Outlook Report) 2019 जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमश: 6.1% और 7% रहने का अनुमान है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल में जारी की गई रिपोर्ट में संभावित आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.3% लगाया गया था, जिसे जुलाई की रिपोर्ट में घटाकर 7% कर दिया गया।
- वित्तीय रूप से कमज़ोर गैर-बैंक वित्तीय क्षेत्र, बैंकों की बड़ी मात्रा में गैर-निष्पादक आस्तियों और वित्तीय संस्थाओं की संगठनात्मक कमी का भारत के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- IMF ने रोज़गार और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने के लिये श्रम और भूमि कानूनों में संरचनात्मक सुधारों का आग्रह किया है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू उपभोग मांग में कमी आर्थिक विकास दर के कम होने का सबसे बड़ा कारण है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की विकास दर को बढ़ाने के लिये मौद्रिक नीति में ढील, कॉर्पोरेट कर में कटौती, पर्यावरण और कॉर्पोरेट अनिश्चितताओं को दूर करने के उपायों एवं ग्रामीण उपभोग को बढ़ाने के लिये सरकारी प्रयास किये जाने चाहिये।
- गौरतलब है कि IMF ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में भी कटौती करके इसे 3.8% से 3% कर दिया है।
- रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थ व्यवस्था बढ़ती व्यापारिक बाधाओं और भू-राजनैतिक तनावों के कारण समकालिक मंदी के दौर में है।

समकालिक मंदी: राष्ट्रों की एक-दूसरे के प्रति संरक्षणवादी नीतियों और व्यापार युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न मंदी को समकालिक मंदी कहा जाता है। समकालिक मंदी का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अमेरिका, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भी आर्थिक वृद्धि दर में कमी की गई है।
- ज्ञातव्य है कि इससे पहले एशियाई डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank- ADB) ने चालू वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर को 7.2% से घटा कर 6.5% कर दिया था।
- विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.9% के मुकाबले 6% रहने की संभावना व्यक्त की है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF)

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटनवुड्स सम्मेलन के तहत वर्ष 1944 में हुई थी। यह औपचारिक रूप से वर्ष 1945 में अस्तित्व में आया।
- इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में है। वर्तमान समय में इसकी प्रमुख क्रिश्टालीना जार्जीवा हैं। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
- इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र नौरु गणराज्य, वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वाँ सदस्य बना।

नोट :

- विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की लेन-देन की एक इकाई है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों के आधिकारिक मुद्रा भंडार के पूरक के रूप में कार्य करता है।
- वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा आमतौर पर एक वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं जैसे- आर्थिक गतिविधि, रोज़गार मुद्रास्फीति, कीमत, विदेशी मुद्रा और वित्तीय बाज़ार, बाहरी भुगतान, वित्त पोषण तथा ऋण पर विचार करते हुए अर्थव्यवस्थाओं के विकास का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है।

'वन नेशन वन फास्टैग' स्कीम

चर्चा में क्यों ?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने 'वन नेशन वन फास्टैग' (One Nation One FASTags) स्कीम को 1 दिसंबर, 2019 से संपूर्ण देश में लागू करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

- इस योजना का उद्देश्य टोल के संग्रह को डिजिटल रूप से एकीकृत करना तथा संपूर्ण भारत में वाहनों की निर्बाध गतिशीलता को सुनिश्चित करना है।
- संपूर्ण देश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (Radio Frequency Identification- RFID) टैग वाली नई कारों में इस तकनीक के माध्यम से लाभ उठाया जा सकेगा।
- इसके माध्यम से टोल प्लाज़ा पर यातायात का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होगा और समय व ईंधन की बचत होगी।

फास्टैग (FASTag) क्या है ?

- FASTags ऐसे स्टीकर हैं, जिन्हें वाहनों की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है।
- इसमें RFID लगा होता है जिससे टोल गेटों पर बिना रुके डिजिटल रूप से भुगतान किया जा सकता है।
- ये टैग बैंक खातों और अन्य भुगतान विधियों से जुड़े होते हैं।

कार्यविधि

- जैसे ही एक कार एक टोल प्लाज़ा को पार करती है, वैसे ही सेंसर स्क्रीन पर लगा हुआ FASTag इसकी पहचान (Sense) कर लेता है तथा राशि स्वचालित रूप से काट ली जाती है एवं इससे संबंधित सूचना पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर भेज दी जाती है।
- FASTag को रिचार्ज करने के लिये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस और नेट बैंकिंग का प्रयोग किया जा सकता है।
- एक FASTag पाँच साल के लिये वैध होता है तथा इसे आवश्यकतानुसार रिचार्ज कराना होगा।

मनरेगा में युवा श्रमिकों की भूमिका

चर्चा में क्यों ?

21 अक्तूबर, 2019 तक प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम-मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act-MGNREGA) के अंतर्गत कम उम्र के युवा श्रमिकों की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है।

मुख्य बिंदु:

- आँकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत 18-30 वर्ष आयु वर्ग के युवा श्रमिकों के अनुपात में लगातार हो रही गिरावट में विमुद्रीकरण तथा जीएसटी के प्रभावों के कारण उछाल देखने को मिला है।

नोट :

- मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों के आयु-वार आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बाद 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
- इस अध्ययन के अनुसार, वित्त वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत नियोजित 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक थी जो वित्त वर्ष 2017-18 में घटकर 58.69 लाख रह गई तथा वित्त वर्ष 2018-19 में पुन: बढकर 70.71 लाख हो गई।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान भी यह वृद्धि जारी है क्योंकि 21अक्तूबर, 2019 तक के आँकड़ों में मनरेगा के तहत नियोजित युवाओं की संख्या 57.57 लाख तक पहुँच गई है।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान 21 अक्तूबर, 2019 तक मनरेगा के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 5.72 करोड़ तक पहुँच गई है।

युवा श्रम अनुपात के बढ़ने का कारण:

- इस विश्लेषण के अनुसार मनरेगा में युवा आयु वर्ग (18-30 वर्ष) के श्रमिकों के बढ़ते स्तर का कोई स्पष्ट कारण नहीं है परंतु कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसका कारण ग्रामीण संकट और रोज़गार के अवसरों की कमी हो सकती है।
- मनरेगा से संबंधित अध्ययन करने वाले एक NGO के अनुसार, अर्थव्यवस्था अभी मंदी के दौर से गुज़र रही है। युवा व्यक्तियों के लिये यह स्थिति निराशाजनक है, जब उन्हें आजीविका के साधन नहीं मिल पाते हैं तब वह मनरेगा की तरफ रुख करते हैं।
- सरकार ने नवंबर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के उच्च मूल्य के करेंसी नोटों को बंद करने का निर्णय लिया था, जबकि 1 जुलाई, 2017 से GST लागू किया गया। इन दोनों फैसलों ने अर्थव्यवस्था में व्यवधान पैदा किया। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2016-17 में 8.2% के उच्च स्तर पर पहुँच गयी थी, वहीं यह 2018-19 में घटकर 6.8% की दर पर आ गई।

मनरेगा MGNREGA

- इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी प्रदान करना है।
- हालाँकि वर्ष 2019 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिन का (कुल 150 दिन) का रोज़गार प्रदान किया है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परिवार के लिये भी 50 दिनों के अतिरिक्त रोज़गार के प्रावधान को अनिवार्य किया है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रदान किये गए भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।
- यह सामाजिक सुरक्षा के लिये बनाया गया एक मांग आधारित कानून है, इसका उद्देश्य 'कार्य के अधिकार' को लागू करना है।

कर निर्धारण के लिये एकीकृत दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation of Economic Co-operation and Development- OECD) ने फेसबुक, एप्पल, गूगल, अमेज़न और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों पर कर लगाने के नियमों में बदलाव हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया है।

संदर्भ:

- संक्षेप में 'एकीकृत दृष्टिकोण' नामक यह प्रस्ताव, कराधान के मानक को 'कंपनी की भौतिक रूप से उपस्थिति' की जगह 'एक विशेष बाज़ार में बिक्री' पर स्थानांतरित करने पर बल देता है। यानी कंपनियों को उन बाज़ारों में ज़्यादा टैक्स देना होगा, जिनमें वे ज़्यादा बिक्री करती हैं।
- हाल ही में फ्रांसीसी संसद ने गाफा टैक्स (गूगल, ऐप्पल, फेसबुक और अमेज़न के लिए एक संक्षिप्त रूप) के रूप में कर से संबंधित एक कानून को मंजूरी दी है, इस कानून के तहत इन कंपनियों द्वारा देश में की गई बिक्री पर 3% कर लगाए जाने का प्रावधान किया गया है।

नए कराधान कानून की आवश्यकता क्यों है ?

- डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने के संबंध में वैश्विक स्तर पर मतभेद विद्यमान है एवं अभी तक इससे जुड़ी किसी सार्थक संकल्पना का विकास नहीं किया जा सका है।

नोट :

- उच्च डिजिटलीकरण वाले व्यवसाय दूरस्थ रूप से संचालित हो सकते हैं एवं आमतौर पर ये उच्च लाभ की स्थिति में होते हैं।
- यह प्रस्ताव उपरोक्त व्यापार मॉडल के उपयोगकर्त्ताओं की अधिकता वाले देशों को नए कर अधिकार देगा।
- भारत उन देशों में शामिल है जो 'महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल' (Significant Economic Presence Model) पर विश्वास करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2019 में आयकर विभाग ने भारत में स्थायी रूप से स्थापित डिजिटल फर्मों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (Multinational Companies- MNCs) हेतु कर कार्यप्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत घरेलू बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, संपत्ति और उपयोगकर्त्ताओं की संख्या जैसे कारकों को विशेष महत्त्व दिया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल (Significant Economic Presence Model- SEP)

- इस मॉडल की अवधारणा ई-कॉमर्स कराधान पर BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) एक्शन 1 रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाश में आई थी।
- इस अवधारणा का उद्देश्य उन कंपनियों को देश के कर दायरे में लाना है, जो भौतिक रूप से तो देश के बाहर उपस्थित होती हैं किंतु उनका व्यवसाय देश के अंदर भी होता है एवं ये कंपनियाँ संबंधित देश में अपने व्यवसाय के माध्यम से बड़ी मात्रा में मुनाफ़ा कमाती हैं।
- ई-कॉमर्स कराधान पर BEPS एक्शन 1 रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड के अनुसार एक अनिवासी कंपनी या व्यवसाय को भारत में SEP के अंतर्गत माना जाता है -
  1. यदि भारत के भीतर अनिवासी कंपनी या व्यवसाय द्वारा किये गए लेनदेन के माध्यम से उसे निर्धारित की गई राशि से अधिक राजस्व प्राप्त होता है।
  2. यदि गैर-निवासी व्यवस्थित रूप से और लगातार भारत में डिजिटल माध्यमों से व्यापार करता है;

  या

  यदि गैर-निवासी डिजिटल माध्यम से भारत में उपयोगकर्त्ताओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं। SEP के प्रावधान को लागू किये जाने के संबंध में उपयोगकर्त्ताओं की न्यूनतम संख्या को अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

नए नियम की रुपरेखा:

- प्रस्ताव में इस बात को प्रमुखता दी गई है कि नई साँठगाँठ (Nexus) बिक्री (Sales) पर आधारित होगी। अंतर्राष्ट्रीय कर के संदर्भ में एक Nexus का तात्पर्य ऐसे देशों में परिचालन उपस्थिति से है जो किसी कंपनी को कर के दायरे में रखते हैं।
- OECD रिपोर्ट में कहा गया है कि नया नियम इस मुद्दे से संबंधित उन सभी मामलों के संदर्भ में लागू किया जा सकेगा जहाँ एक व्यवसाय के किसी बाज़ार के क्षेत्राधिकार में भौतिक उपस्थिति पर ध्यान दिये बिना उपभोक्ता सहभागिता और जुड़ाव आदि के माध्यम से उसकी अर्थव्यवस्था में स्थायी और महत्त्वपूर्ण भागीदारी होती है।
- प्रस्ताव में नए नियम को डिज़ाइन करने के साथ-साथ एक राजस्व सीमा के निर्धारण के माध्यम से बाज़ार के क्षेत्राधिकार में महत्त्वपूर्ण भागीदारी को निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है।
  - इसके अंतर्गत 750 मिलियन यूरो की राजस्व सीमा निर्धारित करने की बात कही गई है।
  - राजस्व सीमा का यह निर्धारण वितरक के माध्यम से बाज़ार में प्रवेश करने वालों को भी नियम के दायरे में शामिल करेगा।
  - यह नियम न केवल बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों बल्कि वाहन निर्माता जैसे ऑनलाइन उपस्थिति वाले किसी भी कंपनी को कर के दायरे में लाएगा।
- यह प्रस्ताव मुख्यत: बड़े उपभोक्ता-संबंधी व्यवसायों पर केंद्रित है। इसे मोटे तौर पर ऐसे व्यवसाय जो उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति अथवा डिजिटल सेवाओं को प्रदान करने के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति करते हैं, के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ ही रिपोर्ट इस परिभाषा में समय के साथ नए बदलावों की आवश्यकता पर भी बल देता है।
- रिपोर्ट में तेल कंपनियों जैसी संसाधन निष्कर्षण कंपनियों को छूट देने की सिफारिश की गई है।

हालिया परिदृश्य:

- प्रस्ताव में कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया गया है - विशेष रूप से, देशों के मध्य लाभों के आवंटन के संदर्भ में। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस राशि का निर्धारण एक राजनीतिक समझौते के तहत इस समावेशी फ्रेमवर्क के छोटे और बड़े, विकसित और विकासशील सभी सदस्यों की स्वीकार्यता के आधार पर किया जाना चाहिये।

नोट :

- हाल ही में प्रकाशित द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट की दिग्गज कंपनियों में से एक अमेज़न ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
(Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD)

- 14 दिसंबर 1960 को, 20 देशों द्वारा मूल रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बाद से 16 अन्य देश इस संगठन की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। जुलाई 2018 में लिथुआनिया की सदस्यता के साथ वर्त्तमान में इसके सदस्य दशों की कुल संख्या 36 है।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में है।
- भारत इसका सदस्य नहीं है।

SONIA

चर्चा में क्यों ?

London Interbank Offered Rate (LIBOR) को 2021 में समाप्त किये जाने की घोषणा की गई है तथा इसके स्थान पर SONIA का प्रयोग किया जाएगा।

SONIA क्या है ?

- Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA), एक भारित औसत, अल्प-आवधिक ऋण है जिसे बैंकों द्वारा ब्रिटिश स्टर्लिंग बाज़ार में असुरक्षित ऋणों के भुगतान के लिये उपयोग में लाया जाता है।
- SONIA की स्थापना वर्ष 1997 में ब्रिटेन के होलसेल मार्केट ब्रोकर्स एसोसिएशन (Wholesale Market Brokers Association-WMBA) द्वारा की गई थी। SONIA से पहले WMBA के पास कोई निर्धारित स्टर्लिंग ओवरनाइट रेट नहीं था। इस वजह से ब्रिटिश ओवरनाइट ब्याज दरों में अस्थिरता देखी जाती थी।
- LIBOR के विपरीत, SONIA ब्याज दर वास्तविक लेनदेन पर आधारित है। बैंक ऑफ़ इंग्लैंड ने इसका समर्थन किया है जिससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है।
- LIBOR के स्थान पर SONIA के प्रयोग से प्रशिक्षण, कानूनी खर्च, लेखांकन तथा दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में अधिक लागत की आवश्यकता होती है।

SONIA की उपयोगिता

- वित्त तथा वित्तीय व्यवस्था के संचालन में ऋण और डेरीवेटिव्स की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अत: इसके संचालन में एक विश्वसनीय एवं वृहत रूप से स्वीकृत पैमाने की आवश्यकता होती है। इस मायने में SONIA एक अच्छा विकल्प है।
- भारत प्राय: बाह्य वाणिज्यिक ऋणों (External Commercial Borrowing-ECB) का प्रयोग घरेलू वाणिज्यिक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिये करता है। इसके अलावा RBI द्वारा ECB हेतु बनाए गए नियमों के अनुसार, ऋणों की लागत तय करने में LIBOR का प्रयोग होता है। अत: इन परिस्थितियों में भारतीय ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को भी इस नई व्यवस्था को समझना होगा।
- नए उद्यमियों, जिन्होंने किसी ऐसी कंपनी में निवेश किया है जो विदेशों से ऋण लेती हो या डेरीवेटिव्स का लेनदेन करती हो, के लिये भी SONIA को समझना आवश्यक होगा।

LIBOR क्या है ?

London Interbank Offered Rate (LIBOR) एक मानक ब्याज दर है जिसके आधार पर प्रमुख वैश्विक बैंक, अल्प-आवधिक ऋणों हेतु अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाज़ार में आपसी लेन-देन करते हैं।

नोट :

LIBOR की प्रासंगिकता

- बैंकों के बीच आपसी लेन-देन, जिसके आधार पर LIBOR की गणना की जाती है, में 2008 के वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद लगातार कमी आई है।
- LIBOR, सर्वेक्षण में शामिल बैंकों के अनुमानित लेन-देन के आधार पर तय किया जाता है, न कि वास्तविक लेन-देन के आधार पर।
- LIBOR के अनेक भागीदार बैंक अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाते। वर्ष 2012 में ऐसे ही कुछ बैंकों को आँकड़े छिपाने के मामले में पकड़ा गया था।

- बाह्य वाणिज्यिक ऋण (External Commercial Borrowing-ECB) एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है जिसके माध्यम से घरेलू वाणिज्यिक गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु विदेशों से धन प्राप्त किया जाता है।
- ECB का प्रयोग स्टॉक मार्केट में निवेश के लिये तथा सट्टा बाज़ार में नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष

- SONIA के लाभों या इसकी दरों के बारे में अवगत न होने की वजह से निवेशक इसको लेकर संशय की स्थिति में हैं।
- SONIA के अलावा विश्व बाज़ार में अनेक वैकल्पिक रेफरेन्स रेट मौजूद हैं। जैसे- अमेरिका का SOFR, यूरोपीय संघ का ESTR, जापान का TONAR इत्यादि।

ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट-क्रेडिट सुइस

चर्चा में क्यों ?

स्विट्ज़रलैंड के एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक क्रेडिट सुइस ग्रुप ने वार्षिक ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट (Global Wealth Report) जारी की।

प्रमुख बिंदु

- यह रिपोर्ट आमतौर पर विश्व भर के करोड़पतियों और अरबपतियों के संदर्भ में धन की वृद्धि और वितरण के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर वितरण में असमानता पर प्रकाश डालती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के शीर्ष 10% अमीरों में से अधिकांश व्यक्ति चीन से हैं। प्रति वयस्क धन (Per Adult Wealth) के संदर्भ में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, वहीं अमेरिका और जापान क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- लगभग 47 करोड़ लोगों के पास (जो कि विश्व की कुल वयस्क जनसंख्या का मुश्किल से 0.9% है), विश्व के कुल धन का 44% (158.3 ट्रिलियन डॉलर) है।
- दूसरी तरफ विश्व की 57% वयस्क जनसंख्या (2.88 बिलियन लोग) के पास वैश्विक धन का सिर्फ 1.8% (6.3 ट्रिलियन डॉलर) है।
- विषमता की दृष्टि से निचले स्तर पर आधे से अधिक लोगों के पास कुल वैश्विक धन का 1% से भी कम हिस्सा है, जबकि सबसे अमीर 10% लोगों के पास वैश्विक धन का 82% है और शीर्ष पर मौजूद केवल 1% लोगों के पास कुल 45% धन है।
- रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति वयस्क शुद्ध धन में 3.3% की दर से वृद्धि दर्ज की गई है जो पिछले 20 वर्षों की औसत वृद्धि दर 11% से काफी कम है।

भारत के संदर्भ में

- विश्व भर में कुल करोड़पतियों की संख्या 46.8 करोड़ है जिनमें से 2% करोड़पति भारतीय हैं।
- भारत के संदर्भ में कहा गया है कि घरेलू धन में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले 20 सालों की औसत वृद्धि 11% से काफी कम है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 78% वयस्क जनसंख्या के पास 10,000 डॉलर से कम धन है, जबकि कुल जनसंख्या के 1.8% लोगों के पास 10,0000 डॉलर से अधिक धन है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 9 ट्रिलियन डॉलर से 360 ट्रिलियन डॉलर तक वृद्धि हुई, जिसमें भारत का योगदान कुल 625 बिलियन डॉलर (लगभग 7%) था।

नोट :

- वैश्विक स्तर पर प्रति वयस्क धन 70,849 डॉलर है। वहीं भारत में प्रति वयस्क धन 14589 डॉलर है।
- भारत में वर्ष 2018-19 में घरेलू धन में वृद्धि, घरों की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित थी।
  - पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट से रिटर्न में कमी के कारण 'घरेलू संपत्ति की वृद्धि' में कमी आई है।
- घरेलू धन में वृद्धि, उपभोक्ता व्यय के लिये एक अच्छा संकेत है। ज्ञातव्य है कि उपभोक्ता के खर्चों में तभी वृद्धि होती है जब वे वित्तीय रूप से अपेक्षाकृत अधिक स्थिर ओर सुरक्षित महसूस करते हैं, इससे धीमी अर्थव्यवस्था में तेज़ी आती है।
- उपभोक्ता और निजी खर्च में वृद्धि, सरकार द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक व्यय के बोझ को कम कर सकती है।
- धन में वृद्धि, घरेलू आय में वृद्धि को प्रेरित कर सकती है और यह सरकार को प्राप्त होने वाली कर आधारित आय की वृद्धि में सहायक होगी।

धन (Wealth) क्या है ?

- सामान्य अर्थों में धन, किसी व्यक्ति, समुदाय कंपनी या देश के स्वामित्व वाली सभी मूर्त और अमूर्त संपत्ति के मूल्यों का योग है, जिसमें से देय ऋणों को घटा दिया जाता है।
- राष्ट्रों के धन निर्धारक बिंदु
- विभिन्न देशों के लिये धन के निर्धारण के तरीके अलग-अलग होते हैं। जैसे- जनगणना आधारित गणना, सकल घरेलू उत्पाद आधारित गणना इत्यादि।

क्रेडिट सुइस ग्रुप

क्रेडिट सुइस ग्रुप (Credit Suisse Group) की स्थापना वर्ष 1856 में स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। यह एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है जो वैश्विक धन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है।

व्यापार सुगमता सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

- विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक (Ease Of Doing Business) में भारत को 190 देशों में से 63वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि भारत का पिछले वर्ष 77वाँ स्थान और 67.3 स्कोर था। भारत ने इस वर्ष 14 स्थान के सुधार के साथ अपने स्कोर को भी 71.0 कर लिया है।

व्यापार सुगमता सूचकांक के मानक:

- व्यवसाय शुरू करना (Starting A Business)
- निर्माण परमिट (Dealing with Construction Permits)
- विद्युत (Getting Electricity)
- संपत्ति का पंजीकरण (Registering Property)
- ऋण उपलब्धता (Getting Credit)
- अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा (Protecting Minority Investors)
- करों का भुगतान करना (Paying Taxes)
- सीमाओं के पार व्यापार करना (Trading Across Borders)
- अनुबंध लागू करना (Enforcing Contract)
- दिवालियापन होने पर समाधान (Resolving Insolvency)

इसमें 11वाँ मानक श्रमिकों को नियुक्त करना (Employing Workers) है, लेकिन इसको स्कोर के अंतर्गत नहीं मापा जाता है।

नोट :

वैश्विक संदर्भ:

- सूचकांक में शीर्ष 10 देश- न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग एसएआर चीन, डेनमार्क, कोरिया गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, जॉर्जिया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और स्वीडन रहे।
- इस सूचकांक में किसी भी देश के प्रदर्शन को 0-100 का स्कोर दिया जाता है। इसमें 0 स्कोर सबसे खराब और 100 स्कोर सर्वश्रेष्ठ है।
- चीन को 77.9 स्कोर के साथ 31वाँ स्थान प्राप्त हुआ। न्यूज़ीलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर और सोमालिया को अंतिम 190वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
- इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और नियामक आवश्यकताओं की सुविधा हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग करने में लगभग सभी देशों ने सुधार किया इसके विपरीत दिवालियेपन का समाधान करना सबसे कम सुधार वाला क्षेत्र था।

दक्षिण एशियाई संदर्भ:

- अनुबंधों को लागू करने और संपत्ति के पंजीकरण में दक्षिण एशिया का खराब प्रदर्शन रहा।
- पाकिस्तान ने सुधार वाले शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया इसके विपरीत बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देशों में शून्य विनियामक परिवर्तन (Zero Regulatory Change) दर्ज किया गया।
- दक्षिण एशिया में जहाँ संपत्ति हस्तांतरण को पंजीकृत करने में 108 दिन लगते हैं वहीं उच्च आय वाले OECD देशों में मात्र 24 दिन लगते हैं।
- इसी तरह दक्षिण एशिया में एक वाणिज्यिक विवाद को हल करने में तीन वर्ष का समय लगता है वहीं OECD देशों में इसके आधे समय में ही विवाद को हल कर लिया जाता है।

भारतीय संदर्भ

- भारत लगातार तीसरे वर्ष व्यापार वातावरण (Business Climate) में सुधार करने वाली शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल है।
- इस सूची में भारत के अतिरिक्त सऊदी अरब, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चीन और नाइजीरिया शामिल हैं।
- इस सूचकांक में भारत को प्रदर्शन के आधार पर विशेष रूप से सराहनीय (Particularly Commendable) श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत ने व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट, सीमाओं के पार व्यापार और दिवालियेपन का समाधान करने के मानकों में सुधार किया।
- भारत ने एकल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार हितधारकों के आयात और निर्यात को आसान बनाया। इसके अतिरिक्त दस्तावेज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदलने के मामले में सुधार किया तथा पोत अवसंरचना में भी सुधार किया।

व्यापार सुगमता बढ़ाने हेतु भारत के प्रयास:

- देश के शीर्ष नेतृत्व सहित केंद्रीय स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी व्यापार सुगमता सुधारों ने भारत की रैंकिंग को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- भारत में व्यवसाय शुरू करना अधिक आसान बनाया गया, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बेहतर प्रयोग किया गया।
- व्यावसायिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया, साथ ही निर्माण परमिट प्राप्त करने और निर्माण गुणवत्ता में लगने वाले समय को कम किया गया।
- भारत ने GST कर व्यवस्था का क्रियान्वयन किया है जिसके माध्यम से कर भुगतान सरल और डिजिटलीकृत तरीके से किया जा रहा है।
- भारत ने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी पहलें प्रारंभ की हैं जिनकी सहायता से लोगों द्वारा व्यापार करना और व्यापार के लिये पूंजी एकत्र करना आसान हो गया है।
- लघु और मध्यम उद्योगों की क्षमता को ठीक से पहचान कर इनमें वित्त के प्रवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिये छोटे-छोटे क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं।
- इससे लोगों को रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही इनका भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान भी बढ़ रहा है।
- भारत सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिये MCLR प्रणाली के स्थान पर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट की प्रणाली लागू की है जिससे केंद्रीय बैंक और सरकार द्वारा मौद्रिक नीतियों में लिये गए परिवर्तन का प्रभाव त्वरित रूप से इन क्षेत्रों के ऋण पर दिख सके।

नोट :

- भारत ने कॉर्पोरेट करों में कटौती भी की है जिसका उद्देश्य भारत में अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है। इस प्रकार के कदम से निवेश लागत कम होगी जिससे भारत में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संदर्भ में भारत डिजिटल इंडिया का क्रियान्वयन कर रहा है जिससे व्यापार प्रारंभ करना, संचालित करना, ऋण उपलब्धता अधिक आसान हो गई है।

आगे की राह

- भारत को इस वर्ष के सूचकांक में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है क्योंकि भारत का उद्देश्य इस वर्ष सूचकांक के शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त करना था।
- भारत में किये जा रहे है समस्त प्रयासों का अभी भी पूर्णत: प्रभाव नहीं दिख रहा है क्योंकि GST कर व्यवस्था के साथ लोगों का सामंजस्य ठीक से नहीं बन पा रहा है।
- इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान NPA और दोहरे तुलन पत्र जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं खोजा जा सका है। इन समस्याओं का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत की विकास दर पर भी दिख रहा है।
- वर्तमान समय में भारत की कम विकास दर भी एक चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि इससे बेरोज़गारी, कम उत्पादन जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं।
- लघु और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की योजना एक ज़िला एक उत्पाद का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रासंगिक हो सकता है। ज्ञातव्य है कि चीन में भी इस प्रकार की योजनाओं का सफलापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान समस्याओं का संधारणीय समाधान निकाला जाना चाहिये जिससे भारत की आर्थिक विकास दर और सूचकांक में भारत का स्थान भी बढ़ाया जा सकेगा।

BSNL तथा MTNL का विलय

चर्चा में क्यों ?

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Communication and Information Technology) के दूरसंचार विभाग (Departmenmt of Telecommunication) ने राज्य द्वारा पोषित टेलीकॉम कंपनी BSNL तथा MTNL के विलय और पुनरुत्थान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

विलय के कारण

- टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा तथा इनके (BSNL तथा MTNL) उपभोक्ताओं की संख्या में भारी कमी की वजह से दोनों ही कंपनियाँ घाटे की स्थिति में थीं।
- निजी कंपनियों का बढ़ता प्रभाव, 4-जी सेवा का न होना (BSNL के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर) तथा कर्मचारियों की बढ़ती लागत की वजह से ये कंपनियाँ टेलीकॉम सेक्टर की प्रतिस्पर्द्धा में पीछे छूट गईं।
- BSNL वर्ष 2009-10 से ही घाटे में चल रही थी। वर्ष 2015-16 में इस कंपनी को 4,859 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वहीं वर्ष 2018-19 में बढ़कर यह नुकसान 14,202 करोड़ रुपए का हो गया।

प्रस्तावित सुझाव

कैबिनेट ने BSNL तथा MTNL के पुनरुत्थान के लिये चार प्रस्तावों को स्वीकृति दी है:

1. BSNL तथा MTNL को 4-जी सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। इस स्पेक्ट्रम के लिये भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपए की पूँजी का निवेश करेगी।
2. BSNL तथा MTNL द्वारा 15,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक बॉण्ड जारी किये जाएंगे जिस पर भारत सरकार सॉवरेन गारंटी देगी।

नोट :

3. इस प्रस्ताव के अनुसार, BSNL एवं MTNL के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (Voluntary Retirement Scheme-VRS) का लाभ दिया जाएगा जिसके अंतर्गत वे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले सकेंगे। इस कार्य के लिये अतिरिक्त लागत का वहन सरकार द्वारा बजट के माध्यम से किया जाएगा।
4. संपत्ति मुद्रीकरण योजना (Asset Monetization Scheme) के माध्यम से अधिक पूंजी निर्माण के लिये दोनों कंपनियाँ अपनी संपत्ति का विनिवेश करेंगी।

पृष्ठभूमि

- महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड (MTNL) की स्थापना 1 अप्रैल, 1986 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख शहरों दिल्ली तथा मुंबई में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि करना तथा दूरसंचार क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति करना है।
  - MTNL दिल्ली में और इसके चार संलग्न शहरों नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद तथा मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र नवी मुंबई तथा थाणे महानगर पालिका को दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की स्थापना 15 सितंबर, 2000 को भारत सरकार के दो विभागों, दूरसंचार सेवा विभाग (Department of Telecom Services-DTS) तथा दूरसंचार संचालन विभाग (Department of Telecom Operations-DTO) को सम्मिलित करके की गई थी।
  - यह देश में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने वाली सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा प्रमुख कंपनी है। इसने पूरे देश के सभी शहरों के अलावा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को भी दूरसंचार से जोड़ा है।

निर्णय के प्रभाव:

- स्पेक्ट्रम के आवंटन से दोनों ही कंपनियाँ 4-जी सेवा तथा पूरे देश में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएँ मुहैया कराने में सक्षम होंगी। फलत: ये वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र की निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा कर पाएंगी।
- संपत्ति के मौद्रीकरण तथा बॉण्ड से प्राप्त अतिरिक्त आय का प्रयोग वर्तमान ऋणों की भरपाई तथा भविष्य में कंपनी के विकास के लिये किया जाएगा।
- VRS के तहत दोनों कंपनियों के तकरीबन आधे कर्मचारी (जो 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं) इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। संभावना जताई जा रही है कि यदि पुराने कर्मचारी सेवानिवृत्ति लेते हैं तो इनके वेतन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च में कमी आएगी।
- सरकार के द्वारा स्वीकृत इन प्रस्तावों के अनुपालन से BSNL तथा MTNL, विश्वसनीय एवं उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे। साथ ही देश के सुदूर क्षेत्रों तथा ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट व दूरसंचार सेवाओं से आसानी से जोड़ा जा सकेगा।

शेयर स्वैप अनुपात

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों में से कम से कम सात ने विलय हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञों को अपना शेयर स्वैप अनुपात (Share Swap Ratio) निर्धारित करने के लिये आमंत्रित किया।

पृष्ठभूमि:

- अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार के स्वामित्व वाले 10 बैंकों का चार बड़े बैंकों में विलय करने की घोषणा की गई थी। बैंक विलय संबंधी इस निर्णय के पश्चात् देश में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या 18 से घटकर 12 रह गई है।
- हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के जिन सात बैंकों ने शेयर स्वैप अनुपात निर्धारित करने की बात कही है उनमें इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक तथा सिंडीकेट बैंक शामिल हैं।

नोट :

शेयर स्वैप :

- जब कोई कंपनी लक्षित कंपनी के शेयरधारकों को अपने शेयर जारी करके अधिग्रहण के लिये उनका भुगतान करती है, तो इसे शेयर स्वैप के रूप में जाना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो विलय या अधिग्रहण के सौदों द्वारा किसी कंपनी को खरीदने के लिये जब शेयरों को 'करेंसी' की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसे शेयर स्वैप कहते हैं।
- शेयर स्वैप में नकदी में भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। अगर शेयर स्वैप डील यानी शेयरों की अदला-बदली के ज़रिये एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है तो पहली कंपनी दूसरी कंपनी के शेयरधारकों को अपने कुछ शेयर देती है और ये शेयर दूसरी कंपनी के प्रत्येक शेयर के बदले में दिए जाते हैं।
- सौदा होने के बाद दूसरी कंपनी के शेयरों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, यानी इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
- लक्षित कंपनी में मौजूदा होल्डिंग्स के बदले शेयरों की संख्या जिसे स्वैप अनुपात कहा जाता है, को राजस्व और मुनाफे के साथ-साथ बाज़ार मूल्य जैसे मापकों को देखने के बाद लक्षित कंपनी का मूल्यांकन किया जाता है।

शेयर स्वैप के लाभ:

- चूँकि लक्षित कंपनी के शेयरधारक विलय की गई इकाई के शेयरधारक भी होंगे, विलय से पूर्व अपेक्षित तालमेल का जोखिम और लाभ दोनों पक्षों द्वारा साझा किया जाएगा।
- नकदी सौदे में यदि अधिग्रहणकर्त्ता ने प्रीमियम का भुगतान किया है और यह कोई भौतिक सहयोग नहीं है, तो ऐसे में केवल अधिग्रहण करने वाली कंपनी के शेयरधारकों की संख्या में गिरावट आती है।
- शेयर स्वैप में उधार लेने की लागत को बचाने हेतु अधिग्रहणकर्त्ता के लिये कोई नकद निकासी शामिल नहीं है लेकिन समृद्ध कंपनियाँ व्यवसाय में या अन्य खरीद के लिये निवेश के लिये अपनी नकदी का उपयोग कर सकती हैं।
- वहीं दूसरी ओर नए शेयर जारी करने से प्रमोटर होल्डिंग में कमी के साथ अधिग्रहणकर्त्ता/कंपनी के शेयरधारकों की कमाई में कमी आ सकती है। हालाँकि, अगर अगले कुछ वर्षों में विलय की संभावना हो तो अधिग्रहण करने वाली कंपनी कम करों के अधिरोपण का लाभ उठा सकती।
- यह लाभ तब और बढ़ जाता है जब अधिग्रहण मूल्य अधिग्रहीत कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य से अधिक हो।

अनुबंध कृषि

चर्चा में क्यों ?

तमिलनाडु, अनुबंध कृषि (Contract Farming) पर कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु:

- तमिलनाडु देश का ऐसा प्रथम राज्य बन गया है जिसने कृषि उपज और पशुधन संविदा खेती तथा सेवा (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम {Agricultural Produce and Livestock Contract Farming and Services (Promotion and Facilitation) Act} को मंज़ूरी देने के साथ ही अनुबंध कृषि पर कानून बनाया है।
- इसके माध्यम से बाज़ार मूल्य में उतार-चढ़ाव होने की स्थिति में किसानों के हितों की रक्षा हो सकेगी।
- इसके अंतर्गत खरीदारों व किसानों के मध्य हुए फसल-पूर्व समझौते के तहत किसानों को पूर्व-निर्धारित मूल्य का भुगतान किया जाएगा तथा इस प्रकार के समझौतों को कृषि विपणन एवं कृषि व्यवसाय विभाग के नामित अधिकारियों के साथ पंजीकृत कराना होगा।
- केंद्र या राज्य सरकार या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिबंधित किसी भी उपज को अनुबंध खेती के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

ग्रीन चैनल स्कीम

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commisssion Of India-CCI) ने 28 अक्तूबर, 2019 को ग्रीन चैनल स्कीम के तहत कम्बीनेशन अधिसूचना प्राप्त की।

नोट :

'ग्रीन चैनल' क्या है ?

- ग्रीन चैनल के निर्माण की सिफारिश प्रतियोगिता कानूनों की समीक्षा करने वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है।
- ग्रीन चैनल कुछ शर्तों के आधार पर निश्चित प्रकार के विलय और अधिग्रहण को शीघ्र मंज़ूरी देने के लिये एक स्वचालित प्रणाली की अनुमति देता है।
- ग्रीन चैनल यह कार्य कुछ पूर्व लिखित मापदंडों के आधार पर करेगा।
- इसकी शुरुआत का प्रमुख उद्देश्य भारत में व्यापार को आसान बनाने की ओर एक कदम बढ़ाना है।
- ग्रीन चैनल की अवधारणा पहले से ही सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में मौजूद है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI):

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की स्थापना 14 अक्तूबर, 2003 को की गई थी।
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या 2 से कम तथा 6 से अधिक नहीं होनी चाहिये लेकिन अप्रैल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग में का आकार एक अध्यक्ष और छह सदस्य (कुल सात) से घटाकर एक अध्यक्ष और तीन सदस्य (कुल चार) करने को मंज़ूरी दे दी है।
- सभी सदस्यों को सरकार द्वारा 'नियुक्त' (Appoint) किया जाता है।
- इस आयोग के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - प्रतिस्पर्द्धा को दुष्प्रभावित करने वाले चलन (Practices) को समाप्त करना एवं टिकाऊ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना।
  - उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना।
  - भारतीय बाज़ार में 'व्यापार की स्वतंत्रता' सुनिश्चित करना।
  - किसी प्राधिकरण द्वारा संदर्भित मुद्दों पर प्रतियोगिता से संबंधित राय प्रदान करना।
  - जन जागरूकता का प्रसार करना।
  - प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

'मेक इन इंडिया' में मज़बूती लाने के लिये संशोधित कार्यक्रम लॉन्च

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने भारत में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ सीमा शुल्क (कस्टम्स) अधिनियम, 1962 के तहत बॉण्ड स्कीम के अंतर्गत विनिर्माण एवं अन्य परिचालनों के ज़रिये 'मेक इन इंडिया' में मज़बूती लाने के लिये एक संशोधित एवं सुव्यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया है।

- ज्ञातव्य है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 से किसी भी कस्टम बॉण्डेड वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्य परिचालन संभव हो पाते हैं।
- इस योजना को स्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं, परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और ICT आधारित प्रलेखन तथा लेखा-जोखा रखने के ज़रिये आधुनिक बना दिया गया है।

योजना की प्रमुख बातें

- तौर-तरीकों या परिचालन में एकरूपता के लिये एकल आवेदन-सह-मंज़ूरी फॉर्म निर्दिष्ट किया गया है।
- सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकार आयुक्त इस तरह की इकाइयों की स्थापना तथा उनके परिचालन पर करीबी नजर रखने के लिये मंज़ूरी के एकल बिंदु के रूप में काम करेंगे।
- ऐसी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है जहाँ इस तरह की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।
- सीमा शुल्क स्थगन कार्यक्रम के तहत संबंधित यूनिट विभिन्न वस्तुओं (कच्चा माल एवं पूंजीगत सामान) का आयात कर सकती है।

नोट :

- यदि प्रसंस्कृत वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो संबंधित शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है।
- इसके तहत कोई भी ब्याज देनदारी नहीं होगी और बेहतर तरलता (लिक्विडिटी) से संबंधित इकाइयाँ (यूनिट) लाभान्वित होंगी।
- धारा 65 के अंतर्गत आने वाली यूनिट्स में विनिर्माण एवं अन्य परिचालनों में उपयोग के लिये घरेलू बाज़ार से GST अनुरूप वस्तुओं की खरीदारी की जा सकती है।
- कारोबार में सुगमता के साथ-साथ आसान अनुपालन के लिये एकल डिजिटल खाते को निर्दिष्ट किया गया है।
- CBIC ने इस योजना के बारे में आवश्यक जानकारी देने तथा इसे प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निवेशकों की सुविधा के लिये 'इन्वेस्ट इंडिया' के साथ मिलकर एक विशेष माइक्रोसाइट लॉन्च की है।

इन्वेस्ट इंडिया

इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्द्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है, जिसे देश में निवेश को सुविधाजनक बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह देश में संभावित वैश्विक निवेशकों के लिये सबसे पहला केंद्र है। 'इन्वेस्ट इंडिया' का मुख्य उद्देश्य उद्यमों को व्यावहारिक निवेश सूचनाएँ सुलभ कराते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना और संबद्ध देशों के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान करने वाले अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मंच

21 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (US-India Strategic Partnership Forum-USISPF) के दूसरे वार्षिक इंडिया लीडरशिप सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- आज भारत और अमेरिका के आपसी संबंध सबसे बेहतरीन दौर में हैं और अब दोनों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाने की बेहतर संभावनाएँ बन रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आग बढ़ रही है।
- भारत अमेरिका से प्रौद्योगिकी नवाचार, कौशल और गुणवत्तायुक्त शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा रखता है और बदले में अमरीकी कारोबारियों और अमरीकी कंपनियों के देश में एक आकर्षक बाज़ार और कुशल श्रम-बल उपलब्ध कराने के लिये तैयार है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत में निवेश के इच्छुक लोगों के लिये एकल खिड़की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। साथ ही भारत में विनिर्माण इकाई लगाने वाली कंपनियों के लिये लॉजिस्टिक सेवाओं की लागत कम करने के उपाय भी खोजे जा रहे हैं।

अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच की भूमिका

- USISPF के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 238 से 327 अरब डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है।
- वर्ष 2018-19 में भारत से अमेरिका को निर्यात 52.4 अरब डॉलर था, जबकि आयात 35.5 अरब डॉलर था।
- वर्ष 2017-18 में व्यापार घाटा 21.3 अरब डॉलर था जो कि इस वित्तवर्ष में घटकर 16.9 अरब डॉलर रह गया।
- 2018-19 में अमेरिका से 3.13 अरब डॉलर का निवेश हुआ, जबकि 2017-18 में यह आँकड़ा दो अरब डॉलर था।
- रक्षा, व्यापार, वाणिज्यिक विमान सेवाएँ, तेल और कोयला, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में भारत में अमेरिकी निवेश के लिये प्रचुर संभावनाएँ हैं, जबकि भारत के लिये अमेरिकी बाज़ार में मोटर-वाहन, फार्मा, समुद्री उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी तथा यात्रा सेवाओं को बढ़ावा देने के अवसर हैं।

इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा वैश्विक शहरीकरण संभावना पर इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट (Economic Outlook Update) जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अनुसार 'विकासशील एशिया' (Developing Asia) में शहरी निवासियों की संख्या वर्ष 1970 के बाद से लगभग पाँच गुना बढ़ गई है।
- 'विकासशील एशिया' 45 देशों के समूह को संदर्भित करता है जो एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB) के सदस्य हैं।
- इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार, वर्ष 1970 से वर्ष 2017 के बीच इस समूह के देशों में शहरी आबादी 375 मिलियन से बढ़कर 1.84 बिलियन हो गई है । इस अवधि में इस समूह ने शहरी आबादी की वैश्विक वृद्धि का नेतृत्व किया जो कुल वैश्विक वृद्धि का लगभग 53% था।
- 'विकासशील एशिया' की शहरी आबादी का दो-तिहाई भाग (लगभग 1.5 बिलियन) चीन और भारत के शहरों में निवास करता है।
- इस समूह की शहरी आबादी वर्ष 1970 से वर्ष 2017 के बीच औसतन 3.4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। शेष विकासशील देशों (मुख्य रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका) में शहरी आबादी 2.6% तथा विकसित देशों में 1.0% की दर से बढ़ी है ।

नोट :

- विकासशील एशियाई क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी एशिया 3.7% की उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद दक्षिण-पूर्व एशिया में 3.6% और दक्षिण एशिया में 3.3% की वृद्धि हुई है। प्रशांत क्षेत्र (Pacific Region) की शहरी आबादी में 2.9% की वार्षिक वृद्धि तथा मध्य एशिया में 1.6% की दर से वार्षिक वृद्धि हुई है।

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank- ADB)

- ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी।
- 1 जनवरी, 1967 को इस बैंक ने पूरी तरह से काम करना शुरू किया था।
- इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना था।
- इसकी अध्यक्षता जापान द्वारा की जाती है।
- इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है।
- इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। जिसमें भारत सहित 48 सदस्य एशियाई देशों से है।

नेबरहुड माइनस वन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) के अंतर्गत भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन (India Economic Summit) में भारत एवं इसके पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के संदर्भ में नेबरहुड माइनस वन (Neighbourhood Minus One) की बात सामने आई।

संदर्भ:

- दो दिवसीय भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से गया था।
- यहाँ 'नेबरहूड माइनस वन' में वन (one) का संदर्भ पाकिस्तान से है।
- भारत की विदेश नीति में 'पड़ोसी पहले' (Neighbourhood First) की नीति एक महत्त्वपूर्ण आयाम है एवं भारत लगातार इस नीति की व्यावहारिक प्रासंगिकता को बढ़ावा देता रहा है।
- हालाँकि अन्य पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ता ज्यादातर विवादों से ही घिरा रहा है एवं पिछले कुछ समय से यह मूलतः नकारात्मक ही बना हुआ है।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum)

- विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिये एक मंच के रूप में काम करना है।
- यह स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
- इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम. श्वाब ने की थी।
- इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर प्रदान की जानी है और ये स्तर संस्था के काम में उनकी सहभागिता पर निर्भर करते हैं।
- इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है।

पृष्ठभूमि:

- भारत द्वारा उरी, बालाकोट आदि में हुए आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान की संलिप्तता को मानना एवं संदर्भित कार्रवाई, जैसे कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (Most Favoured Nation) का दर्जा वापस लेना आदि।
- अनुच्छेद- 370 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किये गए बदलाव एवं जम्मू और कश्मीर का मुद्दा।
- SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) के मंच पर भारत-पाकिस्तान मतभेद एवं एक-दूसरे का बहिष्कार।
- पिछले कुछ समय से भारत द्वारा SAARC की अपेक्षा BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) आदि अन्य क्षेत्रीय संगठनों को अधिक तवज्जो दिया जाना।

नोट :

नेबरहुड माइनस वन की प्रासंगिकता:

- **पक्ष:**
  - पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद एवं उसके द्वारा भारत में अन्य आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना दोनों देशों के रिश्तों को सर्वाधिक दुष्प्रभावित करता है।
  - यह भारत द्वारा पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने की नीति का एक हिस्सा है।
  - पाकिस्तान के भारत-विरोधी रुख को देखते हुए दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये यह व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
  - जम्मू और कश्मीर तथा अनुच्छेद- 370 जैसे भारत के आतंरिक मुद्दों पर पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह एक आवश्यक कूटनीतिक दृष्टिकोण प्रतीत होता है।
- **विपक्ष:**
  - भारत का यह दृष्टिकोण क्षेत्र में गुटबाजी को बढ़ावा दे सकता है।
  - विदेश नीति के तहत यह एक व्यावहारिक तथ्य है कि पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता।

निष्कर्ष:

अल्पकालिक नीतियों के तहत यह भले ही व्यावहारिक दिखे किंतु दीर्घकालिक रूप से यह धारणीय प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में भारत को इस नीति के साथ-साथ स्थिति को सुधारने के अन्य सार्थक विकल्पों का उपयोग करने पर भी बल देना चाहिये।

सीरिया पर तुर्की का हमला

चर्चा में क्यों ?

अमेरिका द्वारा सीरिया से अपनी सेना हटाने के तुरंत बाद ही तुर्की ने सीरिया के कुर्दिश लड़ाकों (पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स) के विरुद्ध सैन्य अभियान 'ऑपरेशन पीस स्प्रिंग' (Operation Peace Spring) के तहत सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि सीरिया के कुर्दिश लड़ाके इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के सहयोगी थे।
- दुनिया भर के देशों ने तुर्की द्वारा की जा रही इस सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि इससे सीरियाई क्षेत्र में अशांति को बढ़ावा मिलेगा।
- युद्ध जैसा यह माहौल इस्लामिक स्टेट को पुनर्जीवित करने का एक अवसर पेश कर सकता है तथा मध्य-पूर्व में स्थिति को और खराब कर सकता है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2010 में मध्य एशिया में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन आरंभ हुआ था इसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई और धीरे-धीरे यह विभिन्न देशों, जैसे- लीबिया, मिस्र, लेबनान, मोरक्को आदि में फैल गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर तुर्की अरब क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, साथ ही तुर्की का विचार इन देशों में मुस्लिम राजनीतिक दलों को स्थापित करना था।
- ज्ञात हो कि सीरिया के साथ तुर्की सीमा साझा करता है, इसका लाभ उठाकर तुर्की, सीरिया के विद्रोहियों को सीरिया में प्रवेश करने के लिये अपनी ज़मीन उपलब्ध कराता रहा है। सीरिया में धीरे-धीरे इस्लामिक स्टेट (IS) का प्रभाव भी बढ़ता गया एवं उसकी स्थिति जटिल होती गई।
- सीरिया में कई गुट आपस में संघर्षरत थे, इसमें कुर्दिश लड़ाकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। विद्रोही असद सरकार को उखाड़ना चाहते थे, कुर्द अपने लिये अलग कुर्दिस्तान हेतु संघर्ष कर रहे थे। किंतु कुर्द जो कि तुर्की, सीरिया तथा इराक में फैले हुए हैं, इन देशों के कुर्द क्षेत्रों को मिलाकर कुर्दिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं।
- कुर्दों के इस विचार का तुर्की प्रबल विरोधी रहा है क्योंकि यह तुर्की की अखंडता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जब कुर्द आतंकवादी संगठन आईएस से युद्ध में उलझ गए तो आईएस को कमज़ोर करने के लिये अमेरिका ने कुर्दों का समर्थन किया, इससे तुर्की के हितों को धक्का लगा। सीरिया में तुर्की को अमेरिका का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हो सका जिसके चलते कुर्दों की स्थिति मज़बूत हुई है।

नोट :

तुर्की का पक्ष

तुर्की के अनुसार, सीरियाई कुर्द 'कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी' से संबंध रखते हैं, जो तुर्की की संप्रभुता और अखंडता के लिये खतरा है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की में कुर्दों का मार्क्सवादी विचारधारा का संगठन है जिसे तुर्की सरकार आतंकवादी संगठन मानती है।

तुर्की के अनुसार, इस सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य तुर्की की दक्षिणी सीमा पर 'आतंकी गलियारे' को खत्म करना था।

भारत का रुख

- भारत ने तुर्की की उत्तर पूर्व सीरिया में इस एकतरफा सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। भारत सरकार के अनुसार, तुर्की की यह सैन्य कार्रवाई वैश्विक स्तर पर अस्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमज़ोर कर सकती है।
- उल्लेखनीय है कि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की की प्रतिक्रिया से भारत के साथ संबंधों में भी खटास आई है, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एरदोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का समर्थन करते हुए इस मुद्दे पर 'गहरा खेद' व्यक्त किया था।
- हाल ही में भारत ने नौसेना हेतु सहायता जहाज़ के निर्माण के लिये तुर्की की रक्षा कंपनी अनादोलू शिपयार्ड के साथ एक परियोजना को रद्द कर दिया और कंपनी को भारतीय रक्षा बाज़ार में प्रतिबंधित भी कर दिया।
- सीरिया पर तुर्की द्वारा किया गया यह हमला भारत के लिये आर्थिक दृष्टि से भी प्रतिकूल हो सकता है। इससे मध्य-पूर्वी देशों में तेल उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है।
- इन प्रतिकूल परिस्थितियों में वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आएगा जिससे भारत में भी तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी।

भारत-नीदरलैंड संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर (Willem-Alexander) अपनी पत्नी मैक्सिमा (Maxima) के साथ भारत दौरे पर रहे।

मुख्य बिंदु

- भारत और नीदरलैंड्स के बीच आर्थिक साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है।
- यूरोपीय संघ में नीदरलैंड्स भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत में अग्रणी निवेशकों में से एक है।
- भारत और नीदरलैंड समकालीन चुनौतियों, विशेष रूप से जलवायु संबंधी, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद की चिंताओं को साझा करते हैं।
- भारत और नीदरलैंड प्रौद्योगिकी के मामले में भी एक-दूसरे के पूरक हैं।
- भारत-डच संबंध 400 वर्ष से अधिक पुराने हैं, लगभग 17वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में पहली डच कंपनी (ईस्ट इंडिया कंपनी) स्थापित हुई थी।
- दोनों देशों के बीच आधिकारिक संबंध वर्ष 1947 में स्थापित हुए थे, जो हमेशा से सौहार्द्रपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं।
- दोनों देश लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन के सामान्य आदर्शों को भी साझा करते हैं।

सांस्कृतिक संबंध:

- वर्तमान में यूरोपीय संघ के देशों में से नीदरलैंड्स में भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या मौजूद है। नीदरलैंड्स में भारतीय छात्रों और पेशेवर समुदायों की बढ़ती संख्या के चलते दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधो में मज़बूती देखी जा रही है, साथ ही इससे तकनीकी साझेदारी को भी बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान में नीदरलैंड्स यूरोप में सबसे अधिक भारतीय लोगों की आबादी वाला देश है।

भारत में नीदरलैंड्स का महत्त्व:

- नीदरलैंड्स ने निर्यात नियंत्रण नियमों (Export Control Regimes) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट के लिये भारत के दावे का समर्थन किया है।
- भारत और नीदरलैंड्स समकालीन चुनौतियों के संबंध में आम चिंताओं को साझा करते हैं जिनमें जलवायु कार्रवाई, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद शामिल हैं।
- स्मार्ट सिटीज़, ग्रीन एनर्जी, स्टार्ट-अप्स, स्मार्ट सॉल्यूशंस आदि नवाचारों के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुदृढ़ता देखी जा रही है।

नोट :

लोटस (LOTUS):

- इस दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वस्थ्य पुन: उपयोग सयंत्र के लिये शहरी सीवेज स्ट्रीम के लिये स्थानीय उपचार (Local Treatment of Urban Sewage Streams for the Healthy Reuse: LOTUS-HR) कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
- इसमें प्रतिदिन दस हज़ार लीटर सीवेज जल का उपचार किया जाएगा।
- इस परियोजना को जुलाई 2017 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य एक अच्छी समग्र अपशिष्ट जल प्रबंधन पहुँच का प्रदर्शन करना है, जिसमें स्वच्छ जल का उत्पादन होगा और उसे विभिन्न कार्यों में दोबारा प्रयोग किया जा सकेगा।
- LOTUS-HR परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये नीदरलैंड संगंठन (Netherlands Organization for Scientific Research/STW) द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित है।

WETLAB:

- यह डिज़ाइन से संबंधित एक चुनौती है जिसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT-BIRAC) और नीदरलैंड्स एंटरप्राइज़ एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।
- यह प्रतियोगिता का एक नया तरीका है जो भारतीय और डच दोनों के युवा पेशेवरों एवं छात्रों को भारत की शहरी जल चुनौतियों के समाधान के लिये नवाचारी विचारों तथा भारत की नदियों को साफ करने के लिये योगदान हेतु अलग तरह से सोचने हेतु विशिष्ट शिक्षण और नेटवर्किंग मंच उपलब्ध कराता है।
- भारत-डच सहयोग का उद्देश्य तकनीकी उद्यमशीलता का सृजन करने तथा स्वस्थ्य पुन: उपयोग के लिये सीवेज जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित करने तथा स्थायी व्यापार मॉडल को प्रोत्साहन देने के लिये नया मार्ग प्रशस्त करना है।

भारत-फिलीपींस

चर्चा में क्यों ?

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 19 अक्तूबर, 2019 को मनीला, फिलीपींस में भारत-फिलीपींस व्यापार सम्मेलन (India-Philippines Business Conclave) तथा 4th आसियान-भारत व्यापार सम्मेलन (4th ASEAN- India Business Summit) को संबोधित किया।

भारत-फिलीपींस व्यापार सम्मेलन (India-Philippines Business Conclave):

- इसके तहत दोनों देशों का लक्ष्य फिलीपींस के 'बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड' परियोजना (Build, Build, Build Project) तथा भारत के 'मेक इन इंडिया'(Make In India) को एकीकृत करना है जिससे दोनों देशों की कंपनियों तथा निवेशकों के लिये बुनियादी ढाँचा पहल द्वारा काफी अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।
- सम्मेलन में कहा गया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हुई है तथा समग्र व्यापार में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- सम्मेलन में यह भी कहा गया कि फिलीपींस में भारतीय कंपनियों के निवेश और उपस्थिति के रूप में भारत का द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव बढ़ोतरी पर है। भारत-फिलीपींस व्यापार बढ़कर 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
- हाल के वर्षों में भारत-फिलीपींस ने बुनियादी ढाँचे और ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश में वृद्धि की है। साथ ही फिलीपींस में एलएनजी (Liquefied Natural Gas- LNG) पाइपलाइनों, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान तथा हवाई अड्डे के टर्मिनलों जैसी ठोस परियोजनाओं में भारतीय निवेश बढ़ा है।
- सम्मेलन में दोनों देशों ने एक पर्यटन संवर्द्धन समझौते (Tourism Promotion Agreement) पर हस्ताक्षर करने के बारे में भी सहमति व्यक्त की।

नोट :

4th आसियान-भारत व्यापार सम्मेलन (4th ASEAN- India Business Summit):

- इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रत्येक आसियान देश तथा भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को उन्नत करना है।
- आसियान-भारत संबंध अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' (Act East Policy) इस क्षेत्र को भारत-प्रशांत संबंधों के साथ केंद्र में रखती है।
- हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में आसियान-भारत व्यापार में काफी वृद्धि हुई है तथा दोनों पक्षों ने वर्ष 2022 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचने का लक्ष्य रखा है।

भारत- फिलीपींस संबंध:

- भारत वर्ष 2019 में फिलीपींस के साथ राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगाँठ मना रहा है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने क्विज़ोन शहर के मरियम कॉलेज में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
- भारत और फिलीपींस दोनों देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1949 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किये।
- ऐतिहासिक साझा मूल्यों और समानताओं के साथ दोनों देश अपने संबंधों को बेहतर करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
- भारत ने 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत करते हुए आसियान के साथ साझेदारी में वृद्धि की जिसके फलस्वरूप फिलीपींस के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों में भी तेज़ी आई।
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) के तहत भारत-फिलीपींस संबंधों में अधिक विविधता देखने को मिली है।
- भारत का फिलीपींस के साथ एक सकारात्मक व्यापार संतुलन है।
- वर्तमान में फिलीपींस भारतीय छात्रों के लिये एक गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

भारत के राष्ट्रपति की जापान यात्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने जापान की यात्रा की। 19 वर्षों के अंतराल के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति ने जापान की यात्रा की है।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इम्पीरियल पैलेस में आयोजित सम्राट नारुहितो (Emperor Naruhito) के सिंहासन पर आरूढ़ होने से संबंधित समारोह में भाग लिया।
- इस अवसर पर उन्होंने सकुजी होंगवांजी बौद्ध मंदिर (Tsukiji Hongwanji Buddhist Temple) का दौरा किया तथा बोधगया से लाए गए एक पौधे को भी लगाया।
- उन्होंने शिंटो मैजी जी नामक तीर्थस्थल (Shinto Meiji Shrine) का भी दौरा किया तथा गोटेम्बा पैगोडा (Gotemba Pagoda) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की।
- उन्होंने टोक्यो में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया तथा प्रगतिशील और समृद्ध भारत के निर्माण हेतु उनका समर्थन भी मांगा।
- उन्होंने जापान के काकेगावा स्थित सेई नो सेटो (Sai no Sato) में श्री सत्य साईं सनातन संस्कृति परियोजना की आधारशिला भी रखी।
- सिनो सोटो को अक्षरधाम और स्वामीनारायण मंदिर के समान विकसित किया जाएगा, जिससे भारतीय पारंपरिक संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जा सके।

भारत-जापान संबंध

- भारत व जापान दोनों देश रक्षा, विज्ञान तथा व्यापार के क्षेत्र में सहयोग के साथ मजबूत संबंधों को साझा करते हैं।
- 2014 में भारत व जापान दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी' (Special Strategic and Global Partnership) की ओर बढ़ाया।

नोट :

- मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे (Mumbai-Ahmedabad High Speed Railway- MAHSR) भारत तथा जापान के बीच रेलवे क्षेत्र में सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।
- अक्तूबर 2018 में भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान 'भारत-जापान डिजिटल साझेदारी' (India-Japan Digital Partnership, I-JDP) की शुरुआत की गई।
- अगस्त 2011 में भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA) को लागू किया गया जो वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दों को कवर करता है।
- भारत व जापान के बीच जिमैक्स (JIMEX), शिन्यु मैत्री (SHINYUU Maitri) तथा धर्म गार्जियन (Dharma Guardian) नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों का आयोजन किया जाता है।
- दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मालाबार अभ्यास (Malabar Exercise) में भी भाग लेते हैं।

WTO में विकासशील देश का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

दक्षिण कोरियाई सरकार ने भविष्य में विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा विकासशील देशों को मिलने वाले किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट को न लेने का फैसला किया है।

- हालाँकि इसका यह अर्थ नहीं है कि WTO में दक्षिण कोरिया का विकासशील देश का दर्जा समाप्त हो गया है।
- गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया, जो कि एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ने मुख्यत: अपने कृषि उद्योग की रक्षा करने हेतु WTO के निर्माण के समय (वर्ष 1995) से ही स्वयं को विकासशील देश के रूप में घोषित किया हुआ है।
  - उदाहरण के लिये दक्षिण कोरिया चावल के आयात पर 500 प्रतिशत से अधिक का टैरिफ लगाता है।

WTO में विकासशील देश के मायने

- उल्लेखनीय है कि WTO ने 'विकसित' और 'विकासशील' देश की कोई निश्चित परिभाषा तय नहीं की है। नियमों के अनुसार, सदस्य देश स्वयं ही इस बात की घोषणा करते हैं कि वे 'विकसित' हैं या 'विकासशील'।
  - हालाँकि अन्य सदस्य देश किसी एक देश द्वारा स्वयं को विकासशील घोषित करने के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं।
  - इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WTO के विकासशील देशों से संबंधित मानकों पर प्रश्नचिह्न उठाया था और चीन जैसे देशों द्वारा इसके गलत प्रयोग की बात भी कही थी।
- WTO समझौतों में कुछ विशेष प्रावधान होते हैं जो विकासशील देशों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। WTO के इन प्रावधानों को 'विशेष और विभेदात्मक व्यवहार' (Special and Differential Treatment-S&D) के रूप में जाना जाता है। विशेष प्रावधानों में शामिल हैं:
  - समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिये लंबी समयावधि।
  - विकासशील देशों के लिये व्यापार अवसरों को बढ़ाने के उपाय।
  - WTO के काम को पूरा करने, विवादों का प्रबंधन करने और तकनीकी मानकों को लागू करने हेतु विकासशील देशों की सहायता।
  - अल्प विकसित सदस्य देशों संबंधी प्रावधान।

WTO में विकासशील देशों को लाभ:

- जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई थी वह निश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अल्पविकसित एवं विकासशील देश के आर्थिक विकास को लाभ पहुँचना चाहिये।
- टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) विकासशील सदस्य देशों को अपने देश में आयात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है यदि ऐसा करने से किसी विशेष उद्योग की स्थापना या रखरखाव को बढ़ावा मिल रहा हो।

नोट :

- GATT के भाग IV में विकासशील देशों के लिये गैर-पारस्परिक अधिमान्य उपचार (Non-Reciprocal Preferential Treatment) की अवधारणा संबंधी प्रावधान भी किया गया है अर्थात् जब विकसित देश विकासशील देशों को व्यापार संबंधी कुछ छूटें देते हैं, तो उन्हें बदले में विकासशील देशों से उसी प्रकार की छूटों की प्रत्याशा नहीं रखनी चाहिये।
- हालाँकि विकासशील देशों का दावा है कि वर्तमान में GATT के भाग IV का कोई व्यावहारिक औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें विकसित देशों पर कोई बाध्यता निर्धारित नहीं की गई है।

संबंधित मुद्दे

- हाल ही में अमेरिका ने WTO पर किसी भी देश को विकसित या विकासशील घोषित करने की उसकी प्रणाली को बदलने का दबाव बनाया था। साथ ही अमेरिका ने चीन पर इस प्रणाली का गलत उपयोग करने का आरोप भी लगाया था।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार युद्ध जारी है और अमेरिका के इस कदम को भी युद्ध का हिस्सा माना जा सकता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी हाल ही में प्रस्तावित किया था कि वर्तमान और भविष्य की सभी वार्ताओं में निम्नलिखित को स्व-घोषणा के विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहिये:
  - आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य।
  - G20 समूह के सदस्य।
  - विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार उच्च आय वाले देश।
  - वे देश जिनका वैश्विक व्यापार में 0.5 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।
- विदित हो कि अमेरिकी दृष्टिकोण का खंडन करते हुए चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों ने भी अपना स्वयं का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि विकास के स्तर का आकलन करते समय प्रति व्यक्ति संकेतकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- वैश्विक व्यापार में विकासशील देशों को एकीकृत करने हेतु WTO के सदस्य देश निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं-
- सदस्य देश दक्षिण कोरिया का अनुसरण करते हुए खुद को विकसित घोषित किये बिना विकासशील देशों को मिलने वाले किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट को न लेने का निर्णय ले सकते हैं।
- छूटों की एक स्थायी व्यवस्था करने के बजाय विभेदित उपचारों के प्रावधान बनाते समय विकासशील देशों में नीति निर्माण में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर WTO के समझौते के अनुरूप ही इन प्रावधानों को या तो एक समय-सीमा से जोड़ा जाना चाहिये अथवा इन्हें चरणबद्ध रूप से खत्म करने का मानक जोड़ा जाना चाहिये।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

25 और 26 अक्तूबर, 2019 को अज़रबैजान के बाकू में 18वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non Aligned Movement- NAM) का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

- इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू कर रहे हैं। इस सम्मेलन से पहले वर्ष 2016 में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय तात्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने हिस्सा लिया था।

पृष्ठभूमि

- द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व मुख्यत: दो गुटों- साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के मध्य बँटा हुआ था इस समय दोनों गुट एक-दूसरे से मुकाबला करने के लिये सामाजिक प्रणालियाँ तथा सैनिक गुट तैयार कर रहे थे।
- इसी समय वैश्विक पृष्ठभूमि पर बहुत सारे देशों को उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता मिली थी, भारत जैसे देश भी इसी श्रेणी में शामिल थे।
- उपनिवेशवाद से स्वतंत्र इन देशों ने स्वयं को दोनों समूहों से दूर रखते हुए एक समूह 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' की स्थापना की, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवीन देशों के हितों की सुरक्षा करना था।

नोट :

- गुटनिरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम बांडुंग सम्मेलन (वर्ष 1955) के माध्यम से उठाया गया जिसमें भारत के तात्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, अब्दुल नासिर, सुकर्णो और मार्शल टीटो जैसे नेताओं ने प्रतिभाग किया। इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्द्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी हुआ।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे एन्क्रूमा जैसे नेताओं ने भाग लिया।
- वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में 120 विकासशील देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

उद्देश्य:

- शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना।
- स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण।
- सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी।
- साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध।
- रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता।
- मानवाधिकारों का की रक्षा।

वर्तमान प्रासंगिकता:

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करना था। इसलिये सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगने लगा और देशों का इस समूह के प्रति आकर्षण कम होने लगा।
- विदित है कि इस आंदोलन का उद्देश्य देशों के हितों की रक्षा करना था हम भूलवश इसको केवल शीत युद्ध से जोड़ देते हैं। इसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी क्योंकि वैश्विक परिदृश्य पर राजनीतिक परिस्थितियाँ और मुद्दे बदलते रहते हैं।
- सैद्धांतिक रूप से यह आंदोलन अप्रासंगिक प्रतीत होता है लेकिन निम्नलिखित मुद्दों के साथ इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है-
  - जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न देशों के मध्य विवाद।
  - विश्व में गुटबाज़ी की वजह से कई क्षेत्रों में संघर्ष जैसे- मध्य पूर्व खाड़ी देश अफगानिस्तान।
  - शरणार्थी समस्या (रोहिंग्या और मध्य-पूर्व)।
  - एशिया- प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु टकराव की स्थिति।
  - आतंकवाद का मुद्दा।
  - नव साम्राज्यवाद के तहत राजनीतिक कूटनीति।
  - ऋण जाल (Debt Trap) की राजनीति।
  - साइबर हमले और अंतरिक्ष के प्रयोग की अंधाधुंध प्रतिस्पर्द्धा।

भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन:

- भारत इसकी स्थापना के बाद से वर्तमान तक इसके सिद्धांतों पर पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता रहा है।
- इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 2016 तक भारत का प्रधानमंत्री ही इस आंदोलन में भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा है केवल वर्ष 1979 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने के कारण चौधरी चरण सिंह इसके सम्मेलन में नहीं जा सके थे।
- इसी क्रम में वर्ष 2016 और 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने नहीं किया है।
- हाल के वर्षों में भारत की इस आंदोलन के प्रति रुचि कम होने का कारण-
  - गुटनिरपेक्षता आंदोलन में एकमत उद्देश्य का अभाव दिख रहा है इसमें शामिल देश आपस में ही गुटबंदी कर रहे हैं।
  - गुटनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोग क्षेत्रीय गुटों का गठन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के गुट भिन्न- भिन्न उद्देश्यों के लिये बनाए जा रहे हैं।

नोट :

- यूरोपीय यूनियन जहाँ आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप एकीकृत हो रहा है, वहीं दक्षिण एशिया में आसियान, सार्क जैसे गुट सक्रिय हैं।
- भारत और चीन राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आर्थिक रूप से पश्चिमी देशों से प्रतिस्पर्द्धा हेतु गुटबंदी कर रहे हैं।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान की समस्याओं को लेकर भी गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है और आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्याओं पर इस समूह का कोई एजेंडा नहीं दिख रहा है।
- बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिये किसी औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है।
- इसी उद्देश्य से भारत भी विभिन्न देशों के साथ विभिन्न प्रकार के आर्थिक और राजनीतिक करार कर रहा है। उदाहरण के लिये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय से ही भारत के लिये हिंद महासागर की सुरक्षा चिंता का विषय थी भारत तात्कालिक समय में इस क्षेत्र में गुटबंदी का विरोध करता था, लेकिन अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुष्कोणीय गुट बनाकर अपने हितों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

आगे की राह:

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इसकी स्थापना के समय की भाँति वर्तमान में भी अपने उद्देश्यों में एकरूपता लानी होगी, इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय गुटबंदी की राजनीति को भी रोकना होगा।

प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28-29 अक्तूबर, 2019 को सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की।

प्रमुख बिंदु:

- भारत और सऊदी अरब दोनों देशों नेरणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय हेतु भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद (India-Saudi Strategic Partnership Council) का गठन किया।
  - इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान द्वारा की जाएगी तथा प्रत्येक दो वर्ष में इसकी बैठक आयोजित की जाएगी।
  - ब्रिटेन, फ्राँस तथा चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने इस प्रकार की रणनीतिक साझेदारी की है।
- इस अवसर पर सैन्य उद्योगों, सुरक्षा, हवाई सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा उत्पादों के विनियमन, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम तथा सऊदी अरब में रुपे (RuPay) कार्ड का उपयोग, आदि जैसे संबंधित मुद्दों पर 12 समझौता ज्ञापनों (Memorandum of Understandings- MoUs) पर हस्ताक्षर किये गए।
- भारत ने सऊदी अरब में हज यात्रियों को तीर्थयात्रा के दौरान आराम से यात्रा करने में मदद प्रदान करने से संबंधित समझौता ज्ञापन को भी मंज़ूरी प्रदान की है।
- दोनों देशों ने सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की।
- प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया के कई क्षेत्रों में व्याप्त अशांति व संघर्षों को 'संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों' का पालन करते एक संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से हल करने का भी आह्वान किया।

भविष्य के निवेश की पहल (Future Investment Initiative- FII):

- यह सऊदी अरब का वार्षिक निवेश मंच है, जिसे 'रेगिस्तान में दावोस' (Davos in the Desert) के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन विज़न 2030 के तहत पब्लिक इनवेस्टमेंट फंड (Public Investment Fund) द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य सऊदी अरब द्वारा अपनी तेल आधारित अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास को बढ़ाना है व वैश्विक रणनीतिक भागीदारों और निवेश प्रबंधक के साथ काम करना है।
- इसके अतिरिक्त भारत के प्रधानमंत्री ने सऊदी कंपनियों को भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिये भी आमंत्रित किया है।

नोट :

भारत-सऊदी अरब संबंध:

- अपनी भू-स्थानिक स्थिति के कारण सऊदी अरब भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण देश है, जिसके साथ भारत के हज़ारों वर्ष पुराने व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध हैं।
- सऊदी अरब में लगभग 2.6 मिलियन प्रवासी भारतीय निवास करते हैं, जिन्होंने दोनों देशों के समग्र द्विपक्षीय संबंधों को दृढ बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- दोनों देशों के मध्य हज यात्रा द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- ऊर्जा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सऊदी का सहयोग अहम है। इसके अतिरिक्त कारोबार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सऊदी नागरिकों के लिये ई-वीज़ा जारी करने का भी निर्णय लिया गया है।
- सऊदी अरब, भारत की कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 18% तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस की 30% आपूर्ति करता है।
- सऊदी के अरामको तथा भारत से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में एक रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी जो भारत में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगी।
- सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। वर्ष 2017-18 के दौरान दोनों देशों के बीच 1.95 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार हुआ।
- वर्ष 2010 में रियाद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद यह भारत का एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी असेंबली

चर्चा में क्यों ?

30-31 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) की दूसरी असेंबली का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- असेंबली ISA की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई है जो गठबंधन के विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेती है।
- भारत इस असेंबली की अध्यक्षता जबकि फ्राँस इसका सह-अध्यक्षता की।
- इस गठबंधन हेतु 121 संभावित देशों में अभी तक 81 देशों ने इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जबकि इनमें 58 देशों ने इसकी पुष्टि (Ratified) भी कर दी है।
- ISA को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों और सतत् विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने हेतु महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। ISA का उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामूहिक रूप से निराकरण करना है।
- ISA की पहली असेंबली वर्ष 2018 में आयोजित की गई थी जिसमे वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने की बात कही गई थी। इसके लिये STAR C कार्यक्रम और इंफोपीडिया (Infopedia) जैसी कई महत्त्वपूर्ण गतिविधियों की शुरुआत की थी।
  - STAR C एक सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र परियोजना (Solar Technology Application Resource Centre project) है।
  - इसके अतिरिक्त इंफोपीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सौर ऊर्जा पर सूचना, सर्वोत्तम कार्यक्रमों, गतिविधियों और ज्ञान के प्रसार के लिये समर्पित है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा की अधिक उपलब्धता वाले देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन (Treaty- based International Intergovernmental Organization) है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्राँस ने 30 नवंबर, 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, कर्क और मकर रेखा के मध्य, आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 121 सौर ऊर्जा की संभावना वाले देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसका मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में है।
- वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक का सौर ऊर्जा उत्पादन और वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिये लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना शामिल है।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ज्वारीय विघटन (Tidal Disruption)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नासा की TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ने विशालकाय ब्लैक होल (Supermassive Black Hole) द्वारा एक तारे की खिंचाव की परिघटना को दर्ज किया गया, इस परिघटना को खगोलविदों ने ज्वारीय विघटन (Tidal Disruption) नाम दिया है।

- इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना में ब्लैक होल ने पृथ्वी से 375 मिलियन प्रकाश-वर्ष दूर स्थित तथा लगभग सूर्य के समान आकार वाले तारे को अपनी ओर खींचकर समाप्त कर दिया।
- इस प्रकार की घटनाएँ तब होती हैं जब एक तारा एक विशालकाय ब्लैक होल के बहुत करीब पहुँच जाता है।
- ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल तारे को अपनी ओर खींचता है। ब्लैक होल द्वारा तारे के खिंचाव के दौरान, तारा विघटित हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ पदार्थ अंतरिक्ष में फैल जाता है तथा कुछ पदार्थ ब्लैक होल में गिर जाता है। इस परिघटना के दौरान गैस की एक गर्म चमकीली डिस्क भी बनती है।
- सामान्यत: इस प्रकार की घटनाओं के दौरान तापमान बढता है लेकिन इस बार तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की घटनाओं के अध्ययन से ब्लैक होल और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को समझने में मदद मिलेगी।

ब्लैक होल (Black Hole)

- ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी भौतिकविद् जॉन व्हीलर ने वर्ष 1960 के दशक के मध्य में किया था।
- ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन नहीं होता।
- चूँकि इनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, अत: हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, वे अदृश्य होते हैं।
- विशेष उपकरणों से युक्त अंतरिक्ष टेलिस्कोप की मदद से यह बताया जा सकता है कि ब्लैक होल के निकट स्थित तारे अन्य प्रकार के तारों से किस प्रकार भिन्न व्यवहार करते हैं।

ooo

डिजिटल अब्यूज़ एवं साइबरस्टॉकिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फेसबुक द्वारा दायर एक याचिका का जवाब देते हुए इंटरनेट प्रौद्योगिकी के कारण शुरू हुए अपर्याप्त कानून एवं नियंत्रणहीनता की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

संदर्भ:

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश नागरिकों की गोपनीयता से समझौता किये बिना कानून प्रवर्तन (Law Enforcement) के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा जानकारी साझा करने के लिये रणनीति के निर्माण से प्रेरित था।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा जानकारी साझा न करने अर्थात् पहचान की गोपनीयता के कारण दोषी का पता नहीं लग पाता है। इसके कारण नागरिकों को ट्रोल और बदनाम किये जाने के बावजूद कोई कानूनी सहायता और आसान कानूनी उपाय प्राप्त नहीं हो पाता है।

नोट :

डिजिटल अब्यूज़ और साइबरस्टॉकिंग क्या है ?

- डिजिटल एब्यूज़ (Digital Abuse) का अभिप्राय टेक्स्टिंग (Texting) और सोशल नेटवर्किंग जैसी तकनीकों का उपयोग किसी को धमकाने, परेशान करने, डाँटने या डराने के लिये किये जाने से है। आमतौर पर यह अपराध ऑनलाइन (Online) किये जाने वाले मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार का एक रूप होता है।
- साइबरस्टॉकिंग (Cyberstalking) का तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति से लगातार अवांछित संपर्क स्थापित करना या ऐसा करने की कोशिश करना है, चाहे वह पहचान का हो अथवा अजनबी।

जियोटेल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चंद्रयान -2 के एक CLASS (Chandrayaan-2 Large Area Soft X-ray Spectrometer) नामक उपकरण ने अपने मिशन के दौरान आवेशित कणों का पता लगाया। चंद्रमा की मिट्टी में तत्त्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिये इस उपकरण को डिज़ाइन किया गया था

यह घटना ऑर्बिटर के गुजरने के जियोटेल के माध्यम से दौरान हुई।

जियोटेल

- जियोटेल एक ऐसा क्षेत्र है जो सौर पवन के प्रभाव से सूर्य और पृथ्वी के बीच उत्पन्न होता है।
  - जियोटेल अंतरिक्ष में पर्यवेक्षण का एक सर्वोत्तम क्षेत्र है।
- प्रत्येक 29 दिनों में चंद्रमा एक बार, लगभग छह दिनों के लिये जियोटेल क्षेत्र में रहता है उसी समय चंद्रयान -2, (जो चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है) के उपकरण (CLASS) जियोटेल के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं।

जियोटेल क्षेत्र कैसे बनता है ?

- सूर्य, आवेशित कणों की एक सतत् धारा के रूप में सौर पवन का उत्सर्जन करता है। ये कण सूर्य के विस्तारित चुंबकीय क्षेत्र में अंतर्निहित हैं।
- चूँकि पृथ्वी में भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, जो सौर पवन प्लाज़्मा को बाधित करता है। इस परस्पर क्रिया से पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय आवरण बन जाता है।
- सूर्य की ओर वाला पृथ्वी का चुंबकीय आवरण क्षेत्र संकुचित हो जाता है जो पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग तीन से चार गुना अधिक हो जाता है।
- इसके विपरीत दिशा में,यह आवरण एक पुच्छल के रूप में फैल जाता है, जो चंद्रमा की कक्षा से काफी दूर तक विस्तारित होता है इसी पुच्छल आवरण को जियोटेल कहा जाता है।

सोशल मीडिया पर अस्पष्ट सेंसरशिप

चर्चा में क्यों ?

ट्विटर रिकॉर्ड के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के अनुरोध पर सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 (ए) के उल्लंघन के तहत सामग्री को हटाने की मांग के लिये उपयोगकर्त्ताओं को नोटिस भी दिये गए थे। गौरतलब है कि कई क़ानून प्रवर्तन संस्थाओं ने विभिन्न ट्विटर अकाउंट् को 'शैडो बैनिंग' के ज़रिये निलंबित करने की अपील की थी।

क्या है शैडो बैनिंग ?

सोशल मीडिया साइट से किसी उपयोगकर्त्ता को संज्ञान में लिये बिना उसकी सामग्री को उसके अकाउंट से आंशिक रूप से हटाने तथा उन्हें प्रतिबंधित करने का कार्य छाया निलंबन (शैडो बैनिंग) कहलाता है।

नोट :

इलास्टोकेलोरिक प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

जर्नल साइंस में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, इलास्टोकेलोरिक प्रभाव रेफ्रिजरेटर और एयर-कंडीशनर में उपयोग किये जाने वाले द्रव रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है।

इलास्टोकेलोरिक प्रभाव क्या होता है ?

- जब किसी रबर बैंड को घुमाया (Twisted) जाता है और फिर छोड़ (Untwisted) दिया जाता है तो यह शीतलन का प्रभाव उत्पन्न करती है इस प्रभाव को 'इलास्टोकोलिक प्रभाव' कहा जाता है।
- इलास्टोकेलोरिक प्रभाव ऐसे परिवर्तन हैं जो किसी बाहरी तनाव, बिजली या चुंबकीय क्षेत्र के कारण होते हैं।
- वर्तमान में कुशल और पर्यावरण के अनुकूल प्रशीतन प्रौद्योगिकियों (Refrigeration Technologies) की अधिक मांग के कारण इलास्टोकेलोरिक तथा विशाल केलोरिक प्रभाव वाले पदार्थों के विषय में व्यापक स्तर पर शोध कार्य किये जा रहे हैं।
- इलास्टोकलोरिक प्रभाव ईंधन की जगह ले रहा है।
- रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किये जाने वाले तरल पदार्थों का रिसाव पर्यावरण के प्रति अतिसंवेदनशील होता है तथा ये ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि के कारक हो सकते हैं।
- इलास्टोकेलोरिक प्रभाव में हीट एक्सचेंज उसी तरह से होती है जैसे द्रव रेफ्रिजरेंट को संकुचित और विस्तारित करने पर होता है।
  - जब एक रबर बैंड को बढ़ाया जाता है, तो यह अपने वातावरण से गर्मी को अवशोषित करता है और जब इसे छोड़ा जाता है, तो यह धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है।
- यह पता लगाने के लिये कि ट्विस्टेड क्रियाविधि (Twisted Mechanism) एक रेफ्रिजरेटर को कार्य सक्षम बनाने में कितनी सक्षम है, शोधकर्त्ताओं ने शीतलन के लिये रबर फाइबर, नायलॉन, पॉलीइथाइलीन, मछली पकड़ने के तार और निकल-टाइटेनियम जैसे तारों का प्रयोग किया।
  - इसके लिये कुंडलित और सुपरकोलाइड फाइबर के मोड़ (Twisted) में परिवर्तन से उच्च शीतलन का अवलोकन किया गया।
  - इस अवलोकन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रबर बैंड में हीट एक्सचेंज की दक्षता का स्तर मानक रेफ्रिजरेंट की तुलना में अधिक पाया गया।
- इन निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि हरित, उच्च दक्षता और कम लागत वाली शीतलन प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सकता है।

आइकॉन उपग्रह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 'नासा' ने आयनमंडल के रहस्यमयी, गतिशील क्षेत्र वायु और अंतरिक्ष का मिलन बिंदु का पता लगाने के लिये 'आइकॉन' नामक उपग्रह लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु:

- रेफ्रिजरेटर के आकार का 'आइकॉन' उपग्रह आयनमंडल में उपस्थित गैसों से बनने वाले हवा के प्रकाशीय पुंजों का अध्ययन करेगा और अंतरिक्षयान के चारों ओर आवेशित वातावरण की माप भी करेगा।
- 'आइकॉन' उपग्रह पृथ्वी के अंतरिक्ष वातावरण की भौतिकी को निर्धारित करने में मदद करेगा और हमारी प्रौद्योगिकी, संचार प्रणालियों पर इसके प्रभावों को कम करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

आयनमंडल:

- आयनमंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है।
- इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, इसीलिये इसे आयनमंडल के नाम से जाना जाता है।

नोट :

- पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। इस क्षेत्र में ऊँचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है।
- यह वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से रेडियो संचार और GPS तरंगें संचार करती हैं।

आयनमंडल का अध्ययन क्यों ?

- आयनमंडल के अध्ययन से बेहतर पूर्वानुमान के माध्यम से अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी निर्धारित कक्षा में भेजा जा सकता है।
- आयनमंडल के अध्ययन से यह पता लगाने में सहायता मिलेगी कि ऊपरी वायुमंडल भू-चुंबकीय तूफानों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, जो सौर गतिविधि के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिये एक समस्या है।
- आयनमंडल में परिवर्तनशीलता का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह स्थलीय और अंतरिक्ष दोनों के मौसमों के आधार पर संचालित होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है।
- आयनमंडल में भिन्नताओं के परिणामस्वरूप रेडियो सिग्नलों, अन्य संचार के माध्यमों में विकृतियाँ हो सकती हैं, संकेतों का पूर्ण विघटन भी हो सकता है। अत: इस समस्या के समाधान के लिये भी आयनमंडल का अध्ययन करना आवश्यक है।

चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार

चर्चा में क्यों

अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जी. कैलिन, ग्रेग सेमेंजा और ब्रिटेन के पीटर जे. रैटक्लिफ को वर्ष 2019 के चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह पुरस्कार कोशिकाओं द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की उपलब्धता के अनुसार अनुकूलित होने की प्रक्रिया पर अनुसंधान हेतु दिया गया है।
- तीनों वैज्ञानिकों ने उस आनुवंशिक प्रक्रिया के बारे में बताया जो कोशिकाओं को ऑक्सीजन के विभिन्न स्तरों पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है।
- गर्दन में बड़ी रक्त वाहिकाओं के बगल में मौजूद विशिष्ट कोशिकाएँ रक्त में ऑक्सीजन स्तर को महसूस करती हैं और मस्तिष्क को सतर्क करती हैं कि जब रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो तो वह श्वसन की दर को बढ़ाने हेतु आदेश दे। इस खोज को पहले ही 1938 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है।
  - पिछली शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को पता था कि गुर्दे में मौजूद विशेष कोशिकाएँ एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन को उत्पादित और स्त्रावित करती हैं। ऊँचाई में जाने पर जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो कोशिकाओं द्वारा इस हार्मोन का उत्पादन और स्त्रावण अधिक मात्रा में किया जाता है, जिससे अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है तथा शरीर को अधिक ऊँचाई हेतु अनुकूलित होने में मदद मिलती है।
  - लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के अलावा यह हार्मोन शरीर में रक्त की आपूर्ति बढ़ाने के लिये नई रक्त वाहिकाओं में भी वृद्धि करता है।

शोध संबंधी महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- प्रो. ग्रेग सेमेंजा और सर रैटक्लिफ ने शोध किया कि किस प्रकार विभिन्न ऑक्सीजन स्तरों द्वारा एरिथ्रोपोइटिन (Erythropoitin) जीन को नियंत्रित किया जाता है।
- शोध के अनुसार, ऑक्सीजन संवेदी तंत्र केवल एरिथ्रोपोइटिन उत्सर्जित करने वाले गुर्दों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह अन्य ऊतकों की कोशिकाओं द्वारा भी नियंत्रित होता है।
- प्रो.सेमेंज़ा द्वारा एक जीन के जोड़े की पहचान की गई है, जो 2 प्रोटीनों को मुक्त करता है। इन प्रोटीनों में एक hif-1alpha है, जो ऑक्सीजन स्तर कम होने की स्थिति में एरिथ्रोपोइटिन हॉर्मोन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु एरिथ्रोपोइटिन जीन सहित कुछ अन्य जीनों को सक्रिय कर देता है। हॉर्मोन के सक्रिय होते ही लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि कर ऑक्सीजन स्तर को बढ़ा देता है।

नोट :

- प्रो.कैलिन "वॉन हिप्पेल-लिंडौ" (Von Hippel Lindau-VHL) नामक एक वंशानुगत बीमारी पर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पाया कि कोशिकाएँ, ऑक्सीजन के प्रति जो भी प्रतिक्रिया देती हैं, उसमें VHL जीन शामिल होता है।
- HIF-1alpha प्रोटीन, जो अधिक एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन करने के लिये जीन को सक्रिय करता है, ऑक्सीजन स्तर के सामान्य होने पर अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का स्तर गिरते ही यह पुन: अपना कार्य शुरू कर देता है।
- सर रैटक्लिफ ने पाया कि VHL, HIF-1alpha प्रोटीन के साथ संपर्क करता है और ऑक्सीजन स्तर सामान्य होने पर इससे संपर्क तोड़ देता है। इसी कारण ऑक्सीजन स्तर सामान्य होने पर अतिरिक्त लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं होता है।

शोध के अनुप्रयोग:

- जीव-जंतुओं के जीवन हेतु ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भोजन को उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिये भी माइट्रोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीजन का ही उपयोग किया जाता है।
- ऑक्सीजन कोशिकाओं के अस्तित्व के लिये भी आवश्यक है, ऑक्सीजन कीअधिक या बहुत कम मात्रा प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम पैदा कर सकती है।
- गहन व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति मांसपेशियों में अस्थायी रूप से कम हो जाती है और ऐसी स्थितियों में कोशिकाएँ अपने चयापचय को कम ऑक्सीजन स्तर तक अनुकूलित करती हैं।
- भ्रूण और प्लेसेंटा की उचित वृद्धि कोशिकाओं की ऑक्सीजन को प्रबंधित करने की क्षमता पर निर्भर करती है।
- ऑक्सीजन संवेदी तंत्र के संबंध में अनुसंधान को बढ़ावा देकर कई बीमारियों का उपचार किया जा सकता है।

एरिथ्रोपोइटिन (Erythropoitin) क्या है ?

- एरिथ्रोपोइटिन, जिसे हेमेटोपोइटिन (Hematopoietin) या हेमोपोइटिन (Hemopoietin) कहा जाता है, मुख्य रूप से गुर्दे की कोशिकाओं द्वारा उत्पादित हॉर्मोन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है।
- क्रोनिक किडनी रोग के कारण रक्ताल्पता (Anaemia) के शिकार लोगों में एरिथ्रोपोइटिन का उपयोग रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने हेतु किया जाता है।
- एथलीट्स के लिये एरिथ्रोपोइटिन का प्रयोग विश्व डोपिंग रोधी संस्था (World Anti Doping Agency-WADA) द्वारा प्रतिबंधित है।

वॉन हिप्पेल-लिंडौ (Von Hippel Lindau-VHL) सिंड्रोम:

- VHL एक वंशानुगत विकार है जिससे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में ट्यूमर या अल्सर हो जाता है।

विश्व डोपिंग रोधी संस्था (World Anti Doping Agency- WADA):

- विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना वर्ष 1999 में स्विट्ज़रलैंड के लुसेन शहर में की गई थी।
- वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, डोपिंग रोधी क्षमता का विकास और विश्व एंटी-डोपिंग कोड की निगरानी, सभी खेलों तथा देशों में डोपिंग विरोधी नीतियों में सामंजस्य रखना इसका प्रमुख काम है।

तांबे को क्षरण से बचाने की एक नई तकनीक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय(BHU), वाराणसी के शोधार्थियों ने प्रसिद्ध वाणिज्यिक धातु तांबे को क्षरण से बचाने के लिये अपेक्षाकृत कम लागत वाली विधि की खोज की है।

मुख्य बिंदु:

- वैज्ञानिकों ने तांबा क्षरण की समस्या से निपटने के लिये पिछले कुछ वर्षों में कई तकनीकों का विकास किया है परंतु ये तकनीक बहुत महँगी और जटिल हैं तथा अम्लीय प्रभाव में तांबे को क्षरण से अपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं।

नोट :

- शोधार्थियों ने तांबे को क्षरण से बचाने के लिये 'फ्लोटिंग फिल्म ट्रांसफर मैथड' (Floating Film Transfer Method) का प्रयोग किया। इस विधि के अंतर्गत एक कार्बनिक पदार्थ 'स्क्वेरिन' (Squaraine) की बहुत पतली फिल्म प्राप्त करके उसे तांबे से निर्मित पदार्थों पर कई परतों के रूप में लपेटा जाता है।

फ्लोटिंग फिल्म ट्रांसफर मैथड:

- तांबे के क्षरण की समस्या से निपटने के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी द्वारा प्रयोग में लाई गई 'फ्लोटिंग फिल्म ट्रांसफर मैथड' का हाइड्रोक्लोराइड की उपस्थिति में परीक्षण किया गया तथा वैद्युत रसायन तकनीकों के साथ-साथ सतही लक्षण तकनीकों का भी परीक्षण किया गया।
- इस विधि के अंतर्गत किये गए परीक्षणों से पता चला कि तांबे से बने पदार्थों पर 'स्क्वेरिन' (Squaraine) की एक परत चढ़ाने से लगभग 40% तक क्षरण कम हो जाता है तथा 'स्क्वेरिन' (Squaraine) की चार परत चढ़ाने से तांबा क्षरण में लगभग 98% तक कमी आती है।
- स्क्वेरिन (Squaraine)
  - स्क्वेरिन (Squaraine) एक कार्बनिक पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना बहुत रोचक होती है।
  - स्क्वेरिन (Squaraine) के एक छोर पर जल विरोधी (Hydrofobic) कार्यात्मक समूह तथा दूसरे छोर पर जल स्नेही (Hydrophilic) कार्यात्मक समूह होता है तथा ये दोंनों समूह मध्य में एक वर्ग द्वारा जुड़े रहते हैं।
  - चूँकि 'स्क्वेरिन' (Squaraine) जल विरोधी और जल स्नेही दोनों विलायकों में घुल जाता है, अत: स्क्वेरिन का जल स्नेही छोर धातु की सतह की तरफ चिपका दिया जाता है तथा जल विरोधी छोर को हवा में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 'स्क्वेरिन' (Squaraine) के जल विरोधी अणु संक्षारण अणुओं से प्रतिक्रिया करके तांबे को क्षरण होने से बचाए रखते हैं।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), वाराणसी के शोधार्थियों के अनुसार, भविष्य में 'फ्लोटिंग फिल्म ट्रांसफर मैथड' (Floating Film Transfer Method) में 'स्क्वेरिन' (Squaraine) के स्थान पर कई अन्य सस्ते पदार्थों की परत को भी क्षरण से सुरक्षा के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है।

तांबा (Copper):

- तांबा प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्तावस्था दोनों में पाया जाता है।
- इसका परमाणु क्रमांक 29 है।
- तांबे का प्रमुख अयस्क कैल्कोपाइराइट है, जिससे तांबे का निष्कर्षण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है।
- तांबा विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिये विद्युत तार, विद्युत मीटर बाइंडिंग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है।

एक्सोप्लेनेट और डार्क मैटर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस (Royal Swedish Academy of Science) द्वारा वर्ष 2019 के भौतिकी (Physics) के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई।

- इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार न्यू प्रेस्पेक्टिव ऑफ़ अवर प्लेस इन द यूनिवर्स (New Prespective of our place in the Universe) हेतु प्रदान किया गया।

विजेता:

- इस वर्ष माइकल मेयर, डीडीयर क्युलेज़ व जेम्स पीबल्स को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिये चुना गया है। माइकल मेयर व डीडीयर क्युलेज़ जो कि जिनेवा विश्वविद्यालय से संबद्ध है को सौर मंडल के बाहर एक ऐसे ग्रह की खोज के लिये चुना गया है जो कि सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है।
- वही जेम्स पीबल्स जो कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में उनके योगदान के लिये इस पुरस्कार हेतु चुना गया।

नोट :

एक्सोप्लेनेट क्या है:

- सौर मंडल से बाहर पाए जाने वाले ग्रह एक्सोप्लेनेट (Exoplanet) कहलाते हैं, ये सौरमंडल में मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त उपस्थित ग्रह हैं।
- मेयर एवं क्युलेज़ द्वारा खोजा गया प्रथम एक्सोप्लानेट 51 पेगासी (Pegasi) b था जिसे वर्ष 1995 में खोजा गया था।

51 पेगासी बी (Pegasi b) किस प्रकार का ग्रह है ? क्या यह मनुष्यों के रहने योग्य है ?

- पेगासस तारामंडल (Pegasus Constellation) में एक तारा 51 पेगासी है जो पृथ्वी से लगभग 50 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।
- यह एक गैसीय ग्रह है, जो बृहस्पति के लगभग आधे आकार का है, इसी कारण इसे डिमिडियम नाम दिया गया था, जिसका अर्थ एक-आधा होता है।
- यह केवल चार दिनों में अपने तारे की परिक्रमा पूरी कर लेता है। यह संभावना काफी कम है कि यह मनुष्यों के रहने योग्य हो।

एक्सोप्लेनेट संबंधी इतिहास:

- निकोलस कोपरनिकस (वर्ष 1473–1543) ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में अवस्थित है, साथ ही कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इस खोज ने एक नई सोच को जन्म दिया जिसने सारे पुराने नियमों को परिवर्तित कर दिया।
- उपरोक्त तथ्यों को आधार बनाकर इटेलियन दर्शनशास्त्री गियोरदानो ब्रूनो (Giordano Bruno) ने सोलहवीं सदी में, वहीं बाद में सर आईज़ेक न्यूटन (Sir Isaac Newton) ने भी सूर्य की विशिष्ट स्थिति को स्पष्ट किया, साथ ही बताया कि पृथ्वी के साथ-साथ अन्य कई ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं।

पीबल्स को पुरस्कार दिये जाने का कारण:

बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना मुश्किल था पर यह माना जाता था कि यह सघन, अपारदर्शी एवं गर्म था।

- बिग बैंग के लगभग 400,000 वर्ष बाद ब्रह्माण्ड का विस्तार हुआ और यह माना गया कि इसके तापमान में कुछ हज़ार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। साथ ही ब्रह्माण्ड में पारदर्शिता बढ़ी एवं प्रकाश को गुजरने की अनुमति मिली। बिग बैंग के बचे हुए कणों को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) कहा गया।
- ब्रह्मांड का यह विस्तार व ठंडा होना जारी रहा एवं इसका वर्तमान तापमान 2 केल्विन (kelvin) के करीब है अर्थात् लगभग माइनस 271 डिग्री सेल्सियस के करीब है।
- पीबल्स द्वारा बताया गया कि CMB के ताप को मापने से यह पता लगाया जा सकता है कि बिग-बैंग में कितनी मात्र में पदार्थ/कण/पिंड का निर्माण हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि CMB में माइक्रोवेव रेंज में प्रकाश निहित होता है और ब्रह्मांड के विस्तार के साथ यह प्रकाश विस्तारित होता गया।
- माइक्रोवेव विकिरण अदृश्य प्रकाश होता है। यह प्रकाश इस तथ्य की खोज में एक अहम् भूमिका निभा सकता है कि किस प्रकार बिग बैंग में उत्पन्न हुए पदार्थों ने वर्तमान समय में उपस्थित गैलेक्सी का सृजन किया। उनकी इस खोज से इन सवालों का जवाब आसानी से खोजा जा सकता है कि ब्रह्माण्ड में कितनी मात्रा व ऊर्जा है, साथ ही यह भी की यह कितना पुराना है ?

बिग बैंग थ्योरी (Big Bang Theory)

- यह बताता है कि ब्रह्मांड बहुत उच्च घनत्व और उच्च तापमान वाली स्थिति से कैसे विस्तारित हुआ और प्रकाश तत्वों की प्रचुरता, ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि (CMB), बड़े पैमाने पर संरचना सहित घटनाओं की एक विस्तृत शृंखला के लिये एक व्यापक विवरण प्रदान करता है।
- CMB (Cosmic Microwave Background) के बारे में पहली बार 1964 में पता चला था, इस खोज को वर्ष 1978 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।

डार्क मैटर (Dark Matter):

- डार्क मैटर वह तत्त्व है जो कि ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा है, इसके कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग है। यह उन कणों से बना होता है जो कि प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करते है, साथ ही विद्युत चुम्बकीय विकिरण से इसे पता कर पाना मुश्किल होता है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें देखा जाना भी संभव नहीं होता है।

नोट :

डार्क मैटर को समझने में पीबल्स की क्या भूमिका रही ?

- आकाशगंगाओं की घूर्णन की गति से खगोलविदों ने यह अंदाज़ा लगाया कि ब्रम्हांड में अधिक मात्रा में द्रव्यमान होना चाहिये था जो कि आकाशगंगाओ को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ नियंत्रित करता हो। हालाँकि द्रव्यमान के एक हिस्से को देखा जा सकता था तथापि एक बड़ा हिस्सा अदृश्य था, इसी गायब तत्त्व को डार्क मैटर कहा गया।
- पीबल्स के हस्तक्षेप से पहले लापता द्रव्यमान को न्युट्रीनो के रूप में संदर्भित किया जाता रहा। बाद में इन्होंने यह भी बताया कि डार्क मैटर के इसे केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से महसूस कर सकते हैं बजाय प्रभाव क्रिया के माध्यम से। ज्ञात हो कि ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 25% हिस्सा डार्क मैटर से बना है।

डार्क एनर्जी (dark energy):

- यह ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है एवं प्रतिकारक दबाव को बाहर निकालता है, इसे सुपरनोवा के गुणों के अवलोकन के लिये परिकल्पित किया गया है।

11वाँ परमाणु ऊर्जा सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

18 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में 11वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- इस सम्मलेन का विषय 'परमाणु ऊर्जा का अर्थशास्त्र' (Economics of Nuclear Power) था।
- सम्मेलन में सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा के अनुप्रयोगों में विविधता लाने की बात कही गई जिससे सुरक्षित और किफायती प्रौद्योगिकियों की दिशा में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग कई प्रमुख सरकारी योजनाओं को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है।
- सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा के लिये संयुक्त उपक्रम लगाने और बजट बढ़ाने जैसे सरकारी उपायों को अपनाने की बात कही गई।
- बीमारियों और विशेषकर कैंसर के इलाज में परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर प्रकाश डाला गया।
- परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों के मन में पैदा भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि देश की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक बड़ा स्रोत बन सकता है। इस दिशा में छात्रों और आम जनता को परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिये दिल्ली के प्रगति मैदान में 'हॉल ऑफ न्यूक्लिर एनर्जी' (Hall of Nuclear Energy) खोला गया।
- बढ़ते वैश्विक तापमान को रोकने के लिये परमाणु ऊर्जा का प्रयोग सबसे बेहतर विकल्प बन सकता है।
- सम्मेलन के दौरान परमाणु ऊर्जा उद्योग के समक्ष अवसर और चुनौतियों, शहरी अपशिष्ट के निस्तारण और स्वास्थ्य सेवाओं में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल तथा परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिये उभरती प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर तीन तकनीकी सत्र भी आयोजित किये गए:
  - आधारभूत मांगों को पूरा करने के लिये परमाणु ऊर्जा का विकास: विनिर्माण उद्योग हेतु अवसर और चुनौतियाँ।
  - स्वास्थ्य देखभाल और नगरपालिका अपशिष्ट उपचार में परमाणु ऊर्जा का उपयोग।
  - अर्थव्यवस्था तथा सुरक्षा के लिये उभरती हुई प्रौद्योगिकी।

ओरियानॉइड उल्का बौछार

चर्चा में क्यों ?

हाल में ओरियनॉइड उल्का बौछार (Orionids Meteor Shower) की परिघटना देखी जा रही है।

नोट :

उल्का बौछार (Meteor Shower) क्या होती है ?

- जब पृथ्वी धूमकेतु या क्षुद्रग्रह द्वारा छोड़े गए मलबे के पास से गुज़रती है, तो उल्का बौछार की परिघटना देखी जाती है।
- इसमें उल्कापिंडों की एक शृंखला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और चमकती हुई लकीर जैसे दिखाई देती है।
- यह उल्का बौछार अपनी चमक और गति के लिये जानी जाती है और यह पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 66 किमी./सेकंड की गति से प्रवेश करती है। नासा के अनुसार, प्रतिवर्ष ऐसी 30 से अधिक उल्का बौछार की परिघटनाएँ होती हैं।
- उल्लेखनीय है कि उल्का बौछारों की उत्पत्ति के बिंदु को दीप्तिमान (Radiant) कहा जाता है।
- उल्का बौछारों का नामकरण संबंधत जिस नक्षत्र या तारा समूह (Constellation) के आधार पर ही किया जाता है। वर्तमान में हो रही उल्का बौछार, ओरियनिड्स नक्षत्र से संबंधित है इसलिये इसका नाम ओरियनॉइड उल्का बौछार रखा गया है।
- ओरियनॉइड उल्का बौछारों की परिघटना प्रत्येक वर्ष देखी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष अगस्त में पर्सिड (Perseid), दिसंबर-जनवरी में क्वाड्रेंटिस (Quadrantis), अप्रैल में लिरिड्स (Lyrids), नवंबर में लियोनिड्स (Leonids) और दिसंबर में जेमिनिड्स (Geminids) जैसी उल्का बौछारों की परिघटनाएँ देखी जाती है।
- पृथ्वी की तरह ही धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, हालाँकि वे पृथ्वी की तरह वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा नहीं करते हैं इसलिये वे अपनी कक्षा से इतर भटक जाते हैं और जलने लगते हैं।
- मध्य रात्रि के बाद उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्द्धों से ओरियनॉइड उल्का बौछारों को देखा जा सकता है।

मंगल ग्रह पर नमक की झीलें

चर्चा में क्यों ?

नेचर जिओसाइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह (लाल ग्रह) पर भी पृथ्वी की तरह नमक की झीलें मौजूद थीं।

प्रमुख बिंदु

- मंगल ग्रह (लाल ग्रह) की झीलें, धरती पर मौजूद झीलों की तरह ही बारिश और सूखे के दौर से भी गुज़री थीं।
  - नमक की झीलों का निर्माण शुष्क काल के दौरान ही हुआ होगा।
- गेल क्रेटर के अध्ययन के अनुसार, मंगल ग्रह पर पानी तरल रूप में मौजूद था जिसे माइक्रोबियल जीवन के अहम घटक के रूप में माना जाता है
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, ये झीलें लगभग 3 अरब वर्ष पहले गेल क्रेटर (Gale Crater) में मौजूद थीं।
  गेल क्रेटर (Gale Crater) का निर्माण एक उल्कापिंड के मंगल ग्रह पर गिरने के कारण लगभग 3.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। इस क्रेटर को नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने वर्ष 2012 में खोजा था।
- अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह पर नमक की ये झीलें, पृथ्वी पर बोलीविया और पेरू की सीमा के पास स्थित अल्टिप्लानो (Altiplano) नामक क्षेत्र में मौजूद झीलों जैसी ही हैं।
  - अल्टिप्लानो एक ऊँचा पठार है जहाँ पर्वत शृंखलाओं से निकलने वाली नदियाँ और धाराएँ समुद्र में नहीं मिलती हैं बल्कि बंद घाटियों की ओर अग्रसर होती हैं
  - यह भौगोलिक परिदृश्य ठीक वैसा ही है जैसा मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर में कभी हुआ करता था।
- मंगल ग्रह की जलवायु आर्द्र और सूखे की अवधि के बीच के उतार-चढ़ाव वाली हो सकती है।

क्यूरियोसिटी रोवर

- क्यूरियोसिटी नामक रोवर नासा के मंगल अन्वेषण मिशन का एक भाग है। यह लाल ग्रह के रोबोटिक अन्वेषण का एक दीर्घावधिक प्रयास है।
- क्यूरियोसिटी को इस बात का आकलन करने के लिये डिज़ाइन किया गया कि क्या मंगल पर कभी ऐसा पर्यावरण था जो जीवन के सूक्ष्म रूपों (माइक्रोब्स) को सहारा देने में सक्षम था।
- इस मिशन का उद्देश्य ग्रह पर निवास की संभावनाओं की तलाश करना है।

नोट :

राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा तथा गुणवत्ता सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (The Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) ने राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा तथा गुणवत्ता सर्वेक्षण (National Milk Safety and Quality Survey) 2018 की रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु:

- सर्वेक्षण में परीक्षण किये गए दुग्ध के नमूनों में से लगभग 93% दुग्ध को उपभोग के लिये सुरक्षित पाया गया तथा शेष 7% नमूनों में एफ्लाटॉक्सिन-एम1 (Aflatoxin-M1), एंटीबायोटिक्स जैसे दूषित पदार्थों की उपस्थिति पाई गई।
- सर्वेक्षण में दुग्ध को काफी हद तक सुरक्षित पाया गया है, हालाँकि मिलावट की तुलना में संदूषण एक अधिक गंभीर समस्या बनकर उभरा है।
- दुग्ध (कच्चे और प्रसंस्कृत दोनों) के नमूनों में वसा तथा सॉलिड नॉट फैट (solid not fat- SNF) की मात्रा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। दुग्ध में वसा तथा SNF का अनुपात व्यापक रूप से मवेशियों की प्रजातियों और नस्ल के साथ-साथ उनके भोजन तथा चारे की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।
  - SNF मक्खन और पानी के अलावा दूध में पाए जाने वाले वे घटक हैं जिसमें कैसीन, लैक्टोज, विटामिन और खनिज आदि पदार्थ शामिल होते हैं जो दुग्ध में पोषक तत्त्वों की मात्रा को बनाए रखते हैं।
- सर्वेक्षण में पाया गया कि दुग्ध में अमोनियम सल्फेट (Ammonium Sulphate) स्वाभाविक रूप से विद्यमान है तथा यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। वस्तुत: देखा गया है कि कई देशों द्वारा किन्हीं खाद्य पदार्थों में अमोनियम सल्फेट को एक योजक के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है।
- कच्चे दुग्ध की तुलना में प्रसंस्कृत दुग्ध (Processed Milk) में एफ्लाटॉक्सिन-एम1 की समस्या अधिक प्रभावी रूप से पाई गई है।
  - दुग्ध में एफ्लाटॉक्सिन-एम1 का स्रोत चारा तथा भूसा है जिसके लिये वर्तमान में देश में कोई विनियमन नहीं है।
  - तमिलनाडु, दिल्ली तथा केरल शीर्ष तीन राज्यों में एफ्लाटॉक्सिन-एम1 की मात्रा सर्वाधिक पाई गई।
- इसके अतिरिक्त प्रसंस्कृत दुग्ध में वसा, SNF, माल्टोडेक्सट्रिन (Maltodextrin) तथा चीनी जैसे दूषित पदार्थों की उपस्थिति संभावित मात्रा से अधिक पाई गई।

राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा और गुणवत्ता सर्वेक्षण 2018 (National Milk Safety and Quality Survey):

- यह तरल दुग्ध की सुरक्षा और गुणवत्ता का आकलन करने के लिये अपनी तरह का पहला व्यापक सर्वेक्षण है जिसे FSSAI ने एक तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से किया है।
- सर्वेक्षण में मई 2018 से अक्तूबर 2018 तक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसके तहत कवर किया गया है।
- यह सर्वेक्षण दोनों संगठित (खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर) तथा गैर-संगठित (स्थानीय डेयरी फार्म, दुग्ध विक्रेता और दुग्ध मंडियों) क्षेत्रों को कवर करता है।

एफ्लाटॉक्सिन-एम1 (Aflatoxin-M1, AFM1):

- एफ्लाटॉक्सिन कुछ कवकों द्वारा उत्पादित वे विषाक्त पदार्थ हैं जो आमतौर पर मक्का, मूँगफली, कपास के बीज जैसी अन्य कृषि फसलों में पाए जाते हैं।
- इनकी प्रकृति कार्सिनोजेनिक (Carcinogenic) होती हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) के अनुसार, 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम या इससे अधिक के एफ्लाटॉक्सिन सांद्रतायुक्त वाले भोजन के सेवन से एफ्लैटॉक्सिकोसिस (Aflatoxicosis) होने का संदेह होता है जिसमें पीलिया, सुस्ती तथा मितली जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, जिससे अंतत: मृत्यु भी हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त दुग्ध में AFM1 की उपस्थिति से बच्चों में बौनापन (Stunting) की समस्या उत्पन्न होती है।

नोट :

पोलियोवायरस का उन्मूलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप 3 (Wild poliovirus type 3- WPV3) के उन्मूलन की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस (Poliomyelitis) एक अपंगकारी एवं घातक संक्रामक बीमारी है।
- तीनों प्रकार के वाइल्ड पोलियो पक्षाघात और मृत्यु का कारण बन सकते हैं, लेकिन WHO द्वारा उन्मूलन के संदर्भ में वैरोलॉजिकल भिन्नताओं (Virological Differences के कारण इन्हें अलग-अलग वर्गीकृत किया जाता है।
- वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप- 2 (Wild Poliovirus Type 2- WPV2) के उन्मूलन की घोषणा वर्ष 2015 में की जा चुकी है।
- वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप-1 (Wild Poliovirus Type 1- WPV1) का उन्मूलन शेष है और यह अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के क्षेत्रों में अभी भी विद्यमान है।
- WPV3 का आखिरी मामला उत्तरी नाइजीरिया में वर्ष 2012 में दर्ज किया गया था।
- वर्ष 2011 के बाद भारत में पोलियो का कोई मामला दर्ज नहीं किये जाने की वजह से वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया। इसके बाद वर्ष 2014 में भारत को स्पष्ट रूप से पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया।

वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो (Vaccine-derived Polio):

- वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो को पोलियो के नॉन-वाइल्ड (Non-Wild) प्रकार के रूप में जाना जाता है।
- वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (Vaccine-derived Polioviruses- VDPV) पोलियोवायरस का एक दुर्लभ प्रकार है जो ओरल पोलियोवायरस वैक्सीन (Oral Polioviruses Vaccine) में पाए जाने वाले पोलियोवायरस के उत्परिवर्तन (Mutation) से विकसित होता है।
- जब एक बच्चे को टीका (Vaccine) लगाया जाता है, तो कमज़ोर वैक्सीन-वायरस आँत में प्रतिकृति का निर्माण करने बाद रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है, जिससे बच्चे में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।
- अन्य वाइल्ड पोलियोवायरस की तरह इस स्थिति में भी प्रभावित बच्चा छह से आठ सप्ताह की अवधि के लिये वैक्सीन-वायरस का उत्सर्जन करता है।
- अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्सर्जित वैक्सीन-वायरस में से कुछ उत्परिवर्तन की वजह से मूल वैक्सीन-वायरस के समान न रहकर आनुवंशिक रूप से बदल जाते हैं। इसे ही VDPV कहा जाता है।
- हाल ही में फिलीपींस सहित अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पिछले महीने इसके संचरण के मामले की वजह से लगभग दो दशकों के बाद बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है।

ओरल पोलियोवायरस वैक्सीन (Oral Poliovirus Vaccines- OPV)

- OPV पोलियो के उन्मूलन हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे प्रमुख टीका है।
- जिन लोगों को OPV दिया जाता है, वे टीकाकरण के कुछ समय बाद तक इस वायरस का उत्सर्जन करते हैं और दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, विशेष रूप से उन्हें जिन्हें टीका नहीं लगाया गया हो।
- अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में OPV वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो का भी कारण बन सकते हैं।
- पोलियोवायरस के विभिन्न संयोजनों के आधार पर OPV तीन प्रकार के होते हैं- मोनोवैलेंट OPV, बाईवैलेंट OPV एवं ट्राईवैलेंट OPV।
- 2015 में WPV2 के उन्मूलन की घोषणा के बाद दुनिया भर में ट्राईवैलेंट OPV की जगह बाईवैलेंट OPV का प्रयोग किया जा रहा है।
- ट्राईवैलेंट OPV में सभी तीन प्रकार के पोलियोवायरस शामिल होते हैं, जबकि बाईवैलेंट OPV में केवल WPV1 और WPV3 शामिल हैं। बाईवैलेंट OPV का इस्तेमाल शुरू किये जाने के बाद OPV अब WPV2 के खिलाफ सुरक्षा नहीं प्रदान करता है।

नोट :

निष्क्रिय पोलियोवायरस वैक्सीन (Inactivated Poliovirus Vaccine- IPV)

- IPV को 1955 में डॉ. जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया था।
- IPV लोगों को तीनों प्रकार के पोलियोवायरस से बचाता है।
- IPV में लाइव वायरस नहीं होता है। जिन लोगों को यह टीका दिया जाता है, वे वायरस का उत्सर्जन नहीं करने की वजह से दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकते हैं।
- बाईवैलेंट OPV का उपयोग करने वाले देशों में WPV2 से सुरक्षा के लिये IPV की एकल खुराक भी साथ में दी जाती है।
- IPV आँत में बहुत कम स्तर की प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। अत:, जब कोई व्यक्ति IPV से प्रतिरक्षित होने के बाद भी कुछ मामलों में आँत में वायरस के प्रतिकृति का निर्माण एवं तत्पश्चात् उसका उत्सर्जन कर सकता है। इससे वाइल्ड पोलियोवायरस से संक्रमण का खतरा बना रहता है।

अर्द्ध-डाइरेक धातु

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के शोधकर्त्ताओं ने अर्द्ध-डाइरेक (Semi-Dirac) नामक विशेष वर्ग के धातु में विशिष्ट गुणों का पता लगाया है।

प्रमुख बिंदु:

- शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, ये धातुएँ दी हुई आवृत्ति तथा ध्रुवीकरण (Polarization) के प्रकाश (किसी विशेष दिशा में आपतित) के लिये पारदर्शिता प्रकट करती हैं।
- इसके अतिरिक्त जब प्रकाश किरण अलग-अलग दिशा से आपतित होती है तब ये धातुएँ उसी प्रकाश के लिये अपारदर्शी होगी।
- वर्तमान में पारदर्शी संचालन परत हेतु कई प्रकार के अनुप्रयोग विद्यमान हैं, जैसे- मोबाइल में प्रयोग की जाने वाली टच स्क्रीन इसका सामान्य उदाहरण है।
- अध्ययन में पाया गया कि विशिष्ट आवृत्ति तथा ध्रुवीकरण वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों (प्रकाश तरंगों) के लिये अर्द्ध-डाइरेक धातु उच्च प्रकाशीय चालकता (Optical Conductivity) प्रदर्शित करती है।

डाइरेक धातु

- सोना एवं चाँदी जैसी धातुएँ विद्युत की सुचालक होती हैं तथा इनकी सुचालकता व ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की गति पर निर्भर करती है। इसके विपरीत डाइरेक धातु सामान्य धातुओं की तुलना में भिन्न होती हैं व इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण रैखिक गति द्वारा होता है जो कि इनके अद्वितीय गुणों को प्रदर्शित करता है।
- टाइटेनियम ऑक्साइड (Titanium Oxide- TiO_2) और वैनेडियम ऑक्साइड (Vanadium Oxides- V_2O_3) की नैनो संरचना वाले पदार्थ डाइरेक धातुओं के उदाहरण हैं।
- अर्द्ध-डाइरेक धातुएँ एक विशिष्ट दिशा में डाइरेक धातुओं के सामान तथा लंबवत दिशा में सामान्य धातुओं के समान व्यवहार करती हैं।
- किसी भी धातु में समावेशित संवाहकों जैसे इलेक्ट्रॉन आदि का प्रभावी द्रव्यमान जो कि धातु की प्रकृति पर आधारित होता है, धातु की स्वतंत्र अवस्था के द्रव्यमान से अलग होता है।
- इसके अतिरिक्त एक विशिष्ट दिशा में चालकता (Conductivity) हेतु इन धातुओं का प्रभावी द्रव्यमान शून्य हो जाता है।

आवश्यकता

- सामान्य धातुओं की तुलना में इन धातुओं से इलेक्ट्रॉन का वेग (ऊर्जा-संवेग प्रकाश के सरैखिय होने के कारणों) 100 गुना अधिक हो सकता है, अत: डाइरेक धातु से बने उपकरणों में गतिशीलता तथा धारा में वृद्धि की जा सकती है।

नोट :

- अध्ययन से पता चला है कि अर्द्ध-डाइरेक धातु थर्मोइलेक्ट्रिक गुणों को प्रदर्शित कर सकती है।
  - वस्तुत: थर्मोइलेक्ट्रिसिटी (Thermoelectricity) एक स्वच्छ ऊर्जा तकनीक है जो अपशिष्ट ताप का उपयोग कर विद्युत उत्पादन करती है। इस प्रकार की तकनीक वर्तमान में कम उपलब्ध हैं।
  - थर्मोइलेक्ट्रिक्स ऊष्मा से विद्युत रूपांतरण दक्षता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इससे नैनो प्रौद्योगिकी (Nano Technology) तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी (Quantum Technology) को बढ़ावा मिल सकता है।

कटसेक तकनीक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अनुसंधानकर्त्ताओं ने आक्रामक विषम ट्यूमर (Agressive Hetrogenous Tumour) की पहचान हेतु कटसेक (CutSeq) तकनीक विकसित की है।

प्रमुख बिंदु:

- सामान्यतया जब कैंसर कोशिकाएँ विभाजित होती हैं तो उनमें पाई जाने वाली जीन की प्रतियाँ (Copies) अलग-अलग संख्या में होती हैं। इस प्रक्रिया को कॉपी नंबर ऐल्टरेशन (Copy Number Alternation- CNA) कहते हैं।
- शोध के अनुसार, जब एक ही ट्यूमर के अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग CNAs पाए जाते हैं तो ऐसे ट्यूमर आमतौर पर काफी तेजी से बढ़ते हैं और इलाज के बाद पुन: विकसित हो जाते हैं।
- अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा विकसित की गई कटसेक (CutSeq) तकनीक से ट्यूमर के अलग-अलग हिस्सों में CNAs के प्रकार और उनकी संख्या ज्ञात की जा सकती है। इसकी लागत वर्तमान में प्रयुक्त तकनीकों से काफी कम है।
- यह तकनीकी बहुक्षेत्रीय ट्यूमर सिक्वेंसिंग (Multiregion Tumour Sequencing) प्रणाली से विषम कैंसर के मरीजों के इलाज में सहायक होगी।
- इस तकनीक में सिंगल सिक्वेंसिंग एक्सपेरिमेंट (Single Sequencing Experiment) के तहत कैंसर की विषमता और आक्रामकता का विश्लेषण किया जा सकता है।

आक्रामक विषम ट्यूमर (Agressive Hetrogenous Tumour) क्या है ?

- इस तरह के ट्यूमर में कोशिकाओं की रूपात्मक और गुणात्मक प्रोफाइल जैसे कोशिकीय आकृति, जीन अभिव्यक्ति, चयापचय गतिशीलता और प्रसार अलग-अलग होती है। यह अपेक्षाकृत अधिक घातक होता है।

कटसेक (Cut Seq) तकनीक क्या है ?

- इस तकनीक के तहत ट्यूमर के अलग-अलग हिस्सों से DNA लिया जाता है और एकल अनुक्रमण प्रयोग (Single Sequencing Experiment) से ट्यूमर की विषमता का पता लगाया जाता है।
- इस प्रक्रिया के अंतर्गत मरीज के शरीर में कई ट्यूमर या एक ही ट्यूमर के अलग-अलग हिस्सों से लिये गए DNA जिनमें यूनिक मोलेक्यूलर बारकोड्स (Unique Moleculer Barcodes) होते हैं, की सहायता से एक विस्तृत विश्लेषण किया जाता है।

यूनिक मोलिक्यूलर बारकोड्स (Unique Moleculer Barcodes)

- मोललिक्यूलर बारकोड वो आणविक 'टैग' है जो DNA के हिस्सों में जोड़े जाते हैं और इकट्ठे किये गए DNA, अणुओं (Molecules) की पहचान में सहायक होते हैं।

नोट :

इंडीजेन जीनोम परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (The Council of Scientific & Industrial Research-CSIR) द्वारा इंडीजेन जीनोम परियोजना (IndiGen Genome Project) के तहत 1000 से अधिक लोगों के जीनोम अनुक्रमण (Genome Sequencing) का अध्ययन किया।

प्रमुख बिंदु

- अप्रैल, 2019 में शुरू हुई इंडीजेन जीनोम परियोजना को सी.एस.आई.आर.– जिनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान दिल्ली (CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology - IGIB) तथा कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र, हैदराबाद (CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology, CCMB) द्वारा लागू किया गया है।
- इस परियोजना के दो प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-
  - शीघ्रता एवं विश्वसनीयता के साथ विभिन्न प्रकार के जीनोम की मैपिंग (Genome Mapping) करना तथा लोगों को उनके जीन में उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में सलाह देना।
  - बीमारी से जुड़े हुए जीनों की भिन्नता तथा आवृत्ति को समझना।
- इस परियोजना के माध्यम से जीनोम डाटा से उपचार व रोकथाम के लिये सटीक दवाएँ विकसित करने की क्षमता बढ़ेगी जिसके द्वारा कैंसर तथा अन्य दुर्लभ आनुवांशिक रोगों का निदान संभव होगा।
- इंडीजेन (IndiGen) के परिणामों का उपयोग जनसंख्या के स्तर पर 'आनुवांशिक विविधता' (Genome Variation) को समझने तथा नैदानिक अनुप्रयोग हेतु आनुवांशिक रूपांतर उपलब्ध कराने के लिये किया जाएगा जो आनुवांशिक रोगों के कारणों व प्रकृति को समझने में सहायक होगा।

बेंडेबल प्रकाश किरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन के अनुसंधानकर्त्ताओं ने प्रकाशिक संचार के लिये पारंपरिक गौसियन किरणों (Gausean Beams) के स्थान पर बेंडेबल प्रकाश किरण (Bendable Light Beam) की खोज की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- बेंडेबल प्रकाश किरणों का प्रयोग प्रकाशीय परिचालन (Optic Manipulation), प्रकाशीय प्रतिबिंबन (Optic Imaging),पथ-निर्धारण (Routing), माइक्रो मशीनी कार्यों (Micromachining), अरेखीय प्रकाशीय कार्यों (Non Linear Optics) में किया जा सकता है।
- शोध में बेंडेबल प्रकाश संचार की अन्य कार्य क्षमताओं का भी विश्लेषण किया गया जिनमें अवरोधों को पार करना (Bypass Obstruction), संचरण (Transmission), स्व-उपचार (Self Healing), स्व-विघटन प्रक्षेपवक्र संचरण (Self Broken Trajectory Transmission), बहु ग्राह्य संचरण (Multi Reciever Transmission) आदि शामिल हैं।
- इससे पूर्व पारंपरिक मुक्त क्षेत्र प्रकाशिक संचार में ट्रांसमीटर (Transmitter) और रिसीवर (Reciever) को जोड़ने वाला प्रकाशीय पथ हमेशा सरल रेखीय होता था। जिसमें अवरोध संचार को असफल कर देता था।
- उल्लेखनीय है कि बेंडेबल प्रकाश किरणों के प्रयोग से अवरोधों के बावजूद संचार आसानी से किया जा सकता है। ये किरणें अवरोधों के इर्द-गिर्द से या उसे पार करके, अपने वेवफ्रंट (Wavefront) को पुर्ननिर्मित कर लेती हैं।
- स्व-उपचार की क्षमता के कारण ये किरणें एक से अधिक उपयोगकर्त्ताओं को सूचनाएँ प्रदान करने में सक्षम होती हैं।
- इन किरणों के स्व-विघटन के गुण के कारण अवांछनीय उपयोगकर्त्ताओं से बचा जा सकता है।
- मुक्त क्षेत्र डाटा वाहक बेंडेबल प्रकाश संचार (Free Space Data Carrying Bendable Light Communication), संचार प्रणाली को अपेक्षाकृत लचीला, मज़बूत और बहुआयामी बनाता है।

नोट :

बेंडेबल प्रकाश किरण क्या है ?

बेंडेबल प्रकाश किरण वो विद्युतचुम्बकीय (Electromagnetic) तरंगें हैं जो वक्रीय प्रक्षेपवक्र (Curved Trajectory) का अनुसरण करती है।

जैमिनी

चर्चा में क्यों ?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 9 अक्तूबर, 2019 को गगन आधारित समुद्री संचालन और जानकारी- जैमिनी (Gagan Enabled Mariner's Instrument for Navigation and Information-GEMINI) उपकरण लॉन्च किया।

उद्देश्य:

- आपदा संबंधी चेतावनी, आपातकालीन जानकारी और संचार तथा मछुआरों के लिये चेतावनी एवं संभावित मत्स्यपालन क्षेत्रों (Potential Fishing Zones- PFZ) की पहचान करना।
- मछुआरों की आजीविका बढ़ाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और मछली पकड़ने की योजना बनाने में सहायता करना।
- आपातकालीन स्थितियों जैसे चक्रवात के समय सूचनाओं का प्रसार करना।

कार्यप्रणाली

- जैमिनी उपकरण, गगन उपग्रह से प्राप्त डाटा को ब्लूटूथ संचार द्वारा मोबाइल तक पहुँचाएगा क्योंकि तट से अधिक दूर जाने पर मछुआरों का मोबाइल नेटवर्क से संपर्क टूट जाता है।
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन से इस सूचना को 9 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।
- जैमिनी उपकरण के संचालन के लिये गगन प्रणाली के तीन भू-समकालिक उपग्रहों (GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15) का प्रयोग किया जाएगा।
- इसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS):

- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।
- INCOIS का मुख्य अधिदेश महासागर का अवलोकन कर इससे संबंधित जानकारियों को जनसामान्य के लिये सुलभ बनाना है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI):

- यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 'राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण' और 'अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण' का विलय करके किया गया था।

शनि के नए उपग्रह

चर्चा में क्यों ?

20 नए उपग्रहों की खोज के बाद अब शनि ग्रह के 82 उपग्रह हो गए हैं।

नए उपग्रहों

- शनि अब सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है। इस खोज के पहले तक सौरमंडल में सबसे अधिक 79 उपग्रह बृहस्पति ग्रह के थे।
- खोजे गए 20 नए उपग्रह मिमिस्क्यूल (Minuscule) हैं और इनका अधिकतम व्यास लगभग 5 किमी. है।

नोट :

- इन नए उपग्रहों में से 17 उपग्रह, ग्रह के विपरीत या प्रतिगामी दिशा में परिक्रमण कर रहे हैं।
- ये उपग्रह शनि से इतनी दूर हैं कि इनको ग्रह की एक बार परिक्रमा करने में 2 से 3 वर्ष का समय लगता है।

कैसे खोजे गए उपग्रह ?

- वैज्ञानिकों की टीम ने हवाई द्वीप पर स्थित दूरबीन के माध्यम से एक विस्तृत विश्लेषण के बाद इन उपग्रहों की खोज की।
- वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी 100 से अधिक आकर के उपग्रह शनि ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं लेकिन इनको खोजा नहीं जा सका है।

माइक्रोबियल ईंधन सेल

चर्चा में क्यों ?

माइक्रोबियल ईंधन सेल (Microbial Fuel Cells) ऐसे उपकरण हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में जीवाणुओं का एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं।

वर्तमान घटनाक्रम

- ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन (Zoological Society of London) के अनुसार, लंदन स्थित चिड़ियाघर में एक मैडेनहेयर फर्न (Maidenhair Fern) ने अपनी स्वयं की सेल्फी लेनी शुरू कर दी।
- यह घटना पौधों की पावर कैमरा ट्रैप (Power Camera Traps) और सेंसरों के प्रति संवेदनशीलता से हुई।

कैसे कार्य करता है ?

- पौधे स्वाभाविक रूप से बायोमैटर (Biomatter) एकत्र करते हैं जिसे मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया उपयोग में लाते हैं। इस बायोमैटर से ऊर्जा उत्पन्न होती है।
- इस ऊर्जा को ईंधन सेल (Fuel Cell) के माध्यम से सेंसर, निगरानी प्लेटफॉर्मों और कैमरा ट्रैप सहित महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों के लिये उपयोगी बनाया जा सकता है।

लाभ:

- इस प्रकार के नवाचार से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है।

स्किन-ऑन इंटरफेस

चर्चा में क्यों ?

यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के शोधकर्त्ताओं ने टेलीकॉम पेरिस टेक (Telecomm ParisTech) और फ्राँस की सोरबोन यूनिवर्सिटी (Sorbonne University) के साथ मिलकर एक स्किन-ऑन इंटरफेस (Skin-On Interfac) विकसित किया है, जो मानव त्वचा की बनावट एवं उसकी क्षमता (संवेदनशीलता) की नकल करता है।

इंटरफेस की बनावट ?

- इंटरफेस सिलिकान झिल्ली की परतों से बना है। इसलिये यह फोन के हार्ड केसिंग (Hard Casing) की तुलना में अधिक व्यावहारिक है और उपयोगकर्त्ताओं द्वारा किये गए संकेत को समझ सकता है।

कार्यप्रणाली

- कृत्रिम त्वचा इस उपकरण के माध्यम से उपयोगकर्त्ता के स्पर्श को स्थान (Location) एवं दबाव (Pressure) के साथ समझ लेती है।

संभावनाएँ

- इस प्रकार का शोध फोन, विअरेबल्स (Wearables) और कंप्यूटर जैसे इंटरैक्टिव उपकरणों में प्रयुक्त होने वाली स्पर्श प्रौद्योगिकी (Touch Technology) को अधिक विकसित कर सकता है।

नोट :

स्मार्ट ड्रैगन

चर्चा में क्यों ?

चीन ने वाणिज्यिक वाहक रॉकेटों (Commercial Carrier Rockets) की नई पीढ़ी स्मार्ट ड्रैगन (Smart Dragon-SD) का अनावरण किया है।

विशेषताएँ

- ठोस ईंधन द्वारा संचालित इस रॉकेट के माध्यम से 1.5 टन तक के पेलोड को प्रक्षेपित किया जा सकता है।
- स्मार्ट ड्रैगन रॉकेट, स्मार्ट ड्रैगन-1, 2, 3 लॉन्च वाहनों से बना है।

वित्तीयन

- वाणिज्यिक रॉकेटों के अनुसंधान के क्षेत्र में चीन नवाचार और क्षमता निर्माण तथा पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहनों के विकास के लिये चरणबद्ध तरीके से जनता से 10 बिलियन युआन जुटाएगा।

उद्देश्य

- इस रॉकेट के अनावरण का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाना है।

भारत के लिये चिंताएँ

- कुछ दिनों पहले भारत ने 104 उपग्रहों का एक साथ सफल प्रक्षेपण किया था। वर्तमान में भारत वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग चीन से बेहतर स्थिति में है।
- चीन के इस प्रकार के परीक्षण से भारत के लिये कठिन चुनौती उत्पन्न होगी।

ब्रह्मोस मिसाइल

भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस यूनिट ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के ट्राक द्वीप (Trak Island) से सतह-से-सतह पर मार करने वाली दो ब्रह्मोस मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण

ब्रह्मोस, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) तथा रूस के NPOM का एक संयुक्त उपक्रम है।

ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण

- इसका नामकरण भारत की 'ब्रह्मपुत्र' और रूस की 'मोसकवा' नदियों के नाम पर किया गया है।

ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएँ

- ब्रह्मोस का वजन 2.5 टन है और Su-30 MKI लड़ाकू विमान पर तैनात किया जाने वाला सबसे भारी हथियार है।
- वर्तमान में यह 2.8 मैक की गति के साथ सबसे तेज़ी से संचालित क्रूज़ मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है।
- यह "दागो और भूल जाओ" सिद्धांत पर काम करती है अर्थात् दागने के बाद इसके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है।
- ब्रह्मोस को किसी भी मौसम में भूमि, वायु और समुद्र से सटीकता से दागा जा सकता है।

ब्रह्मोस मिसाइल के अन्य संस्करण

- इससे पहले भारतीय वायुसेना द्वारा पोखरण में ब्रह्मोस मिसाइल के भूमि संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है।
- मई 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रंटलाइन Su-30MKI लड़ाकू विमान से इसके हवाई संस्करण का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है।

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

एशिया का सबसे पुराना बाँस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम को बाँस के तनों के दो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जिनका नाम बम्बूसिकुलम्स तिरापेंसिस (Bambusiculmus Tirapensis) तथा बी. माकूमेंसिस (B. Makumensis) रखा गया है।

प्रमुख बिंदु:

- असम में माकुम कोयला क्षेत्र (Makum Coalfield) के तिरप खदान (Tirap mine) में पाए जाने के कारण इनका नाम बम्बूसिकुलम्स तिरापेंसिस तथा बी. माकूमेंसिस रखा गया है।
- ये जीवाश्म लगभग 25 मिलियन साल पूर्व ओलिगोसिन काल से संबंधित हैं।
- चीन के युन्नान प्रांत (Yunnan Province) में बाँस की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, लेकिन इस क्षेत्र का सबसे पुराना जीवाश्म 20 मिलियन वर्ष पुराना है।
  - इससे स्पष्ट होता है कि एशियाई बाँस भारत में पैदा हुआ था तथा उसके बाद चीन में ले जाया गया।
  - यह खोज इस सिद्धांत को और मज़बूत करती है कि एशिया में बाँस भारत से आया था न कि यूरोप से।
- शोधकर्त्ताओं को बाँस के दो पत्तों के जीवाश्म भी प्राप्त हुए जो कि नई प्रजातियों बम्बूसियम डियोमैरेंस (Bambusium Deomarense) तथा बी.अरुणाचलेंस (B. Arunachalense) से संबंधित हैं। ये जीवाश्म लगभग 10 मिलियन वर्ष पुराने हैं।
- अरुणाचल प्रदेश के दोइमारा क्षेत्र (Doimara Region) में पाए जाने के कारण इनका नाम बम्बूसियम डियोमैरेंस तथा बी. अरुणाचलेंस रखा गया है।

सुंदरबन के निम्नीकृत भागों का जैव-पुनर्स्थापन

चर्चा में क्यों ?

पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं के एक दल द्वारा सुंदरबन के मैंग्रोव क्षेत्रों में लगातार हो रहे निम्नीकरण के प्रमुख कारणों की पहचान कर उनके लिये पुनर्स्थापन रणनीतियों को तैयार किया जा रहा है।

जैव-पुनर्स्थापन के लिये किये गए उपाय:

- शुरूआत में शोधकर्त्ताओं ने घास के चार देशी लवण-सहिष्णु (Salt-Tolerant) किस्मों को लगाकर पुनर्स्थापन के स्थल को स्थायित्व प्रदान किया। वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि में इस प्रकार की घासों को उगाये जाने से निम्नीकृत हो चुके लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र में सुधार देखने को मिला।
- शोधकर्त्ताओं ने निम्नीकृत भूमि को समृद्ध बनाने के लिये देशज पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाले बैक्टीरिया का उपयोग किया।
- घास का राइजोस्फीयर [राइजोस्फीयर (Rhizosphere) मिट्टी का संकीर्ण क्षेत्र होता है जो जड़ स्रावों से सीधे प्रभावित होता है] मैंग्रोव को एक पोषक वातावरण प्रदान करता है क्योंकि यह मूल-क्षेत्र के (Root Zone) रोगाणुओं को विघटित कर कीचड़नुमा मिट्टी में अधिक पोषक तत्त्वों के उत्सर्जन में मदद करता है इसके अलावा यह उच्च ऊर्जा वाली समुद्री तरंगों/लहरों से मृदा के क्षरण को भी रोकती है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा स्थानीय किस्मों के एक ऑन-साईट (On-Site) मैन्ग्रोव नर्सरी की स्थापना कर निम्नीकृत क्षेत्रों में मैंग्रोव प्रत्यारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

नोट :

आगे की राह

- भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन यूनेस्को (UNECSO) के अंतर्गत शामिल एक विश्व विरासत स्थल है। ऐसे में इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिये यूनेस्को की तकनीकी एवं वित्तीय सुविधाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- सुंदरबन को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया जाना एक सकारात्मक कदम है। यह कन्वेंशन वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढाँचा उपलब्ध कराता है।
- सुभेद्यता के अनुसार सुंदरवन को विभिन्न उपक्षेत्रों में विभाजित कर प्रत्येक के लिये एक निर्देशित समाधान कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिये।
- इस क्षेत्र में नदियों के अलवणीय जल की मात्रा में वृद्धि के उपाय किये जाने चाहिये।
- मानवीय कारणों से होने वाले निम्नीकरण को रोकने के लिये-
  - स्थानीय समुदायों को जागरूक करना एवं उनकी समस्याओं के लिये वैकल्पिक समाधानों को लागू करना।
  - सामान्य पर्यटन की जगह जैव-पर्यटन (Eco-Tourism) को बढ़ावा देना।
  - वनोन्मूलन (Deforestration) पर रोक एवं वनीकरण को बढ़ावा देना।
  - संकटग्रस्त जीवों एवं वनस्पतिओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना।
  - जैव-तकनीक के माध्यम से मैंग्रोव का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन।

जलवायु सुभेद्यता मानचित्र

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार द्वारा जल्द ही भारत का जलवायु सुभेद्यता मानचित्र जारी किया जाएगा।

संदर्भ:

बढ़ते समुद्र के स्तर, चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती संख्या, शहरी बाढ़, बदलते तापमान और वर्षा के पैटर्न न केवल तटीय या पहाड़ी क्षेत्रों बल्कि देश के कई हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के बदलते स्वरूप और प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ऐसे परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली चुनौती से निपटने हेतु समुदायों और लोगों को तैयार करने के लिये, किसी राज्य या ज़िले के संदर्भ में विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के ऐसे प्रभाव एक समान नहीं होते हैं। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिये एक अखिल भारतीय जलवायु सुभेद्यता मूल्यांकन मानचित्र विकसित किया जा रहा है।
- इस मानचित्र का विकास केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (Department of Science and Technology-DST) और 'स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन' (Swiss Agency for Development and Cooperation-SDC) की एक संयुक्त परियोजना के तहत किया जा रहा है।
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 राज्यों के लिये इस तरह की जलवायु सुभेद्यता मानचित्र को पहले से ही एक सामान्य ढाँचे का उपयोग करते हुए विकसित किया जा चुका है।
- मार्च 2019 में जारी पहाड़ी राज्यों के सुभेद्यता मानचित्र में दर्शाया गया है कि यद्यपि सभी हिमालयी राज्य सुभेद्य हैं, असम और मिज़ोरम की स्थिति इनमें सर्वाधिक खराब है।
- अब इस पद्धति को गैर-हिमालयी राज्यों तक विस्तारित किया जाएगा ताकि भारत के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की जलवायु सुभेद्यता रुपरेखा तैयार कि जा सकें। वर्ष 2020 के मध्य तक इस मानचित्र के तैयार होने की उम्मीद है।
- सुभेद्यता का आकलन करने के लिये एक सामान्य पद्धति का उपयोग करना योजना अनुकूलन रणनीतियों के लिये महत्त्वपूर्ण है। यह राज्य या ज़िले को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाने वाले कारकों की पहचान करने में भी मदद करता है।
- राज्यों के परामर्श से विकसित हिमालयी क्षेत्र के मानचित्र में ज़िला स्तर तक का विवरण शामिल किया गया है। राष्ट्रीय मानचित्र के संदर्भ में भी इसी रणनीति को अपनाया जाएगा क्योंकि किसी राज्य के भीतर/की सुभेद्यता एक क्षेत्र या ज़िले में दूसरे से भिन्न हो सकती है। इसके लिये पूरे देश के 650 ज़िलों की सुभेद्यता-रूपरेखा और रैंकिंग के लिये संकेतकों के एक सामान्य सेट का उपयोग किया जाएगा।

नोट :

- अभी तक DST के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem- NMSHE) और जलवायु परिवर्तन के लिये रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change- NMSKCC) को लागू किया जा रहा था।
- अनुसंधान के लिये चिह्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में हिमनद विज्ञान (Glaciology), जलवायु मॉडलिंग (Climate Modeling), नगरीय जलवायु, चरम घटनाएँ और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन शामिल है।
- जलवायु जोखिम (Climate Risk) खतरा (Hazard), अनावृति (Exposure) और सुभेद्यता (Vulnerability) की परस्पर क्रिया है।
- पर्यावरणविदों के अनुसार भूस्खलन, सूखे और बाढ़ जैसे प्राकृतिक खतरों की घटनाओं के बढ़ने का अनुमान है, ऐसी घटनाओं का प्रभाव लोगों की उपस्थिति और ऐसे क्षेत्रों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकने वाले बुनियादी ढाँचे या जलवायु-संवेदनशील आजीविका जैसे अनावृति (Exposure) के स्तर पर निर्भर करता है।
- सुभेद्यता का संबंध प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की प्रवृत्ति से है और इसे जैव-भौतिक (Biophysical) और सामाजिक-आर्थिक कारकों दोनों के संदर्भ में मापा जा सकता है। सुभेद्यता को संबोधित करने से जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
- सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों के संदर्भ में सुभेद्यता के प्रमुख निर्धारक:
  - जनसंख्या घनत्व
  - सीमांत किसानों का प्रतिशत
  - मानव अनुपात के लिये पशुधन
  - प्रति व्यक्ति आय
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
  - समग्र कार्यबल में महिलाओं का प्रतिशत
- कृषि उत्पादन की संवेदनशीलता के प्रमुख संकेतक:
  - सिंचाई के तहत प्रतिशत क्षेत्र
  - उपज परिवर्तनशीलता
  - बागवानी फसलों के तहत प्रतिशत क्षेत्र
- कुछ राज्यों ने पहले से ही राज्य की जलवायु संबंधी कार्य योजनाओं को संसोधित करने और अनुकूलन परियोजनाओं को विकसित करने के संदर्भ में सुभेद्यता मूल्यांकन रिपोर्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिये-
  - मिज़ोरम ने मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर एक राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है।
  - पश्चिम बंगाल ने स्प्रिंगशेड प्रबंधन परियोजना स्थलों (Springshed Management Project Sites) को प्राथमिकता देने के लिये जलवायु सुभेद्यता मानचित्र को इनपुट के रूप में प्रयोग करते हुए एक निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित की है।

सुभेद्यता (Vulnerability)

सुभेद्यता प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों के प्रभाव का सामना करने, प्रतिरोध करने और उससे उबरने के लिये किसी व्यक्ति या समूह की कम क्षमता से संबंधित एक सापेक्ष तथा गतिशील अवधारणा है।

एक्सपोज़र (Exposure)

एक्सपोज़र का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है, जब व्यक्ति या समूह किसी खतरनाक या अप्रिय संभावना से सुरक्षित नहीं होते हैं।

संवेदनशीलता (Sensitivity)

संवेदनशीलता से तात्पर्य उस डिग्री (Degree) से है जिस पर कोई प्रणाली जलवायु संबंधी उत्तेजनाओं द्वारा प्रतिकूल या लाभकारी रूप से प्रभावित होती है।

नोट :

अनुकूलक क्षमता (Adaptive Capacity)

संभावित नुकसान को समायोजित करने, अवसरों का लाभ उठाने या परिणामों से निपटने के लिये संस्थानों, प्रणालियों और व्यक्तियों की सामान्य क्षमता।

एलीफैंट एंडोथिलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क (Nandankanan zoological park) में एलीफैंट एंडोथिलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस (Elephant Endotheliotropic Herpes Viruses- EEHV) के कारण पाँच हाथियों की मृत्यु हो गई।

एलीफैंट एंडोथिलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस (EEHV):

- एलिफेंट एंडोथिलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस (EEHV) को एलिफेंटिड बेटाहैरपिसवायरस-1, ईआईएचबी-1 (Elephantid betaherpesvirus-1,ElHV-1) के रूप में भी जाना जाता है।
- EEHV एक प्रकार का हर्पीस वायरस है जो युवा एशियाई हाथियों में अत्यधिक घातक रक्तस्रावी बीमारी का कारण बन सकता है।

बीमारी:

- यह बीमारी आमतौर पर 1 वर्ष से 12 वर्ष तक के युवा हाथियों के लिये अधिक घातक है।
- इस बीमारी से अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव होता है जो मृत्यु का कारण बनता है।
- शोधकर्त्ताओं का कहना है कि इससे ग्रसित कुछ हाथियों में भूख कम लगना, नाक से पानी निकलना और सूजी हुई ग्रंथियाँ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
- जानवरों या मनुष्यों में हर्पीस वायरस का कोई सही इलाज नहीं है क्योंकि हर्पीस वायरस गुप्त रूप में (Latent) होते हैं।
- इस बीमारी की अवधि कम होती है, इसका तात्पर्य है कि संदिग्ध EEHV मामला होने पर जल्द-से-जल्द उपचार कराना आवश्यक है।

नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क (Nandankanan zoological park):

- नंदनकानन जिसका शाब्दिक अर्थ है गार्डन ऑफ हेवन (The Garden of Heaven), जो भुवनेश्वर, ओडिशा के पास स्थित है।
- देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत, नंदनकानन पार्क जंगल के अंदर बना है और पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में स्थित है।
- यह व्हाइट बैक्ड गिद्धों (White-Backed Vulture) को संरक्षण प्रदान करता है।
- यह व्हाइट टाइगर (White Tiger) तथा मेलेनिस्टिक टाइगर (Melanistic Tiger) के प्रजनन के लिये विश्व में पहला चिड़ियाघर है।
- यह विश्व में भारतीय पैंगोलिन (Indian Pangolin) को संरक्षण प्रदान करने वाला एकमात्र केंद्र है।
- यह भारत में एकमात्र जूलॉजिकल पार्क है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ़ ज़ूज़ एंड एक्वेरियम (World Association of Zoos and Aquarium- WAZA) का एक संस्थागत सदस्य है।
- विश्व में पहली बार 1980 में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ने घड़ियालों को कैद करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

चिंता का विषय:

- यदि जंगल में हाथी इस वायरस से ग्रसित हो जाते हैं, तो उपचार करना अत्यंत कठिन होगा।
- यदि एक युवा हाथी प्रजनन करने से पहले मर जाता है, तो यह पारिस्थितकीय रूप से संपूर्ण प्रजाति को प्रभावित कर सकता है।
- राज्य के प्रत्येक हाथी को ट्रैक करना और परीक्षण करना बेहद कठिन होगा कि क्या वे EEHV से ग्रसित हैं या नहीं।

नोट :

रातापानी टाइगर रिजर्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित रातापानी टाइगर रिज़र्व (Ratapani Tiger Reserve) के कोर और बफर क्षेत्रों की स्थिति को अंतिम रूप देने के लिये गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

पृष्ठभूमि

- मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया था, इसके लिये राज्य को 11 साल पहले ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority-NTCA) से अनुमोदन प्राप्त हो गया था।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है।
- वर्ष 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों में संशोधन कर बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। प्राधिकरण की पहली बैठक नवंबर 2006 में हुई थी।

रातापानी टाइगर रिज़र्व

- यह अभयारण्य मध्य प्रदेश के भोपाल-रायसेन वन प्रभाग में 890 वर्ग किमी. में फैला हुआ है।
- अभयारण्य में लगभग 40 बाघों की आबादी है। इसके अलावा भोपाल के वन क्षेत्र में करीब 12 बाघों की आवाजाही बताई गई है। इस पूरे क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित करने के लिये एक साथ जोड़ा जाएगा।
- रायसेन, सीहोर और भोपाल ज़िलों का लगभग 3,500 वर्ग किमी. का क्षेत्र इसी अभयारण्य के लिये आरक्षित किया गया है। इसके साथ ही 1,500 वर्ग किमी. को कोर क्षेत्र के रूप में, जबकि 2,000 वर्ग किमी. को बफर जोन (Buffer Zone) के रूप में नामित किया जाएगा।
- बाघ अभयारण्य के रूप में इस अभयारण्य की घोषणा से क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध शिकार की समस्या का सामना कर रहे बाघों के बेहतर संरक्षण में मदद मिलेगी।

भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक

चर्चा में क्यों ?

घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों के कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के लिये भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक जल्द ही मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- इसकी स्थापना के लिये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) और भोपाल नगर निगम (Bhopal Municipal Corporation- BMC) के बीच समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding- MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।
- यह तीन महीने की पायलट परियोजना है। अगर यह सफल होती है, तो इसे पूरे देश में लागू किया जायेगा।
- इलेक्ट्रॉनिक कचरे को या तो डोर-टू-डोर एकत्रित किया जाएगा या व्यक्तियों द्वारा सीधे क्लिनिक में जमा कराया जा सकता है।
- CPCB इस परियोजना में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा तथा एकत्र कचरे को फिर से रीसाइक्लिंग के लिये बेंगलूरू भेजा जाएगा।
- यह घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक हैंडलिंग और निपटान को सुनिश्चित करेगा।
- क्लिनिक की परिकल्पना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 (Solid Waste Management Rules, 2016) के अनुपालन में की जा रही है।

नोट :

- ये नियम कचरे के स्रोत स्तर पर ही कचरे के पृथक्करण पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं।
- वर्तमान में एक सुरक्षित निपटान तंत्र की अनुपस्थिति के कारण, अन्य घरेलू कचरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का निपटान करना जटिल बनता जा रहा है, अत: ऐसे क्लिनिक को स्थापित करना आवश्यक है जिससे कुशलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को अलग किया जा सके।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: (Central Pollution Control Board- CPCB):

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।

ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार गुजरात से दिल्ली-हरियाणा सीमा तक 1,400 किमी. लंबी और 5 किमी. चौड़ी हरित पट्टी (Green Belt) बनाने की महत्त्वाकांक्षी योजना पर विचार कर रही है।

प्रमुख बिंदु:

- यह योजना वर्ष 2007 से लागू अफ्रीका की 'ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना' (Great Green Wall Project) से प्रेरित है, जिसमें सेनेगल (Senegal) से जिबूती (Djibouti) तक एक 'ग्रीन वॉल' का निर्माण किया जा रहा है।
- भारत की ग्रीन वॉल का उद्देश्य बढ़ते भूमि क्षरण और थार रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को रोकना है।
- यह हरित पट्टी पोरबंदर से पानीपत तक बनाई जाएगी जो अरावली पर्वत में वनीकरण के माध्यम से निम्नीकृत भूमि के पुनर्निर्माण में सहायक होगी।
- यह पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के रेगिस्तान से आने वाली धूल के लिये एक अवरोधक के रूप में भी कार्य करेगी।
- भारत ने भूमि पुनर्स्थापना के लक्ष्यों को प्राथमिक स्तर पर रखा है जिसके अंतर्गत भारत का प्रयास वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को पुनर्स्थापित करना है।

अरावली पर्वत श्रृंखला:

- अरावली क्षेत्र की पहचान उन प्रमुख निम्नीकृत भूमि वाले क्षेत्रों में से की गई है जिन्हें वर्ष 2030 तक पुनर्स्थापित किया जाना है।
- वर्तमान में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र (328.7 मिलियन हेक्टेयर) का 29.3% भाग (96.4 मिलियन हेक्टेयर) निम्नीकृत है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) की 2016 की एक रिपोर्ट (The desertification and land degradation atlas of India) में यह संकेत दिया था कि दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में 50% से अधिक भूमि का क्षरण पहले ही हो चुका है।

अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना (Great Green Wall of Africa Project):

- इसका उद्देश्य अफ्रीका की निम्नीकृत भूमि का पुनर्निर्माण करना तथा विश्व के सर्वाधिक गरीब क्षेत्र, साहेल (Sahel) में निवास करने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाना है।
- योजना के पूर्ण हो जाने पर यह वॉल पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना होगी।
- इस परियोजना को अफ्रीकी संघ द्वारा UNCCD, विश्व बैंक और यूरोपीय आयोग सहित कई भागीदारों के सहयोग से शुरू किया गया था।

नोट :

- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़- 14 (UN Convention to Combat Desertification-UNCCCD, COP14) के दौरान अफ्रीकी देशों ने वर्ष 2030 तक महाद्वीप के साहेल क्षेत्र में योजना को लागू करने हेतु वित्त के संदर्भ में वैश्विक समर्थन की मांग की थी।
- अफ्रीकी देशों के प्रयासों के अतिरिक्त COP14 में शांति वन पहल (Peace Forest Initiative-PFI) की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि क्षरण के मुद्दे को संबोधित करना है। शांति वन पहल पेरू और इक्वाडोर के बीच स्थापित पीस पार्क (Peace Park) पर आधारित है।

साहेल क्षेत्र (Sahel Region):

- साहेल पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र (Semiarid Region) है जो पूर्व सेनेगल (Senegal) से सूडान (Sudan) तक फैला हुआ है।
- यह उत्तर में शुष्क सहाराई रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र का निर्माण करता है।

फोटोकैटलिस्ट

चर्चा में क्यों ?

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं शोध संस्थान (Indian Institute of Science Education and Research- IISER) पुणे के शोधकर्त्ताओं ने अस्थिर पेरोवस्किट (Perovskite) को स्थिर फोटोकैटलिस्ट (Photocatalyst) में बदलने में सफलता हासिल की है।

फोटोकैटलिस्ट (Photocatalyst)

- फोटोकैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश को अवशोषित करके इसके उच्च ऊर्जा स्तर में वृद्धि करता है तथा रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से कुछ प्रतिक्रियाशील पदार्थ उत्सर्जित करता है।

पेरोवस्किट (Perovskite)

- पेरोवस्किट एक कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड खनिज है।
- ये सिंथेटिक यौगिक होते हैं जिनमें एक ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल (Orthorhombic Crystal) संरचना होती है।

प्रमुख बिंदु

- इस फोटोकैटलिस्ट को कार्बनिक-अकार्बनिक पेरोवस्किट के नैनो क्रिस्टलों से संश्लेषित किया गया है।
- पेरोवस्किट नैनो क्रिस्टलों की हाइड्रोफोबिक प्रकृति का उपयोग करके फोटोकैटलिस्ट को अधिक रासायनिक स्थिरता प्रदान की गई है।
- इस फोटोकैटलिस्ट के सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर इसके नैनो क्रिस्टल पानी में इलेक्ट्रॉनों को निर्मुक्त करते हैं जिससे हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स (Hydroxyl Radicals) उत्पन्न होते हैं, ये रेडिकल्स कार्बनिक प्रदूषकों को विघटित कर देते हैं।
- मिथाइल ऑरेंज (Methyl Orange), मिथाइल रेड (Methyl Red) और नाइट्रोफ्यूराज़ोन एंटीबायोटिक (Nitrofurazone Antibiotic) जैसे प्रदूषकों पर इस फोटोकैटलिस्ट का परीक्षण किया गया।
- फोटोकैटलिस्ट का उपयोग ज़हरीले कार्बनिक प्रदूषकों जैसे-एंटीबायोटिक्स और डाई आदि के क्षरण के लिये किया जा सकता है। यह प्रदूषित जल को स्वच्छ जल में बदलने का एक लागत प्रभावी तरीका होगा।

गंगा डॉल्फिन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (World Wide Fund for Nature-India) द्वारा गंगा डॉल्फिन की वार्षिक जनगणना शुरू की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस गणना को ऊपरी गंगा के लगभग 250 किलोमीटर तक के क्षेत्र यानी हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और नारायण रामसर साइट के बीच बिजनौर से शुरू किया गया।
- डॉल्फिन की गणना के लिये प्रत्येक वर्ष जहाँ प्रत्यक्ष गणना पद्धति (Direct Counting Method) का उपयोग किया जाता था, वहीं इस वर्ष अग्रानुक्रम नाव सर्वेक्षण (Tandem Boat Survey) पद्धति का उपयोग किया जा रहा है।
  - इस पद्धति से लुप्तप्राय प्रजातियों की अधिक सटीक गणना हो सकेगी।

गंगा नदी डॉल्फिन

- गंगा डॉल्फिन गंगा-ब्रह्मपुत्र-सिंधु-मेघना नदी अपवाह तंत्र जिसमे भारत, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं में पाई जाती है।
- भारत में ये असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है।
- गंगा, चम्बल, घाघरा, गण्डक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र इनकी पसंदीदा अधिवास नदियाँ हैं।
- अलग-अलग स्थानों पर सामान्यत: इसे गंगा नदी डॉल्फ़िन, ब्लाइंड डॉल्फ़िन, गंगा सुसु, हिहु, साइड-स्विमिंग डॉल्फिन, दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन, आदि नामों से जाना जाता है।
- इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गैंगेटिका (Platanista Gangetica) है।
- यह केवल ताजे जल में ही पायी जाती हैं।
- यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
- यह CITES के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है तथा IUCN की लुप्तप्राय (Endangered) सूची में शामिल है।

वर्ल्ड वाइल्डलाईफ फंड

- वर्ल्ड वाइल्डलाईफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है।
- इसका स्थापना वर्ष 1961 में स्विट्ज़रलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में हुई थी।
- यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण शोध एवं पुनर्स्थापना के लिये कार्य करता है।
- भारत में भी वर्ल्ड वाइल्डलाईफ फंड इंडिया (World WildLife Fund india) कार्यरत है।

डॉल्फिन के लिये खतरे

- जल प्रदूषण के रूप में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, औद्योगिक प्रदूषण, मछली पकड़ने वाले जाल, नदियों में गाद का जमा होना, तेल प्राप्त करने के लिये इनका शिकार करना, आदि इनकी उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है।
- नदियों पर बने बैराज और बांधों की संख्या में संख्या भी इनकी वृद्धि को प्रभावित कर रही है क्योंकि ये संरचनाएँ पानी के प्रवाह को बाधित करती हैं।

संरक्षण के प्रयास

- गुवाहाटी शहरी प्रशासन द्वारा इसे शहर पशु घोषित किया गया है।
- बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य को लुप्तप्राय गंगेटिक डॉल्फ़िन के लिये संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है।
- कई संगठन इन्हें फिर से इनके स्वच्छ आवास क्षेत्र में बसाने के लिये नदियों का विकल्प तैयार कर रहें हैं जिनमे इन्हें प्रतिस्थापित करके इन्हें प्रदूषण से बचाया जा सके।
- वर्ल्ड वाइल्डलाईफ फंड (World WildLife Fund) द्वारा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में डॉल्फिन संरक्षण एवं उनके आवास में उन्हे फिर से प्रतिस्थापित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

CITES (वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन)

- CITES (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है।
- इसका उद्देश्य वन्यजीवों और पौधों के प्रतिरूप को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाना है तथा इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना है।

नोट :

ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह और प्लास्टिक प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत के प्राचीनतम दक्षिणी ग्रेट निकोबार द्वीप के पांच समुद्र तटों का अस्तित्व प्लास्टिक के कारण ख़तरे में है।

प्रमुख बिंदु

- इन तटों पर प्लास्टिक की बोतलें पाई गई हैं।
- भारत सहित लगभग 10 देश (मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, भारत, म्याँमार, चीन और जापान) द्वीप पर प्लास्टिक कचरे के ज़िम्मेदार हैं।
- सर्वेक्षण में गैर भारतीय मूल के लगभग 60 तटों को शामिल किया गया था तथा इन पर लगभग-
  - 40.5% कचरा मलेशियाई मूल का
  - 23.9% कचरा इंडोनेशियाई मूल का तथा
  - 16.3% कचरा थाईलैंड का था।
- इन तटों पर भारतीय मूल का केवल 2.2% कचरा था।

द्वीप पर कचरे का कारण

- इंडोनेशिया और थाईलैंड से प्लास्टिक कचरे में वृद्धि का कारण इनकी अंडमान द्वीप से निकटता हो सकती है।
- इसके अलावा मलक्का जलडमरूमध्य जो एक प्रमुख जल मार्ग है, के माध्यम से जल धाराओं के कारण प्लास्टिक ने द्वीप पर अपना रास्ता बना लिया है।
- इस द्वीप पर समुद्री मलबे की भारी मात्रा का कारण, मछली पकड़ने, समुद्री कृषि गतिविधि और जहाज यातायात आदि के कारण ठोस अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन भी हो सकता है।

अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप

- ये द्वीपसमूह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और भारत की दक्षिण-पूर्वी सीमा बनाते हैं।
- इसके अलावा ये द्वीपसमूह अंडमान सागर से घिरे हैं और मलेशिया, म्याँमार, थाईलैंड, सिंगापुर तथा इंडोनेशिया जैसे कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से निकटता रखते हैं।
- अंडमान और निकोबार को टेन डिग्री चैनल (Ten Degree Channel) द्वारा अलग किया जाता है जो लगभग 150 किमी. तक विस्तृत है।

ग्रेट निकोबार द्वीप

- यह भारत का दक्षिणतम द्वीप है।
- अंडमान के ग्रेट निकोबार द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 1044 वर्ग किमी है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ की आबादी लगभग 8,069 है।
- यह द्वीप भारत की सबसे आदिम जनजाति शोम्पेंस (Shompens) का निवास स्थान है।
- इस द्वीप में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व (Great Nicobar Biosphere Reserve-GNBR) भी अवस्थित है जिसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिज़र्व्स के विश्व नेटवर्क के रूप में घोषित किया गया है।
  - इस बायोस्फीयर रिज़र्व में गैलाथिया नेशनल पार्क (Galathea National Park) और कैम्पबेल बे नेशनल पार्क (Campbell Bay National Park) शामिल हैं।

नोट :

- यह द्वीप उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों, पर्वत श्रृंखलाओ और तटीय मैदानों से पारिस्थितिक तंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करता है।
  - इस द्वीप पर विशाल केकड़ों, केकड़े खाने वाले मकाक (Crab-Eating Macaques), दुर्लभ मेगापोड (Megapode) के साथ-साथ लेदरबैक कछुए (Leatherback Turtles) भी पाए जाते हैं।
- भारत में चार जैव विविधता वाले आकर्षण केंद्रों में से एक सुंडालैंड है जिसमें निकोबार द्वीपसमूह भी शामिल है।

आगे की राह

- महासागर प्रदूषण के लिये सबसे खतरनाक कारकों में से प्लास्टिक प्रदूषण एक के रूप में उभरा है।
- समुद्री मलबे का लगभग 83% मलबा प्लास्टिक कचरा है।
- शेष 17% मुख्य रूप से कपड़ा, कागज़, धातु और लकड़ी उद्योग आदि के कारण है।
- इन द्वीपों की निगरानी के लिये उचित दिशा निर्देशों के साथ- साथ पर्याप्त कर्मचारियों की उपस्थिति ज़रुरी है।
- साथ ही ठोस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन होना चाहिये।

विश्व महापौर शिखर सम्मेलन-2019

चर्चा में क्यों ?

9 अक्तूबर से 12 अक्तूबर, 2019 के मध्य डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व महापौर शिखर सम्मेलन (World Mayors Summit) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने की उन नगरीय प्रक्रियाओं से संबंधित है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु जोखिमों को कम करती हैं।
- इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है।
- यह सम्मेलन शहरी नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार और उन्हें अधिक आर्थिक अवसर प्रदान कराने का प्रयास करता है।
- इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने "C-40 स्वच्छ वायु शहर उद्घोषणा" के तहत एक 'विशेष कार्य दल' के गठन का निर्णय लिया जो इस उद्घोषणा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये किये गए प्रयासों की समीक्षा करेगा।
- C-40 में शामिल कलकत्ता शहर को इस वर्ष ई-मोबिलिटी तथा निम्न कार्बन उत्सर्जन के लिये C-40 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- C-40 में शामिल सभी शहरों द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिबद्धता जताई गई है, क्योंकि C-40 में शामिल शहरों द्वारा कुल 2.3 गीगा टन कार्बन उत्सर्जन किया जाता है।
- कोपेनहेगन में आयोजित C-40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन प्रमुख शहरों, व्यवसायों और नागरिकों के वैश्विक गठबंधन का निर्माण करेगा जो हमारे ग्रह के लिये उपयोगी और महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिये प्रयास करेगा।

C-40:

- C-40 वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया एक ऐसा समूह है जो त्वरित जलवायु कार्रवाई करने और एक स्वस्थ एवं स्थायी भविष्य के निर्माण के लिये दुनिया के 90 से अधिक शहरों को आपस में जोड़ता है।
- C-40 समूह, विश्व के 700 मिलियन से अधिक नागरिकों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक-चौथाई का प्रतिनिधित्व करता है।
- C-40 शहरों के महापौर स्थानीय स्तर पर पेरिस समझौते के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध हैं, साथ ही जिस हवा में हम साँस लेते हैं, उसकी स्वच्छता की ज़िम्मेदारी निभाने के लिये भी प्रतिबद्ध हैं।
- भारत के 6 शहर-दिल्ली NCT, जयपुर, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई तथा बंगलूरु C-40 शहरों के अंतर्गत आते हैं।

नोट :

एंथ्रेक्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एंथ्रेक्स (Anthrax) रोग के कारण असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में दो एशियाई जंगली भैसों की मौत हो गई।

एंथ्रेक्स

- एंथ्रेक्स एक जानलेवा संक्रामक रोग है जो बेसिलस एन्थ्रासिस (Bacillus Anthracis) जीवाणुओं के कारण होता है। यह मानव के साथ-साथ कई जानवरों जैसे- घोड़ों, गायों, बकरियों और भेड़ों आदि को भी प्रभावित कर सकता है।
- एंथ्रेक्स जीवाणुओं का प्रयोग कई देशों द्वारा जैव-आतंकवाद (Bio-Terrorism) के रूप में किया गया है।
- एंथ्रेक्स के जीवाणु मिट्टी में मौज़ूद होते हैं और कई वर्षों तक सुप्त (Latent) अवस्था में रहते हैं।
- यह रोग संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने वाले मनुष्यों के लिये भी घातक हो सकता है।
- त्वचा पर छाले, सीने में दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार आदि इस रोग के लक्षण हैं।
- रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (Defence Research and Development Laboratory-DRDL) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University- JNU) के शोधकर्त्ताओं ने इस रोग को लेकर एक ऐसे टीके का निर्माण किया है जो विषाक्त पदार्थों तथा जीवाणुओं दोनों के विरुद्ध कुशलता से कार्य कर सके।

एशियाई जंगली भैंस

- एशियाई जगंली भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबलस अर्नि (Bubalus Arnee) है।
  - भारत में यह अधिकांशत: असम, अरुणाचल प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है ।
  - हाल ही में, यह महाराष्ट्र के जंगलों में पाई गई थी जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोलारमका वन क्षेत्र को एशियाई जंगली भैंस के संरक्षण के लिये आरक्षित घोषित किया है।
  - जंगली भैंस मुख्य रूप से जलोढ़ घास के मैदान, दलदल और नदी घाटियों में पाई जाती है। ये आम तौर पर ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पानी बहुतायत में उपलब्ध होता है।
- अवैध शिकार और आवास स्थलों का विनाश आदि समस्याओं के कारण इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है।

संरक्षण की स्थिति:

- यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेडलिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है।
- यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध है।
- यह CITES परिशिष्ट- III में शामिल है और कानूनी रूप से भूटान, भारत, नेपाल एवं थाईलैंड में संरक्षित है।
- ऐसा माना जा रहा है कि जंगली भैंस बांग्लादेश, मलेशिया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीपों पर लुप्त होने की कगार पर है।

पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य

- पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य (Pobitora Wildlife Sanctuary) गुवाहाटी से लगभग 45 किमी. दूर मोरीगाँव ज़िले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है।
- पोबितोरा को वर्ष 1971 में आरक्षित वन और वर्ष 1987 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था।
- यह अभयारण्य मुख्य रूप से एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिये प्रसिद्ध है।
- गैंडों की संख्या का अधिक होना इस अभयारण्य को विश्व के उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभयारण्य बनाता है।
- गैंडे के अलावा तेंदुआ, फिशिंग कैट, जंगली बिल्ली, जंगली भैंस, जंगली सुअर, चीनी पैंगोलिन आदि अन्य स्तनधारी भी यहाँ पाए जाते हैं।

नोट :

असम में निम्नलिखित 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं-

1. डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान
2. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
3. मानस राष्ट्रीय उद्यान
4. नमेरी राष्ट्रीय उद्यान
5. राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान

भारत में पहली बार हिम तेंदुए का सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस (23 अक्तूबर) के अवसर पर हिम तेंदुए की आबादी के आकलन पर पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल (First National Protocol on Snow Leopard Population Assessment) लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत हिम तेंदुए की आबादी और उसकी भौगोलिक सीमा का अनुमान लगाने के लिये अपना पहला सर्वेक्षण करेगा।
- इसका उद्देश्य आने वाले दशक में दुनिया में हिम तेंदुए की आबादी को दोगुना करना है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority-NTCA), जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का हिस्सा है, सर्वेक्षण के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इस अवसर पर वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण (Global Snow Leopard and Ecosystem Protection -GSLEP) कार्यक्रम की 4वीं संचालन समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को भी चिन्हित किया गया।
  - GSLEP कार्यक्रम (2019) का आयोजन नई दिल्ली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
  - GSLEP हिम तेंदुए रेंज वाले सभी 12 देशों का एक उच्चस्तरीय अंतर-सरकारी गठबंधन है।
  - वर्तमान में GSLEP की संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता नेपाल तथा किर्गिज़स्तान द्वारा सह-अध्यक्षता की गई।
- भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान आदि देशों में हिम तेंदुए मौजूद है।
- यह पहली बार है जब हिम तेंदुओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिये कैमरा जाल और वैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।
- इस सर्वेक्षण में भारत के साथ नेपाल, मंगोलिया और रूस सहित हिम तेंदुओं की मौजूदगी वाले देश भी शामिल होंगे।
- हिमालय की सीमा के हिम तेंदुआ क्षेत्र और क्रॉस कंट्री सहयोग के लिये क्षमता निर्माण, आजीविका, हरित अर्थव्यवस्था तथा हरित पगडंडियों के निर्माण पार जोर दिया गया।

हिम तेंदुआ

- हिम तेंदुआ उच्च हिमालयी और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र के पाँच राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के भूभाग में पाया जाता है।
- यह क्षेत्र वैश्विक हिम तेंदुआ रेंज में लगभग 5% योगदान देता है।
- इसे IUCN की सुभेद्य (Vulnerable) तथा भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है।
- इसे CITES और प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन (CMS) के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध किया गया है।
- यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है।

नोट :

भारत द्वारा शुरू किये गए संरक्षण के अन्य प्रयास:

- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड- यह तेंदुए के संरक्षण के लिये समावेशी और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है जिसमें पूरी तरह से स्थानीय समुदाय शामिल होता है।
- सिक्योर हिमालय- GEF तथा UNDP द्वारा जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थानीय समुदायों की निर्भरता को कम करने के लिये इस परियोजना का वित्तपोषण किया जा रहा है।
  - यह परियोजना अब चार हिम तेंदुए रेंज राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और सिक्किम में चालू है।

अंटार्कटिक महासागर अभयारण्य योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंटार्कटिक महासागर अभयारण्य (Antarctic Ocean Sanctuary) पर पुन: चर्चा की गई जिसका प्रस्ताव वर्ष 2010 में किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- अंटार्कटिक महासागर अभयारण्य योजना का प्रस्ताव वर्ष 2010 में ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस और यूरोपियन यूनियन द्वारा लाया गया।
- इस प्रस्ताव के अंतर्गत समुद्री जीवों के लिये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर अभयारण्य बनाने की योजना है।
- कमीशन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज़ (Commission for Conservation of Antarctic Marine living Resources- CCAMLR) की बैठक में सभी सदस्य देशों के बीच आपसी सहमति न होने से यह प्रस्ताव अब तक लंबित है। क्योंकि समुद्री पार्क के निर्माण के लिये CCAMLR के सभी 26 सदस्यों की सहमति आवश्यक है।
- इससे पूर्व CCAMLR द्वारा विश्व का अब तक का सबसे विशाल समुद्री अभयारण्य रोस सागर में बनाया गया है। इसके अलावा दो अन्य अभयारण्य, वेडेल सागर और अंटार्कटिक उपद्वीप में प्रस्तावित हैं।

महत्त्व

- लगभग एक मिलियन वर्ग किलोमीटर का प्रस्तावित यह पार्क, पेंगुइन, सील, व्हेल और अन्य समुद्री जीवों के लिये आवश्यक खाद्य स्रोतों की रक्षा करेगा।
- विशेषज्ञों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी इसकी अहम भूमिका होगी, क्योंकि अंटार्कटिक के आसपास के समुद्री वातावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है।

आवश्यकता

- अत्यधिक नौकायन और मत्स्य व्यवसाय ने समुद्र की कुछ प्रजातियों जैसे सील, व्हेल और अन्य मछलियों को विलुप्ति के कगार पर ला दिया है। इस योजना के तहत समुद्री स्तनधारियों के लिये विशिष्ट गहरे पानी की भित्तियों और खाद्य क्षेत्रो को संरक्षित किया जाएगा।

प्रस्ताव का विरोध

- इस प्रस्ताव के मुख्य विरोधी चीन और रूस हैं। क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र इन देशों के मत्स्य पालन के हित से जुड़ा है। इस अभयारण्य के संवेदनशील हिस्सों में जलीय जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन के संरक्षण के लिये आयोग (CCAMLR)

- CCAMLR की स्थापना अंटार्कटिक समुद्री जीवों के संरक्षण के लिये 1982 में की गई।
- इस संगठन में कुल 26 सदस्य हैं। इसका सचिवालय होबार्ट, तस्मानिया (ऑस्ट्रेलिया) में हैं।

अंटार्कटिक महासागर की भौगोलिक अवस्थिति

दक्षिण ध्रुवीय महासागर अथवा 'अंटार्कटिक महासागर' अंटार्कटिक क्षेत्र के चारों ओर फैला हुआ है। यह अंध महासागर' (अटलांटिक), प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर का दक्षिणी विस्तार माना जाता है।

नोट :

जलवायु संतुलन में एयरोसोल की भूमिका

चर्चा में क्यों ?

कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एन्वायरनमेंटल साइंसेज (Cooperative institute for research in environmental sciences-CIRES) ने एक अध्ययन में पाया कि एयरोसोल कण बादलों के गुणधर्म में परिवर्तन के माध्यम से पृथ्वी के विकिरणीय संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं।

एयरोसोल क्या है ?

- एयरोसोल, बारीक ठोस कणों तथा द्रव की बूँदों का वायु या किसी अन्य गैस में मिश्रण है।
- एयरोसोल प्राकृतिक या मानवजनित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कोहरा, धूल, गीज़र भाप (Geyser Steam) इत्यादि प्राकृतिक एयरोसोल के उदाहरण हैं।
- धुंध, पार्टिकुलेट वायु प्रदूषक तथा धुआँ आदि मानवजनित एयरोसोल के उदाहरण हैं।

एयरोसोल कैसे बनते हैं ?

- जब विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय बादल गैसों को वायुमंडल में ऊँचाई पर ले जाते हैं तब उनमें उपस्थित बारीक कण गैस में परिवर्तित होकर एयरोसोल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को 'गैस से कण परिवर्तन' कहा जाता है।
- ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी के कारण इन कणों का संघनन होता है तथा उनके आकार में वृद्धि होती है जिसकी वजह से ये निचले क्षोभमंडल में उपस्थित निचले स्तर के बादलों की धवलता (Brightness) को बढ़ाते हैं।
- गैस से कण परिवर्तन, विषुवतीय क्षेत्रों में प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर दोनों के ऊपर बादलों के एल्बेडो को बढ़ा देता है।

एयरोसोल क्यों महत्त्वपूर्ण हैं ?

- एयरोसोल मिश्रित बादल धवल (Brighter) होने के कारण सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अधिक मात्रा में अंतरिक्ष की तरफ परावर्तित करते हैं।
- इन नए कणों का निर्माण पृथ्वी की सतह के 40 प्रतिशत हिस्से को आच्छादित करता है। इसका आशय है कि एयरोसोल कण, ग्लोबल वार्मिंग के विपरीत पृथ्वी के तापमान को कम रखने में सहायक हैं।
- विषुवतीय क्षेत्रों में इन कणों का निर्माण तथा बदलों के गुणधर्म में इनके योगदान को समझना, हमें जलवायु मॉडलों को समझने तथा उनका विकास करने में मदद करेगा।
- CIRES के अध्ययन से पता चलता है कि सुदूर क्षेत्रों में जहाँ वायु साफ होती है वहाँ बादलों के निर्माण में एयरोसोल कणों का प्रभाव अधिक होता है।

सेंटीनल-3 वर्ल्ड फायर एटलस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी (European Space Agency) के सेंटीनल-3 (Sentinel-3) उपग्रह द्वारा प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, अगस्त 2018 की तुलना में अगस्त 2019 में लगभग पाँच गुना अधिक वनाग्नि की घटनाएँ दर्ज की गई हैं।

मुख्य बिंदु:

यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार, अगस्त 2019 में वनाग्नि की घटनाओं में से लगभग आधी घटनाएँ एशिया महाद्वीप में दर्ज की गईं।

- इस वर्ष अगस्त तथा सितंबर के महीने में अमेज़न के वर्षावनों में लगी आग विश्व भर में चर्चा का विषय रही इसके अतिरिक्त ग्रीस, फ्राँस तथा इंडोनेशिया के वन भी आग से प्रभावित रहे हैं।

नोट :

भौगोलिक वितरण

- यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार, वनाग्नि की घटनाओं में से 49% घटनाएँ एशिया में, 28% घटनाएँ दक्षिण अमेरिका में, 16% घटनाएँ अफ्रीका में तथा शेष घटनाएँ उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दर्ज की गईं।
- सेंटीनल-3 द्वारा रिकॉर्ड किये गए आँकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अगस्त में 79000 वनाग्नि की घटनाएँ दर्ज की गईं जो अगस्त 2018 में 16000 थीं।

वनाग्नि का मापन:

- सेंटीनल-3 वर्ल्ड फायर एटलस (World Fire Atlas) द्वारा वनाग्नि को मापने के लिये एक ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें रात के समय वनों में लगी हुई आग की पहचान की जाती है।
- इस विधि में सेंटीनल-3 उपग्रह पर लगे सेंसर द्वारा पृथ्वी की सतह का तापमान मापने के लिये तापीय अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है।
- इस तकनीक का उपयोग वनाग्नि द्वारा उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा का पता लगाने तथा निगरानी करने में किया जाता है।
- सेंटीनल-3 वर्ल्ड फायर एटलस, उपग्रह के आँकड़ों का प्रयोग करके मासिक रूप से वनाग्नि की संख्या बताता है।
- यह उपग्रह बादलों की उपस्थिति के समय संपूर्ण वनाग्नियों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं कर पाता है।
- यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार, वर्ष 1995 में वर्ल्ड फायर एटलस के निर्माण के बाद पहली बार वनाग्नि की घटनाओं में इतनी तीव्र वृद्धि देखने को मिली है।

सेंटीनल-3:

- सेंटीनल-3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी (European Space Agency- ESA) तथा EUMATSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Sattelites) का संयुक्त मिशन है।
- सेंटीनल-3 मिशन का प्रमुख उद्देश्य समुद्र की सतह की स्थलाकृति, समुद्र और स्थल की सतह के तापमान तथा रंग का उच्च सटीकता एवं विश्वसनीयता के साथ परीक्षण करके समुद्री पूर्वानुमान प्रणाली, जलवायु व पर्यावरणीय निगरानी को बढ़ावा देना है।

यूरोपियन स्पेस एजेंसी (European Space Agency-ESA)

- यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की अंतरिक्ष क्षमता के विकास के लिये बना 22 सदस्य देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय पेरिस में है जहाँ ESA की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है।

वनाग्नि का अध्ययन और निगरानी जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बायोमास के जलने से कार्बन डाईऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के वैश्विक वायुमंडलीय उत्सर्जन में वृद्धि होती है।

छिपकली की नई प्रजातियाँ

पश्चिमी घाट में वैज्ञानिकों के एक समूह ने द्रविडोगेको (Dravidogecko) परिवार की छिपकलियों की छह प्रजातियों की खोज की है। यह एक महत्त्वपूर्ण खोज है क्योंकि अभी तक इस परिवार की केवल एक ही प्रजाति ज्ञात थी।

विशेषताएँ:

- यह अध्ययन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विस्तृत एवं 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' के रूप में प्रसिद्ध पश्चिमी घाट के महत्त्व को दर्शाता है।
- ये सभी अलग-अलग प्रजातियाँ एक ही पारिस्थितिक निकेत (Niche) में रहती हैं इसलिये बहुत ही कम रूपात्मक अंतर प्रदर्शित करती हैं। हालाँकि एक DNA आधारित आण्विक विश्लेषण से इनमें आसानी से विभेद किया जा सकता है।

इन छिपकलियों का उद्भव:

- एक पूर्व अध्ययन के अनुसार, द्रविडोगेको अनामालेनेसिस (Dravidogecko Anamallensis) परिवार का विकास लगभग 5.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, जब भारतीय उप-महाद्वीप अफ्रीकी भूमि से अलग हुआ था।

नोट :

अधिवास:

- छोटे आकार की छिपकली द्रविडोगेको मध्य से उच्च ऊँचाई वाले आर्द्र वनों में सीमित है। यह मुख्यत: पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में वायनाड (केरल) से लेकर तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) तक पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती है।

छह नई प्रजातियों का निम्नलिखित प्रकार से नामकरण किया गया है-

- द्रविडोगेको सेप्टेन्ट्रियोनालिस (Dravidogecko Septentrionalis)
- डी. जानकीआई (केरल के वनस्पतिशास्त्री जानकी अम्मल के नाम पर)
- डी. थोलपल्ली (D. Tholpalli)
- डी. मेघमालईन्सिस (D. Meghamalaiensis)
- डी. डगलसएडम्सी (ब्रिटिश लेखक और व्यंग्यकार डगलस नोएल एडम्स के नाम पर)
- डी.स्मिथि (ब्रिटिश सरीसृप विज्ञानी मैल्कम आर्थर स्मिथ के सम्मान में)

सफेद बेलबर्ड

करेंट बायोलॉजी (Current Biology) नामक पत्रिका के एक अध्ययन के अनुसार, सफेद बेलबर्ड (white Bellbird) के प्रणय गीत (Mating Song) का स्वर पक्षियों में सबसे अधिक डेसिबल का है।

वैज्ञानिक नाम:

- सफेद बेलबर्ड पक्षियों के काटिन्डे (Cotingidae) वर्ग से संबंधित एक प्रजाति है।
- इसका वैज्ञानिक नाम प्रोकनिअस अल्बस (Procnias albus) है।

शारीरिक विशेषताएँ:

- इस पक्षी में सामान्य से मोटी और विकसित पेट की मांसपेशियाँ एवं पसलियों जैसी कुछ विशिष्ट शारीरिक संरचना होती है, शोधकर्त्ताओं का अनुमान है कि यह विशिष्ट संरचना इनके ऊँचे स्वर से संबंधित हो सकती है।

IUCN में स्थिति:

- IUCN की रेडलिस्ट के अनुसार सफेद बेलबर्ड लीस्ट कंशर्न (Least Concern) श्रेणी में सूचीबद्ध है।

मूल स्थान (Native):

- ब्राज़ील, फ्रेंच गयाना, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, वेनेज़ुएला, बोलीविया।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

उत्तर प्रदेश में 'प्राचीन नदी' की खुदाई

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रयागराज (इलाहाबाद) में एक पुरानी, सूख चुकी नदी की खुदाई शुरू की है। सूख चुकी यह नदी गंगा और यमुना नदियों को जोड़ती थी।

- यह नदी लगभग 4 किमी चौड़ी, 45 किमी लंबी है और इसमें मिट्टी के नीचे दबी 15- मीटर मोटी परत शामिल है।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले निकाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) के अधिकारियों के अनुसार, इस नदी को संभावित भूजल पुनर्भरण स्रोत के रूप में विकसित करना है।
- इस नदी का भूभौतिकीय सर्वेक्षण कार्य राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute- NGRI) और केंद्रीय भू-जल बोर्ड (Central Groundwater Board) के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किया गया था।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड (Central Groundwater Board)

मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय

अधिदेश:

- भारत के भूजल संसाधनों की आर्थिक एवं पारिस्थितिकी कुशलता विकसित करना।
- साम्यता के सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक और सतत विकास प्रबंधन।
- भूजल संसाधनों के प्रबंधन हेतु अन्वेषण, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से सुरक्षा तथा वितरण सहित प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रचार-प्रसार करना।
- राष्ट्रीय नीतियों का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग करना।

भविष्यि दृष्टि: देश के भूजल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन।

स्थापना: वर्ष 1970 में कृषि मंत्रालय के तहत समन्वेषी नलकूप संगठन को पुन:नामित कर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की स्थापना की गई थी। वर्ष 1972 के दौरान इसका समामेलन भूविज्ञान सर्वेक्षण के भूजल विभाग के साथ कर दिया गया था। वर्तमान में यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है।

मुख्यालय: फरीदाबाद (हरियाणा)

राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute- NGRI)

- राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR) की एक संघटक अनुसंधान प्रयोगशाला है।
- इसकी स्थापना पृथ्वी तंत्र की अत्यधिक जटिल संरचना एवं प्रक्रियाओं के बहुविषयी क्षेत्रों और उसके व्यापक रूप से आपस में जुड़े उपतंत्रों में अनुसंधान करने के उद्देश्य से वर्ष 1961 में की गई थी।
- अनुसंधान गतिविधियाँ मुख्य रूप से तीन विषयों भूगतिकी, भूकंप जोखिम और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत होती हैं।
- NGRI उन प्राथमिक भू-संसाधनों की पहचान करने के लिये तकनीकों के कार्यान्वयन को समाविष्ट करता है, जो मानवीय सभ्यता के स्तम्भ हैं और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों एवं खनिजों के साथ-साथ भूजल, हाइड्रोकार्बन जैसे आर्थिक वृद्धि के स्रोत हैं।

नोट :

पृथ्वी को गर्म करने में ज्वालामुखी की भूमिका

संदर्भ ?

हाल ही में डीप कार्बन ऑब्ज़र्वेटरी (Deep Carbon Observatory-DCO) के डीप अर्थ कार्बन डीगैसिंग (Deep Earth Carbon Degassing- DECADE) उपसमूह के शोधकर्त्ताओं ने एक अध्ययन में पाया कि ज्वालामुखियों और ज्वालामुखीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अनुमानित रूप से 280-360 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन होता है।

मुख्य बिंदु:

- डीप कार्बन ऑब्ज़र्वेटरी (DCO) के वैज्ञानिकों ने पाया कि केवल कुछ ज्वालामुखी घटनाओं से होने वाली कार्बन की विनाशकारी मात्रा का उत्सर्जन भी एक गर्म वातावरण, महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि और बड़े पैमाने पर विलुप्ति का कारण बन सकता है।
- ज्वालामुखियों और ज्वालामुखीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष वृहद् मात्रा में होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के उत्सर्जन में सक्रिय ज्वालामुखी, मिट्टी, फॉल्ट (Fault) और ज्वालामुखी क्षेत्रों में टूटन, ज्वालामुखी झीलों के साथ-साथ मध्य-महासागर रिज प्रणाली का योगदान शामिल होता है।
- DECADE के शोधकर्त्ताओं के अनुसार, पिछले 100 वर्षों के लिये जीवाश्म ईंधन और वनों के जलने जैसे मानवीय कारकों के कारण वार्षिक कार्बन उत्सर्जन भूगर्भीय स्रोतों जैसे कि सभी ज्वालामुखी उत्सर्जन आदि की तुलना में 40 से 100 गुना अधिक था।
- DECADE के अनुसार, 11,700 साल पहले के आखिरी हिमयुग से सक्रिय 1500 ज्वालामुखियों में से करीब 400 अब भी वृहद् मात्रा में CO_2 का उत्सर्जन कर रहे हैं।
- DECADE ने यह भी पुष्टि की है कि 200 से अधिक ज्वालामुखी प्रणालियों ने 2005 और 2017 के बीच CO_2 के औसत दर्जे की मात्रा का उत्सर्जन किया है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश (Rift) और चीन में टेक्नॉन्ग ज्वालामुखीय प्रांत शामिल हैं।
- DCO के विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, ज्वालामुखी प्रक्रिया एवं पर्वत बेल्टों में चूना पत्थर का उष्मण आदि अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी द्वारा CO_2 का कुल वार्षिक उत्सर्जन लगभग 300 से 400 मिलियन मीट्रिक टन (0.3 से 0.4 गीगाटन) है।

कार्बन का संतुलन:

- विशेषज्ञों के अनुसार, पृथ्वी के मेंटल से निकली कार्बन की मात्रा सापेक्षत: विवर्तनिक प्लेटों के अधोमुखी उपशमन (Downward Subduction) और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से संतुलन में रही है।
- हालाँकि बड़ी ज्वालामुखीय घटनाओं के कारण यह संतुलन पिछले 500 मिलियन वर्षों में लगभग चार गुना कम हो गया है। उदाहरण के लिये- कनाडा में मात्र कुछ हज़ार वर्ष से लेकर करीब एक मिलियन वर्ष की कालावधि के भीतर लगभग एक मिलियन या अधिक वर्ग किलोमीटर में मैग्मा बाहर निकला, जबकि इसी अवधि में पृथ्वी द्वारा कार्बन के अवशोषण की दर में सापेक्षिक वृद्धि दर्ज नहीं की गई।
- इन बड़े आग्नेय प्रांतों में कार्बन की भारी मात्रा का उत्सर्जन हुआ है। एक अनुमान के अनुसार, यह उत्सर्जन 30,000 गीगाटन के करीब रहा है जो कि वर्तमान में सतह के ऊपर अनुमानित कुल 43,500 गीगाटन कार्बन के लगभग 70 प्रतिशत के बराबर है।
- रिपोर्ट के माध्यम से वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्बन चक्र के किसी भी असंतुलन के कारण तीव्र वैश्विक उष्मण (Global Warming), सिलिकेट अपक्षय दर में परिवर्तन, हाइड्रोलॉजिकल चक्र में परिवर्तन आदि के साथ-साथ समग्र रूप से तीव्र अधिवास परिवर्तन हो सकता है। यह पृथ्वी पर असंतुलन के माध्यम से बड़े पैमाने पर जैव-विविधता के ह्रास एवं विलुप्ति का कारण बन सकता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा की गई गणना के अनुसार, पृथ्वी के कुल कार्बन का मात्र 0.2 प्रतिशत (लगभग 43,500 गीगाटन) महासागरों में, भूमि पर और वायुमंडल में है। शेष अनुमानित करीब 1.85 बिलियन गीगाटन उपसतही (Subsurface) क्रस्ट, मेंटल और कोर में मौजूद है।
- सतह पर मौजूद कुल कार्बन की मात्रा में से करीब 37,000 गीगाटन कार्बन (85.1 प्रतिशत) गहरे सागर में तथा लगभग 3,000 गीगाटन (6.9 प्रतिशत) समुद्री तलछट में निहित है।
- उपरोक्त परिणाम एवं निष्कर्ष DCO के शोधकर्त्ताओं द्वारा पृथ्वी के विशाल आंतरिक कार्बन के भंडार और पृथ्वी की गहराई द्वारा स्वाभाविक रूप से कार्बन के अवशोषण तथा उत्सर्जन के अनुमानों का हिस्सा हैं।

नोट :

डीप कार्बन ऑब्ज़र्वेटरी (Deep Carbon Observatory- DCO)

- DCO पृथ्वी में कार्बन की मात्रा, चाल, रूप और उत्पत्ति को समझने के लिये 1,000 से अधिक वैज्ञानिकों का 10-वर्षीय वैश्विक सहयोग है।
- DCO वैज्ञानिकों के एक बहु-विषयक समूह को साथ लाता है, जिसमें भूवैज्ञानिक, रसायनज्ञ, भौतिक विज्ञानी और जीवविज्ञानी शामिल हैं।
- नवीन प्रौद्योगिकी और उपकरण, प्रयोगशाला प्रयोगों और वास्तविक समय पर्यवेक्षणों (Real-time Observations) का उपयोग करते हुए DCO के वैज्ञानिक कार्बन का पृथ्वी पर जीवन के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को समझाने का प्रयास करते हैं।
- डीप कार्बन ऑब्ज़र्वेटरी को लॉन्च करने के लिये प्रारंभिक वित्त पोषण के रूप में दस वर्षों के लिये अल्फ्रेड पी. स्लोन फाउंडेशन (Alfred P. Sloan Foundation) द्वारा 50 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान की गई थी।

समुद्र का बढ़ता तापमान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों (Green House Gases- GHG) के उत्सर्जन की दर को कम नहीं किया गया तो वर्ष 2100 तक दुनिया भर के महासागर पिछले 50 वर्षों की तुलना में पाँच से सात गुना अधिक गर्मी को अवशोषित करेंगे, जिसके कारण उनके तापमान में भारी वृद्धि हो सकती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी दी गई है कि यदि इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो वर्ष 2100 तक वैश्विक समुद्र-स्तर में कम-से-कम एक मीटर तक की वृद्धि होगी जिसके कारण मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और सूरत सहित कई तटीय शहर जलमग्न हो जाएंगे।
- समुद्री हीटवेव (Marine Heatwaves) का अधिक तीव्र एवं चिरस्थायी होने का अनुमान है और इसकी बारंबारता में भी 50 गुना तक की वृद्धि हो सकती है।
- समुद्र के स्तर में वृद्धि कई अन्य चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि का कारण बन सकती है, जैसा कि उच्च ज्वार और तीव्र तूफान के संदर्भ में होता है।
- रिपोर्ट में अल-नीनो (El-Nino) और ला-नीना (La-Nina) जैसी परिघटनाओं की बारंबारता में वृद्धि की चेतावनी दी गई है।

समुद्र का बढ़ता तापमान और उसका प्रभाव:

- पृथ्वी की सतह के 70 प्रतिशत से अधिक हिस्से में महासागर अवस्थित हैं जो गर्मी को अवशोषित कर उसका समान रूप से वितरित करने जैसी महत्त्वपूर्ण पारितंत्रीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- जैसे ही पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, समुद्र द्वारा अधिकांश अतिरिक्त ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है। फलत: वैश्विक उष्मण का सर्वाधिक प्रभाव समुद्र पर पड़ता है।
- साथ ही गर्म महासागरों का सीधा संबंध मज़बूत चक्रवात और तीव्र तूफान जैसी परिघटनाओं से होता है जिसके कारण कई तटीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिये-
  - वर्ष 2014 में चक्रवात नीलोफर (Nilofar) मानसून के बाद के मौसम में अरब सागर में दर्ज होने वाला पहला सबसे गंभीर चक्रवात था। इससे पहले देश में आने वाले चक्रवात आमतौर पर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते थे और भारत के पूर्वी तट पर अपना लैंडफॉल (Landfall) बनाते थे। यद्यपि चक्रवात निलोफ़र ने लैंडफॉल (चक्रवात का जलीय भाग से स्थल पर प्रवेश करने की परिघटना) नहीं बनाया, लेकिन इससे देश के पश्चिमी तट में भारी बारिश हुई।
  - अक्तूबर 2014 में चक्रवात लुबन (Luban) की वजह से समुद्र के स्तर में सामान्य वृद्धि और उच्च ज्वार के दोहरे प्रभाव ने गोवा में कई समुद्र तटों को जलमग्न कर दिया था।
  - गर्म होते महासागरों ने चक्रवात व्यवहार को अन्य तरीकों से भी बदल दिया है। वर्ष 2017 में चक्रवात ओखी (Ockhi), जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, ने 2,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर भारत के पश्चिमी तट पर भारी तबाही मचाई तथा पिछले 30 वर्षों में ऐसा करने वाला यह पहला चक्रवात था।

नोट :

आगे की राह:

- हरितगृह गैसों (Green House Gas- GHG) के उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिये।
- चरम मौसमी घटनाओं के खिलाफ लोगों के लचीलेपन (Resilience) को बढ़ावा देने वाले बुनियादी ढाँचे और ज्ञान प्रणालियों में निवेश में वृद्धि का प्रयास करना चाहिये।
- हालाँकि, पेरिस जलवायु संधि के बाद से इस संदर्भ में लगातार सकारात्मक प्रयास किये जाते रहे हैं फिर भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नवीनतम IPCC रिपोर्ट को वेक-अप कॉल (Wake-up Call) के रूप में देखा जाना चाहिये।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देते हुए विकसित देशों द्वारा तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग को सुनिश्चित करने तथा विकासशील देशों द्वारा इससे जुड़े वैश्विक संधि एवं समझौतों को व्यावहारिक रूप से लागू करने पर बल देना चाहिये।

मानसून की वापसी में विलंब

चर्चा में क्यों ?

ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल भारत से मानसून की देर से वापसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को व्यापक रूप से प्रभावित होने का अनुमान लगाया है।

मौलिक संकल्पना:

- सभी मानसून प्रणालियों का मूल चालक वसंत ऋतु (भारत में फरवरी-मार्च) के दौरान स्थल भाग का सौर तापन है जो स्थल एवं समुद्र के तापमान में अंतर स्थापित करने में मदद करता है।
- पानी की तुलना में भूमि तेज़ी से गर्म होती है (पानी की विशिष्ट ऊष्मा स्थल की तुलना में अधिक होती है), जिससे स्थल पर निम्न दाब का विकास होता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर हवाएँ चलती हैं (उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र में हवा का प्रवाह होता है)।
- गर्मी के मौसम में मानसून क्षेत्रों, मुख्य रूप से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में इन नमीयुक्त हवाओं के आरोहण से संवहनीय वर्षा होती है।
- मौसम में परिवर्तन के साथ सूर्य की सीधी किरणों का उत्तरी गोलार्द्ध से भूमध्य रेखा और तत्पश्चात् दक्षिणी गोलार्द्ध की ओर स्थानांतरित होने के क्रम में एशियाई भूमि की तुलना में आसन्न महासागरों का तापमान अधिक हो जाता है।
- स्थल भाग की अपेक्षा महासागरों में निम्न वायुदाब के विकास के परिणामस्वरूप, हवाओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी (दक्षिण गोलार्द्ध में गर्मी, दिसंबर-फरवरी) के दौरान दक्षिणी गोलार्द्ध में मानसूनी वर्षा होती है।

संदर्भ:

- सकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole- IOD), जो पूर्व की अपेक्षा हिंद महासागर के पश्चिमी बेसिन को अधिक गर्म करता है, भारतीय मानसून को बढ़ावा देता है जबकि ऑस्ट्रेलियाई ग्रीष्मकालीन मानसून के लिये अभिशाप माना जाता है।
- वर्ष 2019 में, भारत में मानसून ने 1 सितंबर की सामान्य तारीख के मुकाबले 9 अक्तूबर को अपनी वापसी शुरू की जो कि रिकॉर्डेड इतिहास में मानसून के सर्वाधिक विलंब से होने वाली वापसी है। पिछली सर्वाधिक विलंब वाली वापसी वर्ष 1961 में हुई थी जब 1 सितंबर की औसत तारीख की तुलना में 1अक्तूबर को इसकी वापसी हुई थी।
- भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 2019 में भारतीय मानसून सकारात्मक IOD के योगदान की वजह से हाल के वर्षों में 10 प्रतिशत के अधिशेष के साथ सर्वाधिक मज़बूत था।
- वर्तमान जलवायु मॉडल द्वारा प्रदत्त संकेतों के अनुसार सकारात्मक IOD लंबे समय तक बना रह सकता है और साथ ही उत्तरी गोलार्द्ध से दक्षिणी गोलार्द्ध तक मानसून गर्त के स्थानांतरण को विलंबित कर सकता है।

नोट :

सकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव (Positive Indian Ocean Dipole)	नकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव (Negative Indian Ocean Dipole)
• पछुआ हवाएँ भूमध्य रेखा के साथ कमज़ोर हो जाती हैं जिससे गर्म पानी अफ्रीका की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इसके कारण हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से का पानी सामान्य पानी की तुलना में गर्म हो जाता है जबकि यह पूर्व में सामान्य पानी की तुलना में ठंडा होता है।	• पछुआ हवाएँ भूमध्य रेखा के साथ तेज़ हो जाती हैं, जिससे गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास केंद्रित हो जाता है। इसके कारण हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य पानी की तुलना में गर्म हो जाता है, जबकि यह पश्चिम में सामान्य पानी की तुलना में ठंडा होताहै।
• आम तौर पर इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के वातावरण में सामान्य से कम नमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप सर्दियों और वसंत के दौरान अक्सर कम वर्षा होती है तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक होता है।	• आम तौर पर इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के वातावरण में सामान्य से अधिक उपलब्ध नमी प्राप्त होती है जिसके परिणामस्वरूप सर्दियों और वसंत के दौरान दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में औसत से अधिक वर्षा होती है।

ऑस्ट्रेलिया में मानसून में देरी

- एक सकारात्मक IOD का सामान्य से अधिक अवधि तक बना रहना ऑस्ट्रेलियाई मानसून की शुरुआत में देरी के लिये जिम्मेवार एक प्रमुख कारक है।
- मानसून की वापसी अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है। भारत में उत्तर-पूर्व मानसून के निकट आने के बाद ही मानसून गर्त दक्षिणी गोलार्ध में पहुँचता है।
- इस साल हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका (पश्चिम हिंद महासागर) के आस-पास के पानी के तापमान में वृद्धि ने हिन्द महासागरीय बेसिन के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों की ताप प्रवणता में और अधिक वृद्धि कर दी है।
- IOD का क्षरण दिसंबर की शुरुआत में मानसून का गर्त दक्षिणी गोलार्द्ध में चले जाने के बाद होता है। यह तब होता है जब भारत में उत्तर-पूर्व मानसून निकट आ जाता है।

ऑस्ट्रेलियाई कृषि पर प्रभाव

- विलंबित मानसून ऑस्ट्रेलियाई ग्रीष्मकालीन फसलों के लिये नुकसानदायक हो सकता है। इसके कारण वर्ष 2019–20 में फसल गहन क्षेत्र में करीब 28 प्रतिशत की कमी की संभावना है।
- ऑस्ट्रेलियाई कृषि विभाग के अनुसार, क्वींसलैंड और उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में मिट्टी की नमी के निम्न स्तर तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण ग्रीष्मकालीन फसल के उत्पादन में 20 प्रतिशत की कमी का अनुमान है।
- आमतौर पर, सकारात्मक IOD की वजह से दक्षिणी और मध्य ऑस्ट्रेलिया में शीत-वसंत काल में वर्षा औसत से कम होती है तथा दक्षिणी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी बढ़ जाती है।
- ऑस्ट्रेलियाई मौसम ब्यूरो ने जलवायु मॉडल 2019 की शेष अवधि और वर्ष 2020 की पहली तिमाही के लिये एक उदासीन एल-नीनो-दक्षिणी दोलन (El Niño-Southern Oscillation- ENSO) का अनुमान लगाया है। ध्यातव्य है कि जब ENSO उदासीन होता है, तो यह ऑस्ट्रेलियाई और वैश्विक जलवायु को बहुत कम प्रभावित करता है, जिसके कारण IOD आदि के सापेक्षिक प्रभाव अधिक हो जाते हैं।

कोस्टल डेम तकनीक और आपदा प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक गैर सरकारी संगठन क्लाइमेट सेंट्रल (Climate Central) द्वारा वैश्विक स्तर पर किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित लोगों की संख्या पूर्व अनुमानित आँकड़ों से लगभग 88% अधिक है।

नोट :

प्रमुख बिंदु :

- अध्ययन के अनुसार, यदि समुद्री जलस्तर इसी प्रकार बढ़ता रहा तो वर्ष 2050 तक 36 मिलियन और वर्ष 2100 तक भारत में 44 मिलियन लोग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होंगे।
- अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 21 मिलियन लोग उच्च ज्वार रेखा से नीचे रहते हैं।
- वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर 6 एशियाई देशों भारत, चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड के लगभग 186 मिलियन लोग प्रतिवर्ष तटीय बाढ़ से प्रभावित होंगे।
- अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि विश्व स्तर पर लगभग 110 मिलियन लोग वर्तमान उच्च ज्वार रेखा के नीचे की भूमि पर और लगभग 250 मिलियन लोग वार्षिक बाढ़ के स्तर से नीचे की भूमि पर रहते हैं।
- वर्तमान अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण 20वीं शताब्दी में विश्व स्तर पर औसत समुद्र जलस्तर 11-16 सेमी. बढ़ गया है।
- इस अध्ययन में नए सॉफ्टवेयर कोस्टल डेम (Coastal DEM- Coastal Digital Elevation Model) का प्रयोग किया गया। कोस्टल डेम से प्राप्त आँकड़े पूर्व में प्रयुक्त की गई तकनीक शटल रडार टोपोग्राफी मिशन (Shuttle Radar Topography Mission - SRTM) से प्राप्त आँकड़ों से लगभग 4 गुना अधिक हैं।

उच्च ज्वार रेखा (High Tide line):

- उच्च ज्वार रेखा भूमि की वो अधिकतम दूरी होती है जहाँ तक उच्च ज्वार (High Tide) पहुँचता है ।

शटल रडार टोपोग्राफी मिशन (Shuttle Radar Topography Mission- SRTM):

- शटल रडार टोपोग्राफी मिशन, संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन- नासा (National Aeronautics and Space Administration- NASA) की एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना थी।
- यह एक रडार मैपिंग प्रणाली है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल स्थलाकृतिक उन्नयन (Digital earth elevation) से संबंधित डेटाबेस प्राप्त करना था।

कोस्टल डेम (Coastal DEM):

- पूर्व में प्रयोग की जाने वाली SRTM में त्रुटियाँ पाई गयीं। इन त्रुटियों को दूर करने के लिये नए सॉफ्टवेयर कोस्टल डेम का विकास किया गया।
- इसको सभी प्रकार के भूमि विस्तार पर प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।
- कोस्टल डेम विश्व भर में समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ विश्लेषण की सटीकता में सुधार के लिये विकसित किया गया है।

प्रवाल

हाल ही में केरल विश्वविद्यालय और फ्रेंड्स ऑफ़ मरीन लाइफ (Friends of Marine Life- FML) नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा कोवलम एवं थुम्बा में प्रवाल की कुछ दुर्लभ प्रजातियों की खोज की गई है।

प्रजातियों के नाम:

- इस खोज के परिणामस्वरूप 9 निम्नलिखित प्रजातियों की पहचान की गई है-
  - फेवाइट्स फ्लेक्सुओसा (Favites Flexuosa)
  - गोनियास्ट्रिया रेटिफॉर्मिस (Goniastrea Retiformis)
  - मोंटीपोरा डिजिटा (Montipora Digita)
  - मोंटीपोरा हिस्पिडा (Montipora Hispida)
  - पावोना वेरियंस (Pavona Varians)
  - एक्रोपोरा डिजिटिफेरा (Acropora Digitifera)
  - फेवाइट्स (Favites)
  - पावोना वेनोसा (Pavona Venosa)
  - पोराइट्स लाईकेन (Porites Lichen)

नोट :

प्रवाल के बारे में:

- प्रवाल एक प्रकार का छोटा समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं।
- इसके शरीर के ऊपर तंतुओं का एक प्रकार का पादप शैवाल रहता है जिसे ज़ूज़ैंथिली शैवाल (Zooxznthellae Algae) कहा जाता है।
- प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में 25 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते है। प्रवालों के लिये 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अनुकूलित तापमान है। इनके विकास के लिये 27-30% लवणता सर्वोत्तम होती है।
- प्रवालों के संरक्षण की स्थिति:
- प्रवालों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध किया गया है।

प्रवालों के संरक्षण का प्रयास:

- प्रवालों के संरक्षण के लिये भारतीय जूलॉजिकल सर्वे (Indian Zoological Survey- IZS) द्वारा पोर्ट ब्लेयर में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट (National Coral Reef Research Institute) खोला गया है।
- ग्लोबल कोरल रीफ मॉनीटरिंग नेटवर्क (Global Coral Reef Monitoring Network- CGRMN) विभिन्न वैज्ञानिक खोज एवं समन्वय द्वारा इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशियेटिव (International Coral Reef Initiative- ICRI) को कोरल परितंत्र की सूचना साझा करता है और संरक्षण एवं प्रबंधन में सहायता प्रदान करवाता है।

सफर

वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (The System of Air Quality and Weather Forecasting And Research- SAFAR) के वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index-AQI) के अनुसार, वर्ष 2019 के नवंबर माह में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पिछले वर्षो की तुलना में कम प्रदूषित रहा।

सफर क्या है ?

- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministery of Earth Science- MoES) द्वारा महानगरों के किसी स्थान-विशिष्ट के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापने के लिये शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है।
- यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology- IITM) पुणे द्वारा निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है।
- इसका संचालन भारत मौसम विभाग (India Meteorological Department-IMD) द्वारा किया जाता है।
- सफर, दिल्ली में भारत की पहली वायु गुणवत्ता आरंभिक चेतावनी प्रणाली (Air Quality Early Warning System) का एक अभिन्न अंग है।

सफर कैसे कार्य करता है ?

- यह मौसम के सभी मापदंडों जैसे- तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति एवं दिशा, पराबैंगनी किरणों और सौर विकिरण आदि की निगरानी करता है।
- इसमें हवा की गुणवत्ता का आकलन 1 से लेकर 500 अंकों तक किया जाता है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक के मानक:

- शुरुआती 100 अंकों को 'अच्छा' (Good) माना जाता है। जैसे-जैसे अंक बढ़ते जाते हैं, हवा की गुणवत्ता 'खराब' होती जाती है।
- 100 से 200 तक के वायु स्तर को 'ठीक-ठाक' (Average) की श्रेणी में रखा जाता है।
- 200 से 300 तक के वायु स्तर को 'खराब' (Poor) माना जाता है।
- 300 से 400 तक के वायु स्तर को 'बहुत खराब' (Very Poor) माना जाता है।
- 400 से 500 तक के वायु स्तर को 'खतरनाक' (Severe) माना जाता है।

नोट :

सामाजिक मुद्दे

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च, 2018 के फैसले में अपने उन निर्देशों को वापस ले लिया है, जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 {The Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989} के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को प्रभावी रूप से कमज़ोर कर दिया था।

न्यायालय द्वारा की गई समीक्षा:

- समीक्षा में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के विभिन्न उपायों के बावजूद वे कमज़ोर बने हुए हैं।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों द्वारा समानता तथा नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये संघर्ष किया जा रहा है।
- समाज में आज भी उनके प्रति भेदभाव एवं अस्पृश्यता विद्यमान है।

न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश:

- ऐसे मामलों में किसी भी निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिये कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं की जाएगी। सबसे पहले शिकायत की जाँच डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी।
- न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह जाँच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिये। जाँच किसी भी स्थिति में 7 दिन से अधिक समय तक न चले।
- इन नियमों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्यवाही की जाएगी।
- अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली अथॉरिटी की लिखित मंज़ूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है और अन्य लोगों को ज़िले के एसएसपी की लिखित मंज़ूरी के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकेगा।
- इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त की पेशी के समय मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कारणों पर विचार करने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या अभियुक्त को और अधिक समय के लिये हिरासत रखा जाना चाहिये अथवा नहीं।
- एससी-एसटी एक्ट की धारा 18 में अग्रिम ज़मानत की मनाही है, लेकिन अदालत ने अपने आदेश में अग्रिम ज़मानत की इजाज़त देते हुए कहा कि पहली नज़र में अगर ऐसा लगता है कि कोई मामला नहीं है या जहाँ न्यायिक समीक्षा के बाद लगता है कि कानून के अंतर्गत शिकायत में दुर्भावना है, वहाँ अग्रिम ज़मानत पर संपूर्ण रोक नहीं है।

क्या है SC/ST (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम ?

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम के लिये लाया गया था। मुख्यत: अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 का यह संशोधित प्रारूप है।

आगे की राह

- लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिये गए हैं और कानून के समक्ष भी सभी को समान माना गया है। ऐसे में किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन अनुचित है फिर चाहे वह सवर्ण हो या दलित। न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भी इसी तर्क की पुष्टि करता है।
- यह शासनतंत्र की ज़िम्मेदारी है कि वह पिछड़े समुदायों और दलितों के संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों का ईमानदारीपूर्वक और भेदभाव रहित दृष्टिकोण अपनाकर अनुपालन सुनिश्चित करे, जिससे इन वर्गों के भीतर उत्पन्न असुरक्षा और उत्पीड़न का डर समाप्त हो सके एवं इनका शासनतंत्र और न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे।
- सरकार का दायित्व है कि इन कानूनों का दुरुपयोग किसी निरपराध को परेशान करने में न किया जाए और ये आपसी दुश्मनी निकालने का एक 'टूल' बनकर न रह जाएँ।

नोट :

रुमेटिक बुखार

चर्चा में क्यों ?

आमवाती बुखार/रुमेटिक (Rheumatic Fever) और आमवाती/रुमेटिक हृदय रोगों (Rheumatic Heart Diseases) से लड़ने के लिये भारत सरकार ने पेनिसिलिन के दोबारा प्रचलन की योजना बनाई है।

पेनिसिलिन

- पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है तथा इसकी खोज सर अलेक्ज़ेंडर फ्लेमिंग (Sir Alexander Fleming) ने वर्ष 1928 में की थी।
- यह एंटीबायोटिक दवाओं का समूह है जो शरीर के कई हिस्सों जैसे- मुँह, गले, कोमल ऊतक, टॉन्सिल, हृदय, फेफड़े और कान आदि में संक्रमण के खिलाफ उपयोगी है।
- पश्चिमी देशों में यह अभी भी प्रथम स्थान पर प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है, द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों के लिये इस एंटीबायोटिक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था।
- भारत में अवास्तविक मूल्य निर्धारण के कारण बाजारों में इसका प्रचलन बंद हो गया था।
- सरकार द्वारा इस दवा का मूल्य बहुत कम निर्धारित किया गया था जिससे इसका उत्पादन बंद हो गया था।

पेनिसिलिन की बहाली के कारण

- भारत में रुमेटिक बुखार और रुमेटिक हृदय रोग के मरीज़ों की संख्या अधिक है, बच्चे के जन्म के समय इस रोग का अनियंत्रित होना मातृ मृत्यु का कारण बन सकता है।
  - रुमेटिक बुखार भारत में स्थानिक है और हृदय रोगों के प्रमुख कारणों में से एक बना हुआ है।
- जनसंख्या आधारित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में रुमेटिक बुखार और रुमेटिक हृदय रोगों से प्रति 1000 लोगों में 2 लोग पीड़ित हैं।
  - हालाँकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council Of Medical Research- ICMR) के अनुसार 5-16 वर्ष की आयु के प्रति 1000 बच्चों में से 6 बच्चे इससे पीड़ित हैं।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, पेनिसिलिन के सेवन से रुमेटिक बुखार और रुमेटिक हृदय रोग का इलाज संभव है।
  - रुमेटिक बुखार के इलाज के लिये पेनिसिलिन सबसे सस्ता विकल्प है।

मातृ मृत्यु

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के 42 दिनों के भीतर प्रसूति महिला की गर्भावस्था या प्रबंधन से संबंधित कारणों से हुई मृत्यु, मातृ मृत्यु कहलाती है, इसमें आकस्मिक कारणों को शामिल नहीं किया जाता है।

मातृ मृत्यु दर

मातृ मृत्यु दर का आशय एक निश्चित समयावधि के दौरान प्रति 100000 पंजीकृत, जन्म या गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं के कारण मातृ मृत्यु की संख्या से होता है। भारत में यह आँकड़ा वर्ष 2016 के अनुसार 130/100000 था।

रुमेटिक बुखार (Rheumatic Fever)

- यह एक संक्रामक रोग है जो लाल बुखार (गला ख़राब करता है) का भी कारक है।
- रुमेटिक बुखार हृदय को स्थायी रूप से नुकसान पहुँचा सकता है जिसमें हृदय वाल्व की क्षतिग्रस्तता से लेकर हृदय की विफलता (Heart Failure) तक हो सकती है।
- **प्रसार:** रुमेटिक बुखार 5-15 वर्ष के बच्चों में सबसे सामान्य है, हालाँकि यह शिशुओं और वयस्कों को भी हो सकता है।
- **कारण:** रुमेटिक बुखार, समूह ए स्ट्रेप्टोकोकस (Group A streptococcus) नामक जीवाणु के कारण हुए गले के संक्रमण से होता है।

नोट :

- इसलिये भारत सरकार पेनिसिलिन को दोबारा प्रयोग में लाने की कोशिश कर रही है तथा इसे 5-15 वर्ष की आयु तक के उन बच्चों में वितरित किया जाएगा जिन्हें कम-से-कम एक बार गले में संक्रमण हुआ है।
- दवा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) द्वारा वितरित किया जाएगा।
- सरकार इसे मूल्य नियंत्रण सूची से हटाने के लिये राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority- NPPA) के साथ भी परामर्श कर रही है।
- उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिये सरकार तीन वर्ष तक दवा की खरीद करेगी जिससे निर्माताओं को उत्पादन प्रक्रिया फिर से शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

मेघालय की अल्पसंख्यक जनजातियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मेघालय सरकार ने 'अनारक्षित जनजातियों' (Unrepresented Tribes) को संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के प्रावधानों से बाहर करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

- पाँच अल्पसंख्यक जनजातियों- बोडो-कछारी, हाज़ोंग, कोच, मान तथा राभा को मेघालय की स्वायत्त आदिवासी परिषदों में 'अनारक्षित जनजातियों' के रूप में नामांकित किया गया है।
- ये आदिवासी परिषदें गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियों के नाम पर आधारित हैं, जो राज्य के तीन प्रमुख मातृसत्तात्मक समुदाय हैं।
- 26 सितंबर, 2019 को मेघालय राज्य सरकार द्वारा छठी अनुसूची में संशोधन के लिये गठित एक उप-समिति ने संशोधित विशेष प्रावधान से 'अनारक्षित जनजातियाँ' शब्द को हटाने हेतु संसद की स्थायी समिति से सिफारिश करने का निर्णय लिया था।
- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन जनजातियों को स्वायत्त ज़िला परिषदों में संवैधानिक अधिकारों तथा प्रतिनिधित्व करने के अवसर से वंचित कर सकता है क्योंकि उनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर संभव नहीं होगा।

हाज़ोंग जनजाति (Hajong Tribe):

- हाज़ोंग जनजाति अधिकांशत: पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों तथा बांग्लादेश में निवास करती है।
- ये लोग मुख्यत: चावल की खेती करते हैं।
- यह जनजाति संगोत्री विवाह (Endogamy) का अनुसरण करती है।
- यह जनजाति हिंदू है तथा हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाज़ों का पालन करती है।

राभा जनजाति (Rabha Tribe):

- यह नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्याँमार और बांग्लादेश तथा भारत के असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल के मंगोलियाई समुदाय से संबंधित हैं।
- राभा जनजाति राभा भाषा के अतिरिक्त असमिया भाषा का भी प्रयोग करती है।
- मेघालय की गारो पहाड़ी के ज़िलों में अधिकतर राभा जनजाति निवास करती है।

कोच जनजाति (Koch Tribe):

- यह असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का एक टिबेटो-बर्मन नृजातीय समुदाय (Tibeto-Burman Ethnolinguistic Group) है।
- इनकी भाषा टिबेटो-बर्मन भाषायी समूह से मिलती जुलती है।
- 1881 की जनगणना के अनुसार, कोच, बोडो-कछारी समुदाय से संबंधित है।

नोट :

बोडो-कछारी (Bodo-Kachari):

- यह पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में निवास करने वाले कई जातीय समूहों को संबोधित किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है।
- ये लोग आम तौर पर असमिया और अन्य टिबेटो-बर्मन (Tibeto-Burman) भाषा बोलते हैं।

सिलिकोसिस

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति से संबंधित के खननकर्त्ताओं ने तपेदिक (Tuberculosis) के बजाय सिलिकोसिस के इलाज के लिये सरकार से अपील की है।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में राजस्थान में बलुआ पत्थर खनन उद्योगों में संलग्न मज़दूरों में सिलिकोसिस की बढ़ती घटनाओं के कारण भारी विरोध देखने को मिला था, फलस्वरूप मध्य प्रदेश में भी इस रोग से संबंधी स्वास्थ्य देखभाल की मांग की जा रही है।
- इस रोग में खनन कार्य के दौरान सिलिका के कण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। यह रोग प्रभावी होने लगता है।

सिलिकोसिस क्या है ?

- सिलिकोसिस फेफ़ड़ों से संबंधी बीमारी है। सिलिका के छोटे-छोटे कण के साँस के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश से होते हैं। जो इकटठा होते जाते हैं। ध्यातव्य है कि सिलिका एक धातु है जो रेत, चट्टान और क्वार्टज जैसे खनिज अयस्कों का हिस्सा होती है।
- जिससे साँस लेने में परेशानी होना, खाँसी, बुखार आदि समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है।
- स्थायी शारीरिक विकलांगता प्रदान करने की क्षमता के कारण सिलिकोसिस को लाइलाज बीमारी के रूप में देखा जाता है।
- इससे सिलिका धूल के संपर्क में आने वाले व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जो प्राय: खनन क्षेत्र, काँच निर्माण, भवन निर्माण उद्योग आदि क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं।
- इसके संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि रोगी तपेदिक (Tuberculosis) से ग्रसित है या सिलिकोसिस से।

सिलिकोसिस की रोकथाम के लिये भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- चूँकि भारत में 10 मिलियन से अधिक श्रमिकों के सिलिकोसिस से पीड़ित होने का खतरा है। अत: इसे फैक्ट्री अधिनियम और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत व्यावसायिक रोग की मान्यता दी गई है जो कि नियोक्ता द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने की अनिवार्यता प्रदान करती है।
- सिलिकोसिस को खान अधिनियम (Mines Act), 1952 और फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत अधिसूचित बीमारी के रूप में शामिल किया गया है।
- इसके अलावा फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत हवादार कामकाजी वातावरण, धूल से सुरक्षा, बुनियादी व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान को अनिवार्य किया गया है।

सहरिया जनजाति

- भारत में सहरिया जनजाति मुख्यत: मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हालाँकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और असम के मैदानी क्षेत्रों में भी यह जनजाति पाई जाती है।
- ये मुंडा भाषा बोलते हैं जो ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है।

नोट :

- सहरिया जनजाति को उनके पेशे के आधार पर चार उपजातियों में विभाजित किया गया है:
  1. आरसी- ये बुनकर का काम करते हैं।
  2. मुली- ये लौहकार के रूप में प्रचलित हैं।
  3. किंडल- ये टोकरी निर्माण का काम करते हैं।
  4. कुम्बी- ये कुम्हार के रूप में प्रचलित हैं।
- इन्हें भील समुदाय के छोटे भाइयों के रूप में भी जाना जाता है (भील मुख्य रूप से पश्चिम भारत में लोगों का एक जातीय समूह है)।

असम चाय उद्योग और श्रम कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऑक्सफैम (OXFAM) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में असम के चाय बागानों में हो रहे श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन का वर्णन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- ऑक्सफैम इंडिया ने टाटा इंस्टीटयूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ के साथ मिलकर असम में चाय बागानों के श्रमिकों की स्थिति पर 'Addressing the human cost of Assam tea' नामक शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- रिपोर्ट के अनुसार, असम सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी को बढाकर 351 रुपए करने की प्रतिबद्धता, इस क्षेत्र में वित्तीय व्यवहार्यता की बाधाओं की वजह से ही ली गई है।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि दिन में 13 घंटे से अधिक काम करने के बावजूद, श्रमिक 137-167 रुपए के बीच कमाते हैं।
- आमतौर पर चाय ब्रांड और सुपरमार्केट का भारत में असम चाय के लिये उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत के 58.2% पर अधिकार होता है तथा बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के पास उस कीमत का सिर्फ 7.2% भाग ही पहुँच पाता है।
- ऑक्सफैम ने उपभोक्ताओं, सुपरमार्केट और ब्रांडों से श्रमिकों को उचित मज़दूरी प्रदान करने के लिये असम सरकार के कदम का समर्थन करने और उपभोक्ताओं द्वारा अदा किये गए मूल्य को निचले स्तर तक पहुँच सुनिश्चित करने को कहा है।
- ऑक्सफैम की रिपोर्ट इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि चाय बागान श्रमिक और उनके परिवार बहुत संवेदनशील अवस्था में जी रहे हैं। ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार श्रमिक जो वेतन पाते हैं, वह बहुत कम है और उनके कामकाज तथा रहन-सहन की स्थिति को तत्काल सुधारने की आवश्यकता है।
- ऑक्सफैम की रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित "व्यावसायिक सुरक्षा और कार्यस्थल स्थिति विधेयक 2019" की सराहना भी की गई है।

असम चाय उद्योग:

- भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम की चाय अपनी विशिष्ट गुणवत्ता विशेषकर अपने कड़क स्वाद और रंग के लिये जानी जाती है।
- असम अखिल भारतीय उत्पादन का लगभग 53% और विश्व में उत्पादित चाय के लगभग 1/6 वें हिस्से का उत्पादन करता है।
- राज्य में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के मैदानी भाग में चाय उगाई जाती है। अधिकांश चाय के बागान तिनसुकिया, डिब्रूगढ, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, नागाँव और सोनितपुर ज़िलों में पाए जाते हैं।

इंडियन टी एसोसिएशन (ITA):

- 1881 में स्थापित इंडियन टी एसोसिएशन भारत में चाय उत्पादकों का प्रमुख और सबसे पुराना संगठन है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है।
- ITA ने नीतियों के निर्माण और चाय उद्योग के विकास हेतु कार्रवाई शुरू करने के लिये एक बहुआयामी भूमिका निभाई है। टी बोर्ड, सरकार और अन्य संबंधित निकायों के साथ संपर्क स्थापित करना भी ITA का प्रमुख कार्य है।

नोट :

- ITA की असम और पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर शाखाएँ हैं। 425 से अधिक बागानों के साथ ITA और इसकी शाखाएँ भारत के कुल चाय उत्पादन का 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। नियोक्ता के रूप में ITA सदस्य उद्यान 400,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करते हैं।

ऑक्सफैम

- वर्ष 1942 में स्थापित ऑक्सफैम 20 स्वतंत्र चैरिटेबल संगठनों का एक संघ है।
- यह वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिये काम करता है और ऑक्सफेम इंटरनेशनल इसकी अगुवाई करता है।
- वर्तमान में विनी ब्यानिमा इस गैर-लाभकारी समूह की कार्यकारी निदेशक हैं।
- इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है।

निष्कर्ष:

चूँकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद-21 द्वारा प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अत: संबंधित संस्थाओं तथा सरकारों को असम के बागानों में कार्य कर रहे श्रमिकों की जीवन स्तर में सुधार के लिये प्रयास करना चाहिये।

मिज़ोरम: सर्वाधिक HIV प्रभावित राज्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मिज़ोरम में HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus) के कुछ नए मामले सामने आए।

मुख्य बिंदु:

- मिज़ोरम राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (MCACS) द्वारा एकत्रित आँकड़ों के अनुसार, मिज़ोरम 2.04% की HIV संक्रमण दर के साथ देश का सर्वाधिक HIV प्रभावित राज्य है।
- मिज़ोरम के बाद मणिपुर (1.43% HIV संक्रमण दर) तथा नगालैंड (1.15% HIV संक्रमण दर) के साथ क्रमश: दूसरे तथा तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा HIV प्रभावित राज्य हैं।
- वर्ष 2012-13 के दौरान मिज़ोरम में HIV संक्रमण दर 4.8 से 3.8% तक कम हो गई।
- मिज़ोरम में वर्ष 2017-18 के दौरान HIV संक्रमण में 7.2% की दर से तथा वर्ष 2018-19 में 9.2% की दर से सर्वाधिक वृद्धि हुई।
- कुल HIV संक्रमित व्यक्तियों में 25-34 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति सर्वाधिक, 35-49 वर्ष आयु वर्ग तथा 15-24 आयु वर्ग क्रमश: दूसरे तथा तीसरे स्थान पर सर्वाधिक सुभेद्य मिले।

प्रभावित होने के कारण:

- मिज़ोरम राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (MCACS) द्वारा एकत्रित आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2006 से मार्च 2019 तक पाए गए एड्स प्रभावित व्यक्तियों में 67.21% व्यक्ति यौन संबंधों के कारण प्रभावित हुए।
- HIV संक्रमण का दूसरा मुख्य कारण ड्रग्स लेने के लिये प्रयोग में लाई गई संक्रमित सुई थी जिसके द्वारा लगभग 28.12% व्यक्ति HIV से प्रभावित हुए।
- ईसाई बहुल मिज़ोरम राज्य म्याँमार और बांग्लादेश की सीमा से लगा है एवं लम्बे समय से ड्रग्स एवं मानव तस्करी की समस्या से जूझ रहा है।

मिज़ोरम सरकार ने HIV संक्रमण से बचाव तथा उपचार के लिये मिज़ोरम की राजधानी आइजोल में एक मुहिम की शुरुआत की।

निष्कर्ष

मिज़ोरम की भौगोलिक सीमाएँ म्याँमार तथा बांग्लादेश जैसे देशों के साथ मिलती हैं जहाँ से मानव दुर्व्यापार तथा ड्रग्स जैसे अवैध कार्यों के मामले सामने आते रहते हैं। चूँकि मिज़ोरम का युवा वर्ग इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है, अत: भविष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकारों को ऐसी नीतियों और योजनाओं का निर्माण करना चाहिये जिससे HIV के दंश से मिज़ोरम को बचाया जा सके।

नोट :

राज्यों की स्वास्थ्य प्रणाली पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों की हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग- कंडीशनेलिटी रिपोर्ट ऑफ स्टेट्स (Health System Strengthening-Conditionality Report of States) 2018-19 जारी की।

- रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM) के विभिन्न मानकों पर 14 राज्यों के खराब प्रदर्शन के कारण उनकी प्रोत्साहन राशि में कटौती की गई है।

कंडीशनेलिटी आधारित वित्तीयन का महत्त्व:

- निष्पादन आधारित प्रोत्साहन (Performance Based Incentives) किसी भी प्रणाली की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने का कुशल तरीका है।
- इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कुछ कंडीशनेलिटिज़ (शर्तों) को जोड़ा गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के तहत 80% वित्त का आवंटन सामान्य प्रक्रिया से किया जाता है, जबकि 20% वित्त का आवंटन राज्य के निष्पादन पर निर्भर करता है।
- यह सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद के माध्यम से देशभर में बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को प्रोत्साहित करता है।

कंडीशनेलिटी फ्रेमवर्क

- वर्ष 2018-19 के लिये कंडीशनेलिटी फ्रेमवर्क में सात प्रमुख संकेतक शामिल हैं, जिनके आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निष्पादन का आकलन किया गया है।
- प्रोत्साहनों (Incentives) का दावा करने के लिये पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज (Full Immunization Coverage) को क्वालीफाइंग मानक के रूप में स्थापित किया गया था।

संकेतक	भारांश
नीति आयोग की रिपोर्ट आधारित स्वास्थ्य परिणामों पर वृद्धिशील सुधार	40
स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का परिचालन	20
मानव संसाधन सूचना प्रणाली (Human Resource Information System- HRIS) का क्रियान्वयन	15
ज़िला अस्पतालों की ग्रेडिंग	10
ज़िलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता	5
30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (ग्रामीण और शहरी) की कार्यात्मकता आधारित रेटिंग	5

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- वर्ष 2018-19 के लिये 20 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रोत्साहन अर्जित करने में सफल रहे।
- दो राज्यों ने न तो प्रोत्साहन राशि प्राप्त की और न ही उन्हें दंडित किया गया, जबकि शेष राज्यों को खराब प्रदर्शन के लिये दंडित किया गया।
- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और सिक्किम पूर्ण टीकाकरण के न्यूनतम मानदंड (पूर्वोतर एवं EAG राज्यों के लिये 75%) को पूरा नहीं कर सके, इसलिये इन राज्यों के निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया गया तथा चारों राज्यों को दंडित किया गया।
- पूर्वोत्तर राज्यों में असम, त्रिपुरा तथा मणिपुर ने ही प्रगति दर्ज कराई है और ये प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में सफल रहे।
- बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा मिज़ोरम का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। अत: दंडस्वरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इन राज्यों के निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि मंष कटौती की गई है।
- दादरा और नगर हवेली, हरियाणा, असम, केरल एवं पंजाब सबसे अच्छा निष्पादन करने वाले शीर्ष पाँच राज्य हैं।

नोट :

- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को निर्धारित संकेतकों पर खराब निष्पादन के कारण दंडित करते हुए इनके प्रोत्साहन राशि में कटौती की गई।
- सशक्त कार्यवाही समूह राज्यों में ओडिशा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

सशक्त कार्यवाही समूह (Empowered Action Group- EAG)

- आठ राज्यों के समूह जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, को सशक्त कार्यवाही समूह कहा जाता है।
- ये राज्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, साथ ही जनसांख्यिकीय संक्रमण में पिछड़ गए हैं और देश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर इन्हीं राज्यों में है।
- देश की कुल शिशु मृत्यु दर में 60% हिस्सा इन्हीं राज्यों का है।
- नीति आयोग के स्वास्थ्य परिणामों पर प्रदर्शन संकेतक में 36 में से 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रगति दिखाई है, जबकि 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है।
- पंजाब और दमन एवं दीव क्रमशः राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों के परिचालन के मामले में शीर्ष पर रहे।
- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के निर्धारित मानदंड क्रियान्वित न करने के कारण पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, बिहार एवं नगालैंड की प्रोत्साहन राशि में कटौती की गई है।
- 31 में से 27 राज्यों में कम-से-कम 75% ज़िले मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। EAG राज्यों में केवल उत्तर प्रदेश और झारखंड ऐसे राज्य हैं जिनमे 75% से भी कम ज़िले मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करा रहे हैं।
- 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग के मानक पर 23 राज्यों ने आवश्यक मापदंड पूरा किया। इस मानक पर तमिलनाडु, गोवा, दमन और दीव क्रमशः शीर्ष तीन राज्य रहे।
- असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, पंजाब और त्रिपुरा ने मानव संसाधन सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिये पूर्ण प्रोत्साहन अर्जित किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: एक सिंहावलोकन

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2013 में शुरुआत की गई थी।
- वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मार्च, 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में चार घटक शामिल हैं-
  1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
  2. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
  3. तृतीयक देखभाल कार्यक्रम
  4. स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिये मानव संसाधन।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रजनन-मातृ-नवजात शिशु-बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य (Reproductive-Maternal-Neonatal-Child and Adolescent Health- RMNCH+A) तथा संक्रामक व गैर-संक्रामक रोगों के दोहरे बोझ से निपटने के लिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य न्यायसंगत, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौम पहुँच सुनिश्चित करना है जो कि लोगों की आवश्यकताओं के प्रति ज़वाबदेह एवं उत्तरदायी हो।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित संकेतकों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है-

- मातृ मृत्यु दर (MMR) को 1/1000 के स्तर पर लाना।
- शिशु मृत्यु दर (IMR) को 25/1000 के स्तर पर लाना।
- कुल प्रजनन दर (TFR) को कम करके 2.1 पर लाना।
- 15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया रोकथाम एवं नियंत्रण।

नोट :

- संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों, चोटों तथा उभरते रोगों से होने वाली मौतों को नियंत्रित करना।
- कुल स्वास्थ्य देखभाल खर्च में व्यक्तिगत आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में कमी लाना।
- क्षय रोग के वार्षिक मामलों एवं मृत्यु दर को घटाकर आधा करना।
- कुष्ठ रोग की व्यापकता को <1/10000 के स्तर पर लाना और सभी ज़िलों में नए मामलों को भी शून्य तक लाना।
- मलेरिया के वार्षिक मामलों को <1/1000 के स्तर पर लाना।
- सभी ज़िलों में माइक्रोफाइलेरिया की व्यापकता को एक प्रतिशत तक कम करना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियाँ और नवीन पहलें

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के बाद से MMR, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर अर्थात् अंडर फाइव मॉर्टेलिटी रेट (U5MR) और IMR में गिरावट आई है।
- भारत में मलेरिया से होने वाली मौतों में वर्ष 2013 और वर्ष 2017 में क्रमश: 49.09% एवं 50.52% तक की कमी दर्ज की गई है।
- संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को और सघन किया गया है। पूरे देश में सभी टीबी रोगियों को बेडाक्विलीन और डेलमिनायड की नई दवा की खुराक एवं उपचारावधि के दौरान पोषण सहायता दी जा रही है।
- वर्ष 2018-19 में 52744 आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (AB-HWC) को मंज़ूरी दी गई, जिसके तहत 15000 के लक्ष्य के प्रति 17149 HWC का संचालन किया गया।
- टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन को टेटनस डिप्थीरिया वैक्सीन से प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिससे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वयस्कों में डिप्थीरिया प्रतिरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
- वर्ष 2018 में 17 अतिरिक्त राज्यों में मीजल्स-रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें मार्च 2019 तक 30.50 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया।
- वर्ष 2018-19 के दौरान रोटावायरस वैक्सीन अतिरिक्त दो राज्यों में शुरू किया गया जिससे वर्तमान में सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को इसके अंतर्गत लाभ पहुँचाया जा रहा है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन (Pneumococcal Conjugated Vaccine- PCV) का विस्तार मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शेष ज़िलों में किया गया।
- पोषण अभियान के तहत अप्रैल 2018 में एनीमिया-मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम को हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई की रोकथाम, प्रबंधन एवं उपचार के लिये अनुमोदित किया गया है जिससे हेपेटाइटिस के अनुमानित 5 करोड़ रोगी लाभान्वित होंगे।

वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूनिसेफ (UNICEF) ने वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट (World's Children Report) जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- यूनिसेफ ने पिछले 20 वर्षों में पहली बार बच्चों के पोषण से संबंधित रिपोर्ट जारी की है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में 5 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक 3 बच्चों में से एक बच्चा कुपोषण अथवा अल्पवज़न की समस्या से ग्रस्त है। पूरे विश्व में लगभग 200 मिलियन तथा भारत में प्रत्येक दूसरा बच्चा कुपोषण के किसी न किसी रूप से ग्रस्त है।

वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट में भारत की स्थिति निम्न है:

- लंबाई के अनुपात में कम वज़न (Child Wasting):
  - इस श्रेणी के अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनका वज़न उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 17% बच्चे कुपोषण की इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

नोट :

- आयु के अनुपात में लंबाई का न बढ़ना- बौनापन (Child Stunting):
  - इस श्रेणी के अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनकी लंबाई आयु के अनुपात में कम होती है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 35% बच्चे पोषण की कमी के कारण कुपोषण की इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
- बाल मृत्यु दर (Child Mortality Rate) :
  - एक वर्ष के भीतर 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को बाल मृत्यु दर कहते हैं।
  - रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 8 लाख बच्चों की मृत्यु हुई जो कि नाइजीरिया (8.6 लाख), पाकिस्तान (4.09 लाख) और कांगो गणराज्य (2.96 लाख) से भी अधिक है।

वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट के अन्य पक्ष:

- भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 33% बच्चे अपनी आयु के आधार पर कम वज़न (Underweight) की समस्या से तथा इसी आयु वर्ग के 2% बच्चे आयु के अनुपात में अधिक वज़न (Overweight) की समस्या से ग्रस्त हैं।
- सरकार के अनुसार, वर्ष 2016-2018 के बीच बौनेपन (Stunting) और अल्पवज़न (Wasting) की समस्या से जूझ रहे बच्चों की संख्या में 3.7% की कमी आई तथा अल्पवज़न (Unerweight) की समस्या से जूझ रहे बच्चों की संख्या में 2.3% की कमी आई।
- दक्षिण एशिया के देशों में भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन, अल्पवज़न, अल्पवज़न की श्रेणियों में 54% की दर के साथ अत्यंत बुरी स्थिति है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश में यह क्रमश: 49% और 46% है। दक्षिण एशिया में आनुपातिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश क्रमश: श्रीलंका (28%) और मालदीव (32%) हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, 6 महीने से 2 वर्ष की आयु वर्ग के 3 बच्चों में से 2 बच्चों को ऐसा खाना नहीं मिल पाता है जिससे उनका शरीर तथा मस्तिष्क अच्छी तरह से विकसित हो सके। इस कारण उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता की कमी, मस्तिष्क का कम विकास तथा उनमें संक्रमण के खतरे बढ़ जाते हैं और कई मामलों में मृत्यु भी हो जाती है।
- यूनिसेफ के अनुसार, भारत में गरीबी, शहरीकरण के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन खराब आहार के लिये ज़िम्मेदार है।
- केवल 61% भारतीय बच्चे, किशोर और माताएँ सप्ताह में कम से कम एक दिन दुग्ध उत्पादों का सेवन कर पाते हैं। उनमें से केवल 40% सप्ताह में एक दिन फलों का सेवन कर पाते हैं।
- भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 5 बच्चों में से एक बच्चा विटामिन A की कमी से ग्रस्त है जो कि भारत के लगभग 20 राज्यों में गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है।
- भारत में प्रत्येक दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है तथा प्रत्येक 10 में से एक बच्चा प्री-डायबिटिक (Pre-Diabetic) है।
- भारतीय बच्चे, वयस्कों को होने वाली बीमारियों जैसे- उच्च रक्तचाप, क्रोनिक (Chronic) किडनी तथा मधुमेह से ग्रस्त हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, वैश्वीकरण तथा शहरीकरण के कारण भारत में मौसमी खाद्य पदार्थों और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के स्थान पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बढ़ावा मिला है जिसके कारण विकसित देशों में ही नहीं बल्कि विकासशील देशों में भी बढ़ता हुआ मोटापा नियंत्रण से बाहर हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष- यूनिसेफ (United Nations Childrens Fund)

- यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर, 1946 को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप और चीन में बच्चों तथा महिलाओं की आपातकालीन ज़रुरतों को पूरा करने के लिये की गई थी।
- वर्ष 1950 में यूनिसेफ की कार्य सीमाओं को विकासशील देशों के बच्चों तथा महिलाओं की दीर्घकालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये विस्तारित कर दिया गया।
- वर्ष 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग बन गया ।

नोट :

वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट-2019 और भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट- 2019 (Global Tuberculosis Report- 2019) जारी की है।

मुख्य बिंदु:

- वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट-2019 के आँकड़े 202 देशों और क्षेत्रों से लिये गए हैं जो विश्व की लगभग 99% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह रिपोर्ट सतत् विकास लक्ष्य क्रमांक- 3 के लक्ष्यों को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रगति प्रस्तुत करती है। सतत् विकास लक्ष्य क्रमांक-3 के अनुसार, सभी आयु के लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना तथा वर्ष 2030 तक तपेदिक का उन्मूलन करना है।
- यह रिपोर्ट वर्ष 2018 में तपेदिक पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च-स्तरीय बैठक में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति प्रस्तुत करती है।

भारत की स्थिति:

- वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट-2019 के अनुसार, भारत में पिछले वर्ष तपेदिक के रोगियों की संख्या में 50000 की कमी आई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में भारत में तपेदिक रोगियों की संख्या 27.4 लाख थी जो वर्ष 2018 में घटकर 26.9 लाख हो गई।
- वर्ष 2017 में प्रति एक लाख लोगों पर तपेदिक के रोगियों की संख्या 204 थी जो कि वर्ष 2018 में घटकर 199 हो गई।
- एक परीक्षण के अनुसार रिफम्पिसिन (Rifampicin) प्रतिरोधक रोगियों की संख्या वर्ष 2017 के 32% से बढ़कर वर्ष 2018 में 46% हो गई।
- वर्ष 2017 में तपेदिक के नए और पुन: तपेदिक (ड्रग सेंसिटिव) ग्रस्त रोगियों के इलाज की सफलता दर 81% हो गई जो कि 2016 में 69% थी।
- भारत में वर्ष 2018 में तपेदिक के लगभग 2.69 मिलियन मामले सामने आए परंतु उनमें से 2.15 मिलियन मामलों की सूचना भारत सरकार के पास मौज़ूद थी तथा लगभग 5,40,000 रोगियों की पहचान नहीं हो पाई ।

तपेदिक उन्मूलन की दिशा में भारत के प्रयास:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 'इंडिया टी. बी. रिपोर्ट' के अनुसार भारत ऑनलाइन अधिसूचना प्रणाली 'निक्षय' (NIKSHAY) के माध्यम से सभी तपेदिक मामलों को कवर करने के निकट है।
- इंडिया टी.बी.रिपोर्ट में कहा गया है कि तपेदिक के सभी रोगियों को नि:शुल्क उपचार सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान कर उन्हें अत्याधुनिक नैदानिक परीक्षण की सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध कराई गईं हैं।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत तपेदिक से प्रभावित रोगियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना के अंतर्गत पोषक आहार के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
- MDR (Multi Drug Resistance) तपेदिक के मामलों में ओरल ड्रग्स (Oral Drugs) को बेडाक्युलिन (Bedaquiline) जैसी दवाओं से बदला जा रहा है।

वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 1997 से प्रत्येक वर्ष विश्व तपेदिक रिपोर्ट जारी करता है।
- इसका उद्देश्य तपेदिक के निदान के लिये वैश्विक, क्षेत्रीय तथा देशों के स्तर पर व्यक्त की गईं प्रतिबद्धताओं और रणनीतियों के संदर्भ में व्यापक एवं अद्यतन मूल्यांकन करना है।

मास्को घोषणा घोषणा:

- तपेदिक के उन्मूलन के लिये नवंबर 2017 में मास्को में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के सम्मिलित प्रयासों से पहली बार मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित हुई।
- मास्को घोषणा में वर्ष 2030 तक तपेदिक उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है।

नोट :

निष्कर्ष :

सतत् विकास लक्ष्य क्रमांक-3 की प्राप्ति हेतु अर्थात् सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक सुलभ पहुँच स्थापित करने और तपेदिक जैसे संक्रामक रोग के उन्मूलन के लिये सभी राष्ट्रों को प्रयास करना चाहिये।

भारत में बढ़ते आपराधिक मामले

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau-NCRB) ने देश भर में अपराध की घटनाओं को लेकर डेटा प्रकाशित किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस डेटा में भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लीचिंग), प्रभावशाली लोगों द्वारा हत्या, खाप पंचायत द्वारा आदेशित हत्या और धार्मिक कारणों से की गई हत्याओं के डेटा को प्रकाशित नहीं किया गया है।
- NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 की तुलना में देश में अपराधों की घटनाओं में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- इसमें देशद्रोह, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और दूसरों के बीच सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे अपराध शामिल हैं।
  - सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे अपराध हरियाणा (2,576) के बाद यूपी (2,055) में बड़े पैमाने पर हुए हैं।
  - राजद्रोह के मामले हरियाणा (13) के बाद असम (19) में सबसे अधिक सामने आए हैं । जम्मू और कश्मीर में देशद्रोह का सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में असम को छोड़कर, ऐसी कोई घटना नही हुई है।
- एंटी-नेशनल एलिमेंट्स की विभिन्न श्रेणियों द्वारा किये गए अपराधों में अधिकतम अपराध लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेटिव्स द्वारा किये गए, इसके बाद नॉर्थ-ईस्ट विद्रोहियों और आतंकवादियों (जिहादी और अन्य तत्त्व) द्वारा किये गए हैं।
- महिलाओं के मामलों में IPC के तहत दर्ज किए गए अपराधों में से अधिकांश मामले (33.2%) महिलाओं के साथ उनके पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के खिलाफ थे।
  - महिलाओं की ईमेज को नुकसान पहुँचने के इरादे से हमले के संबंध में 27.3 %,
  - अपहरण और उन्हे बहला-फुसलाकर भगाने में 21.0 % और बलात्कार के 10.3% मामले दर्ज हुए हैं।
  - महिलाओं से संबंधित सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए उसके बाद महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल हैं।
- वर्ष 2017 के दौरान क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन (Crime Against Children) के तहत दर्ज अपराधों में अपहरण (42.0%) के मामले प्रमुख थे।
  - वहीं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत बलात्कार सहित 25.3% मामले थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

- NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान करके समर्थ बनाया जा सके।
- NCRB नीति संबंधी मामलों और अनुसंधान हेतु अपराध, दुर्घटना, आत्महत्या और जेल संबंधी डेटा के प्रामाणिक स्रोत के लिये नोडल एजेंसी है।
- NCRB 'भारत में अपराध', 'दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और आत्महत्या', 'जेल सांख्यिकी' तथा फ़िंगर प्रिंट पर 4 वार्षिक प्रकाशन जारी करता है।
- बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों की अंडर-रिपोर्टिंग के चलते वर्ष 2017 से NCRB ने बाल यौन शोषण के आँकड़ों को भी एकत्रित करना प्रारंभ किया है।
- NCRB को वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 'डिजिटल इंडिया अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया था।
- भारत में पुलिस बलों का कंप्यूटरीकरण वर्ष 1971 में प्रारंभ हुआ। NCRB ने CCIS (Crime and Criminals Information System) को वर्ष 1995 में, CIPA (Common Integrated Police Application) को वर्ष 2004 में और अंतिम रूप में CCTNS को वर्ष 2009 में प्रारंभ किया।

नोट :

जियो पारसी योजना

संदर्भ

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा पारसी समुदाय की कम होती जनसंख्या से संबंधित मुद्दों हेतु वर्ष 2013 से जियो पारसी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जनसंख्या गिरावट से संबंधित मुद्दे:

- केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुसार, पारसी समुदाय की जनसंख्या वर्ष 1941 में लगभग 114,000 थी जो वर्ष 2011 में घटकर 57,264 हो गई।
- मंत्रालय के अनुमानानुसार, समुदाय की प्रजनन दर प्रति महिला एक से भी कम है।
- पारज़ोर फाउंडेशन (Parzor Foundation) के अनुसार, पारसी समुदाय की जनसंख्या में तेजी से गिरावट के कारणों में बांझपन और देरी से विवाह प्रमुख हैं। यह फाउंडेशन पारसी (जोरोस्ट्रियन) संस्कृति के संवर्द्धन और संरक्षण के लिये कार्य करता है।

कार्यान्वयन:

- इस योजना के तहत परामर्श के साथ-साथ चिकित्सा घटक को भी शामिल किया गया है।
- परामर्श कार्यक्रम के तहत समुदाय में घटती संख्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।
- प्रजनन मुद्दों की जाँच और उपचार के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस केंद्र प्रायोजित योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 12 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है।
- इस योजना के तहत ART और सरोगेसी के लिये दम्पति को प्रति बच्चा अधिकतम 8 लाख रुपए की सहायता दी जाती है।
- यह योजना सभी पारसी दम्पतियों हेतु लागू है, भले ही उनकी कैसी भी वित्तीय स्थिति हो।

उद्देश्य:

- जनसंख्या गिरावट से संबंधित समस्याओं का समग्र मूल्यांकन करना।
- सरकार इस योजना के माध्यम से पारसी दंपतियों को बच्चे पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये नकद सहायता प्रदान करती है, इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् सहायक प्रजनन तकनीकों (Assisted Reproductive Techniques- ART) के माध्यम से पिछले पाँच वर्षों में 214 बच्चे पैदा हुए हैं।

पारसी समुदाय के बारे में:

- पारसी समुदाय के लोग लगभग 1,000 वर्ष पूर्व फारस (Persia) से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे।
- भारत में रहते हुए इस समुदाय ने अपने विशिष्ट रीति-रिवाजों को बनाए रखकर स्वयं को भारतीय समाज में एकीकृत कर लिया।
- पारसी समुदाय की सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में है और द्वितीय स्थान पर गुजरात है।

आगे की राह:

- पारसी समुदाय पर केवल दो बच्चों से संबंधित मानकों को नहीं लागू किया जाना चाहिये , इस प्रकार के प्रावधानों में उनको विशेष छूट मिलनी चाहिये।
- वित्तीय सहायता में वृद्धि की जानी चाहिये।
- जनगणना के पारंपरिक तरीके (प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना) के विपरीत इनकी विशेष जनगणना की जानी चाहिये।

नोट :

टू चाइल्ड नॉर्म

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में असम सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरी के आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्रमुख बिंदु

- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद असम चौथा राज्य है जहाँ सरकारी नौकरियों के लिये आवेदन करने हेतु इस प्रकार के नियम की घोषणा की गई है।
- इसके अतिरिक्त कम-से-कम पाँच ऐसे अन्य राज्य हैं जिन्होंने पंचायतों, नगर निगमों और जिला परिषदों जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव में भागीदारी करने वाले उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार के नियम बनाए हैं ।

नियम की सीमाएँ

- सामान्यत: अधिक बच्चों की प्रवृत्ति समाज के निम्न या पिछड़े वर्गों में देखी जाती है और इस प्रकार के नियमों से उनके लिये सरकारी नौकरी के अवसर और मुश्किल हो जाएंगे।
- समाज में महिलाओं की प्रजनन दर को कई अन्य पारिवारिक और सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं।
- हाल के जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार पिछले कुछ दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर वैसे ही काफी धीमी हो गई है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey-NFHS4) के अनुसार, भारत की वर्तमान कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) 2.2 है जो वांछित कुल प्रजनन दर के स्तर 2.1 के बहुत करीब है।
- NFHS-4 के तहत पहली बार राज्य एवं ज़िला स्तर पर परिवार कल्याण स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर प्रजनन क्षमता, शिशु और बाल मृत्यु के स्तर का एकीकृत सर्वेक्षण किया गया।
- NFHS-4 के आँकड़े के अनुसार, 30 मिलियन (तकरीबन 13%) से अधिक महिलाएँ गर्भनिरोधक का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

प्रजनन दर (Fertility rate) और शिक्षा

- NFHS-4 का डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि महिलाओं के शिक्षा स्तर का प्रजनन दर पर सीधा असर पड़ता है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, कभी स्कूल न जाने वाली जो महिलाओं की प्रजनन दर 3.0 है जबकि 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली महिलाओं की प्रजनन दर 1.7 है।

जनसंख्या वृद्धि (Population Growth)

- TFR में गिरावट के बावजूद भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। पूरी जनसंख्या में 50% लोग 15-49 आयु वर्ग है इसलिये अभी भी प्रजनन दर कम होने के बावजूद भी जनसंख्या में कमी नहीं हो रही है।

आगे की राह

- प्रजनन दर में कमी के लिये विवाह की आयु बढ़ाने, पहली गर्भावस्था में देरी और जन्मों के बीच अंतर सुनिश्चित करने जैसे उपायों की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त देश की जनसांख्यिकीय विशिष्टता (Demographic Peculiarity) से निपटने के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और रोज़गार के मार्ग में निवेश की आवश्यकता है।

नोट :

दवाओं की खुदरा बिक्री

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार स्थानीय खुदरा दुकानों को सामान्य दवाओं (Common Drugs) की बिक्री संबंधी अनुमति देने की योजना बना रही है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- भारत सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, पैरासिटामोल (Paracetamo) जैसी लोकप्रिय दवाओं को बिना किसी चिकित्सीय पर्ची के नियमित दुकानों पर खुदरा बिक्री की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त इन दवाओं के दुष्प्रभाव और उचित खुराक से संबंधी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।

लाभ

- **भौगोलिक पहुँच:** इस प्रकार के नियम से दूर-दराज के क्षेत्रों तक दवाओं की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जहाँ तक अभी फार्मेसियों की उपलब्धता बहुत सीमित है।
- **स्व-दवा का मुद्दा:** स्व-चिकित्सा (Self-Medication) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है। बिना पर्चे वाली दवाओं (Non-Prescription Drugs) की बिक्री से लाखों लोगों की इन तक पहुँच स्थापित हो सकेगी।
- **चिकित्सकों की उपलब्धता:** देश में इस समय पर्याप्त अनुपात में योग्य चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग दो-तिहाई चिकित्सक शहरी क्षेत्रों में नियुक्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के नियमों से लोगों की दवाओं तक आसान पहुँच स्थापित हो सकेगी।

चुनौतियाँ

- **नियंत्रण:** इस प्रकार के नियमों के क्रियान्वयन से संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होगी क्योंकि अभी तक इसके लिये कोई मानक नहीं स्थापित किये जा सकें हैं।
- **स्वास्थ्य को खतरा:** बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के दवाओं का सेवन स्वास्थ्य हेतु जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
- **अति उपयोग:** सामान्य लोगों की इन दवाओं तक आसान पहुँच स्थापित होने से इनके अति-उपयोग की प्रायिकता बढ़ जाएगी जिससे दीर्घकालिक स्तर पर इन दवाओं के सुपरबग स्थापित हो सकते हैं।

नोट :

कला एवं संस्कृति

सतनामी विद्रोह

संदर्भ

1672 ई. में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था।

कौन थे सतनामी ?

- सतनामी संप्रदाय की स्थापना "बीरभान" नामक एक संत ने नारनौल में 1657 में की थी।
- सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार तथा नीची जाति के लोग थे।
- सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने को सतनामी पुकारते थे।
- सतनामियों को एकेश्वरवादी संप्रदाय कहा गया है।
- इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता था।
- सतनामी अपने संपूर्ण शरीर के बालों को मूँड़कर रखते थे। इसी कारण उन्हें मुंडिया भी कहा जाता था।

विद्रोह के कारण

- सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी और मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े को लेकर हुई।
- विद्रोह तब भड़क उठा जब मुगल सैनिक ने सतनामी को मार डाला।
- सतनामियों ने भी बदला लेने के लिये सैनिक को मार डाला तथा बदले में और मुगल सैनिकों को भेजा गया।
- इस विद्रोह को तब कुचला जा सका जब औरंगजेब ने विद्रोह की कमान संभाली और सतनामियों को कुचलने के लिये तोपखाने के साथ 10,000 सैनिकों को भेजा।
- विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिन्दू ज़मींदारों (जिनमें अधिकतर राजपूत थे) ने मुगलों का साथ दिया था।

मणिपुर और त्रिपुरा का विलय

चर्चा में क्यों ?

15 अक्तूबर, 2019 को भारत के दो उत्तर-पूर्वी राज्यों (मणिपुर और त्रिपुरा) में यह तर्क देते हुए बंद का आह्वान किया गया कि भारत में इन राज्यों का विलय राज्य के प्रतिनिधियों से परामर्श किये बिना ही कर दिया गया था।

मुख्य बिंदु

- गैरकानूनी विद्रोही समूहों, अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कंगलिपक (Alliance for Socialist Unity Kangleipak-ASUK) और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (National Liberation Front of Tripura- NLFT) ने त्रिपुरा और मणिपुर में 15 अक्तूबर, 2019 को दो उत्तर-पूर्वी राज्यों को बंद का आह्वान इस तर्क के साथ किया था कि इन दोनों राज्यों को "विलय के तहत" भारतीय संघ में मिला दिया गया था।
- NLFT पर वर्ष 1997 में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम और फिर आतंकवाद निरोधक अधिनियम (Prevention of Terrorism Act- POTA) 2002 के तहत प्रतिबंध लगाया गया था।

नोट :

भारत में मणिपुर का विलय

- 15 अगस्त, 1947 से पहले शांतिपूर्ण वार्ता के ज़रिये ऐसे लगभग सभी राज्यों, जिनकी सीमाएँ भारतीय संघ के साथ लगती थीं, को एकजुट कर लिया गया था।
- अधिकांश राज्यों के शासकों ने 'परिग्रहण के साधन (Instrument of Accession)' नामक एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये, जिसका अर्थ था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिये सहमत हो गया था।
- आज़ादी के समय मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिये विलयपत्र पर हस्ताक्षर किये थे।
- जनमत के दबाव में, महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए और राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इस प्रकार मणिपुर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग था।
- मणिपुर की विधान सभा में विलय को लेकर अत्यधिक मतभेद थे। भारत सरकार ने सितंबर 1949 में मणिपुर की विधान सभा के परामर्श के बिना एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में सफलता प्राप्त की थी।

भारत में त्रिपुरा का विलय

- 15 नवंबर, 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत थी।
- 17 मई, 1947 को त्रिपुरा के अंतिम महाराजा बीर बिक्रम सिंह के निधन के पश्चात् महारानी कंचनप्रभा (महाराजा बीर बिक्रम की पत्नी) ने त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व संभाला।
- भारतीय संघ में त्रिपुरा राज्य के विलय में उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई थी।

गैरकानूनी समूहों के तर्क

- दोनों राज्यों के अक्षम अधिकारियों द्वारा ड्यूरेस के तहत विलय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- एक निर्वाचित विधायिका और सरकार की स्थापना के बाद मणिपुर का राजा राज्य में नाममात्र का शासक रह गया था।
- एकपक्षीय विलय के बाद त्रिपुरा रियासत में महारानी कंचनप्रभा की भूमिका हमेशा संदेहास्पद रही।
- कुछ समूहों द्वारा यह तर्क भी दिया जाता है कि इन दोनों राज्यों का विलय अनुचित तरीके से किया गया था।

कीलादी संगमकालीन नगरीय बस्ती

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey Of India) द्वारा तमिलनाडु के पुरातत्त्व विभाग द्वारा रखे गए कीलादी सहित चार स्थानों पर उत्खनन जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- विशेषज्ञों ने यह संभावना व्यक्त की है कि इस उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के माध्यम से संगम युग तथा सिंधु घाटी सभ्यता के बीच के इतिहास से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारियों को उद्घाटित किया जा सकेगा।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने तमिलनाडु राज्य के पुरातत्त्व विभाग को शिवगंगा ज़िले के कीलादी, इरोड ज़िले के कोडूमनाल, तिरुनेलवेली ज़िले के सिवागलई तथा थूटुकुड्डी ज़िले के अदिचनाल्लूर में उत्खनन जारी रखने की अनुमति दी है।

महत्वपूर्ण खोज:

- सितंबर 2019 में किये गए कीलादी में सीमित उत्खनन से मिले महत्वपूर्ण अवशेषों से संभावना व्यक्त की गई कि संगम काल का इतिहास छठी शताब्दी ई.पू से संबंधित है विदित है कि अभी तक संगम काल को तीसरी शताब्दी ई.पू. से संबंधित माना जाता है।
- इस उत्खनन के दौरान यह भी पाया गया कि तमिल ब्राह्मी लिपि (तमिली) 580 ई.पू. की लिपि है। जबकि प्रारंभिक साक्ष्यों में इसका काल निर्धारण 490 ई.पू. किया गया था।

नोट :

- 4500 वर्ष पुरानी सिंधु लिपि के विलुप्त होने तथा ब्राह्मी लिपि के उद्भव के बीच के काल से संबंधित कीलादी में लगभग 1001 भित्ति चित्रों के प्रमाण पाये गए हैं, जिससे यह अवधारणा प्रबल हुई है कि यह भित्ति चित्र लौह युग की प्रारंभिक लेखन अभिव्यक्ति हैं क्योंकि दक्षिण भारत में लौह युग का समय 2000 ई.पू.- 600 ई.पू. के बीच माना जाता है।
- गंगा के मैदानों की तरह कीलादी उत्खनन में भी बड़े पैमाने पर ईंटों की संरचना और भित्ति चित्रों के प्रमाण पाये गए हैं जो इस बात का प्रमाण हैं कि तमिलनाडु में छठी शताब्दी ई.पू. नगरीय जीवन विद्यमान था।

अन्य तथ्य:

- 'कीलादी' मदुरै से लगभग 13 किमी. दक्षिण पूर्व में वैगई नदी के किनारे स्थित है। तमिलनाडु पुरातत्त्व विभाग द्वारा यहाँ वर्ष 2014 से 2017 के दौरान तीन चरणों में उत्खनन कार्य किया गया।
- तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के अनुसार, वैगई नदी बेसिन के उत्खनन से तत्कालीन कीलादी की औद्योगिक गतिविधियों एवं नगरीय व्यवस्था के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी।
- कोथांगई नामक स्थल के उत्खनन से भी प्रमाणिक साक्ष्य मिलने की संभावना है क्योंकि यह स्थल उस समय का शवाधान स्थल था। यह स्थान मदुरै मंदिर के समीप ही स्थित है।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल और पाकिस्तान

चर्चा में क्यों:

हाल ही में आतंकवाद के प्रसार के लिये मुहैया कराए जाने वाले धन की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF) ने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक 'ग्रे' लिस्ट में बरकरार रखा है।

मुख्य बिंदु:

- FATF ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (International Co-operation Review Group) की बैठक में पाकिस्तान को कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि उसे फरवरी 2020 तक वैश्विक मानकों को अपनाते हुए आतंकवाद के लिये धन मुहैया कराना रोकना होगा अन्यथा उसे FATF की 'ग्रे' लिस्ट से निकालकर 'ब्लैक' लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
- पाकिस्तान जून 2018 से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिये धन मुहैया कराने के संदर्भ में FATF की 'ग्रे लिस्ट' में अर्थात् FATF की कड़ी निगरानी में है।
- FATF के अनुसार, पाकिस्तान ने आतंकवाद के लिये धन मुहैया कराने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कमज़ोरियों को दूर करने की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है, हालाँकि पाकिस्तान की नई सरकार द्वार उठाए गए कुछ स्पष्ट कदमों का FATF ने स्वागत किया है।
- FATF के अनुसार, आतंकवाद के लिये धन मुहैया कराने और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान की अधिकांश कार्य योजनाएँ अधूरी हैं, पाकिस्तान को इन विषयों पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। FATF के वैश्विक मानकों को पूरा करने में पाकिस्तान की विफलता एक ऐसा मुद्दा है जिसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिये।
- चूँकि पाकिस्तान FATF की 'ग्रे लिस्ट' में बना हुआ है, इसलिये पाकिस्तान के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल होगा।
- FATF ने उल्लेख किया कि पाकिस्तान ने लश्करे-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराने से रोकने के लिये FATF द्वारा दिये गए 27 कार्यों में से केवल 5 कार्यों पर ध्यान दिया।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF)

- FATF की स्थापना वर्ष 1989 में एक अंतर-सरकारी निकाय के रूप में हुई थी।
- FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- FATF की सिफारिशों को वर्ष 1990 में पहली बार लागू किया गया था। उसके बाद 1996, 2001, 2003 और 2012 में FATF की सिफारिशों को संशोधित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रासंगिक और अद्यतन रहें, तथा उनका उद्देश्य सार्वभौमिक बना रहे।
- किसी भी देश का FATF की 'ग्रे' लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है।
- किसी भी देश का FATF की 'ब्लैक' लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी।
- वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य देश हैं। भारत FATF का 2010 से सदस्य है।
- पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है।

नोट :

निष्कर्ष:

FATF द्वारा पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कार्यों पर अंकुश लगाने की कठोर चेतावनी दी गई है अन्यथा उसे FATF की 'ब्लैक' लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से पाकिस्तान के लिये वित्तीय सहायता के दरवाजे बंद हो जाएंगे।

आतंकवाद पर मीडिया का कवरेज़

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुखों की एक बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद पर मीडिया कवरेज को लेकर पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्ग्रेट थैचर (Margret Thatcher) के बयान का उल्लेख किया।

मार्ग्रेट थैचर के कथन का तत्कालीन संदर्भ

जून 1985 में हिज़बुल्लाह के आतंकवादियों ने ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन्स के एक हवाईजहाज को अगवा कर लिया था जिसमे 150 यात्री सवार थे। इस प्रकरण में अगवा किये गए यात्रियों को इजराइल की जेलों में बंद आतंकवादियों के बदले में छोड़ा गया। इस घटना को पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया था।

क्या कहा था मार्ग्रेट थैचर ने ?

मार्ग्रेट थैचर ने कहा था, "आतंकवाद से लड़ने में मीडिया की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है, यदि आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देते हैं और मीडिया शांत है तो आतंकवाद समाप्त हो जायेगा। आतंकवादी लोगों में दहशत पैदा करते हैं। यदि मीडिया इसे नहीं लिखेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा।"

मार्ग्रेट थैचर के अनुसार, आतंकवाद से निपटने में मीडिया की भूमिका

- हमारा समाज मीडिया की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने में यकीन नहीं रखता लेकिन मीडिया को स्वयं एक ऐसे आचार सहिंता पर सहमत होना चाहिये जहाँ वो कुछ भी ऐसा ना दिखाए जिससे किसी आतंकवादी के हितों या लक्ष्यों की प्राप्ति हो।
- आतंकवादी अपनी लोकप्रियता चाहते हैं; इसके बिना उनका महत्त्व कम हो जाता है। वे देखते हैं कि किस तरह हिंसा व आतंक, अखबारों तथा टीवी चैनलों की स्क्रीन पर पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। इस प्रकार की खबरें घटना के शिकार लोगों के पक्ष में सहानुभूति तथा सरकार पर दबाव बनाती हैं कि हिंसा के शिकार लोगों की दुर्दशा को समाप्त किया जाये भले ही उसका परिणाम जो भी हो। आतंकवादी इसका दुरुपयोग करते हैं क्योंकि हिंसा व अत्याचार से उन्हें लोकप्रियता मिलती है।
- आतंकवादी बल प्रयोग करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। इसलिये उनका उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना तथा उनके खिलाफ होने वाले प्रतिरोध को शिथिल करना होता है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में हो रहीं आतंकवादी गतिविधियों के प्रसार के संदर्भ में देखें तो दृष्टिगोचर होता है कि मीडिया तथा सोशल मीडिया का एक बड़ा भाग आतंकवादी गतिविधियों को परोक्ष रूप से लाभान्वित कर रहा है।
- मीडिया आज भी आतंकी गतिविधियों को प्रसारित कर रहा है। प्रौद्योगिकी के उन्नयन से उनकी पहुँच और भी व्यापक हुई है। फलत: लोगों में बढ़ती हिंसा तथा आतंक के कारण असुरक्षा का भाव बना रहता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक व यूटयूब ने आतंकियों को अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में कार्य किया है। इन प्लेटफॉर्म की सहायता से वे समाज में कट्टरता तथा धार्मिक हठधर्मिता का प्रसार करते हैं।

निष्कर्ष

आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिये मीडिया तथा सरकार दोनों को ही मिलकर व्यापक नीति निर्माण करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की नीतियों के निर्माण से मीडिया आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिये सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएगा। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को भी सरकार के साथ ताल-मेल बिठाते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हिंसा तथा कट्टरता को बढ़ावा देने वाली सामग्रियों को नियंत्रित किया जाए।

नोट :

नगा और कुकी समुदाय के बीच बढ़ता तनाव

चर्चा में क्यों ?

कुकी उग्रवादियों के कुछ समूहों ने मणिपुर में कुकी और नगाओं के बीच बढ़ते तनाव को खत्म करने के लिये प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है।

वर्तमान तनाव का कारण

- कुकी और नगा समुदायों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। दरअसल, कुकी नामक गाँव में दोनों समुदायों के बीच अपने-अपने पूर्वजों की स्मृति में पत्थर के स्मारक स्थापित करने को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए मणिपुर सरकार ने स्मारकों को हटाने का आदेश दे दिया है।
- कुकी इंपी चुराचंदपुर (Kuki Inpi Churachandpur-KIC) के तत्त्वावधान में एक समिति द्वारा आंग्ल-कुकी युद्ध की शताब्दी मनाई गई। KIC जो कि विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में कुकी समुदाय की सर्वोच्च संस्था है, ने सभी कुकी गाँवों को शिलालेख के साथ पत्थर के स्मारक स्थापित करने के लिये कहा था। लेकिन नगा समुदाय के लोगों ने नगाओं की पैतृक भूमि पर इन पत्थरों को स्थापित करने का विरोध किया।

आंग्ल-कुकी युद्ध (The Anglo-Kuki War)

- अंग्रेजों के आगमन से पहले, मणिपुर के महाराजाओं के शासन के दौरान कुकी इम्फाल के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख जनजातियों में से एक थे।
- उस समय कुकी जनजाति के लोगों ने अपने क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा।
- अत: आंग्ल-कुकी युद्ध निश्चित रूप से साम्राज्यवादियों से कुकी समुदाय के लोगों की स्वतंत्रता और मुक्ति के लिये लड़ा गया युद्ध था।
- इस युद्ध ने पूर्वोत्तर भारत, म्याँमार और बांग्लादेश में रहने वाले कुकी समुदाय को एकीकृत किया था।
- एंग्लो-कूकी युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अंग्रेजों ने कुकी समुदाय के लोगों को फ्राँस में अपने श्रम समूहों में शामिल होने को कहा और कुकी समुदाय द्वारा इसका विरोध किया गया।
- "The Anglo-Kuki War, 1917–1919: A Frontier Uprising against Imperialism during the First World War" नामक पुस्तक के अनुसार, इस यूद्ध को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
  1. पहला चरण (मार्च-अक्तूबर 1917) निष्क्रिय प्रतिरोध का चरण
  2. दूसरा चरण (अक्तूबर 1917-अप्रैल 1919) सशस्त्र प्रतिरोध की अवधि थी
  3. तीसरा चरण (अप्रैल 1919 से आगे) मुकदमों और आपत्तियों की अवधि थी।

क्या कहते हैं नगा ?

- नगा लोगों का दावा है की वर्ष 1917 में "आंग्ल-कुकी युद्ध" नहीं बल्कि "कुकी विद्रोह" हुआ था।
- मणिपुर के नागा समुदायों की शीर्ष संस्था यूनाइटेड नगा काउंसिल (United Naga Council-UNC) का दृढ़तापूर्वक यह कहना है कि अंग्रेजों के खिलाफ कुकी विद्रोह श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था।
- इसके बाद, नगा समुदायों ने राज्य सरकार को उचित कदम उठाने के लिये कहा, ताकि मणिपुर का इतिहास विकृत न हो।

अतीत में कुकी-नगा संघर्षों के कारण

1. मणिपुर का पुनर्गठन
   - वर्ष 1919 में आंग्ल-कुकी युद्ध के समापन के बाद, प्रशासनिक और लोजिस्टिक्स सुगमता की दृष्टि से मणिपुर राज्य को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।
   - इसमें इम्फाल, चुराचंदपुर, तमेंगलोंग (जो कि कुकी, कबुई नगा और कत्था नगा थे) और उखरुल (जो कुकी और तंगखुल नागा द्वारा बसा हुआ था) जैसे क्षेत्र शामिल थे।
   - मणिपुर के पुनर्गठन को युद्ध का सबसे प्रमुख परिणाम बताया गया है।
   - कुकी प्रमुख जिन्होंने पहले किसी नौकरशाही नियंत्रण के अधीन कार्य नहीं किया गया था, अब उन्हें नौकरशाही के तहत कार्य करना था।

नोट :

पहचान

- यह माना जाता है कि कुकी समुदाय के लोग 18वीं शताब्दी के अंत/19वीं शताब्दी की शुरुआत में पड़ोसी देश म्याँमार से मणिपुर आए थे।
- एक और जहाँ इस समुदाय के कुछ लोग म्याँमार सीमा के आस-पास बसे, वहीँ कुछ अन्य लोग नगा समुदाय वाले गाँवों में बस गए, जो अंततः दोनों समुदायों के बीच विवाद का कारण बना।
- औपनिवेशिक काल के दौरान दोनों के बीच संबंध और अधिक खराब हो गए और आंग्ल-कुकी युद्ध के समय यह चरम पर पहुँच गया, जिसे तांगखुल नगाओं के मौखिक इतिहास में "डार्क पीरियड" (Dark Period) कहा जाता है।
- निश्चित रूप से इन दोनों समुदायों के बीच जातीय संघर्ष का कारण पहचान और भूमि हैं।

कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पूर्वी लद्दाख में दुरबुक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाले कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु (Col Chewang Rinchen bridge) का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- यह सेतु श्योक नदी (River Shyok) पर सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation- BRO) द्वारा बनाया गया है।
- काराकोरम और चांग चेनमो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु 400 मीटर लंबा सेतु है, जिसे माइक्रो पाइलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करीब 15,000 फीट की ऊँचाई पर बनाया गया है।
- इस सेतु का नाम कर्नल चेवांग रिनचेन के नाम पर रखा गया है जिनका जन्म लद्दाख क्षेत्र के सुमूर, नूब्रा घाटी में 11 नवंबर, 1931 को हुआ था।
- लेह और परतापुर क्षेत्र की रक्षा करने के लिये उनके अदम्य साहस के कारण उन्हें 'लद्दाख के शेर' के नाम से जाना जाता था। वह सशस्त्र सेनाओं के उन छह जवानों में से एक हैं, जिन्हें सर्वोच्च भारतीय शौर्य पुरस्कार, महावीर चक्र दो बार प्रदान किया गया।
- यह सेतु न केवल दुरबुक को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ता है, बल्कि लद्दाख के लोगों तथा जम्मू-कश्मीर के सभी आंतरिक क्षेत्रों को देश के अन्य भागों से जोड़ता है, इससे इन क्षेत्रों के लिये विकास का नया अवसर तथा निवेश उपलब्ध होगा।
- यह सीमा क्षेत्र के विकास हेतु सरकार की रणनीति का एक अभिन्न अंग है।
- यह लद्दाख के चहुँमुखी विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।
- इसके माध्यम से न केवल घरेलू बल्कि विदेशी पर्यटन के नवीन अवसर सृजित होंगे।

चीन के संदर्भ में रणनीतिक महत्त्व:

- यह चीन से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे- जम्मू-कश्मीर में अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा प्रबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायक होगा।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी उत्पादों की तस्करी तथा माल की डंपिंग से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा।
- भारत-चीन सीमा पर आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा तथा सैन्य वाहनों के अनुकूल सड़कों का निर्माण होगा। साथ ही इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।

रोहिंग्या शरणार्थी संकट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हज़ारों रोहिंग्या शरणार्थी बंगाल की खाड़ी में स्थित 'भाशन चर' नामक द्वीप के बाढ़ प्रभावित होने के बावजूद इस द्वीप पर पुनर्वास के लिये सहमत हो गए हैं।

नोट :

मुख्य बिंदु

भाशन चर द्वीप पर जाने के लिये तैयार रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में विभिन्न अधिकार समूहों (Rights Groups) ने कहा है कि यह द्वीप लगभग दो दशक पहले ही समुद्र से उभरा था जो मानसून के समय आने वाले विनाशकारी तूफानों का सामना करने में सक्षम नहीं है।

- बांग्लादेश लंबे समय से 100,000 शरणार्थियों को 'भाशन चर' टापू (गाद से निर्मित एक द्वीप) पर यह कहते हुए भेजना चाहता है कि पहले से ही लगभग एक मिलियन रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेशी सीमा पर शिविरों में रह रहे हैं।
- अगस्त 2017 में लगभग 7,40,000 रोहिंग्या म्याँमार में सैन्य कार्रवाई के विरोध में वहाँ से भागकर बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में पहले से रह रहे लगभग 2,00,000 शरणार्थियों के साथ रहने लगे।
- बांग्लादेश के अनुसार, लगभग 6000-7000 रोहिंग्या शरणार्थी पहले ही 'भाशन चर' द्वीप पर पुनर्वास हेतु सहमति जता चुके हैं तथा अगले कुछ दिनों में पुनर्वास की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी।
- दिसंबर तक 'भाशन चर' द्वीप पर आवास सुविधाएँ प्रारंभ होने के साथ ही प्रतिदिन 500 शरणार्थियों को भेजे जाने की संभावना है।
- पिछली आधी सदी के दौरान मेघना नदी के मुहाने पर शक्तिशाली चक्रवातों की वजह से सैंकड़ों लोगों की जान गई है, भाशन चर द्वीप भी इस नदी के मुहाने पर स्थित है।
- बांग्लादेश के अनुसार, द्वीप पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत चक्रवातों के दौरान तीव्र ज्वारीय लहरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक तीन मीटर ऊँचा तटबंध बनाया जाएगा तथा महीने भर की खाद्य सामग्री के भंडारण के लिये एक गोदाम (वेयरहाउस) का निर्माण किया जाएगा।
- कुछ अधिकार समूहों तथा कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों को भाशन चर द्वीप पर स्थानांतरित करने के लिये शरणार्थी शिविरों में डर का माहौल बना रहा है।
- बांग्लादेश ने म्याँमार के साथ हाल के प्रत्यावर्तन प्रयासों के असफल होने के बाद शरणार्थियों के लिये कई कड़े मापदंडों को लागू किया है जैसे- 3G और 4G इंटरनेट सेवाओं को बाधित करना और मोबाइल फ़ोन ज़ब्त करना।

भाशन चर द्वीप की अवस्थिति:

- भाशन चर द्वीप का निर्माण लगभग दो दशक पहले मेघना नदी के मुहाने पर गाद द्वारा निर्मित द्वीप के रूप में बंगाल की खाड़ी में हुआ था।
- यह निर्जन द्वीप दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश में स्थित 'हटिया' द्वीप से 30 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित है।
- भाशन चर द्वीप बाढ़,कटाव और चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है, इसलिये बांग्लादेश सरकार यहाँ लगभग तीन मीटर ऊँचे तटबंध का निर्माण कर रही है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभी इस समस्या पर कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है परंतु बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए संयुक्त राष्ट्र को एक प्रतिनिधि मंडल भाशन चर द्वीप पर भेजना चाहिये जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की जाँच कर रोहिंग्या संकट का पूर्णकालिक समाधान निकालने का प्रयास करे।

टेकसागर

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber Coordination Centre-NCCC) ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (Data Security Council of India-DSCI) की साझेदारी में भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिये 'टेकसागर' ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह भारतीय उद्योगों, शिक्षा और अनुसंधानों के लगभग 25 प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे-इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things-IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) के बारे में व्यवहार्य मार्गदर्शन प्रदान करता है।

नोट :

- वर्तमान में इसमें 4,000 से अधिक इकाइयाँ हैं।
- इसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता बनाए रखने के लिये इसे नई संस्थाओं और सूचनाओं के साथ समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।

एजेंडा

- वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के कारण होने वाला नुकसान सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% है।
  - इसलिये वर्ष 2025 तक भारत के $ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के सपने को साइबर अपराधों के कारण होने वाले नुकसानों से गंभीर रूप से खतरा है।
- टेकसागर भविष्य में व्यवसायों और शिक्षाविदों को सहयोग, समन्वय तथा नवाचार के लिये नए अवसर प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC)

- वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक का पद सृजित किया।
- NCSC कार्यालय साइबर सुरक्षा मामलों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI)

- DSCI भारत में डेटा संरक्षण पर एक गैर-लाभकारी प्रमुख औद्योगिक निकाय है।
- इसे नैसकॉम (NASSCOM) द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह साइबर सुरक्षा और गोपनीयता के लिये सर्वोत्तम नीतियाँ तथा मानकों को स्थापित करके साइबर स्पेस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिये तत्पर है।
  - NASSCOM भारत में टेक उद्योग के लिये चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स तथा एक गैर लाभकारी व्यापारिक निकाय है ।
  - इसमें भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (जिनकी भारत में उपस्थिति है) दोनों के 2800 से अधिक सदस्य शामिल हैं।
- इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है ।

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल

प्रमुख स्वदेशी प्रणालियों (Indigenous Systems) के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल में भारतीय प्रणोदन प्रणाली, एयरफ्रेम, बिजली आपूर्ति और अन्य प्रमुख स्वदेशी घटकों का प्रयोग किया गया है।
- भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस को तीनों सेवाओं के साथ भारतीय सशस्त्र बलों में सक्रिय किया गया है।
- इन स्वदेशी प्रणालियों के सफल परीक्षण से भारत के रक्षा सामानों स्वदेशीकरण और प्रमुख 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा मिला है।

क्रूज़ मिसाइल (Cruise missile)

- क्रूज़ मिसाइल बहुत छोटी होती हैं और उन पर ले जाने वाले बम का वज़न भी ज़्यादा नहीं होता। अपने छोटे आकार के कारण उन्हें छोड़े जाने से पहले बहुत आसानी से छुपाया जा सकता है।
- क्रूज़ मिसाइल पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती हैं और उनका निशाना बेहद सटीक होता है।
- क्रूज़ मिसाइल पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों को ले जाने में सक्षम है लेकिन अपने आकार एवं कम लागत के कारण उनका प्रयोग पारंपरिक हथियारों के साथ ज़्यादा होता रहा है।

नोमाडिक एलीफैंट Nomadic Elephant

भारत-मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमाडिक एलीफैंट के 14वें संस्करण का आयोजन 05 से 18 अक्तूबर के मध्य बकलोह (हिमाचल प्रदेश) में किया जा रहा है।

नोट :

- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में मंगोलियाई सेना का प्रतिनिधित्व एलीट 084 एयर बोर्न स्पेशल टास्क बटालियन (Elite 084 Air Borne Special Task Battalion) के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना रायफल्स (RAJPUTANA RIFLES) की एक बटालियन टुकड़ी द्वारा किया जा रहा है।
- इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और काउंटर टेररिज़्म ऑपरेशन में सैनिकों को प्रशिक्षित करना है, साथ ही इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग तथा सैन्य संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी।

धर्म गार्जियन 2019

भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन-2019 (DHARMA GUARDIAN– 2019) का आयोजन 19 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2019 तक काउंटर इन्सर्जेंसी वारफेयर स्कूल- वैरेंटे (Counter Insurgency Warfare School- Vairengte) मिज़ोरम में किया जाएगा।

कार्यक्रम:

- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज़ (Japanese Ground Self Defence Forces- JGSDF) के 25-25 सैनिक, आतंकी गतिविधियों से निपटने हेतु अभ्यास करेंगे।

क्या है धर्म गार्जियन ?

- दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग सहित सामरिक संबंधों को और सुदृढ़ करने हेतु धर्म गार्जियन का आयोजन भारत में वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।
- अंतिम संयुक्त सैन्य अभ्यास भी भारत के मिज़ोरम राज्य में ही आयोजित किया गया था।
- दोनों ही देशों के विशेषज्ञ, युद्ध परिचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी विशेषज्ञता को साझा करते हैं।

उद्देश्य:

- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज़ के बीच रक्षा सहयोग एवं समन्वय बढ़ाना।
- भारत एवं जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूती प्रदान करना।

भारत और जापान के बीच अन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास:

1. द्विपक्षीय समुद्री संयुक्त सैन्य अभ्यास- जिमेक्स (JIMEX)
2. द्विपक्षीय वायु सैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास- शिन्यु मैत्री (SHINYUU Maitri)
3. त्रि-पक्षीय (भारत-जापान-अमेरिका) समुद्री संयुक्त सैन्य अभ्यास- मालाबार (Malabar)

एकुवेरिन सैन्य अभ्यास

भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन (Ekuverin) के 10वें संस्करण का आयोजन 07-20 अक्तूबर 2019 तक महाराष्ट्र के पुणे में औंध में किया जा रहा है।

एकुवेरिन (Ekuverin) शब्द का अर्थ ?

- धिवेही (Dhivehi) भाषा में एकुवेरिन (Ekuverin) शब्द का अर्थ- मित्र (Friend) होता है।

एकुवेरिन (Ekuverin) क्या है ?

- भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच इस सैन्य अभ्यास का आयोजन वर्ष 2009 से किया जा रहा है।
- पिछला सैन्य अभ्यास वर्ष 2018 में मालदीव के माफिलाफुसी (Maafilaafushi) स्थित नार्दर्न एरिया हेडक्वार्टर में किया गया था।

उद्देश्य:

- भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध है। एकुवेरिन सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मज़बूत करना है।
- इस सैन्य अभ्यास के दौरान आतंकवाद-रोधी अभियानों हेतु साझा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है।

नोट :

मालदीव:

- मालदीव भारत के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है।
- यहाँ पर 99% जनसंख्या इस्लाम धर्म की अनुयायी है।
- मालदीव जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है क्योंकि यहाँ की समुद्र से ऊँचाई अत्यधिक कम है।
- मालदीप की राजधानी माले है।

भारतीय नौसेना प्रशिक्षण बेड़ा

भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण बेडे ने 14 से 17 अक्तूबर, 2019 तक तंज़ानिया का दौरा किया।

प्रशिक्षण बेड़े में शामिल पोत:

- तीर (Tir), सुजाता और शार्दुल पोत- भारतीय नौसेना।
- सारथी पोत- भारतीय तटरक्षक बल।

उद्देश्य:

- सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सैन्य संबंधों को मज़बूत बनाना।

भारत का प्रशिक्षण बेड़ा:

- दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण बेड़ा कोच्चि में स्थित है।
- यह भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक सहित मित्र देशों के सैनिकों को प्रशिक्षण देता है।
- इसके पाठ्यक्रम में सीमैनशिप (Seamanship), नेवीगेशन, शिप-हैंडलिंग (Shiphandling), बोट-वर्क (Boat-Work) और इंजीनियरिंग इत्यादि का प्रशिक्षण शामिल है।

तंज़ानिया:

- तंज़ानिया हिंद महासागर के तट पर स्थित पूर्वी अफ्रीका का एक देश है।
- तंज़ानिया के उत्तर में युगांडा, विक्टोरिया झील और केन्या; पूर्व में हिंद महासागर; पश्चिम में बुरुंडी एवं रवांडा तथा दक्षिण-पश्चिम में मोज़ाम्बिक, न्यासा झील, मलावी व ज़ाम्बिया स्थित हैं।
- हिंद महासागर में स्थित माफिया (Mafiya), ज़ंज़ीबार और पेम्बा द्वीप तंज़ानिया शासित हैं।
- इसकी औपचारिक राजधानी डोडोमा, जबकि वास्तविक (de facto) राजधानी दारेस्लाम (Dar es Salaam) है।

एक्स ईस्टर्न ब्रिज- V

17-26 अक्तूबर 2019 तक भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य-अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज-5 (EX EASTERN BRIDGE-V) का आयोजन किया गया।

प्रमुख तथ्य:

- भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) रॉयल एयर फोर्स ओमान (Royal Air Force Oman- RAFO) के बीच यह सैन्य-अभ्यास ओमान के वायुसेना बेस मसिराह में हो रहा है।
- इस अभ्यास में IAF के मिग-29, सी-17 विमान और RAFO के यूरोफाइटर टाइफून, एफ -16 एवं हॉक जैसे विमान शामिल हो रहे हैं।

नोट :

उद्देश्य:

- यह अभ्यास दोनों वायु सेनाओं के बीच आपसी सैन्य संबंध को मज़बूत करेगा।
- भारतीय वायु सेना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा।

अंतिम सैन्य अभ्यास:

- भारत और ओमान की वायुसेना के बीच अंतिम सैन्य अभ्यास ब्रिज- 4 (BRIDGE- 4) वर्ष 2017 में गुजरात के जामनगर में आयोजित किया गया था।

ओमान:

- ओमान, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट (जिसे मुसंडम प्रायद्वीप- Musandam Peninsula कहा जाता है) पर स्थित है।
- ओमान भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अरब सागर और फारस की खाड़ी के संपर्क बिंदु पर स्थित है।
- इसकी राजधानी मस्कट है।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सैन्य अभ्यास 2019

अंडमान और निकोबार कमांड (Andaman and Nicobar Command- ANC) ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सैन्य अभ्यास 2019 (Defence of Andaman & Nicobar Islands Exercise 2019- DANX 19) का आयोजन किया।

प्रमुख तथ्य:

- वर्ष 2019 में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन 14-18 अक्तूबर, 2019 के मध्य किया गया।
- इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के सैनिकों ने भाग लिया।
- इस सैन्य अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2017 में किया गया था।

उद्देश्य:

- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह:

- यह भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
- अंडमान और निकोबार इस द्वीपसमूह के दो सबसे बड़े द्वीप हैं जिन्हें 10° अक्षांश रेखा विभाजित करती है।
- अंडमान के द्वीप पर महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटीनलीज़ जैसी नीग्रो जनजातियाँ निवास करती हैं, जबकि निकोबार द्वीप पर निकोबारी तथा शोम्पेन नामक मंगोलायड जनजातियाँ रहती हैं।
- इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।

सैन्य अभ्यास शक्ति

भारत-फ्राँस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति (SHAKTI) 31 अक्तूबर, 2019 से 13 नवंबर 2019 तक आयोजित किया जाएगा।

- भारत और फ्राँस के बीच यह सैन्य अभ्यास वर्ष 2011 से किया जा रहा है।
- यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो क्रमिक रूप से भारत तथा फ्राँस में आयोजित किया जाता है।
- इस वर्ष यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में आयोजित किया जाएगा।
- इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सप्त शक्ति कमान की सिख रेजिमेंट की एक टुकड़ी करेगी।

नोट :

उद्देश्य

- सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दो सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ाना है।
- इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जनादेश (United Nations Mandate) के तहत अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों में काउंटर टेरिरिज़्म ऑपरेशन (Counter Terrorism operations) पर ध्यान केंद्रित करना है।

भारत और फ्राँस के बीच अन्य सैन्य अभ्यास

वरुण - नौसेना अभ्यास
गरुड़ - वायुसेना अभ्यास
शक्ति - थलसेना अभ्यास

INS बाज़

हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के सबसे दक्षिणी हवाई स्टेशन INS बाज़ का दौरा किया।

INS बाज़ के बारे में:

- भारतीय नौसेना जहाज़ INS बाज़ को नौसेना में जुलाई 2012 में कमीशन किया गया था। यह भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे दक्षिणी हवाई स्टेशन है। कैंपबेल खाड़ी जहाँ पर यह स्थित है वह स्थान भारतीय मुख्य भूमि से 1,500 किमी. और पोर्ट ब्लेयर से 500 किमी. दूर है।
- INS बाज़ 3,500 फीट के रनवे से सुसज्जित है इसका प्रयोग विमान और मानवरहित वाहनों (Unmanned Aerial Vehicle) के लिये किया जाता है इसके अतिरिक्त इसके माध्यम से समुद्री डोमेन जागरूकता (Maritime Domain Awareness) का प्रसार करना भी शामिल है। वर्तमान में इसको बड़े विमानों के संचालन हेतु सक्षम बनाया गया है।

इसकी अवस्थिति:

- INS बाज़ केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के दक्षिणी भाग निकोबार द्वीपसमूह की कैम्पबेल खाड़ी में स्थित है।
- यह भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के निकट है और इंडोनेशिया का बांदा आचेह (Banda Aceh) यहाँ से 250 किमी. से भी कम दूरी पर स्थित है।

रणनीतिक महत्त्व:

- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्र की निगरानी करने हेतु आवश्यक क्षमता प्रदान करता है।
- INS बाज़ 6 डिग्री चैनल के समीप स्थित है, इस चैनल को ग्रेट चैनल भी कहा जाता है साथ ही यह स्थान सबसे व्यस्तम व्यापारिक मार्गों में से एक है इसलिये इसे पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में खिड़की भी कहा जाता है। यह स्थान मलक्का जलडमरूमध्य के समीप है।

युद्धाभ्यास 'हिम विजय'

भारतीय सेना (Indian Army) पहली बार अपनी नई रणनीति को चीन की सीमा पर हिमालय के पहाड़ों में परख रही है। भारतीय सेना के Integrated Battle Groups यानी IBG के पश्चिम बंगाल के पनागढ़ स्थित 17वीं कोर ने एक युद्धाभ्यास किया।

युद्धाभ्यास 'हिम विजय

- भारत-चीन सीमा के निकट अरुणाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर हो रहे इस युद्धाभ्यास को 'हिम विजय' (Him Vijay) नाम दिया गया।
- 7 अक्तूबर से 24 अक्तूबर, 2019 तक चलने वाले इस बेहद महत्त्वपूर्ण युद्धाभ्यास में तीन IBG (Integrated Battle Groups) यानी लगभग 15000 सैनिकों ने हिस्सा लिया।
- पनागढ़ में देश की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर यानी 17वीं कोर का गठन चीन का सामना करने के लिये कुछ वर्ष पहले किया गया था।

नोट :

एकीकृत युद्ध समूह

- IBGs सेना द्वारा शुरू किये गए समग्र बल में परिवर्तन का हिस्सा हैं।
- IBG, ब्रिगेड के आकार की एक दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध व्यवस्था है जो युद्ध की स्थिति में शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण करने में सक्षम है।
- प्रत्येक IBG का गठन संभावित खतरों, भू-भाग और कार्यों (Threat, Terrain and Task-T's) के निर्धारण के आधार पर किया जाएगा और इन्हीं तीन आधारों पर IBG को संसाधनों का आवंटन भी किया जाएगा।
- IBG कार्यवाही करने हेतु अपनी अवस्थति के आधार पर 12 से 48 घंटों के भीतर संगठित होने में सक्षम होंगे।

17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स

- वर्ष 2013 में सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने कॉर्प्स के निर्माण को मंज़ूरी दी थी।
- यह भारतीय सेना का पहला माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है जिसे त्वरित प्रतिक्रिया बल के साथ-साथ LAC (Line of Actual Control) के साथ चीन के खिलाफ आक्रामक बल के रूप में तैयार किया गया है।
- इसका मुख्यालय पूर्वी कमान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के पनागढ़ में स्थित है।
- इसे ब्रह्मास्त्र वाहिनी के रूप में भी जाना जाता है।

वज्र-प्रहार

भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन अमेरिका सिएटल के जॉइंट बेस लुईस-मैककॉर्ड में किया गया।

- 'वज्र प्रहार' संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह 10वाँ संस्करण था।
- इसमें दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेज़ ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिये भारतीय सेना का 45 सदस्यीय पैरा कमांडो दस्ता अमेरिका में गया था।
- इस सैन्य अभ्यास का आयोजन बारी-बारी से भारत और अमेरिका में होता है। वर्ष 2018 में इस अभ्यास का आयोजन जयपुर में किया गया था।

नोट :

चर्चा में

व्यक्ति

कामिनी रॉय

गूगल (Google) ने प्रसिद्ध बांग्ला कवयित्री कामिनी रॉय की 155वीं जयंती के अवसर पर डूडल बनाया।

परिचय:

- उनका जन्म 12 अक्तूबर, 1864 को बंगाल के बेकरगंज ज़िले (वर्तमान में बांग्लादेश) में हुआ था।
- वह पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने ब्रिटिश भारत में बी.ए. ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की।
- वह प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्त्ता थीं।
- उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया।
- जीवन के अंतिम वर्षों में वह बिहार के हज़ारीबाग ज़िले में रहने आ गई थीं। वहीं वर्ष 1933 में उनका निधन हुआ।

पुस्तकें

वर्ष 1889 में उनकी कविताओं का पहला संग्रह अलो ओ छैया प्रकाशित हुआ अन्य पुस्तकों में 'गुंजन' तथा 'बालिका शिखर आदर्श' शामिल हैं।

सम्मान

कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें 'जगतारिणी स्वर्ण पदक' से सम्मानित किया था।

राजनीतिक सक्रियता

- वह बंगीय नारी समाज (Bangiya Nari Samaj) के नेताओं में से एक थीं। यह समाज महिलाओं के अधिकारों के लिये संघर्षरत था।
- वह भारत में नारीवाद को आगे बढ़ाने वाले सक्रिय कार्यकर्त्ताओं में से एक थीं। वर्ष 1926 में उन्होंने बंगाल में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने की दिशा में भी काम किया।

प्रियंका दास

अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम होमवार्ड बाउंड (Homeward Bound) के पाँचवें संस्करण के लिये भारत मूल की प्रियंका दास (Priyanka Das Rajkakati) को चुना गया है।

होमवार्ड बाउंड क्या है ?

- यह एक वैश्विक पहल है जिसमें अंटार्कटिका के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान अभियान हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।
- नवंबर 2020 में अंटार्कटिका अभियान हेतु STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine) पृष्ठभूमि से संबंधित महिलाओं का चयन करके उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय मूल की प्रियंका दास को भी इसी सत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रियंका दास के बारे में:

- प्रियंका दास मूलरूप से असम की हैं और उन्होंने नई दिल्ली स्थित सेंट स्टीफन कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है।
- सेंट स्टीफंस से स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने फ्राँस के एकोल पॉलीटेक्निक (École Polytechnique) से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में परास्नातक किया।
- उन्होंने तीन वर्ष पहले भारतीय नागरिकता छोड़ दी है और वर्तमान में फ्राँस के पासपोर्ट पर फ्राँस में ही रह रही हैं।

नोट :

एस.एस. मल्लिकार्जुन राव

- वित्तीय सेवा विभाग के एस.एस. मल्लिकार्जुन राव को पंजाब नेशनल बैंक का प्रबंध निदेशक (Managing Director-MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer-CEO) नियुक्त किया गया है।
- इससे पहले वह इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। इस नए पद पर उनका कार्यकाल 18 सितंबर, 2021 तक का होगा।

गौरतलब है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (UBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) की विलय की गई इकाइयाँ 1 अप्रैल 2020 से कार्य शुरू करेंगी। संभव है कि इसे कोई नया नाम दिया जाए।

सौरव गांगुली

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

- वह 10 महीने के लिये बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। सौरव गांगुली 5 साल 2 महीने से बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।
- नए नियमों के अनुसार, बोर्ड का कोई भी सदस्य लगातार 6 साल तक ही किसी पद पर रह सकता है।
- सौरव गांगुली का बोर्ड में कार्यकाल सितंबर 2020 में समाप्त हो जाएगा।
- सौरव गांगुली BCCI के ऐसे पहले अध्यक्ष होंगे, जिनके पास 400 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव है, उन्होंने कुल 424 मैच खेले।
- सौरव गांगुली से पहले वर्ष 1954 से वर्ष 1956 तक 3 टेस्ट खेलने वाले महाराजकुमार ऑफ विजयनगरम (विजय आनंद गणपति राजू) ही पूर्णकालिक अध्यक्ष थे। ।
- सौरव गांगुली बोर्ड के 35वें अध्यक्ष होंगे, हालाँकि 233 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सुनील गावस्कर और 42 मैच खेलने वाले शिवलाल यादव ने भी बोर्ड का नेतृत्व किया, लेकिन दोनों वर्ष 2014 में कुछ समय के लिये अंतरिम अध्यक्ष ही रहे थे।

आयुष्मान खुराना

तरह-तरह के सामाजिक मुद्दों पर फिल्में करने वाले बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना, यूनिसेफ से जुड़ गए हैं।

- वह यूनिसेफ के महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़कर महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे।
- आयुष्मान खुराना पॉक्सो अधिनियम/एक्ट पर भी काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों के साथ यौन अपराध और तस्करी के मामलों पर लागू होता है।
- इस अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया, टीवी और सिनेमा हॉल के ज़रिये सभी भारतीयों तक पहुँचना है और आयुष्मान सभी चरणों में इसे सपोर्ट करेंगे।

अरविंद सिंह

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अरविंद सिंह को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India-AAI) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अरविंद सिंह महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र में ही कार्यरत हैं।

- भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। 1 अप्रैल, 1995 को भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का विलय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर दिया गया। तब से यह ग्राउंड (Ground) और एयरस्पेस (Airspace) दोनों में नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य करता है।

नोट :

अनूप कुमार सिंह

1985 बैच के गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी अनूप कुमार सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का महानिदेशक (Director General) नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर 30 सितंबर, 2020 तक रहेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

- NSG की स्थापना वर्ष 1986 में आतंकवाद तथा हाइजैकिंग जैसी घटनाओं से निपटने में विशेष प्रतिक्रिया यूनिट के तौर पर हुई थी।
- इस बल के कमांडो के देशभर में पाँच केंद्र (Hubs) हैं तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- ये कुछ हाई प्रोफाइल VVIP लोगों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है।

NSG भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है जिसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिये उपयोग किया जाता है। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में किया गया था। यह पूरी तरह से केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के ढाँचे के भीतर काम करता है। NSG में भर्ती भारत के केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों और भारतीय सशस्त्र बलों से की जाती है।

दृष्टि The Vision

नोट :

स्थान

डोनिमलाई खान

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (National Mineral Development Corporation- NMDC) ने कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में स्थित डोनिमलाई खान में खनन कार्य शुरू किया है।

- डोनिमलाई में खनन प्रारंभ करने का उद्देश्य लौह अयस्क की आपूर्ति में वृद्धि करना और इसकी कीमतों में कमी लाना है।
- वर्तमान में राज्य में लौह अयस्क खनन कर्त्ताओं ने लागत में वृद्धि तथा कमज़ोर मांग के कारण इसका परिचालन बंद कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के पास वर्ष 1968 से ही डोनिमलाई खदान है, इसने नवंबर में इस खान को निलंबित कर दिया था, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने लौह अयस्क पर 80% प्रीमियम की मांग की थी जिससे अगले 20 वर्षों के लिये उसका पट्टा नवीनीकृत किया जा सके।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (National Mineral Development Corporation- NMDC)

- NMDC को वर्ष 1958 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, यह इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- NMDC भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, जो वर्तमान में लगभग 35 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन कर रहा है।
- NMDC लौह अयस्क, ताँबा, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, मैग्नेसाइट, हीरा, टिन, टंगस्टन और ग्रेफाइट जैसे खनिजों का भी खनन करता है।
- NMDC को लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2008 में "नवरत्न" का दर्जा दिया गया था।
- इसका कॉर्पोरेट कार्यालय हैदराबाद में स्थित है।

तुलागी द्वीप

हाल ही में बीजिंग स्थित एक कंपनी ने गुप्त समझौते के तहत तुलागी द्वीप (Tulagi Island) और उसके आसपास के क्षेत्र के लिये विशेष विकास अधिकार (Exclusive Development Rights) प्राप्त किये हैं।

तुलागी द्वीप के बारे में:

- तुलागी द्वीप, सोलोमन द्वीपसमूह के अंतर्गत दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका के मध्य अवस्थित है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापान (वर्ष 1942) द्वारा नष्ट किये जाने से पहले यह ब्रिटिश सोलोमन द्वीप की प्रशासनिक राजधानी थी।

चीन और सोलोमन के बीच संबंध:

- सोलोमन ने ताइवान से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया तथा समझौते से कुछ दिन पहले चीन के साथ राजनीतिक संबंधों की शुरुआत है।
- कॉर्पोरेट रिकॉर्ड के अनुसार 75- वर्षीय पट्टे को चीन सैम एंटरप्राइज ग्रुप (China Sam Enterprise Group) को दिया गया था, जिसे वर्ष 1985 में राज्य स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था।
- इस समझौते में मत्स्य उत्पादन, संचालन केंद्र तथा हवाई अड्डे के निर्माण के प्रावधान शामिल हैं।

अमेरिका का दृष्टिकोण:

- इस कदम ने अमेरिकी अधिकारियों को चिंतित किया है क्योंकि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के द्वीप समुद्री मार्गों की निगरानी तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।
- दक्षिण प्रशांत क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है तथा यहाँ पर चीन द्वारा किये गये निवेश से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चिंतित हैं क्योंकि यह बीजिंग को जहाज़ों, विमानों एवं जीपीएस के साथ-साथ सैन्य अड्डे की स्थापना व उसके विस्तार का अवसर दे सकता है।

नोट :

माउंट पाएकटु/पाइकटु

माउंट पाएकटु/पाइकटु एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसमें लगभग हज़ार वर्षों पहले उद्गार हुआ था।

माउंट पाएकटु/पाइकटु की अवस्थिति:

- यह कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic People's Republic of Korea's- DPRK) और चीन के बीच सीमा पर स्थित है।
- इस ज्वालामुखी पर्वत को कोरियाई लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है क्योंकि वे इसे कोरियाई राज्य के आध्यात्मिक मूल के रूप में मानते हैं।
- लगभग 9,000 फीट की ऊँचाई पर अवस्थित यह कोरियाई प्रायद्वीप की सबसे ऊँची चोटी भी है।
- दक्षिण कोरियाई राष्ट्रगान में भी माउंट पाएकटु/पाइकटु का संदर्भ दिया गया है।

ज्वालामुखीय पर्वत

- ज्वालामुखी के उद्गार से निस्तृत लावा और राख चूर्ण के संग्रह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है।
- ज्वालामुखी पर्वतों की ढाल मुख्य रूप से लावा के स्वभाव तथा विखंडित पदार्थों की मात्रा पर आधारित होती है।
- विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत:
  - किलमंजारों (अफ्रीका),
  - कोटापेक्सी (एंडीज),
  - माउंट रेनियर, हुड और शास्ता (संयुक्त राज्य अमेरिका),
  - फ्यूजीयामा (जापान),
  - विसूवियस (इटली),
  - एकांकागुआ (चिली)

सखालिन ऑयल फील्ड

24 अक्तूबर 2019 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री ने रूस में सखालिन ऑयल फील्ड का दौरा किया।

सखालिन ऑयल प्रोजेक्ट:

- सखालिन में भारत तथा रूस की संयुक्त परियोजना है जिसके तहत रूस के साथ ऊर्जा संबंधों विकसित किया गया है।
- सखालिन-1 प्रोजेक्ट में वर्ष 2001 से ओएनजीसी (Oil and Natural Gas Corporation- ONGC) विदेश लिमिटेड की 20% हिस्सेदारी है। रूस की परियोजना में किसी भी देश द्वारा यह सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।
- यह तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

सखालिन द्वीप:

- यह उत्तरी प्रशांत महासागर में **ओखोटस्क सागर** तथा **ततर जलसंधि** के मध्य स्थित रूस का सबसे बड़ा द्वीप है।
- ततर जलसंधि रूस की मुख्य भूमि को सखालिन द्वीप से अलग करती है।
- ला- पैरोज जलसंधि या सोया जलसंधि सखालिन द्वीप को जापान के होकैडो द्वीप से अलग करती है।
- तेल एवं गैस उत्पादक क्षेत्र होने के कारण यह रूस तथा जापान के बीच विवादित क्षेत्रों में से एक है।

नोट :

पुरस्कार

UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स

न्यूयॉर्क में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स 2019 की घोषणा की गई।

- यह पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की पहल मोमेंटम फॉर चेंज (Momentum for Change) के तहत प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के साथ सतत् विकास लक्ष्यों, नवाचार, लिंग समानता और आर्थिक अवसर बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधानों (Innovative Solutions) हेतु प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2019 के पुरस्कारों को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के मोमेंटम फॉर चेंज पहल के हिस्से के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल द्वारा चुना गया था, जिसे द रॉकफेलर फाउंडेशन (The Rockefeller Foundation) के समर्थन के साथ लागू किया गया है।
- यह पैनल विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र जलवायु के कार्यान्वयन का समर्थन करने वाली पहलों जेंडर एक्शन प्लान (Gender Action Plan) और क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ (Climate Neutral Now) के साथ साझेदारी में संचालित होता है।

ये पुरस्कार चार मुख्य क्षेत्रां में दिये जाते हैं-

UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स 2019:

- **प्लेंटनरी हेल्थ (Planetary Health):**
- **क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ (Climate Neutral Now):**
- **वुमन फॉर रिजल्ट्स (Women for Results):**
- **जलवायु अनुकूल निवेश के लिये वित्त पोषण (Financing for Climate Friendly Investment):**

वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 अक्तूबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गणमान्य वरिष्ठजनों और संस्थाओं को वर्ष 2019 के लिये 'वयोश्रेष्ठ सम्मान' प्रदान किये।

- यह सम्मान वरिष्ठजनों के लिये की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिये दिया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल 1 अक्तूबर को मनाया जाता है।
- वयोश्रेष्ठ सम्मान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पुरस्कार है, जो अब राष्ट्रीय श्रेणी के पुरस्कारों में शामिल हो चुका है।
- यह सम्मान प्रत्येक वर्ष भारत में वरिष्ठ नागरिकों की नि:स्वार्थ सराहनीय सेवा करने वाले संस्थानों और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उत्तम सेवाओं और उपलब्धियों के सम्मान स्वरूप प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार वरिष्ठजनों के हितों को लेकर सरकार की चिंताओं तथा समाज में ऐसे लोगों को उनका पूरा हक दिलाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह समाज और राष्ट्र निर्माण में वरिष्ठजनों के योगदान से युवा पीढ़ी को परिचित कराने का अवसर भी प्रदान करता है।
- यह सम्मान देश के किसी भी हिस्से के संस्थानों/संगठनों/व्यक्तियों को दिया जाता है। इसके लिये सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों से नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। इसके तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों उनके स्वायत्त संगठनों, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों, पद्म, वयोश्रेष्ठ सम्मान और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके व्यक्तियों अथवा संस्थानों, वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों तथा फिक्की, CII, एसोचैम, नेसकॉम जैसे उद्योग संगठनों से नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं।

नोट :

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान

- हिंदी के शीर्ष प्रवासी साहित्यकार मॉरीशस के साहित्य के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिये दिया जाने वाला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान इस वर्ष प्रदान किया जाएगा।
- आचार्य द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति के निर्णायक मंडल ने 'रामदेव धुरंधर' को यह सम्मान देने का निर्णय लिया है।
- इनसे पहले यह सम्मान डॉ. नामवर सिंह, डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे, काशीनाथ सिंह, प्रभाष जोशी, वेद प्रताप वैदिक, अच्युतानंद मिश्र, भारत यायावर आदि को दिया जा चुका है।
- उनके अलावा डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान महाराष्ट्र में वनवासियों की सेवा करने वाले डॉक्टर दंपति डॉ. प्रकाश आमटे एवं उनकी पत्नी डॉ. मंदाकिनी आमटे को दिया जाएगा।
- प्रभाष जोशी स्मृति पत्रकारिता सम्मान से जनसत्ता नई दिल्ली के कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज को सम्मानित किया जाएगा।
- आचार्य द्विवेदी समिति पिछले 12 वर्षों से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में सम्मान प्रदान करती है।

रामदेव धुरंधर

रामदेव धुरंधर का चर्चित उपन्यास 'पथरीला सोना' छह खंडों में प्रकाशित है। इस महाकाव्यात्मक उपन्यास में उन्होंने किसान-मज़दूरों के रूप में भारत से मॉरीशस गए अपने पूर्वजों की संघर्षमय जीवन-यात्रा का चित्रण किया है। इसके अलावा उनकी 'छोटी मछली बड़ी मछली', 'चेहरों का आदमी', 'बनते बिगड़ते रिश्ते', 'पूछो इस माटी से', 'विष-मंथन', 'जन्म की एक भूल' आदि कृतियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। रामदेव धुरंधर को 11 लाख रुपए सम्मान राशि वाले श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से भी नवाज़ा जा चुका है।

PII-ICRC वार्षिक अवार्ड्स

- हाल ही में प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (PII) और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (ICRC) के 13वें संस्करण में किसी मानवीय विषय पर सर्वश्रेष्ठ लेख और सर्वश्रेष्ठ तस्वीर के लिये वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई।
- पुरस्कार के अंतर्गत पहले दूसरे और तीसरे स्थान के विजेताओं को क्रमश: 1 लाख, 70 हजार और 40 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- विशेष पुरस्कार विजेताओं को 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जायेगी।

थीम:

- इस पुरस्कारों की घोषणा 'मानवीय मुद्दों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव' (Impact of Climate Change on Humanitarian Issues) थीम के तहत की गई है।

विजेता लेखक

- प्रथम पुरस्कार- उर्वशी सरकार: 'Our houses are vanishing. Nobody cares' लेख के लिये।
- द्वितीय पुरस्कार- दिशा शेट्टी: 'Bengali-speaking students in Kannada-medium Bengaluru school reveal journey of climate change refugees from disappearing islands' के लिये।
- तृतीय पुरस्कार- अनूप शर्मा: 'Living like Nomads' के लिये।

विजेता फोटोग्राफर

- प्रथम पुरस्कार- जी.शिवप्रसाद (मातृभूमि के फोटोग्राफर): 'Close to the heart' नामक तस्वीर के लिये; रिजो जोसफ (मलयाला मनोरमा के प्रमुख फोटोग्राफर): 'Running for life' के लिये।
- द्वितीय पुरस्कार- रिंकू राज (मलयाला मनोरमा के वरिष्ठ फोटोग्राफर): 'Rough sea, tough life' के लिये।
- तृतीय पुरस्कार- बिबिन ज़ेवियर: 'It was life' के लिये।

नोट :

विशेष पुरस्कार

- चेन्नई के स्वतंत्र पुरस्कार जेंसी सैमुअल को लेख 'Unpredictable seas push fishers away from home' के लिये।
- दिल्ली के स्वतंत्र पत्रकार निखिल घाणेकर को 'When the hills go thirsty' के लिये।
- सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ के श्रेणी में लोकमत, पुणे के वरिष्ठ फोटोग्राफर प्रशांत के. को 'Mining the aquifer' नाम तस्वीर के लिये।

नोबेल पुरस्कार, 2019 (Nobel Prize, 2019)

हाल ही में वर्ष 2019 के लिये भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति तथा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई।

पुरस्कार विजेताओं की सूची

भौतिकी के क्षेत्र में:

1. जेम्स पीबल्स (भौतिक ब्रह्माण्ड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों के लिये)
2. मिशेल मेयर और डिडिएर क्वेलोज़ (सौर-प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक एक्सोप्लैनेट 51 पेगासी बी की खोज के लिये संयुक्त रूप से)

पुरस्कार के रूप में मिलने वाली नकद राशि का आधा हिस्सा जेम्स पीबल्स को दिया जाएगा तथा शेष आधे हिस्से में से मिशेल मेयर और डिडिएर क्वेलोज़ को बराबर-बराबर की राशि दी जाएगी।

रसायन के क्षेत्र में:

1. वैज्ञानिक जॉन बी गुडइनफ़, एम स्टेनली व्हिटिंगम और अकीरा योशिनो को संयुक्त रूप से (लिथियम-आयन बैटरी बनाने के लिये)

चिकित्सा के क्षेत्र में:

1. विलियम जी कायलिन जूनियर, सर पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को संयुक्त रूप से (कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण पर की गई खोज हेतु)

साहित्य के क्षेत्र में:

1. ओल्गा टोकार्चुक: जीवन की परिधियों से परे एक कथात्मक परिकल्पना करने के लिये।
   - उन्हें वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार देने वाली स्वीडिश एकेडमी ने वर्ष 2018 में यौन उत्पीड़न के एक मामले के कारण पुरस्कार की घोषणा नहीं की थी। उल्लेखनीय है कि टोकार्चुक को पिछले साल मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था।
2. पीटर हैंडका (ऑस्ट्रियाई मूल के लेखक): भाषायी सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की विशेषता और परिधि के बाहर एक प्रभावशाली काम करने के लिये।

शांति का नोबेल:

इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिये किये गए प्रयासों और विशेष रूप से शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिये।

पृष्ठभूमि

- ये पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिये जाते हैं।
- 10 दिसंबर, 1901 को स्टॉकहोम और क्रिस्टीनिया (अब ओस्लो) में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिये गए।
- नोबेल पदक हस्तनिर्मित होते हैं तथा 18 कैरेट सोने से बने होते हैं।
- वर्ष 2019 के लिये एक नोबेल पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पूर्ण राशि 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (SEK) निर्धारित की गई है अर्थात् संयुक्त रूप से पुरस्कार जीतने पर इस राशि को विजेताओं के बीच आवंटित किया जाएगा।

नोट :

- अर्थशास्त्र के लिये नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1968 में हुई थी।
- नोबेल पुरस्कार में नोबेल पदक, उपाधि और पुरस्कार राशि की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज़ होता है।

नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली समिति/संस्थान

- भौतिकी तथा रसायन विज्ञान: द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़
- चिकित्सा: करोलिंस्का इंस्टीट्यूट
- साहित्य: स्वीडिश अकादमी
- शांति: नॉर्वे की संसद (स्टॉर्टिंग) द्वारा चुनी गई पाँच सदस्यीय समिति
- अर्थशास्त्र: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़

नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय

भारतीय नागरिकता

- रवीन्द्रनाथ टैगोर (वर्ष 1913)- साहित्य के क्षेत्र में
- सी.वी. रमण (वर्ष 1930)- भौतिकी के क्षेत्र में
- मदर टेरेसा (वर्ष1979)- शांति का नोबेल
- कैलाश सत्यार्थी (वर्ष 2014)- शांति का नोबेल
- अमर्त्य सेन (वर्ष 1998)- अर्थशास्त्र

भारतीय मूल

- हरगोविंद खुराना (वर्ष 1968)- चिकित्सा के क्षेत्र में
- वी.एस. नायपॉल (वर्ष 2001)- साहित्य के क्षेत्र में
- वेंकट रामकृष्णन (वर्ष 2009)- रसायन विज्ञान के क्षेत्र में
- सुब्रहमण्यम चंद्रशेखर (वर्ष 1983)- भौतिकी के क्षेत्र में

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार (Corporate Social Responsibility Award)

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 29 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR) के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने हेतु कुछ कंपनियों को राष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार प्रदान किये।

CSR पुरस्कार:

- समावेशी वृद्धि और समावेशी तथा सतत् विकास के क्षेत्र में कॉरपोरेट पहलों के मद्देनज़र कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने CSR पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 2017 में की थी।

उद्देश्य:

- CSR गतिविधियों में उत्कृष्टता लाने के लिये विभिन्न वर्गों की कंपनियों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाना।
- निर्धारित CSR निधि की पूरी रकम को खर्च करने के लिये कंपनियों को प्रोत्साहित करना।
- CSR गतिविधियों के प्रभाव, नवाचार, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, लैंगिक एवं परिवेश संबंधी मुद्दे इत्यादि को मान्यता देना।
- कॉरपोरेट की CSR गतिविधियों को दिशा देना ताकि उनकी गतिविधियों का लाभ समाज के वंचित वर्गों तथा देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँच सके।

CSR पुरस्कार वर्ष 2019:

- इस वर्ष पुरस्कार हेतु प्राप्त 528 प्रविष्टियों में से 131 कंपनियों को निर्णायक मंडल द्वारा अपना वितरण सौपने को कहा गया था अंतिम में पुरस्कारों के तीन वर्गों के लिये 19 कंपनियों को विजेता और 19 कंपनियों को सम्मानजनक उल्लेखों (Honourable Mentions) के लिये चुना गया।

नोट :

पुरस्कारों की श्रेणियाँ:

राष्ट्रीय CSR पुरस्कारों को तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं।

A. CSR में उत्कृष्टता के लिये कॉरपोरेट पुरस्कार:

B. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में CSR के क्षेत्र में कॉरपोरेट पुरस्कार

C. राष्ट्रीय प्राथमिकता योजनाओं में योगदान के आधार पर 11 पुरस्कारों का प्रावधान, ताकि इन क्षेत्रों में व्यय करने के लिये कॉरपोरेट को प्रोत्साहित किया जा सके।

सम्मानजनक उल्लेख: पाँच प्रमुख पुरस्कारों के अलावा सराहनीय CSR गतिविधियाँ चलाने वाली कंपनियों के लिये 11 सम्मानजनक उल्लेखों का प्रावधान है।

बुकर पुरस्कार: 2019

कनाडा की मार्गरेट एटवुड (Margaret Atwood) और ब्रिटेन की बर्नाडिन एवरिस्टो (Bernardine Evaristo) को वर्ष 2019 के बुकर पुरस्कार के लिये संयुक्त रूप से चुना गया है।

प्रमुख तथ्य:

- मार्गरेट एटवुड को उपन्यास 'द टेस्टामेंट' (The Testaments) तथा बर्नाडिन एवरिस्टो को 'गर्ल वूमैन अदर' (Girl, Woman Other) नामक उपन्यास के लिये बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- बुकर पुरस्कार सामान्यत: केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, परंतु निर्णायक मंडल द्वारा इस बार दो लेखिकाओं को संयुक्त रूप से चुना गया।
- इससे पहले भी वर्ष 1974 तथा वर्ष 1992 में यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जा चुका है।
- मार्गरेट एटवुड सर्वाधिक आयु (79वर्ष) की बुकर पुरस्कार विजेता बनी हैं जबकि बर्नाडिन एवारिस्टो बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली अश्वेत महिला हैं।
- मार्गरेट एटवुड दूसरी बार बुकर पुरस्कार विजेता बनीं हैं। पहली बार उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2000 में उनकी पुस्तक द ब्लाइंड असेसिन (Blind Assassin) के लिये मिला था।
- मार्गरेट एटवुड से पहले ब्रिटिश लेखिका हिलेरी मेंटल (Hilary Mantel) ने यह पुरस्कार दो बार जीता था।

बुकर पुरस्कार के बारे में:

- बुकर पुरस्कार वर्ष 1969 से प्रदान किया जा रहा है।
- बुकर पुरस्कार वर्ष के सर्वोत्तम अंग्रेज़ी उपन्यास को दिया जाता है, इस उपन्यास का प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में होना चाहिये।

भारत और बुकर पुरस्कार:

- भारत के तीन लेखकों; अरविंद अडिगा को वर्ष 2008 में उनके उपन्यास द व्हाइट टाइगर (The White Tiger) के लिये, किरण देसाई को वर्ष 2006 में उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस (The Inheritance of Loss) के लिये तथा अरुधंति रॉय को उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स (God of Small Things) के लिये बुकर पुरस्कार मिल चुका है।
- भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी के उपन्यास क्विचोटे (Quichotte) को इस वर्ष के बुकर पुरस्कार के लिये अंतिम छह उपन्यासों में शामिल किया गया था। सलमान रुश्दी को इससे पहले वर्ष 1981 में उनके उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के लिये बुकर पुरस्कार मिला।

यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण (Cultural Heritage Conservation) के लिये यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार (UNESCO Asia-Pacific Awards) 2019 की घोषणा की गई।

नोट :

यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार के बारे में:

- यह पुरस्कार यूनेस्को के एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु दिया जाता है।
- यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों के निजी प्रयासों को मान्यता देता है जिन्होंने इस क्षेत्र में धरोहरों को संरक्षित किया है।
- यह पुरस्कार वर्ष 2000 से दिया जा रहा है।
- इसके तहत निम्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है-
  - उत्कृष्टता का पुरस्कार (Award of Excellence)
  - विशिष्टता का पुरस्कार (Award of Distinction)
  - योग्यता का पुरस्कार (Award of Merit)
  - प्रतिष्ठित मेंशन (Honourable Mention)
  - विरासत के संदर्भ में नए डिज़ाइन (New Design in Heritage Contexts)

यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार 2019:

- वर्ष 2019 में 5 श्रेणियों की 16 उपश्रेणियों में 5 देशों (न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, भूटान और चीन) को पुरस्कार प्रदान किया गया।
- इस वर्ष उत्कृष्टता का पुरस्कार हेतु चीन के ताई क्वुन (Tai Kwun)- विरासत और कला केंद्र को चुना गया।
- इस वर्ष भारत को तीन श्रेणियों में चार पुरस्कार प्रदान किये गए:
  - विशिष्टता का पुरस्कार:
    - विक्रम साराभाई पुस्तकालय (भारतीय प्रबंधन संस्थान- अहमदाबाद)
  - योग्यता का पुरस्कार:
    - केनेथ एलियाहु सिनेगॉग (Keneseth Eliyahoo Synagogue), मुंबई
    - लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च (Lady of Glory Church), मुंबई
  - प्रतिष्ठित मेंशन:
    - फ्लोरा फाउंटेन (Flora Fountain), मुंबई

अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिये भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी, फ्रांस-अमेरिका मूल की एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया है।
- इन तीनों को यह पुरस्कार वैश्विकी गरीबी को कम करने के लिये किये गए उपायों के लिये दिया गया है।
- गौरतलब है कि अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो पति-पत्नी हैं, एस्थर डुफ्लो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा (46 वर्षीय) विजेता हैं।
- नोबेल पुरस्कार की 9 मिलियन डॉलर की राशि तीनों अर्थशास्त्रियों के बीच बराबर-बराबर बाँटी जाएगी

कौन है अभिजीत बनर्जी ?

- अभिजीत बनर्जी का जन्म भारत के कोलकाता में 21 फरवरी, 1961 को हुआ था। फिलहाल वह एक अमेरिकी नागरिक हैं।
- अभिजित बनर्जी ने जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी (JNU) से अर्थशास्त्र में MA की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिये अमेरिका चले गए थे।
- अभिजीत बनर्जी अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब के सह-संस्थापक हैं। इसके अलावा वह कंसोर्टियम ऑन फाइनेंशियल सिस्टमस एंड पॉवर्टी के भी सदस्य हैं।

नोट :

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

- प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाएगा।
- गांधीवादी दर्शन के अनुयायी चंडी प्रसाद उत्तराखंड में प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की लड़ाई के चर्चित चेहरे रहे हैं।
- देश में राष्ट्रीय एकता के कार्यों के लिये चंडी प्रसाद भट्ट को वर्ष 2017-18 का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- 31 अक्तूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत 10 लाख रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
- 'चिपको आंदोलन' से जुड़े रहे 85 वर्षीय गांधीवादी पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को इससे पहले पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे और गांधी शांति पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने अपने शताब्दी वर्ष 1985 में की थी।
- राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना के विचार को बनाए रखने की दिशा में अनुकरणीय योगदान के लिये व्यक्तिगत रूप से या संस्थाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

अब तक यह पुरस्कार स्वामी रंगनाथनदा, अरुणा आसफ अली, पी.एन. हक्सर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डॉ. विशम्भरनाथ पांडे, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, डॉ. शंकर दयाल शर्मा, प्रख्यात वैज्ञानिक सतीश धवन, एम.एस. स्वामीनाथन, महाश्वेता देवी, गुलज़ार, ए.आर. रहमान सहित कई प्रमुख हस्तियों को दिया जा चुका है।

सखारोव पुरस्कार

यूरोपीय संघ की संसद द्वारा इस वर्ष के सखारोव पुरस्कार के लिये उईगर बुद्धिजीवी 'इल्हाम तोहती (Ilham Tohti)' को चुना गया है।

- इल्हाम तोहती को यह पुरस्कार चीन के उईगर अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की आवाज़ उठाने के लिये प्रदान किया जा रहा है।
- ध्यातव्य है कि उन्होंने उईगर और चीन के लोगों के मध्य बातचीत व परस्पर विश्वास को बढ़ाने के लिये निरंतर कार्य किया है।
- इल्हाम तोहती बीजिंग यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2014 में उन्हें चीन सरकार द्वारा 'अलगाववादी' होने के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है।

पृष्ठभूमि: इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी और तब से यह प्रतिवर्ष 'विचारों की स्वतंत्रता' के लिये किसी व्यक्ति या संगठन को प्रदान किया जाता है। यह यूरोपीय संघ की संसद द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सोवियत संघ के भौतिक विज्ञानी व विचारों की स्वतंत्रता के समर्थक आँद्रे सखारोव की स्मृति में प्रदान किया जाता है।

नोट :

दिवस

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस

हर साल 11 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस बार यानी वर्ष 2019 में 7वाँ अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है।

नोट: अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्तूबर को जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है।

विषय वस्तु/थीम:

- वर्ष 2019 के लिये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम "Girl Force: Unscripted and Unstoppable" है जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम "उज्जवल कल के लिये लड़कियों का सशक्तीकरण" ('Empowering Girls for a Brighter Tomorrow') थी।
- वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम "With Her: A Skilled GirlForce" थी।

उद्देश्य:

- बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना
- उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाईयों की पहचान करना
- समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को बालकों के समान अधिकार दिलाना

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस

पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन वर्ष 2012 में किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम "बाल विवाह की समाप्ति" (Ending Child Marriage) थी।

बालिकाओं से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहलें:

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- सुकन्या समृद्धि योजना
- किशोरियों के सशक्तीकरण के लिये राजीव गांधी योजना (सबला), आदि

राष्ट्रीय एकता दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं।
- यह वर्ष 2014 में पहली बार 'भारत के लौह पुरुष' को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया गया था।
- इस दिन सरदार पटेल के राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिये 'रन फॉर यूनिटी (Run For Unity)' जैसे विभिन्न आयोजन किये जाते हैं।
- वर्ष 2018 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue Of Unity) का अनावरण किया था। गौरतलब है कि यह विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा है।

सरदार वल्लभभाई पटेल

- सरदार पटेल का जन्म 31 अक्तूबर, 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था।
- वे भारत के प्रथम गृहमंत्री और उप-प्रधानमंत्री थे।

नोट :

- भारतीय राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।
  - ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता के समय विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिये राज़ी करने में सरदार पटेल की मुख्य भूमिका थी।
  - उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिये सामाजिक नेता के रूप में अथक प्रयास किये।
- बारडोली की महिलाओं ने उन्हें 'सरदार' की उपाधि दी। जिसका अर्थ 'प्रमुख या नेता' होता है।
- भारत को एकीकृत (एक भारत) और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में उनके महान योगदान के लिये उन्हें भारत की एकजुटता के वास्तविक सूत्रधार के रूप में जाना जाता है।
- साथ ही उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना भी की। जिसके कारण उन्हें 'भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत' (Patron saint of India's civil servants) के रूप में भी याद किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस

15 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (International Day of Rural Women) मनाया।

थीम:

जलवायु तन्यता लाने वाली ग्रामीण महिलाएँ और लड़कियाँ (Rural Women And Girls Building Climate Resilience)।

उद्देश्य:

- जलवायु परिवर्तन से निपटने में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को इंगित करना।
- ग्रामीण समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के महत्त्वपूर्ण योगदान के बावजूद ग्रामीण महिलाएँ वैश्विक लैंगिक एवं विकास संकेतकों पर शहरी महिलाओं से पीछे हैं, इसलिये इस मुद्दे को प्रमुखता देना।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

महत्त्व:

- ग्रामीण महिलाएँ और लड़कियाँ कृषि, खाद्य सुरक्षा, पोषण, भूमि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा अवैतनिक घरेलू देखभाल जैसे कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं।
- विश्व स्तर पर तीन में से एक कार्यरत महिला, कृषि से संबंधित कार्य करती है। इसलिये निश्चित रूप से प्राकृतिक संसाधनों और कृषि को खतरा होने पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा।

प्रयास:

- UN वुमेन (UN Women) ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये कई कार्यक्रम लागू कर रही हैं साथ ही वर्ष 2019 की इसकी रिपोर्ट "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में सुधार" पर केंद्रित है।

विश्व पर्यावास दिवस (World Habitat Day)

प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह के प्रथम सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार नैरोबी (केन्या) में इसका आयोजन किया था।

- इस दिवस के तहत टिकाऊ शहरी दुनिया के लिये संयुक्त दृष्टिकोण को रेखांकित करना, संभावनाओं को बढ़ावा देना, भेदभाव और असमानताओं को कम करना तथा अमीर-गरीब दोनों के लिये आवास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रयास किये जाते हैं।
- इस वर्ष विश्व पर्यावास दिवस की थीम है 'फ्रंटियर टेक्नोलॉजी: कचरे को धन में बदलने का एक अभिनव साधन' (Frontier Technology: An Innovative Tool to Want to Transform Waste to Wealth)
- इस वर्ष 7 अक्तूबर को मैक्सिको सिटी में मेक्सिको सरकार ने विश्व पर्यावास दिवस 2019 कार्यक्रम की मेज़बानी की।
- इस वर्ष विश्व पर्यावास दिवस का केंद्र बिंदु SDG-11 को प्राप्त करने के लिये स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन के लिये नवीन सीमांत प्रौद्योगिकियों के योगदान को बढावा देना है।

नोट :

प्रमुख उद्देश्य

- शहरों एवं कस्बों की स्थिति का पता करना तथा आश्रय हेतु पर्याप्त मानव अधिकार की आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- भविष्य की पीढ़ियों के आश्रय हेतु संयुक्त रूप से किए जाने वाले प्रयासों को जोड़ना।

वैश्विक पर्यावास दिवस की प्रमुख घोषणाएँ (Major Announcements of Global Housing Day)

1. दुनियाभर में बेहतर पर्यावास की आवश्यकता पर ध्यान देना और आवश्यक सहयोग करना।
2. हर जगह किफायती और पर्याप्त पर्यावास की प्राथमिकता साझा करना।
3. राज्यों और कस्बों को प्रतिबिंबित करने और पर्याप्त आश्रय के लिये बुनियादी मानव अधिकारों पर ध्यान देना।
4. भावी पीढ़ी के आवास के लिये संयुक्त जिम्मेदारी के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना।

मृत्युदंड विरोधी दिवस

प्रतिवर्ष 10 अक्तूबर को दुनियाभर में मृत्युदंड विरोधी दिवस (World Day Against the Death Penalty) मनाया जाता है।

- इस दिन किन्हीं भी हालात में दिये जाने वाले मृत्युदंड के प्रति विरोध दर्ज कराया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय (Office of the High Commissioner for Human Rights-OHCHR) ने सभी देशों का आहवान किया है कि वे उस वैश्विक संधि को मंज़ूरी देकर लागू करें जिसमें मृत्युदंड को खत्म करने का आह्वान किया गया है।
- ध्यातव्य है कि लगभग 170 देशों ने अपने यहाँ मृत्युदंड को या तो औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है या न्यायिक फैसलों में मौत की सज़ा सुनाना बंद कर दिया है।

चीन टॉप पर

- चीन मौत की सज़ा देने वाले देशों में पहले नंबर पर है, लेकिन इसका सही आँकड़ा सर्वविदित नहीं है क्योंकि इसे चीन में सुरक्षा कारणों से छिपाया जाता है।
- वर्ष 2016 में दुनियाभर में जितने भी मृत्युदंड दिये गए उनमें से 87% के लिये सिर्फ़ पाँच देश ज़िम्मेदार थे- चीन (आँकड़े ज्ञात नहीं) ईरान, सऊदी अरब, इराक और पाकिस्तान।
- इनके अलावा चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया भी बड़ी संख्या में मृत्युदंड देने वाले देशों की सूची में आते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 26वाँ स्थापना दिवस

- 12 अक्तूबर, 2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने (National Human Rights Commission-NHRC) अपना 26वाँ स्थापना दिवस मनाया।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को की गई थी।
- मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 12 अक्तूबर, 2018 को इसने अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाई।
- NHRC एक बहु-सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं।
- यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम-से-कम 3 पदेन (Ex-officio) सदस्य हों।
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है।

नोट :

मानवाधिकार क्या हैं ?

- यह संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों जैसे- जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना सभी को प्राप्त हैं।
- मानवाधिकारों में मुख्यत: जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार, आदि शामिल हैं।
- कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है।

खेल

डच ओपन सुपर 100

- विश्व में 72वीं वरीयता प्राप्त भारत के शटलर लक्ष्य सेन ने डच ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट के फाइनल में विश्व में 160वीं वरीयता प्राप्त जापान के यूसुके ओनेडेरा को कड़े मुकाबले में पराजित किया।
- 13 अक्तूबर, 2019 को अल्मेरे (नीदरलैंड्स) में भारत के लक्ष्य सेन द्वारा जीता गया यह खिताब उनके कॅरियर का यह पहला BWF खिताब था। डच ओपन BWF विश्व टूअर सुपर 100 टूर्नामेंट है।
- एशियाई जूनियर चैंपियन, युवा ओलंपिक खेलों के रजत और विश्व जूनियर चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने इससे पहले पिछले महीने बेल्जियम इंटरनेशनल का खिताब जीता था। इसी साल वह पोलिश ओपन के फाइनल में भी पहुँचे थे।

- पिछले वर्ष 22 जुलाई को जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले वह तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे।
- उनसे पहले पी.वी. सिंधु और गौतम ठक्कर ने ऐसा किया था। तब लक्ष्य सेन पिछले 53 सालों में यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे।
- लक्ष्य सेन का जन्म 16 अगस्त, 2001 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था।
- लक्ष्य सेन की यह इस सत्र की दूसरी, जबकि करियर की छठी ट्रॉफी है

पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का लोगो (Logo) लॉन्च

पेरिस में वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरालम्पिक खेलों का लोगो खेलों की आयोजन समिति ने लोगो लॉन्च किया।

- लोगो के नए डिज़ाइन में तीन चीजें एक साथ हैं- ओलम्पिक खेल, फ्रांस और मारियान।
- इसमें मारियान के होंठ और आउटलाइन शामिल हैं जो स्वतंत्रता और तर्क के रूप में फ्राँसीसी क्रांति के बाद से फ्राँसीसी गणतंत्र का राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहा है।
- यह सर्कुलर डिज़ाइन और पेरिस आर्ट डेको स्टाइल (Art Deco Style) में फ्राँसीसी क्रांति के बाद से तर्क के रूप में फ्राँसीसी गणतंत्र हिस्सा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति समन्वय आयोग के अध्यक्ष पियरे-ओलिवियर बेकर्स-वियुजेंट के अनुसार, यह लोगो खेल के सबसे बड़े मूल्य 'सर्वश्रेष्ठ बनने के लिये लगातार प्रयास करते रहने' को दर्शाता है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी अमेरिकी शहर लॉस एंजेलस को मिली है।

नोट :

विविध

बथुकम्मा

बथुकम्मा, तेलंगाना राज्य का त्यौहार है और यह त्योहार राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है।

- यह 'फूलों का त्यौहार' (Festival Of Flowers) है। जिसे पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है।
- इस त्यौहार में 'गुनुका पूलू' और 'तांगेदु पूलू' जैसे फूलों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बांटी, केमंती और नंदी-वर्द्धनम जैसे अन्य फूलों का भी प्रयोग किया जाता है।
- यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के तेलुगु संस्करण के अनुसार भाद्रपद अमावस्या को शुरू होता है जो नवरात्रि के नौ दिनों तक चलता है।
- महिलाएँ पूरे सप्ताह छोटे-छोटे बथुकम्मा बनाती हैं, प्रत्येक शाम उनके चारों ओर खेलती हैं और उन्हें पास के पानी के तालाब में विसर्जित कर देते हैं।
- बथुकम्मा तेलंगाना का राज्य त्यौहार है।
- तेलुगु में बथुकम्मा का अर्थ साक्षात् मातृ देवी को बुलाना है।

उपभोक्ता एप

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निवारण के लिये उपभोक्ता एप (Consumer App) लॉन्च किया।

- मंत्रालय उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज़ी से ट्रैक करने के लिये और उपभोक्ताओं से संबंधित मुद्दों पर, विभाग को अपने बहुमूल्य सुझाव देने हेतु इस प्रकार का प्रभावी मंच उपलब्ध करा रहा है।
- डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक कदम है, इस एप का उद्देश्य मोबाइल फोन के माध्यम से देश भर में उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र संबंधी वन स्टॉप सॉल्यूशन समाधान उपलब्ध कराना है।
- इस एप के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से उनकी शिकायत के बारे में एक यूनिक नंबर (Unique Number) के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिसे उपभोक्ताओं द्वारा ट्रैक किया जा सकता है।
- उपभोक्ता शिकायतों का समयबद्ध समाधान होगा और जो शिकायतें प्रकृति में सरल हैं उन्हें 20 दिनों के भीतर हल किया जाएगा। ऐसी शिकायतें जिसमें लोग कंपनियों से प्रतिक्रिया चाहते हैं, को 60 दिनों के भीतर हल किया जाएगा।
- उपभोक्ताओं की 60 दिनों के बाद भी शिकायत का समाधान नहीं होने की स्थिति में उन्हें उपभोक्ता मंचों के प्रयोग की सलाह दी जाएगी।
- शिकायत को बंद करने से पहले उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा और यदि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो शिकायत को संबंधित विभाग के पास भेज दिया जाएगा।
- उपभोक्ता OTP (वन टाइम पासवर्ड) के साथ साइन-अप कर सकते हैं और एप का उपयोग करने के लिये एक यूज़र आईडी तथा पासवर्ड बना सकते हैं।
- एप में उपलब्ध नॉलेजबेस (knowledgebase) फीचर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता ड्यूरेबल्स (Consumer Durables), इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ई-कॉमर्स, बैंकिंग और बीमा जैसे 42 सेक्टरों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।
- उपभोक्ता इस एप को मुफ्त में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल एप स्टोर से डाउनलोड कर, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं।

पर्यटन पर्व 2019

राष्ट्रव्यापी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये नई दिल्ली में 2 अक्तूबर को पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन किया गया, यह आयोजन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित है।

नोट :

- इसके साथ ही पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन 2 से 13 अक्तूबर, 2019 तक देश भर में किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य देखों अपना देश संदेश फैलाना है।
- **पर्यटन पर्व के तीन घटक हैं:**
  - **देखो अपना देश:** इस पहल के माध्यम से विदेशों में रह रहे भारतीयों को अपने देश की यात्रा के लिये प्रोत्साहित करना है। पर्यटन पर्व के तहत देश भर में कई गतिविधियों जैसे कि फोटोग्राफी प्रतियोगिता, पर्यटन के आकर्षण और अनुभवों को कवर करना, सोशल मीडिया पर प्रोत्साहन, पर्यटन से संबंधित प्रश्नोत्तरी, निबंध, वाद-विवाद तथा छात्रों के लिये चित्रकारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आयोजन हेतु सामान्य सार्वजनिक भागीदारी को MyGov मंच के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
  - **सभी के लिये पर्यटन:** देश के सभी राज्यों में पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तहत उस क्षेत्र के नृत्य, संगीत, रंगमंच, सांस्कृतिक कथाएँ, आसपास के हितधारकों के लिये सेंसिटाइज़ेशन प्रोग्राम (Sensitisation Programmes), पर्यटन प्रदर्शनियाँ, प्रदर्शन संस्कृति, भोजन और हस्तशिल्प/हथकरघा आदि गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।
  - **पर्यटन और शासन:** पर्यटन पर्व के एक भाग के रूप में विभिन्न विषयों पर देश भर में हितधारकों के साथ पारस्परिक संवाद और कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी।

पोर्टामेंटो

वास्तविक समय में किसी भी दो ऑडियो सिग्नल के बीच पोर्टामेंटो (Portamento) प्रभाव उत्पन्न करने वाले एक एल्गोरिथ्म (Algorithm) का आविष्कार किया गया।

- संगीत या वाद्ययंत्रों के बजने के दौरान उनकी ध्वनियों में बदलाव को पोर्टामेंटो (Portamento) कहते हैं। संगीतकार इस शब्द का प्रयोग सैकड़ों वर्षों से कर रहे हैं।
- पोर्टामेंटो से संबंधित प्रयोगों में एल्गोरिथ्म ने मूल रूप से विभिन्न ऑडियो क्लिप जैसे कि एक पियानो की आवाज को मिला दिया गया।
- यह एल्गोरिथ्म इष्टतम परिवहन (Optimal Transport), जो सदियों पुरानी एक ज्यामितीय-आधारित रूपरेखा है, पर निर्भर करता है। इस ज्यामितीय-आधारित रूपरेखा में दो वस्तु-विन्यासों के बीच स्थानांतरित होने वाली ध्वनियों को दर्ज किया जाता है।
- यह एल्गोरिथ्म द्रव गतिकी (Fluid Dynamics), 3-डी मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स आदि पर लागू किया गया है।

प्रकाश पोर्टल

विद्युत् संयंत्रों को कोयला आपूर्ति में सुधार हेतु सरकार ने प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया है।

- यह पोर्टल खानों में कोयला स्टॉक की मैपिंग के साथ ही हितधारकों को रेलवे रेक के आवागमन और विद्युत् संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता की निगरानी में भी मदद करेगा।
- प्रकाश पोर्टल का पूरा नाम (Prakash- Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony) है।
- सरकार का मुख्य उद्देश्य विद्युत् संयंत्रों को कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत्, कोयला और रेलवे मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करना है।
- वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में देश में कोयले का उत्पादन सालाना 4% घटकर 304 मीट्रिक टन रह गया जिसका मुख्य कारण अत्यधिक बारिश के चलते खनन कार्यों में बाधा उत्पन्न होना है।
- इस पोर्टल के माध्यम से कोयला कंपनियों को प्रभावी उत्पादन योजना हेतु पावर स्टेशनों पर स्टॉक और आवश्यकता को ट्रैक करने में सहायता मिलेगी क्योंकि एक निश्चित मात्रा से अधिक कोयला भंडारित करने पर आग लगने की संभावना बनी रहती है।
- हालाँकि, विद्युत् मंत्रालय की हाल ही में लॉन्च की गई अन्य वेबसाइटों के विपरीत, यह पोर्टल आम जनता के लिये सुलभ नहीं है।
- इसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC) द्वारा विकसित किया गया है।

नोट :

प्वाइज़न फायर कोरल

हाल ही में विश्व का सबसे ज़हरीला कवक (प्वाइज़न फायर कोरल- Poison fire coral) ऑस्ट्रेलिया के सुदूर उत्तर में पहली बार देखा गया है।

- इस कवक का मूल स्थान जापान और कोरिया प्रायद्वीप है, अपने मूल निवास स्थान से हज़ारों मील दूर यह कवक पहली बार देखा गया है।
- यह कवक चमकते लाल रंग का ज़हर उगलता है जिससे इसका रंग लाल होता है।
- यह कवक पेड़ों की जड़ों और मिट्टी में भी पाया जाता है।
- यह कवक त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है, इस कवक में आठ ऐसे यौगिक हैं जिन्हें त्वचा अवशोषित कर सकती है।
- इस कवक के स्पर्श मात्र से त्वचा लाल रंग की हो जाती है, साथ ही इससे सूजन भी हो सकती है।
- जापान और कोरिया में पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले खाद्य मशरूम और इस लाल कवक के बीच संदेह की स्थिति में लाल कवक के प्रयोग से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

राष्ट्रीय मानसून मिशन

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मानसूनी वर्षा हेतु अत्याधुनिक भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करने के लिये राष्ट्रीय मानसून मिशन की शुरुआत की गई है।

- इस मिशन के निष्पादन और समन्वय की ज़िम्मेदारी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे की है।
- यह राष्ट्रीय मिशन IITM, NCEP (USA) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जैसे संगठनों के आपसी समन्वय से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस मिशन हेतु NCEP की जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (Climate Forecast System- CFS) को मूल मॉडलिंग प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
- अमेरिकी मौसम पूर्वानुमान मॉडल को जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (Climate Forecast System- CFS) कहा जाता है।
- अमेरिकी मॉडल को नेशनल सेंटर फॉर एन्वायरनमेंटल प्रेडिक्शन (National Centres for Environmental Prediction- NCEP), एनओएए नेशनल वेदर सर्विस (NOAA National Weather Service) द्वारा विकसित किया गया है।
- अमेरिकी मॉडल विकसित करने वाले उपरोक्त दोनों संस्थान भारत में भी पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने में सहयोग कर रहे हैं।

परफॉर्मेंस स्मार्ट-बोर्ड

02 अक्तूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information) ने एक स्वचालित रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट-बोर्ड लॉन्च किया।

- इस स्मार्ट-बोर्ड का उद्देश्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, आधार और डिजिटल भुगतान की प्रभावी निगरानी करना है।
- इसके अतिरिक्त स्मार्ट-बोर्ड केंद्र, राज्य या ज़िला विशिष्ट परियोजनाओं के लिये नागरिकों को एकल खिड़की तक पहुँच भी प्रदान करेगा।
- यह मंत्रालय के महत्त्वपूर्ण और उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को वास्तविक समय पर गतिशील विश्लेषणात्मक परियोजना निगरानी (Dynamic Analytical Project Monitoring) प्रदान करेगा।
- स्मार्ट-बोर्ड डेटा इंटीग्रेशन के माध्यम से विश्लेषण दक्षता को बढ़ाएगा, इसके लिये API/वेब सेवाओं का उपयोग करके केंद्रीकृत तथा आसान-पहुँच वाले प्लेटफॉर्मों के डेटा का प्रयोग किया जाएगा।
- यह स्वचालित रियल टाइम स्मार्ट-बोर्ड पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

API (Application Programming Interface)
एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्लाइंट या अलग-अलग सर्वर के बीच एक इंटरफेस या संचार प्रोटोकॉल है।

नोट :

यूथ को:लैब (Youth Co:Lab)

अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने भारत में युवाओं के नेतृत्व वाली सामाजिक उद्यमिता और नवाचार को गति देने के लिये यूथ को:लैब (Youth Co:Lab) लॉन्च किया।

- अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और UNDP के बीच इस लैब की स्थापना हेतु एक लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- इस लैब के माध्यम से युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों को सरकारों, मेंटरों, इन्क्यूबेटरों तथा निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, साथ ही युवाओं का उद्यम कौशल संवर्द्धन भी होगा।
- इस पहल के माध्यम से देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये नई दिल्ली, हैदराबाद, बंगलुरू और मुंबई जैसे कई शहरों में युवा संवादों का आयोजन किया जाएगा।
- यह लैब संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास फ्रेमवर्क (United Nations Sustainable Development Framework- UNSDF) के एक हिस्से के रूप में कार्य करेगी।
- इस लैब के क्रियान्वयन के पहले चरण में छह सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)- SDG 5 (लिंग समानता), SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), SDG 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), SDG 8 (निर्णय कार्य और आर्थिक विकास), SDG 12 (संवहनीय उपभोग और उत्पादन- Sustainable Consumption and Production) और SDG 13 (जलवायु कार्यवाही- Climate Action) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- यूथ को:लैब राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक नवाचार चुनौतियों (Social Innovation Challenges) का आयोजन करेगा।
- इस आयोजन में 18-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा और उनके द्वारा प्रस्तावित विचारों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने के लिये स्टार्ट-अप का आयोजन किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास फ्रेमवर्क
(United Nations Sustainable Development Framework- UNSDF)

- UNSDF, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के समन्वय से संचालित एक पहल है।
- भारत-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास फ्रेमवर्क (UNSDF) 2018-2022 भारत में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्य की रूपरेखा तैयार करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सरकार के परामर्श से चिह्नित किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण विकास कार्यों की उपलब्धि हेतु समर्थन सुनिश्चित करता है।
- इस प्रकार की प्राथमिकताओं में नीति आयोग की तीन-वर्षीय कार्यसूची (वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक के लिये) और न्यू इंडिया 2022 जैसी पहलें शामिल हैं।
- UNSDF का संचालन भारत में नीति आयोग के अंतर्गत किया जाता है।
- UNSDF 2018-22 में सात प्राथमिक क्षेत्र शामिल हैं-

1. गरीबी और शहरीकरण स्वास्थ्य
2. जल और स्वच्छता
3. शिक्षा और रोज़गार
4. पोषण और खाद्य सुरक्षा
5. जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और आपदा तन्यता (Resilience)
6. कौशल, उद्यमिता और रोज़गार सृजन
7. लैंगिक समानता और युवा विकास

नोट :

चकमा समुदाय

चकमा समुदाय के 34 छात्रों ने सुरक्षा की कमी के कारण मिज़ोरम स्थित एक जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्रावास छोड़ दिया।

- चकमा समुदाय मुख्यत: बौद्ध धर्म का अनुयायी है।
- चकमा समुदाय चटगाँव पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानिक हैं जो बांग्लादेश में स्थित है।
- मिज़ोरम के स्थानीय समुदायों और बांग्लादेश से प्रवास करके आए चकमा समुदाय के बीच संघर्ष होता रहता है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, मिज़ोरम की 11 लाख जनसंख्या में से चकमा समुदाय की जनसंख्या लगभग 1 लाख है।
- मिज़ो समुदाय से संघर्ष के कारण चकमा समुदाय के बहुत सारे लोग त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहें हैं।
- चटगाँव पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले इस समुदाय ने वर्ष 1964-65 में कर्णफुली नदी पर कपाई बांध के विकास की वजह से अपनी ज़मीन खोने और धार्मिक उत्पीड़न (क्योंकि वे गैर-मुस्लिम थे और बंगाली नहीं बोलते थे) के कारण बांग्लादेश (तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान) से भारत में प्रवास किया।
- चकमा समुदाय ने भारत में शरण मांगी, जिसके बाद भारत सरकार ने उनके लिये अरुणाचल प्रदेश में राहत शिविर स्थापित किये।
- वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने चकमा समुदाय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को चकमा समुदाय को नागरिकता देने का निर्देश दिया।

ग्राम सचिवालय प्रणाली

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा ज़िले में ग्राम सचिवालय प्रणाली का उद्घाटन किया गया।

- आंध्र प्रदेश ग्राम और ग्राम सचिवालयों की स्थापना करके अन्य राज्यों के लिये एक आदर्श बन गया है।
- इस प्रणाली के माध्यम से शासन के विकेंद्रीकरण के स्वरूप का आधुनिकीकरण किया गया है।
- इस प्रकार की प्रणाली के माध्यम से सरकार की योजनाओं और नीतियों का सीधा लाभ नागरिकों को मिलेगा साथ ही कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन और विश्लेषण भी किया जा सकेगा।

सरस आजीविका मेला

नयी दिल्ली के इंडिया गेट पर 10 से 23 अक्तूबर, 2019 तक सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया।

संबंधित मंत्रालय:

- यह मेला केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के दीन दयाल दयाल उपाध्याय योजना की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने, उत्पादों को बेचने और थोक खरीदारों के साथ सीधे संपर्क बनाने का अवसर प्रदान करना है।

आयोजनकर्त्ता:

- लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (Council for Advancement of People's Action and Rural Technology-CAPART)।
- CAPART ग्रामीण विकास मंत्रालय की विपणन शाखा है।

लाभ:

मेले के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को शहरी ग्राहकों की मांग और रुचि को समझने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलेगा।

नोट :

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना

10 अक्तूबर, 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 'सुरक्षित मातृत्व आश्वासन' (Surakshit Matritva Aashwasan-SUMAN) योजना की शुरुआत की।

- इस योजना की घोषणा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय परिषद के 13वें सम्मेलन की शुरुआत के दौरान की गई।
- **संबंधित मंत्रालय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare)।

उद्देश्य

- देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
- अस्पताल में मातृ और शिशु मृत्यु की रोकथाम, भुगतान रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

अन्य संबंधित योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की निश्चित नवीं तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तायुक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है।

- इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि (गर्भावस्था के 4 महीने के बाद) के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है।

गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता– प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा वर्ष 2016 में प्रसूति मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास के रूप में की गई थी।

- इस योजना के तहत 6, 000 रुपए की वित्तीय सहायता गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के बाद महिला के बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

मातृत्व अवकाश में वृद्धि– कामकाजी महिलाओं के लिये मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।

'एमहरियाली' एप

11 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में मोबाइल एप, 'एम हरियाली' को लॉन्च किया गया।

संबंधित मंत्रालय: आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs)

उद्देश्य:

- सरकारी कालोनियों के पर्यावरण को संरक्षित करना।
- लोगों को पौधे लगाने और इस तरह के अन्य हरित उपाय करने के लिये प्रेरित करना।

विशेषता:

- इस एप का उपयोग आम जनता, नोडल अधिकारियों और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।
- लोग अब अपने द्वारा किये गए किसी भी प्रकार के पौधारोपण की जानकारी/फोटो अपलोड कर सकते हैं जो एप से जुड़ी होगी और यह वेबसाइट www.epgc.gov.in पर दिखाई देगी।
- एप स्वत: ही पौधों की जियो-टैगिंग (Geo-Tagging) करता है।
- यह एप नोडल अधिकारियों को समय-समय पर वृक्षारोपण की निगरानी करने में भी सक्षम करेगा।

जियो-टैगिंग (Geo-Tagging)

- जियोटैगिंग मेटा डेटा के रूप में भौगोलिक जानकारी को विभिन्न प्रकार से मीडिया से जोड़ने की प्रक्रिया है।
- इस मेटा डेटा में आमतौर पर अक्षांश और देशांतर जैसे निर्देशांक होते हैं, लेकिन इसमें दिक्कोण, ऊँचाई, दूरी और स्थान का नाम भी शामिल हो सकता है।
- जियो-टैगिंग का उपयोग आमतौर पर तस्वीरों के लिये किया जाता है और इससे लोगों को बहुत सी विशिष्ट जानकारी (जैसे- तस्वीर कहाँ ली गई थी या किसी सर्विस में लॉग ऑन करने वाले मित्र का सटीक स्थान) प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

नोट :

हगीबिस चक्रवात

टायफून (उष्ण कटिबंधीय चक्रवात) हगीबिस के कारण जापान में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

हगीबिस शब्द का अर्थ:

- फिलीपींस की भाषा में इसका अर्थ "गति" (Speed) होता है।

हगीबिस नामकरण:

- टायफून को हगीबिस नाम फिलीपींस द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त फिलीपींस ने स्थानीय स्तर पर इसका नाम पेरला (Perla) रखा है।

टायफून क्या होते हैं ?

- उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों (लगभग 5-30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्धों) में विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है।
- उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में हरिकेन और टारनेडो, आस्ट्रेलिया में विली-विलीज़, चीन तथा जापान में टायफून एवं टायफू व भारत में चक्रवात कहा जाता है।

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने की आवश्यक दशाएँ:

- गर्म और आर्द्र वायु का लगातार आरोहण होना चाहिये क्योंकि चक्रवात को ऊर्जा की आपूर्ति संघनन की प्रक्रिया में छिपी हुई गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) से होती है।
- वृहद् समुद्री सतह, जहाँ समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिये।
- समुद्री सतह पर निम्न वायुदाब का विकास तथा वायु का अभिसरण (Convergence) एवं आरोहण (Ascent) होना चाहिये।
- कोरिआलिस बल की उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि यह वायु को चक्रीय गति प्रदान करता है।
- धरातलीय चक्रवात के ऊपरी वायुमंडल में प्रतिचक्रवातीय दशाएँ होनी चाहिये।

चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है ?

- चक्रवातों का नामकरण पहले अक्षांशीय-देशांतर के आधार पर किया जाता था परंतु वर्तमान में चक्रवातों का नामकरण उनके स्थान, विशेषता और विस्तार के आधार पर किया जाता है।
- चक्रवातों के नामकरण में अक्षर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, इन अक्षरों में से Q, U, X, Z वर्णों को हटा दिया गया है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) ने नामों की छह सूचियाँ तैयार की हैं, इन नामों का छह वर्ष बाद पुन: प्रयोग किया जाता है। जो चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, उनका नाम सूची से हटा दिया जाता है।

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव

14 अक्तूबर, 2019 को जबलपुर (मध्य प्रदेश) में संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10 वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। यह कार्यक्रम 14 से 21 अक्तूबर, 2019 तक आयोजित किया जाएगा।

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव क्या है ?

- राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत किया जाता है।
- इसका प्रथम आयोजन वर्ष 2015 में किया गया था। अब तक नौ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किये गए हैं जिसमें से दिल्ली और कर्नाटक में 2-2 बार, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं उत्तराखंड में 1-1 बार आयोजन किया गया है।
- पिछले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड (टिहरी) में किया गया था।

नोट :

कार्यक्रम:

- इस कार्यक्रम में कुछ प्रसिद्ध कलाकार प्रतिभाग करेंगे, साथ ही माटी के लाल थीम के साथ स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रतिभा/कला का प्रदर्शन करेंगे।
- राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 में असम, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, मणिपुर, केरल, जम्मू-कश्मीर, लेह, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों/संघशासित प्रदेशों के कलाकार भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करेंगे।
- इसमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे- लोक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प एवं पाक-कला के जरिये भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

उद्देश्य:

- विभिन्न राज्यों/ संघशासित प्रदेशों के लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ाना।
- देश की विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच परस्पर समझ और रिश्तों को बढ़ावा देना।
- भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना।

ई-दंतसेवा और ब्रेल पुस्तिका

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में ई-दंतसेवा वेबसाइट और मोबाइल एप लॉन्च किया साथ ही दृष्टिबाधितों के लिये ब्रेल पुस्तिका (Braille booklet) तथा वॉयस ओवर (Voice Over) भी जारी किया गया।

ई-दंतसेवा कार्यक्रम का क्रियान्वयन:

- मुँह संबंधी स्वास्थ्य की जानकारी के लिये यह पहला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य की दिशा में यह महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इसकी वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से 100 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा।
- ई-दंतसेवा कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी:
- सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च (CDER), AIIMS नई दिल्ली इसकी कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है।

ई-दंतसेवा कार्यक्रम की पृष्ठभूमि:

- नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम (National Oral Health Programme- NOHP) को वर्ष 2014 मे लाया गया था।

ब्रेल पुस्तिका (Braille booklet)

- इसके अतिरिक्त दृष्टिबाधितों हेतु शिक्षा व्यवस्था में ब्रेल प्राथमिक पठन विधि का उपयोग किया जाएगा।

ब्रेल (Braille) क्या है ?

- ब्रेल एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है जिसका उपयोग दृष्टिबाधित लोग करते हैं। इसमें कागज़ पर उभरे हुए शब्दों के माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों द्वारा पढ़ाई की जाती है।
- ब्रेल उपयोगकर्ता कंप्यूटर स्क्रीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें रिफ्रेशएबल ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है।

होरी हब्बा

होरी हब्बा (Hori Habba) एक प्रकार का बैल-पकड़ने वाला कर्नाटक का लोक खेल (Folk Game) है।

- इसका आयोजन फसल बुवाई के मौसम में या दीपावली के आस-पास किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि यह खेल तमिलनाडु के जल्लीकट्टू एवं दक्षिण कन्नड़ ज़िले के कंबाला के समान ही खेला जाता है।

नोट :

- इसमें सैकड़ों प्रशिक्षित और सजे हुए बैलों को भारी भीड़ के बीच दौड़ाया जाता है तथा निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहले पहुँचने वाले बैल को विजेता घोषित किया जाता है।
- साथ ही इसमें लोगों द्वारा भीड़ के बीच से भागते बैल को पकड़ने का प्रयास भी किया जाता है।

ठोटलाकोंडा बौद्ध परिसर

हाल ही में भारी वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित ठोटलाकोंडा बौद्ध परिसर (Thotlakonda Buddhist Complex) का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है।

ठोटलाकोंडा बौद्ध परिसर के बारे में

- दूसरी शताब्दी ई.पू. का ठोटलाकोंडा बौद्ध परिसर बौद्ध धर्म की प्राचीन हीनयान शाखा से संबंधित है।
- यह परिसर श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार का केंद्र रहा है।

हीनयान शाखा:

- कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की 'हीनयान' शाखा का उद्भव हुआ।
- हीनयान में बुद्ध को महापुरुष के रूप में स्थापित किया गया है।
- यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और आत्म अनुशासन तथा ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करता है।
- हीनयान का आदर्श है- अर्हत पद की प्राप्ति।

शिरुई लिली

हाल ही में मणिपुर में शिरुई लिली (Shirui Lily) महोत्सव आयोजित किया गया। इस चार दिवसीय महोत्सव में नृत्य, भोजन, संगीत और पारंपरिक खेल का आयोजन किया गया।

शिरुई लिली के बारे में ?

- यह मणिपुर का राजकीय पुष्प है।
- यह तीन फीट लंबा और घंटी के आकार का नीला-गुलाबी रंग का पुष्प है।
- इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम मैकलिनिया (Lilium mackliniae) है।
- शिरुई लिली, ग्राउंड लिली (Ground Lily) की एक प्रजाति है जो केवल मणिपुर की शिरुई पहाड़ी (Shirui Hills) के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में तांगखुल नागा जनजाति निवास करती है।
- तांगखुल जनजाति द्वारा इसे स्थानीय भाषा में काशोंग तिम्रावोन (Kashsong Timrawon) कहा जाता है, जो तिम्रावोन के नाम पर रखा गया है।
- ऐसा माना जाता है कि तिम्रावोन पौराणिक देवी फिलव (Philava) की बेटी है, जो शिरुई की पहाड़ियों में निवास करती है और इस जनजाति की रक्षा करती है।

खोज:

- इस पुष्प की खोज मणिपुर में वर्ष 1946 में अंग्रेज़ वैज्ञानिक फ्रैंक किंग्डन-वार्ड (Frank Kingdon-Ward) द्वारा की गई थी।
- अपनी विशेषताओं के कारण इस पुष्प ने वर्ष 1948 में रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी (Royal Horticultural Society-RHS) लंदन के एक फ्लॉवर शो में श्रेष्ठता पुरस्कार जीता था।

शिरुई लिली को प्रभावित करने वाले कारक:

- अत्यधिक पर्यटन।
- आक्रामक बाँस प्रजातियाँ।
- शिरुई पहाड़ी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने में हो रही देरी।

नोट :

रंगदुम/रेंगदुम बौद्ध मठ

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल ज़िले में स्थित रंगदुम/रेंगदुम बौद्ध मठ (Rangdum Buddhist Monastery) को राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

रंगदुम/रेंगदुम बौद्ध मठ के बारे में:

- 18वीं शताब्दी में निर्मित यह मठ लद्दाख की सुरू घाटी (Suru Valley) में स्थित है।
- सुरू घाटी से सुरू नदी बहती है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है।
- यह एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो गेलुग्पा संप्रदाय (Gelugpa Sec) से संबंधित है।

उद्देश्य:

- लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देना।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI)

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

सिरुमुगई शॉल

मामल्लपुरम् में भारत-चीन द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सिरुमुगई शॉल (Sirumugai Shawl) भेंट की है।

सिरुमुगई शॉल क्या है ?

- सिरुमुगई शॉल कोयंबटूर से लगभग 35 किलोमीटर दूर सिरुमुगई नामक स्थान पर रामलिंगम् सोद्दमबिगई बुनकर सहकारी समिति द्वारा सोने और सिल्क से बनाई गई है।
- इन शॉलों पर इससे पहले थिरुकुरल (तमिल ग्रंथ) के 1330 दोहे, विश्व के सात आश्चर्य और कई राष्ट्रीय नेताओं के चित्र निर्मित किये गए हैं।
- इसके अतिरिक्त विवाह के अवसर पर इन शॉलों पर पर वर और वधू के चित्र भी बनाए जाते हैं।

सिरुमुगई:

- यह तमिलनाडु राज्य के कोयंबटूर ज़िले में स्थित है और सिल्क की साड़ियों के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है।
- यह नीलगिरि पहाड़ियों के मध्य, भवानी नदी के तट पर स्थित है। भवानी, कावेरी की सहायक नदी है।

खोन रामलीला

उत्तर प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग विश्व प्रसिद्ध खोन (KHON) रामलीला हेतु देश का पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है।

खोन रामलीला

- थाईलैंड की खोन रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है।
- यह रामलीला के दृश्यों को दर्शाता एक नकाबपोश नृत्य है।
- इस नृत्य के दौरान कोई संवाद नहीं होता बल्कि पृष्ठभूमि की आवाज़ें ही रामायण की पूरी कहानी का बयान करती हैं।
- खोन रामलीला का प्रदर्शन अपने सुंदर पोशाक और सुनहरे मुखौटों के लिये भी प्रसिद्ध है।

नोट :

यूनेस्को (UNESCO):

- यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है।
- मुख्यालय- पेरिस (फ्राँस)
- गठन- 16 नवंबर, 1945
- कार्य- शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना।
- उद्देश्य- इसका उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए।

भओना

हाल ही में असम के लोकनृत्य भओना (Bhaona) के अंग्रेज़ी संस्करण का आयोजन आबू धाबी में किया गया।

उद्देश्य:

- स्थानीय लोक संस्कृति का वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार।
- संत शंकरदेव के विचारों का प्रचार-प्रसार।

भओना के बारे में ?

- **किसने प्रारंभ किया ?**
  - भओना असम का लोकनृत्य है। यह नव-वैष्णव आंदोलन से संबंधित है।
  - संत-सुधारक शंकरदेव द्वारा भओना की शुरुआत लगभग 500 वर्ष पहले की गई थी।
- **प्रयुक्त भाषा:**
  - प्रारंभ में शंकरदेव ने इसमें गाए जाने वाले गीत (बोरगीत) संस्कृत भाषा में लिखे लेकिन कालांतर में उन्होंने बोरगीत के लिये असमिया और ब्रजावली/ब्रजबुली का उपयोग किया।
- **वेशभूषा और वाद्य यंत्र:**
  - वेशभूषा और आभूषणों से सुसज्जित कलाकारों द्वारा संवादों, गीतों और नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है इसमें सामान्यत: भारी ड्रम और झाँझ बजाते हुए 40-50 लोग शामिल होते हैं।
- **कथ्य:**
  - इसका कथ्य पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और इसका प्रयोग सत्रिया शास्त्रीय नृत्य में भी किया जाता है।
  - इसके अतिरिक्त रामायण और शंकरदेव कृत अंकियानाट का मंचन किया जाता है।
- **मंचन:**
  - सामान्यत: इसका मंचन नामघर (मंदिर) और जतरा (वैष्णव मठों) में किया जाता है।
- **मुख्य केंद्र:**
  - असम का माजुली क्षेत्र वैष्णव संस्कृति और भओना का केंद्र है।

सत्रिया शास्त्रीय नृत्य:

- इसका प्रारंभ 15वीं सदी में शंकरदेव द्वारा किया गया था वर्तमान में यह भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है।
- शंकरदेव ने इसे अंकियानाट के मंचन के लिये शुरू किया था इसमें शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं बोरगीत का प्रयोग किया जाता है।
- इसमें ढोल, ताल और बाँसुरी का प्रयोग होता है हाल के दिनों में इसमें हारमोनियम का भी प्रयोग होने लगा है।
- इस नृत्य को कई विधाओं में बाँटा गया है, जैसे- अप्सरा नृत्य, बहार नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचोक नृत्य, रास नृत्य आदि।

नोट :

श्री मल्लिस्वरन मंदिर

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले के कोटरकोना (Kotrakona) में स्थित श्री मल्लिस्वरन मंदिर (Sri Malliswaran Temple) के नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है।

इतिहास:

- श्री मल्लिस्वरन मंदिर का ऐतिहासिक संबंध मध्ययुगीन चोलों के शासनकाल (11वीं शताब्दी) से है।
- चोलों द्वारा इस मंदिर का निर्माण उत्तर की ओर आक्रमण करने से पहले बनाया गया था।
- इस मंदिर में उपस्थित खजाने के कारण आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को बार-बार लूटा गया।
- निर्माण के बाद काफी दिनों तक यह मंदिर जंगलों से घिरा हुआ था और जनसामान्य की पहुँच से बाहर था।
- वर्ष 1975 के आस-पास स्थानीय समुदाय द्वारा इसकी खोज की गई और ग्रामीणों द्वारा इसके परिसर के आस-पास सफाई कराई गई।

स्थापत्य विशेषताएँ:

- इस मंदिर के परिसर में आंतरिक प्रकरम (Inner Prakaram), विमानगोपुरम (Vimanagopuram), राजगोपुरम (Rajagopuram), चार मंडपम और देवी भुवनेश्वरी का मंदिर है लेकिन इन संरचनाओं को आक्रमणकारियों द्वारा नुकसान पहुँचाया गया था।

ऑपरेशन कायला म्यूलर

हाल ही में इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बक्र अल-बगदादी को मारने हेतु चलाए गए स्टील्थ ऑपरेशन का नाम कायला म्यूलर के नाम पर रखा गया था।

कायला म्यूलर कौन थीं ?

- कायला म्यूलर एक अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्त्ता थी।
- उनका वर्ष 2013 में चरमपंथी समूह (ISIS) द्वारा अपहरण किया गया तथा 18 महीने तक कैद में रखने के बाद वर्ष 2015 में हत्या कर दी गई थी।

अबू बक्र अल-बगदादी कौन था ?

- अबू बक्र अल-बगदादी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (Islamic State of Iraq and Syria-ISIS) आतंकवादी संगठन का नेता था।
- इसने वर्ष 2012 में सीरिया में ज़भात अल-नुसरा आतंकी संगठन की स्थापना की जिसका वर्ष 2013 में नाम परिवर्तित करके ISIS कर दिया गया।
- इसे यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट (United States Department of State) द्वारा वैश्विक आतंकवादी नामित किया गया था।

नेलोप्टोड्स ग्रेटा

लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के वैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर झींगुर (Beetle) की एक छोटी प्रजाति का नाम नेलोप्टोड्स ग्रेटा (Nelloptodes Gretae) रखा है। उल्लेखनीय है कि यह नाम 16 वर्षीय स्वीडिश पर्यावरण प्रचारक ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है।

नेलोप्टोड्स ग्रेटा के बारे में:

- नेलोप्टोड्स ग्रेटा पहली बार केन्या में 1960 के दशक में पाए गए, जिन्हें वर्ष 1978 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में भेज दिया गया।
- यह झींगुरों के टिलाइडी (Ptiliidae) परिवार से संबंधित है।

नोट :

शारीरिक विशेषताएँ:

- यह 1 मिमी. से कम लंबा होता है और इसमें पंख नहीं पाए जाते हैं ।
- साथ ही यह विश्व के सबसे छोटे झींगुरों में गिना जाता है।

निर्विक योजना

वाणिज्यि एवं उद्योग द्वारा मंत्रालय द्वारा निर्यातकों के लिये ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने और ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात ऋण विकास योजना- निर्विक योजना (Niryat Rin Vikas Yojna- Nirvik scheme) की घोषणा की गई है।

भागीदार संस्था:

- निर्विक योजना के तहत भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (Export Credit Guarantee Corporation of India- ECGC) 90% कवर प्रदान करेगा।
- वर्तमान में ECGC द्वारा बैंकों को दिया जाने वाला औसत कवर 60% है। पिछले चार से पाँच वर्षों में ECGC ने विभिन्न बैंकों को दावों हेतु एक वर्ष में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और बाद में धीरे-धीरे इस कवर को कम कर दिया।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के बारे में:

- भारत सरकार के स्वामित्व में वर्ष 1957 में इसकी स्थापना निर्यात के लिये ऋण जोखिम बीमा (Credit Risk Insurance) और संबंधित सेवाएँ प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- निर्यात ऋण का विस्तार करने वाले वाणिज्यिक बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसने विभिन्न निर्यात ऋण बीमा योजनाएँ शुरू की हैं।
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

चक्रवात क्यार

हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यार (Kyarr) ने अरब सागर में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से श्रेणी 4 के चक्रवात के रूप में दस्तक दी है।

इसका नामकरण:

- इसका नामकरण म्याँमार द्वारा किया गया है।

चक्रवात क्यार के बारे में ?

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में क्यार अरब सागर में आया सबसे तीव्रगामी चक्रवात है।
- यह उत्तर-पश्चिम में ओमान तट की ओर लगातार बढ़ रहा है।
- यह रिकॉर्ड स्तर पर अरब सागर में दूसरा सबसे तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन गया है।
- अरब सागर में वर्ष 2007 में आया 5 श्रेणी की तीव्रता वाला चक्रवात गोनू सबसे तीव्र (265 किमी. प्रति घंटे) उष्णकटिबंधीय चक्रवात था।

विज्ञान ज्योति योजना

केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम (STEM- Science, Technology, Engineering and Mathematics) शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये विज्ञान ज्योति योजना (Vigyan Jyoti Scheme) प्रारंभ की है।

नोट :

क्या है विज्ञान ज्योति योजना ?

- इस योजना के माध्यम से वर्ष 2020-2025 तक 550 ज़िलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन छात्राओं का चयन उनके प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा।
- इस योजना में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विज्ञान शिविर का आयोजन किया जाएगा, साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कॉर्पोरेट, विश्वविद्यालयों तथा डीआरडीओ जैसे शीर्ष संस्थानों में कार्यरत सफल महिलाओं से शिविर के माध्यम से संपर्क स्थापित करवाया जाएगा।

उद्देश्य:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में स्टेम शिक्षा में केवल 24% महिलाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं का प्रतिभाग स्नातकोत्तर स्तर पर 22%, एम फिल में 28%,पीएचडी स्तर पर 35% और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में मात्र 10% है।
- इस योजना का उद्देश्य स्टेम शिक्षा में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाना है।
- योजना के माध्यम से महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये अभिभावकों की काउंसिलिंग भी की जाएगी।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019

हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 (Global Hunger Index 2019) जारी किया गया।

कौन जारी करता है सूचकांक ?

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक, आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्डवाइड (Concern Worldwide) और जर्मनी के एक संगठन वेल्ट हंगर हिल्फे (Welt Hunger Hilfe) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।

मानक:

1. लंबाई के अनुपात में कम वज़न (Child Wasting)।
2. आयु के अनुपात में कम विकास (Child Stunting)।
3. कुपोषण।
4. बाल मृत्युदर।

भारत और इसके पड़ोसी देशों की स्थिति:

- वर्ष 2019 में भारत 117 देशों में से 102वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2018 में भारत 103वें स्थान पर था।
- वर्ष 2019 के सूचकांक में नेपाल 73वें, श्रीलंका 66वें, बांग्लादेश 88वें, म्यांमार 69वें और पाकिस्तान 94वें स्थान पर रहे।

अन्य देशों की स्थिति:

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत सहित 17 देश शीर्ष पर रहे।

उलुरु चट्टान

ऑस्ट्रेलिया की विशाल लाल एकाश्मक (Monolith) उलुरु चट्टान को सरकार द्वारा ट्रैकिंग के लिए स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

उलुरु चट्टान के बारे में:

- इस चट्टान को आयर्स रॉक (Ayers Rock) के नाम से भी जाना जाता है।
- इस चट्टान का ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय जनजाति अनांगु (Anangu) समुदाय में विशेष आध्यात्मिक महत्त्व है।

नोट :

- यह ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है।
- यह लगभग 0.5 अरब वर्ष पुरानी बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टान है।
- इसकी ऊँचाई लगभग 348 मीटर है तथा परिधि 9.4 किमी. है।

उलुरु की अवस्थिति:

- यह मध्य ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में स्थित एक विशाल लाल एकाश्मिक चट्टान है।
- आयर्स रॉक को वर्ष 1950 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- वर्ष 1993 में इसका नाम परिवर्तित कर उलुरु-काटा तजुता राष्ट्रीय उद्यान (Uluru-Kata Tjuta National Park) कर दिया गया।
- उलुरु-काटा तजुता राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग

हाल ही में जम्मू और कश्मीर में एनएच-44 पर स्थित चेनानी नशरी सुरंग (Chenani Nashari Tunnel) का नाम बदलकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग करने की घोषणा की गई।

चेनानी नशरी सुरंग:

- 9 किलोमीटर की यह सुरंग देश की सबसे लंबी आधुनिक सुरंग है, जो उधमपुर को जम्मू में रामबन से जोड़ती है।
- यह भारत की पहली व विश्व की छठी सड़क सुरंग है जिसमें ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम (Transverse Ventilation System) है।
- हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में निर्मित इस सुरंग के माध्यम से क्षेत्रों के बीच यात्रा में लगने वाला समय लगभग दो घंटे कम होगा, साथ ही इससे ईंधन की भी बचत होगी।
- यह पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील (हिमस्खलन, बर्फबारी, मौसमी घटनाएँ) पटनीतोप क्षेत्र में वनों को संरक्षण भी प्रदान करती है।
- यह वायु संचार, संचार, विद्युत आपूर्ति तथा अग्निशमन तकनीकों से युक्त एकीकृत नियंत्रण प्रणाली है।
- किसी सुरक्षा खतरे से बचाने के लिये सुरंग में उन्नत स्कैनर (Scanner) भी लगया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी:

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म वर्ष 1901 में बंगाल में हुआ था।
- वे स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे।
- 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' इनका संकल्प था।
- इन्होंने 'भारतीय जनता पार्टी' की नींव रखी।
- 66 वर्ष पूर्व जब डॉ. मुखर्जी को गैर-कानूनी तरीके से लखनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था तब उन्हें चेनानी नशरी के जरिए श्रीनगर ले जाया गया।

सहारन सिल्वर चींटी

उत्तरी सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली सहारन सिल्वर चींटी (Saharan Silver Ant) विश्व की सबसे तेज़ गति से चलने वाली चींटी है।

वैज्ञानिक नाम:

- इसका वैज्ञानिक नाम कैटाग्लिफिस बॉम्बाइकिना (Cataglyphis Bombycina) है।

प्रमुख तथ्य:

- यह चींटी सहारा मरुस्थल की तीव्र गर्मी में कीड़े-मकोड़ों का शिकार करती है।
- यह चींटी तेज़ गति से भागते समय कई बार अपने छह पैर उठाकर हवा में थोड़ी दूर तक उड़ भी सकती है।

नोट :

- इन चीटियों के सिर पर चमकीले बाल होते हैं जिससे तेज़ धूप से ये अपनी सुरक्षा करती हैं। यह चींटी 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सामान्य अवस्था में रहते हुए शिकार कर सकती है।

सहारा मरुस्थल:

- सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है, यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है।
- सहारा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मरुस्थल होता है।
- यह क्षेत्र विश्व के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर दैनिक तापांतर भी बहुत अधिक है अर्थात् जहाँ दिन बहुत गर्म होता है वहीं इस क्षेत्र में रात का तापमान दिन की अपेक्षा अत्यधिक कम हो जाता है।
- सहारा मरुस्थल में 20 से अधिक झीलें हैं, जिनमें से अधिकांश खारे पानी की झीलें हैं। इस मरुस्थल में चाड झील (Lake Chad) एकमात्र मीठे पानी की झील है।

तस्मानियन टाइगर

हाल ही में एक रिपोर्ट में तस्मानियन टाइगर (Tasmanian Tiger) से मिलते-जुलते एक जानवर का उल्लेख हुआ, लेकिन तस्मानियन टाइगर वर्ष 1936 के बाद से विलुप्त माना जाता है।

तस्मानियन टाइगर के बारे में:

- इसका वैज्ञानिक नाम थैलसाइनस साइनोसेफैलस (Thylacinus Cynocephalus) है।
- इसको थायलेसिन (Thylacine) और तस्मानियन वुल्फ (Wolf) के नाम से भी जाना जाता है।
- बहुत समय पहले यह उत्तर में न्यू गिनी से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक पाया जाता था, लेकिन लगभग 2000 वर्ष पहले यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से विलुप्त हो गया था।
- वर्ष 1936 में तस्मानिया के होबार्ट चिड़ियाघर में अंतिम ज्ञात तस्मानियन टाइगर की मृत्यु हो गई थी।
- यह IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त (Extent) और CITES की परिशिष्ट I (Appendix I) में सूचीबद्ध है।

शारीरिक विशेषताएँ:

- तस्मानियन टाइगर का आकार कुत्ते से मिलता-जुलता था।
- इसके शरीर पर पीछे से शुरू होने वाली गहरी धारियाँ, कड़ी पूँछ (Stiff Tail) और पेट की थैली (Abdominal Pouch) होती थी।
- यह एक मार्सुपियल (Marsupial) वर्ग का मांसाहारी जानवर था।

विलुप्त होने के कारण:

- मनुष्यों द्वारा अति शिकार।
- ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय जंगली कुत्तों डिंगो (Dingo) से प्रतिस्पर्द्धा।
- भेड़ों के लिये खतरा होने के कारण भेड़पालकों से संघर्ष।

प्रहरी

सामुदायिक पुलिसिंग योजना- प्रहरी (Community Policing Scheme- Prahari) दिल्ली पुलिस द्वारा अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लॉन्च की गई एक योजना है।

क्रियान्वयन:

- प्रहरी योजना के अंतर्गत नागरिक, वाणिज्यिक और वीआईपी क्षेत्रों में तैनात चौकीदार एवं सुरक्षा गार्ड अपराध की रोकथाम में पुलिस की सहायता करेंगे।
- इसके अंतर्गत दिल्ली छावनी पुलिस स्टेशन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 400 से अधिक चौकीदारों और सुरक्षा गार्डों ने भाग लिया।

नोट :

उद्देश्य:

- सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मज़बूत करना।
- यह योजना चौकीदारों और सुरक्षा गार्डों के कार्यों में दक्षता बढ़ाने में सहायता करेगी।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

हाल ही में वेनेज़ुएला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council) के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च, 2006 को संकल्प 60/251 द्वारा इसका गठन किया गया था।
- इस परिषद का गठन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर किया गया था।

संरचना:

- यह परिषद 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से बनी है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं।
- परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। इसकी सदस्य संख्या का वितरण निम्नलिखित है:
  - अफ्रीका : 13 सदस्य देश
  - एशिया-प्रशांत: 13 सदस्य देश
  - लैटिन अमेरिकी और कैरीबिया: 8 सदस्य देश
  - पश्चिमी यूरोपीय और अन्य: 7 सदस्य देश
  - पूर्वी यूरोप: 6 सदस्य देश
  - भारत वर्ष 2021 तक परिषद का सदस्य है।

अधिदेश:

- यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मज़बूती प्रदान करने तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों को दूर करने एवं उन पर सिफारिशें लागू करने हेतु उत्तरदायी है।

बैठक:

- इसकी बैठक संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में आयोजित की जाती है।

रामगढ़ बांध

रामगढ़ बांध (Ramgarh dam) राजस्थान की राजधानी जयपुर के समीप स्थित है।

इतिहास:

- इसका निर्माण कार्य वर्ष 1904 में तत्कालीन जयपुर शासक सवाई माधोसिंह द्वितीय के शासनकाल में पूरा हुआ था।
- रामगढ़ बांध स्थित झील में वर्ष 1982 के एशियाई खेलों के दौरान रोइंग इवेंट (Rowing Event) का आयोजन किया गया था।

महत्त्व:

- यह कृषि और पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- इसके अतिरिक्त यह स्थानीय लोगों के लिये एक प्रकार का पिकनिक स्थल है।

संबंधित समस्याएँ:

- इस बांध को यहाँ के किसानों और स्थानीय लोगों द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- हाल ही में इस बांध में पानी के प्रवाह को प्रभावित करने वाले अतिक्रमणों को हटाने की मांग की जा रही है।

नोट :

आगे की राह:

- प्रस्तावित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से बांध में चंबल नदी के पानी की आपूर्ति की जानी चाहिये।
- इसके जलग्रहण क्षेत्र में कृषि भूमि पर निर्माण की अनुमति देनी चाहिये लेकिन इसको ध्यान में रखा जाए कि इससे बांध में पानी का प्रवाह बाधित न हो।

एरुमेली पेट्टा थुलल

हाल ही में केरल राज्य प्रदूषण बोर्ड (Kerala State Pollution Board) द्वारा पेट्टा थुलल (Petta Thullal) अनुष्ठान के दौरान उपयोग किये जाने वाले रसायन युक्त रंगों को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है।

क्या है पेट्टा थुलल ?

- भगवान अयप्पा से संबंधित पौराणिक कथाओं में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिये एक पवित्र नृत्य है।
- यह केरल में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले सबरीमाला तीर्थयात्रा अवधि के अंतिम पड़ाव की शुरुआत को दर्शाता है।

प्रतिबंधित करने का कारण:

- बोर्ड के अनुसार, इन रंगों में सीसा, आर्सेनिक और कैडमियम सहित खतरनाक धातुओं की उपस्थिति पाई गई है।
- ये धातु न सिर्फ त्वचा के लिये हानिकारक हैं बल्कि मृदा और जल स्रोतों को भी प्रदूषित करते हैं।

रासायनिक रंगों का विकल्प:

- तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसके विकल्प के तौर पर एक कार्बनिक सिंदूर के उपयोग का सुझाव दिया गया है।
- यह कार्बनिक सिंदूर एक लाल रंजक है जो मूल रूप से सिनाबार खनिज पाउडर से बनाया जाता है।

हिमाचल सरकार खरीदेगी प्लास्टिक

प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार ने रि-साइकल (पुन:चक्रित) न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है।

- इस प्रक्रिया को किस प्रकार कार्यान्वयित किया जाएगा और प्लास्टिक किस मूल्य पर एवं कहाँ से खरीदी जाएगी, इसका प्रस्ताव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने तैयार किया है।
- चूँकि कचरे के बदले सरकार पैसे देगी, इसलिये लोग भी इस योजना से जुड़ेंगे और अपशिष्ट कम फैलेगा।

वर्ष 1999 में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाले देश के पहले राज्य हिमाचल प्रदेश ने अब चिप्स, कुरकुरे, नमकीन और बिस्कुट जैसे विभिन्न उत्पादों की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से भी प्रदेश को मुक्त करने की तैयारी कर ली है।

रेडियो और टेलीविज़न के क्षेत्र में भारत एवं विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को मंज़ूरी

केंद्र सरकार ने रेडियो और टेलीविज़न के क्षेत्र में भारत तथा विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को पूर्व-प्रभाव से मंज़ूरी दे दी है।

क्या होगा लाभ ?

विदेशी प्रसारकों के साथ समझौते से निम्नलिखित क्षेत्र में मदद मिलेगी-

- सार्वजनिक प्रसारक को नए दृष्टिकोण तलाशने में मदद मिलेगी,
- नई प्रौद्योगिकियों और कड़ी प्रतियोगिता से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिये नई रणनीतियों के संदर्भ में
- समाचार माध्यम के उदारीकरण में
- वैश्वीकरण में।

नोट :

मुख्य प्रभाव

परस्पर आदान-प्रदान, सह-उत्पादक के माध्यम से तैयार किये गए कार्यक्रमों के प्रसारण से दूरदर्शन और आकाशवाणी के दर्शकों/श्रोताओं के बीच समता तथा समावेशन का वातावरण तैयार होगा। तकनीकी जानकारी, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और कामगारों के प्रशिक्षण से सार्वजनिक प्रसारकों को प्रसारण के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

केरल बैंक के गठन को मंज़ूरी

13 ज़िला सहकारी बैंकों को केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिलाकर प्रस्तावित केरल बैंक का गठन किया जाएगा।

- मल्लपुरम सहकारी बैंक को छोड़कर शेष सभी ज़िला सहकारी बैंकों ने सरकार के इस कदम को मंज़ूरी दे दी है।
- ज़िला सहकारी बैंकों को मिलाकर अपना बैंक बनाने का केरल सरकार का प्रस्ताव काफी पुराना है, जिसे रिज़र्व बैंक ने अब अंतिम मंज़ूरी दी है। गठन के बाद प्रस्तावित केरल बैंक राज्य का सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।
- नए बैंक के गठन से राज्य के विकास को गति मिलेगी। लेकिन नए बैंक का गठन इस संबंध में एक अदालत के समक्ष लंबित कुछ मामलों के अंतिम फैसले के अनुसार होगा।

भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला

भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का आयोजन 11 से 13 अक्तूबर, 2019 तक नई दिल्ली में किया गया।

- मेले में 36 देशों के संगठनों ने हिस्सा लिया तथा भारत की डेढ़ सौ से ज़्यादा सहकारी समितियाँ इसमें शामिल हुईं।
- कृषि निर्यात को दोगुना करने और भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लक्ष्य वाली कृषि निर्यात नीति, 2018 के अनुरूप यह मेला आयोजित किया गया।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा निर्देशित यह मेला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (NEDAC), तीन मंत्रालयों, चार राज्य सरकारों और अनेक शीर्ष स्तरीय भारतीय सहकारी संगठनों की सहायता से आयोजित किया गया।

समुद्री राज्य विकास परिषद

हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय ने समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) की 17वीं बैठक का आयोजित की।

- जहाजरानी मंत्रालय देश के छोटे और बड़े बंदरगाहों के बीच आपसी क्रियाकलाप के आधार पर बंदरगाहों के लिये राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना पर काम कर रहा है।
- देश में 204 छोटे बंदरगाह हैं, जिसमें से केवल 44 काम कर रहे हैं। ये सभी बंदरगाह पहले समुद्री गतिविधियों के केन्द्र थे और इन्हें पुनर्जीवित करने से ये एक बार फिर समुद्री व्यापार के महत्वपूर्ण केन्द्र बन सकते हैं।

समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC)

- MSDC समुद्री क्षेत्र के विकास के लिये एक शीर्ष सलाहकार निकाय है और इसका उद्देश्य प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करना है।
- MSDC का गठन मई, 1997 में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने संबंधित समुद्री राज्यों द्वारा या तो प्रत्यक्ष या कैप्टिव उपयोगकर्ताओं तथा निजी भागीदारी द्वारा मौजूदा और नए छोटे बंदरगाहों के भविष्य में विकास के लिये किया गया था।
- इसके अलावा यह छोटे बंदरगाहों, कैप्टिव बंदरगाहों के विकास की भी निगरानी करता है ताकि उनका प्रमुख बंदरगाहों के साथ एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ सड़क/रेल/आईडब्ल्यूटी जैसी अन्य बुनियादी जरूरतों का आकलन करके संबंधित मंत्रालयों को उचित सिफारिशें की जा सकें।

नोट :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'ऑन टैप' भुगतान प्रणालियों को अधिकृत किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिये 'ऑन टैप' भुगतान प्रणालियों को अधिकृत करने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इनके लिये अनिवार्य न्यूनतम राशि की भी घोषणा की गई है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रचालन ईकाई- BBPOU, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली- TReDS और व्हाइट लेबल एटीएम को ऑन टैप अधिकार देने का फैसला किया है।
- इस क्षेत्र में आने या BBPOU के लिये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की इच्छुक कंपनियों को एक अरब रुपए की न्यूनतम राशि रखनी होगी और यह स्तर हर समय बनाए रखना होगा।
- TReDS के लिये न्यूनतम इक्विटी पूंजी 25 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।
- व्हाइट लेबल एटीएम क्षेत्र में आने वाली कंपनियों को भी न्यूनतम एक करोड़ रुपए की पूंजी रखनी होगी।
- लाइसेंस देने का निर्णय प्रस्ताव के गुण और इस क्षेत्र में अतिरिक्त इकाइयों के लिये कारोबार की संभावनाओं के बारे में केंद्रीय बैंक के आकलन के आधार पर दिया जाएगा।
- विदित हो कि इस वर्ष जनवरी में रिज़र्व बैंक ने नई खुदरा भुगतान प्रणालियों को अधिकृत करने के बारे में नीति पत्र जारी किया था।

BBPOU और TREDS क्या है ?

भारत बिल भुगतान ऑपरेटिंग यूनिट (BBPOU) BBPCU भारत बिल भुगतान के माध्यम से लेन-देन से संबंधित समाशोधन और निपटान गतिविधियों को पूर्ण करता है।

TReDS, व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (Trade Receivable Discounting System-TReDS) MSME को कॉर्पोरेट से मिलने वाले प्राप्यों के भुगतान के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका गठन RBI द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and Settlement Systems Act 2007) के तहत स्थापित नियामक ढाँचे के तहत किया गया है।

गंगा आमंत्रण अभियान

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा आमंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है।

क्या है गंगा आमंत्रण अभियान ?

- गंगा आमंत्रण अभियान एक राफ्टिंग और नौका चालन अभियान है।
- यह अभियान उत्तराखंड के देवप्रयाग से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक क्रियान्वित किया जाएगा।
- यह अभियान ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और कोलकाता के रास्ते से गंगासागर पहुँचेगा।

उद्देश्य:

- गंगा नदी को प्रदूषण रहित बनाने और जल संरक्षण के संदेश को व्यापक पैमाने पर प्रसारित करने हेतु यह एक प्रकार का सामाजिक अभियान है।
- गंगा नदी में प्रदूषण के कारण हो रहे पारिस्थितिकी बदलाओं से लोगों को जागरूक किया जाएगा।

क्रियाविधि:

- देवप्रयाग से गंगासागर के बीच क्रियान्वित इस अभियान में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के कुछ सैनिक शामिल होंगे, जिनका नेतृत्व विंग कमांडर परमवीर सिंह द्वारा किया जाएगा।
- इस समूह में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (National Disaster Response Force- NDRF) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) के सदस्य भी शामिल होंगे।
- CSIR के सदस्य अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों से गंगा के पानी का सैंपल एकत्र कर अनुसंधान कार्य भी करेंगे।

नोट :

नासा ने रचा नया इतिहास

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की 2 महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने 18 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बाहर पहली बार पुरुष सहयोगियों के बिना स्पेसवॉक किया।

- गौरतलब है कि इससे पहले जिन 15 महिलाओं ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की है, उनके साथ एक पुरुष साथी भी रहा है इसलिये क्रिस्टिना कोच (Christina Koch) और जेसिका मीर (Jessica Ulrika Meir) ने इस बार अंतरिक्ष केंद्र से बाहर निकलकर इतिहास रच दिया। कोच का यह चौथा, जबकि मीर का पहला स्पेसवॉक था।

भारतीय पर्यटकों को ब्राज़ील जाने के लिये वीज़ा ज़रूरी नहीं

- भारत के लोगों के लिये आने वाले समय में ब्राज़ील में प्रवेश के लिये वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी।
- ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने चीन और भारतीय पर्यटकों को अब ब्राज़ील में प्रवेश के लिये वीज़ा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
- शुरुआत में इसके लिये दूसरे पक्ष की ओर से छूट की शर्त नहीं होगी।
- विदित हो कि ब्राज़ील सरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा के नागरिकों को लघु अवधि की पर्यटन और व्यापार यात्राओं के लिये वीज़ा की छूट दे रही है।
- अब इस सूची में अगले देश भारत और चीन होंगे। चीन की आबादी 1.39 अरब और भारत की 1.3 अरब है।
- भारत और चीन दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्रिक्स के तीन अन्य देश ब्राज़ील, रूस और दक्षिण अफ्रीका हैं।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को मिले नए राज्यपाल

- एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने गुजरात कैडर के IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया है।
- राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।
- जम्मू-कश्मीर के निवर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है।
- विदित हो कि 31 अक्तूबर से विशेष राज्य से हट कर जम्मू-कश्मीर व लद्दाख नए केंद्रशासित प्रदेश होंगे।
- केंद्र सरकार ने इस वर्ष 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को तीन केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया था।
- गिरीश चंद्र मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुख्य सचिव रहे हैं।
- इसके अलावा रिटायर्ड IPS अधिकारी दिनेश्वर शर्मा को केंद्रशासित लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया है।
- केरल कैडर के वर्ष 1976 बैच के अधिकारी अधिकारी भारतीय खुफिया ब्यूरो (IB) के प्रमुख भी रह चुके हैं।

नोट :